अन्तिम एसआईए रिपोर्ट

कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण, हिमाचल प्रदेश

HIPA-SIAU, Govt of Himachal Pradesh

प्राक्कथन

यह सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) प्रतिवेदन, एसआर एशिया द्वारा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन (एचपीएसआईए) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार तैयार किया गया है। प्रभावित क्षेत्र से महत्वपूर्ण निविष्टयां, सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकड़ा, विस्थापन की उत्पन्न स्थिति, स्थानीय परिस्थितिकी, संस्कृतिक, सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा एवं अन्य सुझावो पर्याप्त करने के लिए एसआईए टीम ने जिला उपायुक्त कांगड़ा, एडीएम कांगड़ा, एसडीएम शाहपुर एवं एसडीएम कांगड़ा, परियोजना प्रभावित परिवारों, राजस्व और भूमि सुधार विभाग एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ व्यापक परामर्श किया।

हम इस प्रतिवेदन को तैयार करने में शासकीये अधिकारियों, परियोजना प्रभावित परिवार, स्थानीय प्रतिनिधियो, डा. अंबरीन जमाली (सहायक प्रोफेसर) एवं टीम संकाय–सामाजिक कार्य विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश तथा सभी हितधारकों द्वारा उनके साझा समय एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

हम विशेष रूप से प्रमुख सचिव (पर्यटन–हि.प्र.), निदेशक– हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, उपायुक्त कांगड़ा, जिला एवं तहसील प्रशासन को एसआईए कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। यह प्रतिवेदन जनसुनवाई के उपरांत तैयार किया गया हैं।

इस चुनौती पूर्ण अध्ययन को पूर्ण करने के लिए मै संस्था में कार्यारत श्री अजय कुमार सिंह (परियोजना प्रबंधक), कु0 जया यादव (सहायक परियोजना प्रबंधक) तथा एसआईए टीम के सदस्यो को धन्यवाद देता हूं।

अप्रैल, 2023

बीरेंद्र रतूड़ी
(अंतर्राष्ट्रीय निदेशक)

संक्षिप्त रूप और परिवर्णी शब्द

एएआई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
पीएएफ	परियोजना प्रभावित परिवार
पीएपी	परियोजना प्रभावित जनसंख्या
सीपीआर	सार्वजनिक संपत्ति संसाधन
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
एफजीडी	सामूहिक विचार विमश / केंद्रित समूह चर्चा
जीपीएस	भौगोलिक स्थिति प्रणाली
एनए	लागू नही
एनएच	राष्ट्रीय राजमार्ग
RFCTLARR 2013	भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013
आर&आर	पुनर्वास और पुनर्स्थापन
एसआईए	सामाजिक प्रभाव / समाघात आकलन
एसआइएमपी	सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना
हिपा	हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान
हे0.	हेक्टेयर
एचपी	हिमाचल प्रदेश
एचपीएसआईए	हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव / समघात आकलन
आईटीआई	औद्योगिक व्यापार संस्थान
पीआईयू	परियोजना कार्यान्वयन इकाई
पीआरए	भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन
जेवी	संयुक्त उद्यम
किमी	किलोमीटर
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एसडीएम	उप मंडलाधिकारी / उप प्रभागीय न्यायाधीश
एडीएम	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
एचपीएसआईए	हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन
ए0एन0एम0	सहायक नर्स और दाई।

नोटः भूमि अधिग्रहण शब्द में उस पर किसी भी और सभी प्रकार की संपत्तियों को शामिल किया गया है।

विषय सूची

	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी संक्षेप	i-xx
अध्याय–एक	भूमिका	1–7
	1.1 पृष्ठभूमि	1
	1.2 दिल्ली–धर्मशाला के लिए उड़ाना सेवाये	4
	1.3 हवाई अड्डे के विस्तार की आवश्यकता	5
	1.4 परियोजना स्थल	5
	1.5 परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान	5
	1.6 परिसिमायें, कार्य स्थल के अनुभव	8
अध्याय–दो	सामाजिक समाघात आंकलन की अध्ययन पद्धति	8–15
	2.1 परिचय	8
	2.2 सामाजिक समाघात अध्ययन की आवश्यकता	8
	2.3 अध्ययन के उद्देश्य	9
	2.4 अध्ययन पद्धति	9
	2.5 अध्ययन के उपकरण	12
	2.6 टीम संयोजन	14
	2.7 कार्य एवं समय का विवरण	15
	2.8 जन सुनवाई	15
अध्याय–तीन	भूमि आंकलन	16–20
	3.1 परियोजना के अन्तर्गत वांछित भूमि आदि का विवरण	16
	3.2 तहसीलवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण	17
	3.3 ग्रामवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण	18
	3.4 भूमि का प्रकार	20
	3.5 भूमि का उपयोग	20
अध्याय–चार	प्रभावित ग्रामों की सामाजिक एवं आर्थिक रूपरेखा	21–33
	4.1 ग्रामों की स्थिति	21
	4.2 जनसांख्यिकी स्थिति एवं श्रेणी	22
	4.3 आर्थिक संस्थाओं की उपलब्धता	23
	4.4 सामाजिक / धार्मिक स्थल	24
	4.5 राजनैतिक, प्रशासनिक संस्थाये	24
	4.6 शिक्षण संस्थाये	25
	4.7 स्वास्थ्य सेवाये	25
	4.8 पशु चिकित्सा सेवाये	26
	4.9 विद्युत कनेक्शन	26

	4.10 पेयजल स्रोत	27
	4.11 सिंचाई का साधन	27
	4.12 आर्थिक गतिविधियां	28
	4.13 कुटीर उद्योगो की स्थिति	28
	4.14 कुरीतियां	29
	4.15 पशुधन	29
	4.16 पशुओं हेतु हरा चारे की उपलब्धता	29
	4.17 मुख्य फसलें	30
	4.18 अधिग्रहीत सार्वजनिक परिसम्पत्तियां	31
	4.19 असहमति के कारण	32
	4.20 परियोजना के प्रभाव	32
अध्याय–पॉच	सामाजिक प्रभाव	34–63
	5.1 प्रभावित परिवारों की सामान्य विशेषताएँ	34
	5.1.1 लिंग	34
	5.1.2 शैक्षिक योग्यता	35
	5.1.3 धर्म	37
	5.1.4 जाति	38
	5.2 व्यवसाय	39
	5.3 आय	40
	5.4 परिवार के प्रकार	42
	5.5 पशुधन	43
	5.6 सामाजिक स्थिति	44
	5.6.1 मकान का प्रकार	44
	5.6.2 विधुत कनेक्शन की उपलब्धता	45
	5.6.3 पेयजल स्रोत	46
	5.6.4 शौचालय की उपलब्धता	46
	5.6.5 रसोई की उपलब्धता	47
	5.7 आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली सुविधाओं की नियमितता	48
	5.8 चिकित्सकीय सुविधा	49
	5.9 विभिन्न उत्सवों में भागीदारी	50
	5.10 गाँव के पास/मध्य में हवाई अड्डे के विस्तार के संबंध में जानकारी	51
	5.11 अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल	51
	5.12 अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर बोयी जाने वाली फसलें	53
	5.13 अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की श्रेणी	54
	5.14 अधिग्रहीत होने वाली भूमि से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय	55
	5.15 हवाई अड्डे परियोजना के निर्माण के बार में राय	56

	5.16 भूमि अधिग्रहीत करने की सहमति	57
	5.17 भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली सम्पति	58
	5.18 असहमति के कारण	59
	5.19 भूस्वामियों द्वारा बतायीं गई शर्तें जिन पर वे भूमि देने हेतु सहमत है	60
	5.20 परियोजना से प्रतिकूल प्रभाव	61
	5.21 हवाई अड्डे से लाभ / सकरात्मक प्रभाव	62
अध्याय–छ :	सामूहिक विचार विमर्श	64–73
	6.1 सामूहिक विचार विमर्श और परामर्श की आवश्यकता	64
	6.2 सामूहिक विचार विमर्श – अनुसंधान और आंकड़ा संग्रह की प्रक्रिया	65
	6.3 परियोजना प्रभवित तहसील शाहपुर के गांवों का सामूहिक विचार विमर्श	66
	6.4 परियोजना प्रभावित तहसील कांगड़ा के गांवों का सामूहिक विचार विमर्श	67
	6.5 भूमि अधिग्रहण से पीएपी में रोजगार क्षमता, आय क्षमता, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक लोकाचार, पारिवारिक संरचना, मानसिक कल्याण और पारिस्थितिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा	68
	6.6 प्रभावित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि, व्यापार के अवसर, जमीन की कीमत, सार्वजनिक सुविधा, औपचारिक रोजगार उत्पादकता और जीवन स्तर में वृद्धि के संबंध में उनकी राय /धारणाओं पर चर्चा की गई	69
	6.7 प्रभावित क्षेत्र में खाद्य (सब्जी) सुरक्षा में वृद्धि, महिला रोजगार उत्पादकता और जीवन स्तर के संबंध में उनकी राय/धारणाओं पर चर्चा की गई और राय मांगी गई	70
	6.8 अधिग्रहण से क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक निर्भरता पर पड़नेवाले प्रभाव पर चर्चा	70
	6.9 परियोजना क्षेत्र मे जल स्रोत, जल संचय, भूमिगत जल स्तर और वन संरक्षित जैसे मुद्दों पर चर्चा	70
	6.10 परियोजना क्षेत्र मे स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा	70
	6.11 परियोजना का क्षेत्र में शैक्षिक सुविधा/स्कूलो/कॉलेजों और परिवहन और सड़क सुविधा में वृद्धि पर प्रभाव	70
	6.12 क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता में सुधार और निजी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा	71
	6.13 एफजीडी के दौरान परियोजना के बारे में अन्य राय और टिप्पणी	71
	6.14 शमन के उपाय	72
	6.15 सामुदायिक कल्याण और जीवन शैली पर संभावित प्रभाव	72
	6.16 सामूहिक विचार विमर्श के दौरान ग्रामीणों की मांगे	72
	6.17 परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान पर चर्चा	73
अध्याय–सात	लागत और लाभ विश्लेषण	74–79
	7.1 परियोजना से सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन	74
	7.2 संरचना और आकार पर प्रभाव	74

	7.3 मुआवजे का निर्धारण	75
	7.4 पात्रता तालीका (मैट्रिक्स)	75
	7.5 परियोजना की लागत और लाभ	77
	7.5.1. लागत	78
	7.5.2. लाभ	78
	7.6.1 लागत –लाभ विश्लेषण लागू करने में समस्यऐं	79
अध्याय–आठ	सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना	80–95
	8.1 सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना	80
	8.2 प्रभाव से बचने, कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय	89
	8.3.महिलाओं के लिए प्रबंधन योजना	90
	8.4 विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी	90
	8.5 निर्माण शिविरों में महिलाओं का प्रावधान	91
	8.6 प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन	92
	8.7 कौशल विकास के माध्यम से आजीविका संचालन और आय सृजन की रणनीति	93
	8.8. हिमाचल प्रदेश नियम 2015 के`अनुसार अपेक्षित निकाय द्वारा उपाय	94
	8.9 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था	94
	8.10 शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)	95
अध्याय–नौ	जनसुनवाई / लोकसुनवाई	96–143
अध्याय–दस	संस्तुतिया	144–145
परिशिष्ट–एक	ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें / नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव	146–183
परिशिष्ट–दो	साहित्यिक समीक्षा	184–199
परिशिष्ट–तीन	प्रभावित भूस्वामियों की सामान्य विशेषताऐं	200–234
परिशिष्ट–चार	जनसुनवाई / लोकसुनवाई के दौरान प्राप्त ज्ञापनो की सूची	235

कार्यकारी संक्षेप

1.1 पृष्ठभूमि :

विकास एक सतत प्रकिया है। मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न काल खण्डों के तत्कालीन परिवेश के अनुरूप आविष्कार किये जाते रहे है। किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र की आवश्यताओं को ध्यान में रखते हुए आविष्कार किये जाते हैं। समय–समय पर इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी होते रहे है। मनुष्य की प्रकृति रही है कि ज्यों–ज्यों आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाती है त्यों–त्यों जीवन स्तर में सुधार हेतु नई आवश्यकताऐं अनुभव की जाती रही है।

विभिन्न प्रकार की सुख सुविधा युक्त साधनों में परिवहन एवं यातायात महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। परिवहन एवं यातायात के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। इनमें सबसे अधिक दबाव सड़क मार्ग पर यातायात में पड़ता है। विगत वर्षों में सड़क मार्ग से यातायात के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे सड़क मार्ग से यातायात में वाहनों की भीड़भाड़ से सड़को पर अत्यधिक जाम तो लगता ही है साथ ही वाहनों की धीमी गति के कारण गन्तव्य तक पहुॅचनें में अधिक समय एवं ईंधन व्यय होता है। इसके निराकरण हेतु लोग वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं, जिससे वह अपने गन्तव्य स्थान पर जल्द पहुच सके है। इसके लिए हवाई अड्डे का विस्तार एवं नविन हवाई अड्डे के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

विगत कुछ वर्षो से पूर्व में निर्मित विद्यमान हवाई अड्डे को यथासम्भव विस्तार किया जाता रहा है। इस क्रम में कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कांगना जनपद के कांगड़ा एवं शाहपुर तहसील के 14 ग्राम के भूमि पर विस्तार का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

वर्ष 2019 में, टीम ने हवाई अड्डे के आस–पास के क्षेत्र का दौरा किया और रनवे को 1,370 से 1,920 मीटर (4,490 से 6,300 फीट) तक विस्तारित करने के लिए भूमि की पहचान की गई। हालांकि, इस प्रस्तावित विस्तार के लिए कुल 140 हेक्टेयर (350 एकड़) भूमि की आवश्यकता होगी और इसका मतलब लगभग सभी गगल टाउनशिप का विस्थापन होगा जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किमी (1.2 मील) की दूरी पर स्थित है और हवाई पट्टी के विस्तार के प्रस्तावित मार्ग में सीधे स्थित है। नतीजतन, जनवरी और फरवरी 2020 में स्थानीय लोगों द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए गए।

मार्च 2021 में, एएआई द्वारा प्रस्तावित विस्तार के लिए बाधा/व्यवधान स्तर सर्वेक्षण (ओएलएस) किया गया था। एएआई के संशोधित सर्वेक्षण में, पहले मांझी नदी पर एक पुल का निर्माण करके रनवे की लंबाई को 1,900 मीटर (6,200 फीट) तक बढ़ाया जाना था, जो गगल टाउनशिप और हवाई अड्डे के बीच बहती है। इसके बाद, राष्ट्रीय राजमार्ग 154 को काटकर गगल

टाउनशिप से भूमि का अधिग्रहण करके रनवे को 3,010 मीटर (9,880 फीट) तक विस्तारित किया जाना है, जिसके लिए राजमार्ग के पुनर्गठन की भी आवश्यकता होगी।

मार्च 2022 में, कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए दो चरणों में विस्तार की योजना बनाई। हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से एक पर्वतीय राज्य है और परिवहन के अन्य साधनों की अनुपलब्धता सड़कों को अंतरराज्यीय और अंतर्राज्यीय परिवहन का एकमात्र साधन बनाती है। इसके अलावा, लंबी यात्रा का समय और सुरक्षा पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से खराब मौसम की स्थिति के दौरान बड़े मुद्दे हैं इसलिए हवाई संपर्क समय की बचत और सुरक्षा के मामले में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।

क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए विश्वसनीय और निर्बाध हवाई संपर्क की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय विमानन बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो हिमाचल प्रदेश को विमानन और संबद्ध व्यवसायों में निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना देगा। आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में हवाई अड्डें का निर्माण/विस्तार कराया जायेगा।

इसलिए, राज्य के समग्र विकास और कांगड़ा जिले के विकास को विशिष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए और हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर लाने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा हवाई अड्डे को राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है जो व्यापक रूप से संचालित करने के लिए उपयुक्त है। राष्ट्रीय उड़ानों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित साइट केंद्रीय रूप से स्थित है और अन्य महत्वपूर्ण/धार्मिक / पर्यटन स्थलों के साथ निकटता में है।

1.2 हवाई अड्डे के विस्तार की आवश्यकता :

हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसमें गगल हवाई अड्डे के माध्यम से हवाई संपर्क है। सीमित रनवे लैंग्थ व लोड पेनाल्टी के कारण यह हवाई अड्डे छोटे विमानों के उतरने के लिए उपयुक्त है, परिणामतः हवाई किराया बहुत अधिक है। अधिक मांग और बहुत सीमित सीटें होने के कारण देश में गगल हवाई अड्डे के लिए विमान किराया उच्चतम स्तर पर है, जिससे राज्य में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तदानुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा हवाई अड्डे का बाधा/व्यवधान सीमा सतह सर्वेक्षण किया गया था तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रयोजन के लिए भूमि चयनित की गई है। यह विमानपत्तन राज्य के सर्वोच्च हितों की पूर्ति करेगा तथा वायु सेना की रक्षा आवश्यक्ताओं की पूर्ति हेतु आधार के रूप में सेवा प्रदान करने के साथ–साथ प्रस्तावित विमानपत्तन पर बड़े विमानों की लैंडिग से पर्यटकों का समय बचेगा और इन गंतव्यों के लिए हवाई किराए में गिरावट देखने को मिलेगी।

1.3 परियोजना स्थल :

तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के महाल रछियालू, जुगेहड, क्योड़ी और भड़ोत तथा तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के महाल भेड़ी, ढुगियारी खास, सनौर, बल्ला, सहौड़ा, मुंगरेहाड, बाग, गगल खास, बरसवालकड और झिकली इच्छी में अवस्थित कुल 147–75–87 हैक्टयर प्रस्तावित भूमि (सरकारी भूमि और निजी भूमि) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गगल (कांगड़ा) हवाई अड्डे, जिला कांगड़ा के विस्तारीकरण के लिए चयन किया गया हैं।

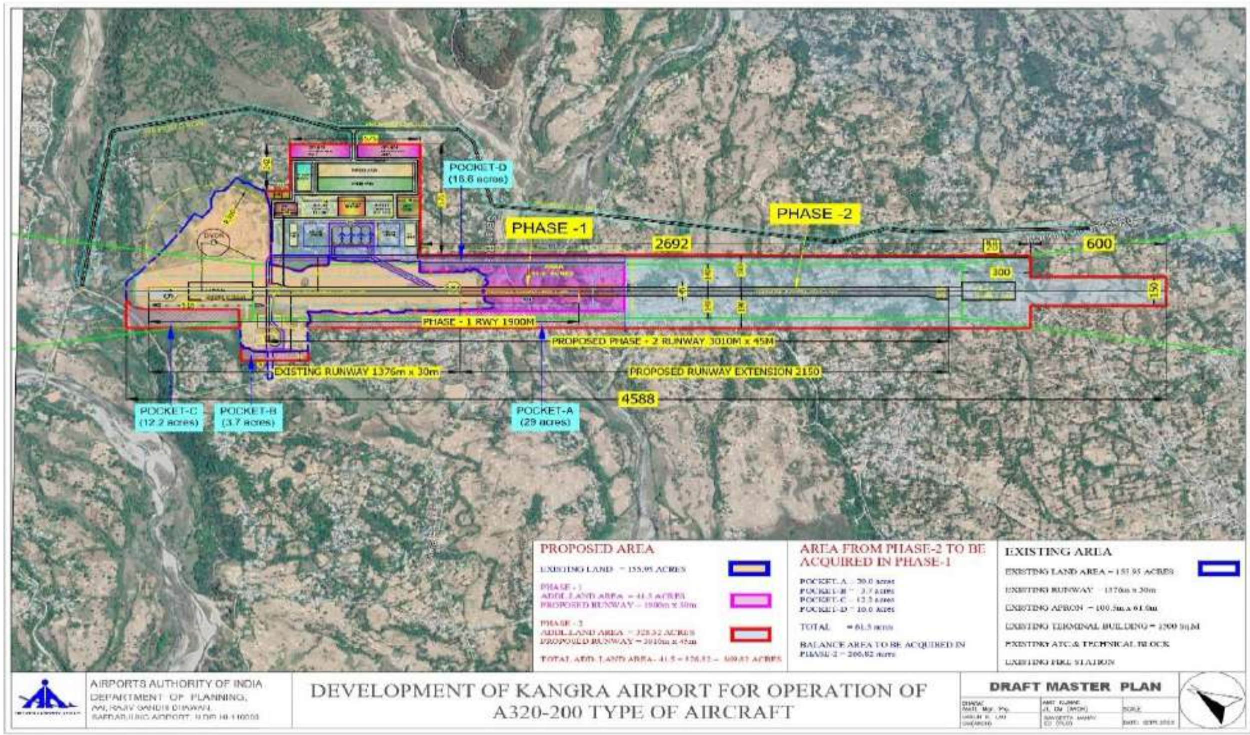

पर्यटन विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और प्रस्तावित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना उपलब्ध नही कराई गयी। इसलिए सर्वेक्षण कार्य के दौरान प्रभावित परिवारों को साझाा नही किया जा सका।

1.4 परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान :

प्रभावित क्षेत्र के निवासियों एवं पचायत के सदस्यों से बात करने से ज्ञात हुआ कि प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि फसल उत्पादन के लिए ज्यदा उपजाऊ हैं और इसके साथ परियोजना क्षेत्र मे व्यवसायिक गतिविधियॉ एवं आवास भी प्रभावित हो रहा हैं। इससे क्षेत्र कि आर्थिक स्थिति खराब होगी एवं परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में सब्जी उत्पादन में कमी आयेगी। इस प्रभाव से बचने के लिए लोगो ने परियोजना के लिए तीन वैकल्पिक स्थल का सुझााव दिये जो निम्नवत हैं:

क.हवाई अड्डे का विस्तार, वर्तमान कांगड़ा हवाई अड्डे के पश्चिम से उत्तर की तरफ धर्मशाला / सराह की ओर किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम परिवार विस्थापित होंगे और सरकारी धन की अत्यधिक बचत होगी और स्थानीय लोग भी इस विकल्प का समर्थन करते हैं।

ख. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के विस्तार के अलावा नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कांगड़ा तहसील के बोड़क्वालू में वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव दिये है, जो तहसील से लगभग 15 किमी दूरी एवं गगल हवाई अड्डे से लगभग 12 कि0मी0 कि दूरी पर है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध एवं मसरूर मंदिर लगभग 15 कि0मी0 पर हैं। जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं और ज्यादातर भूमि बंजर और कम उपजाऊ है और प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सम्भावना है।

ग. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के लिए तीसरा वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव कांगड़ा तहसील के रैत विकास खण्ड कें लंज क्षेत्र में दिये है, जो गगल हवाई अड्डे से लगभग 23 कि0मी0 कि दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध लगभग 5 कि0मी0 एवं मसरूर मंदिर लगभग 3 कि0मी0 पर हैं। जिला हमीरपुर से लगभग 70 कि0मी0 एवं ऊना से लगभग 100 कि0मी0 कि दूरी पर स्थित हें, जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं और वर्तमान प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सम्भावना है।

इसलिए SIA टीम यह सुझाव देगी कि स्थल चयन के लिए तकनीकी टीम के सुझाव के उपरांत ही परियोजना के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाए।

वैकल्पिक स्थान : ग्राम बोड़क्वाल

2.1 सामाजिक समाघात अध्ययन की आवश्यकता :

कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हवाई अड्डे के विस्तार हेतु संबंधित जनपद में भूमि की आवश्यकता पड़ रही है। इससे सरकारी तथा निजी दोनो प्रकार की भूमि सम्मिलित है। जिन निजी भू–स्वामियों की भूमि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध नियमों के तहत अधिग्रहित कर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश शासन को हस्तांतरित की जायेगी। इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यकता है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, यानी हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन नियम 2015 (एचपीएसआईए नियम, 2015) के अनुपालन में, किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का आकलन करने के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तदनुसार, एचआईपीए की निविदा के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, (हिपा) हिमाचल प्रदेश सरकार, एसआर एशिया द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पूर्ण किया गया

2.2 अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन का उद्देश्य हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनको होने वाले नुकसान का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने हेतु सुझाव देना है। प्रस्तुत सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन RFCTLARR अधिनियम, 2013 और HP SIA नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया ।

• यह आकलन करने के लिए कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि न्यूनतम आवश्यक है।

• प्रभावित परिवारों की संख्या और उनमें से उन परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जिनके आवासीय, व्यावसायिक या दोनों रूप से विस्थापित होने की संभावना है।

• परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आकलन करना।

• सामान्य संपत्ति संसाधनों (सीपीआर), सामाजिक–आर्थिक बुनियादी ढांचे आदि के नुकसान के कारण प्रत्यक्ष रूप से भूमि खोने वाले परिवारों के साथ–साथ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों दोनों को शामिल करके परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना और कुल लागत पर इन लागतों का प्रभाव और परियोजना के लाभ का आकलन करना।

• यह पता लगाने के लिए कि जहां कम से कम विस्थापन की समस्या है, उस उद्देश्य के लिए किसी वैकल्पिक स्थल पर विचार किया गया है, लेकिन वह स्थल ही परियोजना के लिए उपयुक्त है या नहीं ।

• सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के माध्यम से उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करके उपचारात्मक हस्तक्षेप उपायों का सुझाव देना।

2.3 अध्ययन पद्धति :

कांगड़ा जिले के कांगड़ा तहसील के दस ग्राम (गगल खास, सन्नौर, ढुगियारी खास, भेडी, बाग, बरसवालकड, झिकली इच्छी, मुंगरेहड, सौहाड़ा एंव बल्ला) के 108.4707 हे0 भूमि और शाहपुर तहसील के चार (जुगेहड़, क्योिड़ी, भड़ोत एवं रछियालू) ग्रामों के 39.2880 हे0 भूमि हवाई अड्डे विस्तार परियोजना से प्रभावित है, इस प्रकार दोनों तहसील के कुल 147.7587 हे0 भूमि अधिग्रहण से प्रभावित है। एसआर एशिया संस्था की एस.आई.ए. टीम द्वारा सभी ग्रामों के 1446 प्रभावित परिवारों से दिनांक 28 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक ग्रामों में लगातार घर –घर जाकर साक्षात्कार करने हेतु मिलने का प्रयास किया गया तथा जो भूस्वामी ग्राम से बाहर थे उनसे दूरभाष के माध्यम से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से साक्षात्कार करने का प्रयास किया गया। इस सम्बध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि झकली इच्छी एवं गगल खास पंचायत के लोग साक्षात्कार देने से माना कर दियें। पंचायत के लोगो ने एस.आई.ए. टीम को भी ग्राम के अन्दर साक्षात्कार करने से रोका एवं टीम के लोगों को धमकियॉ भी दी, उनका कहना था कि जब हम लोग को हवाई अड्डे विस्तार के लिए भूमि नहीं देनी हैं तो हम लोग साक्षात्कार क्यों दे। लोगो के अनुसार पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में परियोजना से सबंधित कई बार सर्वे का कार्य हुआ हैं। हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र में बहुत ज्यदा मकान एवं व्यवसाय प्रभावित हो रहा हैं, इसलिए क्षेत्र के लोगों में परियोजना के प्रति काफी रोष है और परियोजना के विरोध में है। इसलिए लोगों ने साक्षात्कार देने से मना कर दिये। एस.आई.ए के लाभ को SDM एवं ADM कई बैठको के माध्यम से गांव के परिवारों को बताने का प्रयास किये, परंतु लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और साक्षात्कार देने से मना कर दिये। परंतु उक्त अधिकारियों के समझाने के उपरांत गगल खास पंचायत के केवल 15 प्रतिशत परिवार के सदस्यों ने एस. आई.ए. टीम को साक्षात्कार दिये, इस प्रकार एसआर एशिया संस्था की एस.आई.ए. टीम को प्रभावित ग्राम के कुल 399 (34.04 प्रतिशत) परिवार के लोगों ने साक्षात्कार दिये, जिसके आधार पर एस.आई.ए. टीम ने प्रभावित ग्रामों के परिवारों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया गया। यह भी उल्लेख करना आवश्यक हैं कि परिवार के केवल एक सदस्य ने साक्षात्कार दिया, अन्य सदस्य साक्षात्कार देने से मना कर दिये, कुछ परिवार ग्राम से बाहर रहते है एवं अन्य से विभिन्न कारणों से 773 परिवारों से साक्षात्कार नही हो पाया। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तथा तहसील स्तर

से आंकडें प्राप्त किये गये। साथ ही प्रभावित ग्रामों मे सामूहिक विचार–विर्मश के आधार पर भी प्राथमिक आंकडे संकलित करने का प्रयास किये गये। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डे के विस्तार से संबन्धित ग्राम से विभिन्न हितधारकों से भी विचार–विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर इस सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन को पूर्ण किया गया।

2.4 अध्ययन के उपकरण :

अध्ययन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनो तरीको का उपयोग किया गया। प्रस्तुत सामाजिक सामाघात आंकलन अध्ययन को पूर्ण करने में निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया गया।

1. साहित्य समीक्षा
2. स्थल भ्रमण
3. ग्राम स्तरीय अनुसूची
4. प्रभावित परिवारों हेतु अनुसूची,
5. भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए)
6. सामूहिक विचार विमर्श हेतु प्रश्नावली
7. आंकडो का विश्लेषण
8. प्रतिवेदन लेखन

2.5 जन सुनवाई :

RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 5 में नियम हैं कि जब भी सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन होगा, तो प्रभावित क्षेत्रों में SIA आलेख्य प्रतिवेदन पर एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जायेगी और उस जनसुनवाई कि सभी प्रतिक्रिया, आपत्तियां और सुझावों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। तदनुसार SDM शाहपुर एवं कांगड़ा के कार्यालय के माध्यम से जन सुनवाई को तीन सप्ताह पहले अधिसूचित किया गया था। एसआईए संस्था ने पंचायत घरों और प्रमुख स्थानों पर पोस्टर एवं बैनर प्रदर्शित करके जन सुनवाई की तारीखों का प्रचार प्रसार की। इस विषय पर जन जागरूकता और जानकारी को अधिकतम करने के लिए समाचार पत्र विज्ञापन भी किया गया था। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट और व्हाट्सएप मैसेज सभी ग्राम प्रधानो और कुछ सामाजिक स्वयंसेवकों को किए गए। जन सुनवाई 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2023 के दौरान आयोजित की गई और जिसका विस्तृत जानकारी अध्याय–9 में प्रस्तुत की गई है।

3.1 परियोजना के अन्तर्गत वांछित भूमि आदि का विवरण :

जनपद कांगड़ा के प्रभावित शाहपुर और कांगड़ा तहसील के 14 ग्रामों में हवाई अड्डे के विस्तार के अन्तर्गत कुल 147.7587 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें से 25.1064 हे0 (16.99 प्रतिशत) भूमि सरकारी है शेष (83.01 प्रतिशत) 122.6623 हे0 भूमि निजी कृषकों की है। हमारे संस्था द्वारा 147.7587 हे0 भूमि का सामाजिक समाघात आंकलन किया गया है।

3.2 तहसील वार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण :

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जनपद कांगड़ा में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित/सामाजिक समाघात हेतु प्रस्तावित कुल 14 ग्राम है। इस प्रकार शाहपुर तहसील के 4 ग्रामों में 39.2880 हे0 (26.59 प्रतिशत) और कांगडा तहसील के 10 ग्रामों में 108.4707 हे0 (73.41 प्रतिशत) भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

3.3 भूमि का प्रकार :

प्रस्तावित भूमि कृषि, गैर–कृषि, आवासीय, नदी स्थलों और वाणिज्यिक का मिश्रण है। भूमि में सरकारी और निजी दोनों तरह की संपत्तियां हैं। कांगड़ा जिले का गगल क्षेत्र मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों की विशेषता है और हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में है।

3.4 भूमि का उपयोग :

इस क्षेत्र की भूमि मुख्य रूप से कृषि योग्य है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल और सब्जियों की खेती होती हैं। मिट्टी आमतौर पर उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त है।

कृषि भूमि के अतिरिक्त, इस क्षेत्र में जंगल और चरागाह भूमि भी शामिल है। जंगल ज्यादातर देवदार और ओक के पेड़ों से बने होते हैं, जबकि चरागाहों का उपयोग पशुपालन के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से भेड़ और बकरियों को पालने के लिए होता हैं।

कुल मिलाकर, गगल क्षेत्र में कृषि और प्राकृतिक क्षेत्रों के मिश्रण के साथ एक विविध परिदृश्य है, जो स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका प्रदान करता है और जैव विविधता और पारिस्थितिक सेवाओं का समर्थन करता है।

4. प्रभावित ग्रामों की सामाजिक एवं आर्थिक रूपरेखा :

- प्रभावित सभी ग्राम विकास खण्ड कार्यालय से 5 से 10 कि0मी0 तक के दूरी तक हैं। तहसील कार्यालय से दस ग्राम 5 से 10 कि0मी0 तथा चार ग्राम 10 से 15 कि0मी0 कि दूरी पर स्थित है। अन्य विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं से प्रभावित ग्रामों की दूरी 10 कि0मी0 तक हैं।
- सभी प्रभावित ग्रामों में कुल जनसंख्या में पुरूषों का 50.27 प्रतिशत एवं महिलाओं का 49.73 प्रतिशत है। अनुसुचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 7.93 प्रतिशत हैं। कुल अनुसुचित जाति की जनसंख्या में पुरूष 48.42 प्रतिशत एवं महिला 51.58 प्रतिशत हैं। जबकि अनुसुचित जन जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 1.64 प्रतिशत हैं। अनुसुचित जन जाति की जनसंख्या में पुरूष 52.38 प्रतिशत एवं महिला 47.62 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार मुख्य कर्मकर की संख्या कुल जनसंख्या का 43.33 प्रतिशत हैं। जिसमे पुरूष 61.76 प्रतिशत एवं महिला 38.24 प्रतिशत मुख्य कर्मकर की जनसंख्या का हैं।

- सभी आर्थिक संस्थाओं की सुविधाओं के सम्बन्ध में ज्ञात होता हैं कि सब्जी / गल्ला मंडी, गेहूं, धान क्रय केन्द्र और कोल्ड स्टोरेज के अलावा सभी उपलब्धता (वाणिज्यिक / ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, सहकारी क्रय–विक्रय / ऋण समिति, दैनिक बाजार, साप्ताहिक बाजार, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, खाद–बीज गोदाम एवं कृषि यंत्र स्टोर की सुविधाआ) सुविधाएँ 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं।
- प्रभावित सभी ग्रामों मे मंदिर स्थित हैं, जबकि 10 ग्राम में खेल का मैदान, 5 ग्राम में मेला स्थल, 2 ग्राम में पुरूषों एवं महिलाओं हेतु सार्वजनिक शौचालय, ग्यारह ग्राम में शमशान / कब्रिस्तान स्थित हैं। शेष ग्राम एवं सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं / स्थलों जैसे कि पुरूषों / महिलाओं हेतु सार्वजनिक शौचालय, कब्रिस्तान,मस्जिद, गुरूद्वारा, खेल का मैदान तथा मेला स्थल की दूरी ग्राम से 5 कि0मी0 के अन्तर्गत हैं। गिरिजाघर एवं मस्जिद की दूरी प्रभावित ग्रामों से 5 से 10 कि0मी0 तक है।
- प्रभावित सात ग्रामों में पंचायत भवन स्थित है, दो ग्राम में स्वैच्छिक संस्थाऐं, एक ग्राम में राजनैतिक दलों के कार्यालय, सात ग्राम में डाकघर एवं एक ग्राम में पुलिस स्टेशन स्थित हैं। शेष प्रभावित ग्रामों में से राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं की उपलब्धता की दूरी 2 से 4 कि0मी0 तक स्थित हैं।
- प्रभावित आठ ग्रामों में प्राइमरी स्कूल, सात ग्राम में उच्च प्राइमरी स्कूल, दो ग्राम में हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज, एक ग्राम में डिग्री कालेज एवं आई0 टी0 आई0 और पॉच ग्राम में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल उपलब्ध है।
- प्रभावित सभी ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध है। जबकि सात ग्राम में ए0एन0एम0 केन्द्र, तीन ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, ऐलोपैथीक चिकित्सा, होमियोपैथी चिकित्सा, दो ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक चिकित्सा और बारह ग्रामों में झोलाछाप डाक्टर उपलब्ध है। प्रभावित शेष ग्रामों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता 6 कि.मी. तक है।
- प्रभावित तीन ग्राम में पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता हैं। जबकि शेष ग्यारह ग्रामों से पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता एक कि.मी. से चार कि0मी0 की दूरी. पर है।
- प्रभावित सभी आबाद ग्राम विद्युतीकृत हैं। शत प्रतिशत आबाद ग्रामों में घरेलू बत्ती / पंखा विद्युत कनेक्शन तथा 9 ग्राम में. औद्योगिक कार्य हेतु औद्योगिक कनेक्शन उपलब्धता है।
- प्रभावित ग्रामों के पेयजल के स्त्रोत में शत प्रतिशत ग्रामों में क्रमशः पइप से जलापूर्ति, समरसेबिल / बोरींग / टयूबवेल तथा कुआ पीने के पानी का मुख्य स्त्रोत है।
- प्रभावित शत प्रतिशत ग्रामों में महिला स्वयं सहायता समूह गठित हैं। जबकि किसी भी ग्राम में पुरूष स्वयं सहायता समूह गठित नहीं हैं।

- प्रभावित सभी ग्रामों में किराना स्टोर, दूधिया, बकरी पालन इकाइयां उपलब्ध है। शेष अन्य कुटीर उद्योगों की उपलब्धता ग्राम से बाहर हैं। जबकि कांगड़ा तहसील का गगल ग्राम क्षेत्र के व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र हैं जो अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा हैं।
- प्रभावित सभी ग्रामों के प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासीयों द्वारा बताया गया कि उनके ग्रामों में दहेज प्रथा, विधवा विवाह पाबंदी, लड़कियों की उच्च शिक्षा पर पाबंदी, अंधविश्वास, तांत्रिक क्रिया एवं परिवार नियोजन पर पाबंदी आदि कुरीतियां बिल्कुल नहीं है। जबकि पंचायती फैसले आदि सामान्य रूप में प्रचलित है।
- रबी की फसलों में शत प्रतिशत ग्रामों में गेहूं, एवं सरसों की खेती होती है। खरीफ की फसलों में शत प्रतिशत ग्रामों में धान एवं मक्का बोया जाता है। जबकि जायद की फसलों में कोई फसले नहीं बोयी जाती हैं। वाणिज्यिक फसलों के सम्बन्ध में स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत आबाद ग्रामों में सब्जिया (टमाटर, गोभी, बैगन, भिण्डी, खिरा आादि) तथा आलू बोयी जाती हैं। प्रभावित ग्रामों के मुख्य फसलों में सब्जियॉ (टमाटर, गोभी, बैगन, भिण्डी, खिरा आादि) हैं। इन ग्रामों में सब्जी कि खेती प्रचुर मात्रा में होती हैं। जो ग्राम के किसानों के आय का मुख्य स्त्रोत हैं।
- प्रभावित लगभग 93 प्रतिशत ग्रामों में सम्पर्क मार्ग, सिंचाई नाली, मकान, 86 प्रतिशत ग्रामों में मंदिर, पेड–पौधे, 71 प्रतिशत ग्रामो में जल निकासी नाली, 64 प्रतिशत ग्रामो में दुकान, बोरींग / टयूबवेल (पिने के पानी हेतु) आदि प्रभावित हैं। जबकि कांगड़ा तहसील का गगल ग्राम क्षेत्र के व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र हैं जो अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा हैं।
- प्रभावित ग्रामों के प्रधानों / पंचायत सदस्यों के अनुसार भूस्वामियों द्वारा स्वेच्छा से परियोजना के लिए भूमि न देने के कारणों का बहुउत्तरीय विवरण में शत प्रतिशत ग्रामों में सर्किल रेट बाजार मूल्य से बहुत कम होना, भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना एवं भूमि का अत्यधिक मूल्यवान होना, कई अंशधारको का होना, भूस्वामि का मृत्क होना / वरासत न होने के कारण, 92.86 प्रतिशत ग्राम में आवास का नुकसान होना, पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना का न होना, बेरोजगारी का भय, आवास एवं व्यवसाय के लिए भूमि का न होना एवं ग्राम से पलायन की समस्या आदि कारण बताये गये।
- हवाई अड्डे विस्तार से नकारात्मक प्रभावो के सम्बन्ध में शत प्रतिशत द्वारा कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी, 92.86 प्रतिशत द्वारा मुख्य / सम्पर्क मार्गों का नुकसान, आवास का नुकसान, किसानों को खेतों को आन–जाने मे कठिनाईयां, बेरोजगारी का भय, 85.71 प्रतिशत द्वारा सब्जी उत्पादन में कमी, सिचाई के साधनों में कमी, 78.57 प्रतिशत द्वारा प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हो जायेगी, ग्राम से पलायन की समस्या एवं 64.28 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय का नुकसान होना आदि नकारात्मक बहुउत्तरीय प्रभाव बताये गये।

- जबकि शत प्रतिशत द्वारा गाँव / क्षेत्र का विकास, परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि, यात्रा में समय की बचत होगी, पर्यटन में वृद्दि होगी एवं अन्य जमीनों की मूल्य दर में वृद्धि, जबकि 92.86 प्रतिशत द्वारा व्यापार करने की सुविधा बढ़ जायेगी, 85.71 प्रतिशत द्वारा रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे, 78.57 प्रतिशत द्वारा क्षेत्र से शहर में पलायन कम होगा, 71.43 प्रतिशत द्वारा क्षेत्रवासीयों के रहन सहन में सुधार होगा, स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा, 64.28 प्रतिशत द्वारा शिक्षा सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा आदि सकारात्मक बहुउत्तरीय प्रभाव बताये गये।

5. सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव

5.1 प्रभावित परिवारों की विशेषताएँ :

जैसा कि अध्ययन पद्धति मे यह उल्लेख हैं कि जिन भूस्वामियो का सूची में नाम बार–बार या दुसरे ग्राम में होने के कारण या एक ही परिवार के होने के कारण उनका साक्षात्कार केवल एक बार हुआ है। बरसवालकड, झकलीइच्छी और 85 प्रतिशत गगल खास के लोगो ने हवाई अड्डे के विरोध के कारण एसआईए सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार देने का पूर्ण रूप से विरोध किये, जिसके कारण केवल लगभग 34 प्रतिशत प्रभावित परिवार के सदस्यों ने साक्षात्कार दिये हैं, इसी के आधार पर प्रभावित परिवारों की सामाजिक विशेषताओं का विवरण किया गया है।

- कुल साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों में से 77..44 प्रतिशत पुरूष तथा 22.563 प्रतिशत महिलाये है।
- साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों के परिवार के सदस्यो का उच्यतम शैक्षिक योग्यता में 1.00 प्रतिशत हाई स्कूल से कम,18.55 प्रतिशत हाई स्कूल तक, 17.29 प्रतिशत इंटरमीडिएट, 38.60 प्रतिशत स्नातक तक तथा 24.56 प्रतिशत परास्नातक या उससे अधिक तक शिक्षा प्राप्त थे।
- साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में शत प्रतिशत हिन्दू है।
- साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 1.75 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 5.76 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 34.59 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 57.90 प्रतिशत सामान्य जाति के है।
- साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 60.40 प्रतिशत का व्यवसाय स्वयं की भूमि पर कृषि जबकि 8.27 प्रतिशत का व्यवसाय कृषि एवं अन्य मजदूरी हैं। इसके अतरिक्त 16.79 प्रतिशत का दुकान/व्यापार, 17.04 प्रतिशत सरकारी नौकरी, 22.30 प्रतिशत प्राइवेट नौकरी तथा 29.32 प्रतिशत का अन्य व्यवसाय है।
- साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 33.08 प्रतिशत का वार्षिक आय एक से 2.5 लाख तक, 32.08 प्रतिशत का 2.5 लाख से 5 लाख तक, 14.79 प्रतिशत का पॉच लाख से 10 लाख

तक, 13.53 प्रतिशत का एक लाख से कम तथा 6.52 प्रतिशत का 10 लाख से अधिक का आय है।

- परिवार के प्रकार के अनुसार साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों में से 31.08 प्रतिशत एकल परिवार, 34.59 प्रतिशत मध्य परिवार तथा 33.09 प्रतिशत का संयुक्त परिवार है।
- साक्षात्कारकृत भूस्वामियों में से 40.10 प्रतिशत के पास पशुधन की उपलब्धता हैं जबकि 59.90 प्रतिशत के पास पशुधन की उपलब्धता नहीं है।
- साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का मकान के प्रकार में 43.86 प्रतिशत का पक्का मकान, 38.35 प्रतिशत का बहुमंजिल पक्का मकान, 12.53 प्रतिशत का मिश्रित मकान तथा 5.26 प्रतिशत का कच्चा मकान है।
- साक्षात्कार किये गये सभी भूस्वामियों के पास विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है।
- साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों के पेयजल का शतप्रतिशत स्रोत पाइप लाइन द्वारा है।
- प्रभावित शत प्रतिशत साक्षात्कार कृत भूस्वामियों के घरों में शौचालय निर्मित हैं।
- साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से केवल 87.97 प्रतिशत के घरों में अलग से रसोई धर उपलब्ध हैं शेष 12.03 प्रतिशत के घरों में अलग से रसोई धर उपलब्ध नही हैं।
- आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली सुविधाओं की नियमितता शतप्रतिशत है।
- प्रभावित भूस्वामियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की चिकित्सा हेतु शतप्रतिशत भूस्वामियों को 0 से 5 कि.मी. तक दूरी तय करनी पड़ती है।
- साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों में से 30.83 से 47.37 प्रतिशत द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय पर्वो/आयोजनों, धार्मिक मेलों, धार्मिक आयोजनो एवं राजनैतिक आयोजनो में अधिक सहभागिता तथा 45.36 से 65.41 प्रतिशत द्वारा सामान्य सहभागिता का स्तर रहता है। जबकि 3.76 से 14.29 प्रतिशत द्वारा बहुत अधिक सहभागिता का स्तर रहता है।

5.2 परियोजना की जानकारी एवं प्रभाव :

- प्रभावित सभी भूस्वामियों को हवाई अड्डे के विस्तार के सम्बन्ध में जानकारी शत–प्रतिशत पायी गयी।
- प्रभावित भूस्वामियों की हवाई अड्डे विस्तार हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में 82.21 प्रतिशत भूस्वामियों की 0.20 हे0 तक, 14.79 प्रतिशत की 0.21 से 0.40 हे0 तक तथा 3.01 प्रतिशत की 0.40 हे0 से अधिक की भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।
- अधिग्रहीत की जा रही भूमि में वर्तमान में बोई जाने वाली फसलों का बहुत्तरीय विवरण में 63.91 प्रतिशत द्वारा धान्य फसलें, 24.56 प्रतिशत द्वारा तिलहनी फसलें तथा 68.17 प्रतिशत द्वारा वाणिज्यिक फसलें (सब्जी) बोयी जा रहीं हैं।

- अधिग्रहीत की जा रही भूमि के प्रकार का विवरण में 69.67 प्रतिशत की भूमि उपजाऊ, 32.58 प्रतिशत की भूमि बहुत उपजाऊ तथा 29.32 प्रतिशत की भूमि सामान्य श्रेणी की है।
- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि में फसलोत्पादन से होने वाली वार्षिक आय का विवरण में से 73.43 प्रतिशत का आय पचास हजार से कम, 20.30 प्रतिशत का एक लाख से 1.5 लाख तक, 5.76 प्रतिशत का 1.5 लाख सें 3 लाख तक तथा 0.50 प्रतिशत का 3 लाख से अधिक का आय है।
- साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 26.82 प्रतिशत भूस्वामियों ने अच्छा, 39.35 प्रतिशत भूस्वामियों ने खराब तथा 33.83 प्रतिशत भूस्वामियों ने कह नहीं सकते हवाई अड्डे के विस्तार बारे में अपनी राय बताई।
- साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 52.63 प्रतिशत भूस्वामियों ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि देने में सहमति जताई जबकि 32.33 प्रतिशत भूस्वामियों ने भूमि देने में असहमति जताई तथा 15.04 प्रतिशत भूस्वामियों ने भूमि देने के लिए कह नहीं सकते का जबाब दिया।
- साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 45.36 प्रतिशत भूस्वामियों के भूमि पर आवास, 16.04 प्रतिशत भूस्वामियों के भूमि पर व्यवसाय के साथ शत प्रतिशत भूस्वामियों के कृषि भूमि भी अधिग्रहन से प्रभावित हैं।
- साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों द्वारा हवाई अड्डे परियोजना के विस्तार के लिए भूमि देने के असहमति के कारणों का बहुत्तरीय विवरण में शतप्रतिशत द्वारा सर्किल रेट बाजार मूल्य से कम होना, 61.40 प्रतिशत द्वारा भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना, 82.96 प्रतिशत द्वारा जिवकोपार्जन/व्यवसाय का नुकसान, 76.69 प्रतिशत द्वारा भूमि अत्यधिक मूल्यवान होना, 86.47 प्रतिशत द्वारा बेरोजगारी का भय, 60.40 प्रतिशत द्वारा ग्राम से पलायन,35.34 प्रतिशत द्वारा भूमि से आवास के लिए अन्य भमि का न होना, 94.74 प्रतिशत द्वारा भूमि के कई अंशधारक का होना तथा 34.09 प्रतिशत द्वारा पुर्वजों का भूमि होना आदि का कारण बताये गये।
- प्रभावित भूस्वामियों से यह भी जानकारी प्राप्त की गयी थी कि उनके द्वारा किन शर्तों पर भूमि देने हेतु सहमत होंगे। जिसका बहुत्तरीय विवरण में शतप्रतिशत द्वारा सर्किल रेट बाजार मूल्य के बराबर होने पर, 80.70 प्रतिशत द्वारा भूमि अधिग्रहण के बराबर और गुणवत्ता की भूमि किसी अन्यत्र स्थान पर दी जाय, 49.62 प्रतिशत द्वारा सरकारी अथवा अर्ध–सरकारी विभाग में नौकरी, 30.83 प्रतिशत द्वारा वैकल्पिक रोजगार प्रारम्भ करने हेतु भौतिक/वित्तीय सहायता दी जाय, 43.86 प्रतिशत द्वारा विस्थापन के समस्या के निवारण के बाद, 77.94 प्रतिशत द्वारा क्षतिपूर्ति समय से मिलने पर तथा 30.83 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय के लिए भूमि का आवंटन एवं वित्तीय सहयोग के उपरांत के बाद आदि शर्तें बतायी गयीं।

- साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों के अनुसार हवाई अड्डे के विस्तार से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के विषय पर चर्चा की गयी जिसका बहुत्तरीय में शतप्रतिशत द्वारा कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी, 86.47 प्रतिशत द्वारा सब्जी उत्पादन में कमी एवं किसानो को अपने खेत में जाने मे समस्या, 89.22 प्रतिशत द्वारा प्रदूषण में वृद्वि, 64.41 प्रतिशत ग्राम से पलायन की समस्या, 38.60 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय समाप्त होने कि संभावना तथा 35.34 प्रतिशत कृषकों द्वारा कोई विशेष कुप्रभाव न होने की बात कही है।
- साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों के अनुसार हवाई अड्डे के विस्तार से होने वाले लाभ में शत प्रतिशत द्वारा क्षेत्र का तीव्र विकास होगा, पर्यटन में वृद्वि होगी एवं अन्य जमीनों की मूल्य में वृद्धि होगी, 94.49 प्रतिशत द्वारा आवागमन सुविधा में वृद्वि होना, 89.22 प्रतिशत द्वारा रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होना, 96.99 प्रतिशत द्वारा यात्रा में समय की बचत, 97.99 प्रतिशत भूस्वामियों द्वारा स्वरोजगार के साधनों में वृद्धि, 38.60 प्रतिशत ने गाँव से शहर में पलायन कम होगा, 73.93 प्रतिशत द्वारा रहन सहन में सुधार होगा तथा 36.84 प्रतिशत द्वारा सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोगी होना आदि लाभ बताये है।

6. सामूहिक विचार विमर्श और परामर्श की आवश्यकता :

आधारभूत संरचना और विकास परियोजनायें जो प्रभावित परिवारों की आजीविका, पशुधन, रोजगार, सार्वजनिक और सामुदायिक परिसम्पत्तियो, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जल–निकासी, स्वच्छता, पेयजल स्त्रोत, पशुओं के लिए जल स्त्रोत, सामुदायिक जलाशय, चरागाह, बाग, सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे डाकधर, उचित मूल्य की दुकानों, अन्न भंडारण गोदामों, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं,स्कूल (विद्यालय) सुविधाओं, आंगनबाड़ी, पार्क, पूजा–स्थलों और दाह संस्कार स्थल को प्रभावित करती हैं। यह नीति निर्माताओं को पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) अधिनियम के अनुसार निष्पादन पर पर्याप्त और सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत ढांचा प्रदान करती हैं। सामूहिक विचार विमर्श परियोजना के लिए समावेशी और स्थानीय समुदाय और सामाजिक पारिस्थितिकी के प्रति उत्तरदायी होने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह परस्पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण चिंताओं पर चर्चा करने और उन्हें संबोधित करने के लिए सभी हितधारकों, नीति–निर्माण निकायों और कई एजेंसियों को एक साथ लाता है। यह विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से प्रभावित समुदायों को शामिल करने का एक माध्यम है, जो उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित मुद्दों और गतिविधियों के बारे में अपनी राय, चिंताओं और आशंकाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, इस प्रकार उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह न केवल कुछ भावात्मक प्रभाव और प्रभावी योजना की पहचानने की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि यह सूचनाओं के संचार, उनके भय को कम करने और समुदायों के साथ तालमेल के विकास में भी सहायता प्रदान करता है, जो कि इस तरह के सुचारू परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्वोपरि है। परियोजना से

प्रभावित लोगों की भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य खुले संवाद के माध्यम से कथित पर्यावरणीय परिणामों को कम करके सार्वजनिक जागरूकता और विकास गतिविधि या परियोजना की स्वीकृति कों बढ़ाना है।

6.1 सामूहिक विचार विमर्श – अनुसंधान और आंकड़ा संग्रह की प्रक्रिया :

एसआईए टीम ने सभी परियोजना प्रभवित गांवो मे परियोजना के संभावित प्रभाव के गुणात्मक विश्लेषण के लिए आंकड़ा संग्रह और समाज के कल्याण के लिए पुनर्वास और परियोजना के निष्पादन के बारे में भू–स्वामियों की राय/दृष्टिकोण जानने के लिए पीएपी के साथ सामूहिक विचार विमर्श और गहन साक्षात्कार आयोजित करने का प्रयास किया। जिससे उनके भूमि अधिग्रहण, आजीविका, रोजगार, सामाजिक संरचना, जीवन स्तर, मनोवैज्ञानिक कल्याण आदि से संबंधित कई प्रासंगिक मुद्दों के बारे में सशक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सके। प्रत्येक ग्राम में प्रभावित समुदाय के सदस्यों के साथ दिनांक 27 फरवरी से 10 मार्च 2023 के दौरान सामूहिक विचार विमर्श का आयोजन किया गया। प्रतिक्रिया देने वालों में अधिकांश परियोजना प्रभवित क्षेत्र के किसान, व्यवसायी आदि थे। सामूहिक विचार विमर्श में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या भी लगभग पुरूषो के बराबर थी। इसके अतरिक्त महिला एव पुरूषों का सामूहिक विचार विमर्श अलग– अलग करने का प्रयास किया गया। सामूहिक विचार विमर्श की शुरुआत में सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन और अध्ययन करने वाली एजेंसी के लक्ष्यों और विधियों का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया था। सामूहिक विचार विमर्श के दौरान, SIA टीम के सदस्यों की भूमिका मघ्यस्था के रूप में थी।

सामूहिक विचार विमर्श (एफजीडी) का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना था, वे किस क्षेत्र में रहते हैं, उनके भूमि उपयोग की व्यवस्था, व्यवसाय एवं रोजगाार आदि के बारे में जानकारी एकत्र करना था। परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ एफजीडी का आयोजन उनके समुदाय की विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र के कमजोर लोगों के मौजूदा सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को समझने के लिए एवं समुदाय की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किया गया था। यह प्रक्रिया करने के लिए प्रभावित सभी ग्रामों में खसरावार प्रभवित पविारों द्वारा 27 फरवरी से 10 मार्च 2023 के बीच एफजीड करने का प्रयास किया गया। परंतु गगल एवं झिकली इच्छी पंचायत के लोगो ने पुरी तरह से इस प्रयोजना का विरोध किये इस कारण इस पंचायत में एवं इनके पास के ग्राम में विचार विमर्श पूर्ण रूप से नहीं हो पाया।SDM और ADC द्वारा इन ग्राम पंचायतों में SIA के बारे में जनकारी देने के लिए दो से तीन बार बैठके कि गई फिर भी लोग SIA टिम को साक्षात्कार एवं विचार विमर्श के लिए तैयार नही हुए। हालांकि, अधिकांश पीएएफ ने प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डा परियोजना के बारे में अपनी असहमति व्यक्त की क्योकि इस परियोजना के विस्तार से उनके आवास एवं व्यवसाय पुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र के लोग इस परियोजना के विरोध मे है। इसलिए एसआईए

टीम को सक्षात्कार नहीं दिये। उनका कहना हैं कि जब हमलोग इस परियोजना के विरोध में हैं तो फिर इस परियोजना के लाभ एवं हानि के बारे में क्यों बात करे। इसलिए लोगों ने एसआईए टीम को सक्षात्कार एवं विचार विमर्श करने के लिए ग्राम के अन्दर जाने से माना /विरोध किया।

6.2 सामुदायिक कल्याण और जीवन शैली संभावित प्रभाव :

पीएपी सामुदायिक कल्याण और रहने की क्षमता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंतित थे जिससे उनके जीवन प्रभावित होगा। यह भी जवाब दिया गया है कि इस भूमि अधिग्रहण से कुछ पीएएफ अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि वे दूसरों की तुलना में बड़े क्षेत्र में भूमि, आवास एवं व्यवसाय खो देंगे। परियोजना लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को अस्त–व्यस्त कर देगी क्योंकि परियोजना के बाद उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल सकती है। वे अपनी मूल पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति और संयुक्त परिवार संरचना के नुकसान के बारे में बहुत आशंकित हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जो परिवार के सदस्यों के बीच आय का समान अवसर प्रदान करती है, लेकिन भूमि के नुकसान के बाद, हमें उनके अस्तित्व के लिए किसी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो संयुक्त परिवार की संरचना को प्रभावित करेगा। इसके अलावा परियोजना पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकती है, ग्रामवासीयों के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण से क्षेत्र की स्थलाकृति बदल जाएगी और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परियोजना के कारण ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होगा।

6.3 सामूहिक विचार विमर्श के दौरान ग्रामीणों की मांगे :

प्रस्तावित क्षेत्र के कुछ ग्राम के अधिकांस किसान/भूस्वामि अपना भूमि परियोजना के लिये नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे उनका व्यवसाय एवं आवास का नुकसान हो रहा हैं और वह चाहते हैं कि सरकार पहले प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना प्रस्तुत करें। परंतु प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डे विस्तार के संरेखन से प्रभावित अन्य ग्राम के किसान अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं परंतु इसके बदले अपनी भूमि का मूल्य बाजार मूल्य के बराबर चाहते हैं या फिर सर्किल रेट का दस गुणा दर चाहते हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां, जमीन के बदले जमीन और प्रभावित परिवार के युवा पीढ़ी के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार सृजित करना आदि शर्ते बताऐ गये। जिनका घर अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा है उनको तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के नियमानुसार किया जाना चाहिए। जिनका व्यवसाय अधिग्रहण सें पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगा। उनको भूमि अधिनियम 2013 के अनूसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए

और जब तक उनका व्यवसाय सुचारू रूप से न चल सके तब तक उनको जीविकोपार्जन के लिये वर्तमान आय के अनुसार धनराशि प्रतिमाह मिलनी चाहिये।

6.4. परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान पर चर्चा :

एफजीडी के दौरान ग्रामीणों से इस परियोजना के विस्तार के लिए वैकल्पिक स्थान पर चर्चा किया गया एवं उनका सुझाव लिया जो निम्नवत हैः

1. ग्रामीणों ने पहला सुझाव इस परियोजना के विस्तार के लिए हवाई अड्डे के पश्चिम से उत्तर कि तरफ सराह/ धर्मशाला कि ओर, उनके अनुसार इस क्षेत्र में आबादी कम हैं और खाली भूमि अधिक हैं।

2. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के विस्तार के अलावा नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कांगड़ा तहसील के बोड़क्वालू में वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव दिये है, जो तहसील से लगभग 15 किमी दूरी एवं गगल हवाई अड्डे से लगभग 12 कि0मी0 कि दूरी पर है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध एवं मसरूर मंदिर लगभग 15 कि0मी0 पर हैं। जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं और ज्यादातर भूमि बंजर और कम उपजाऊ है और प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सम्भावना है।

ग. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के लिए तीसरा वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव कांगड़ा तहसील के रैत विकास खण्ड कें लंज क्षेत्र में दिये है, जो गगल हवाई अड्डे से लगभग 23 कि0मी0 कि दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध लगभग 5 कि0मी0 एवं मसरूर मंदिर लगभग 3 कि0मी0 पर हैं। जिला हमीरपुर से लगभग 70 कि0मी0 एवं ऊना से लगभग 100 कि0मी0 कि दूरी पर स्थित हें, जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं और वर्तमान प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सम्भावना है।

उपयुक्त स्थिति के अनुसार SIA टीम यह सुझाव देगी कि स्थल चयन के लिए तकनीकी टीम के सुझाव के उपरांत ही परियोजना के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाए।

7 सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना :

यदि हवाई अड्डे का विस्तार प्रस्तावित भूमि पर किया जाता है तो परियोजना से प्रभावित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैंः–

1. हवाई अड्डे के विस्तार से सबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, व्यवहार्यता प्रतिवेदन एवं पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना उपल्बघ नहीं हैं इसलिए प्रस्तुत सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत लागत और लाभ विश्लेषण का अनुमान नहीं हो पाया है, परंतु समाजिक एवं आर्थिक आंकड़े को सर्वे एवं जानता द्वारा ही साझा किये गये आकड़े के विश्लेषण के आधार पर किया गया हैं।

2. भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना की प्रक्रिया पारदर्शिता और भागीदारी दृष्टिकोण का अनुपालन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके अन्तर्गत सभी प्रभावित गांवो को एक या एक से अधिक विकसित कालोनी एवं बाजार लगभग 10 कि.मी. के परिधि के साथ बसाया जाना चाहिए। विस्थापन/पुनर्वास के कारण आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिक, मानसिक इत्यादि समस्याओ को हल करने के लिये विन्दुवार सुझाये गये उपायो (SIMP) को क्रियान्वयन उचित मुआवजे के साथ समयबद्ध किया जाना चाहिए।

3. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन में दर्शाये गये उपायो का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

4. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले विस्थापित परिवार की सूची, भूमि का स्वामित्व और बुनियादी ढांचा, वाणिज्यिक संरचना, प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन लोगों की सूची, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीएएपी की सूची, प्रभावित क्षेत्र में विकलांग सूची, प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सूची, प्रभावित क्षेत्र में चल/अचल संपत्ति की सूची को तैयार किया जाना चाहिए और तदनुसार मौद्रिक लाभ का निर्धारण भूस्वामियों की समिति के साथ किया जाना चाहिए।

5. प्रभावित व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को परियोजना के हितधारकों के रूप में अपनी तर्कसंगत, रूचियों एंव परियोजना से सम्बधित विषयों में अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। प्रभावित लोगों के असहमति का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उस पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए।

6. पुनर्वास और पुनर्स्थापन लागू करने प्रभावित परिवारो के समस्त प्रतिकरो का भुगतान समयबद्ध तरिके से किया जाना चाहिए।

7. सभी प्रस्तावित पीएफ को विस्थापन की सूचना अग्रिम रूप से कई क्रम में दी जानी चाहिए।

8. सुचारू पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए 18–24 महीने का उचित समय दिया जाना चाहिए।

9. परियोजना के विस्तार से ग्राम या क्षेत्र में जलभराव/बाढ़ कि समस्या उत्पन्न हो सकती हैं इसलिए पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था होनी चहिए और इसे आपदा प्रबंधन के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

10. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित एवं आसपास के गांवो के लिए पीने के पानी तथा कृषि हेतु सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था अग्रिम रूप की जानी चाहिए, जिससे कृषि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।

11. संस्थागत तंत्र–विवादों को अंकीत करने तथा उनका निवारण करने हेतु एक सरकारी सशक्त शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना चाहिए।

8 संस्तुतिया :

एसआर एशिया द्वारा मनोनीत एसआइए विशेषज्ञों द्वारा वृहत अध्ययन और हितधारकों के साथ परामर्श, विचार विमर्श, आलेख्य प्रतिवेदन पर जनसुनवाई और अन्य क्षेत्रीये आंकड़ों के विश्लेषण के तदोउपरांत निम्नवत सिफारिशें प्रस्तावित करती हैं :

1. कांगड़ा हवाई अड्डे का प्रस्तावित विस्तारिकरण वृहत आबादी एवं व्यवसाय को गंभिर रूप से प्रभावित करेगी जोकि वर्षो से स्थापित एवं सामान्य रूप से स्वसंचालित हैं। सभी पक्षों से व्यापक विचार विमर्श से जानकारी मिली हैं कि यदि प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण होता हैं तो परियोजना कि लागत मूल्य लगभग कई हजार करोड़ों मे पूर्ण होगी और साथ ही साथ हजारो कि संख्या में परिवार अपना परिवारिक व्यवसाय, रोजगार और आय के श्रोत और सामाजिक ताना बना खो देंगे। विचार विमर्श के दौरान यह भी पता चला है कि हजारो लोग छोटी बड़ी दुकानो में कर्यारत है वे भी अपनी जीवन यापन इस कारण खो देंगे। जैसे कि सरकारी नौकरीयों का अवसर का पहले ही अभाव है इस स्थिति में सरकार कैसे हजारों लोगो को नियोजित कर पायेगी यह प्रश्न काफी चिंताजनक है, अतः इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित परिवारों ने परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान /भूमि एवं भू–अर्जन के लिए निम्न सुझाव प्रस्तावित किये हैः–

i. हवाई अड्डे का विस्तार, वर्तमान कांगड़ा हवाई अड्डे के पश्चिम से उत्तर की तरफ धर्मशाला/ सराह की ओर किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम परिवार विस्थापित होंगे और सरकारी धन की अत्यधिक बचत होगी और स्थानीय लोग भी इस विकल्प का समर्थन करते हैं।

ii. नये स्थान पर उपलब्ध भूमि ग्राम बोड़क्वालू या लंज, कांगड़ा तहसील में असिंचित एवं सरकारी भूमि है जिसमें हवाई अड्डे का निर्माण सहज एवं वृहत रूप मे किया जा सकता हैं और साथ ही साथ समाजिक एवं आर्थिक क्षति न्यूनतम आकीं गई है तथा परियोजना की लागत मूल्य भी गगल के अपेक्षा कई गुना कम अपेक्षित हैं।

2. भू–अर्जन से पहले भू कानून के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना कि व्यवस्था तथा हितधारको का सहयोग वांछनीय है।

3. RFCTLARR अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजारू मूल्य/ सर्कल दर (लागू होने पर) का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में भूमि के बाजारू दर का दो गुना देने पर भूस्वामि अधिग्रहण के लिए तैयार है, जिसका भुगतान एक परियोजना समान दर के अनुरूप किया जाना चाहिए।

4.परियोजना के विस्तार से ग्राम या क्षेत्र में जलभराव/बाढ़ कि समस्या उत्पन्न हो सकती हैं इसलिए पानी की निकासी और आपूर्ति के लिए एकल जल प्रबंघन योजना बनायी जानी चाहिए। जिससे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या की रोकथाम हो सके।

5.पूर्व में जो परिवार किसी अन्य परियोजना के तहत या वर्तमान हवाई अड्डे की भूमि अधिग्रहण से पहले से भी प्रभावित हैं ऐसे परिवार यदि पुनः अधिग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं तो विशेष प्रतिकर राशि दी जानी चाहिए।

6. प्रभावित भूस्वामियों को इस प्रतिवेदन में वर्णित सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) और RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर दिया जाना चाहिए एवं ग्रामवार समस्यों के समाधान हेतु दिये गये उपायो का विवरण परिशिष्ट–एक एवं जनसुनवाई अघ्याय संख्या नौ में अंकित हैं। सभी प्रस्तुत ज्ञापनो की समीक्षा हालांकि एसआईएमपी मे प्रस्तुत है फिर भी विस्तृत ज्ञापनो का प्रारूप परिशिष्ट–चार के रूप में व्यक्तिवार एवं विन्दुवार उपयुक्त कार्यवाई के लिए प्रस्तुत हैं।

7. हवाई अड्डे के विस्तार से सबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, व्यवहार्यता प्रतिवेदन एवं पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना उपल्बघ नहीं हैं इसलिए प्रस्तुत सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत लागत और लाभ विश्लेषण का अनुमान नहीं हो पाया है। परियोजना की लागत उपलब्ध नहीं हो पाया हैं इसलिए उचित लागत–लाभ विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।

8. यह परियोजना आम जनमानस के लिए उपयोगी हैं और परियोजना के निर्माण और संचालन से सभी ग्रामीणों के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन रूप से लाभ प्रदान करेगा। यह रोजगार, वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान और सामुदायिक निवेश के संबंध में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं जो ग्रामीणों को लंबे समय तक लाभ प्रदान करेंगे जिससे अल्पकालिक नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।

9.गगल हवाई अड्डे विस्तारीकरण परियोजना से लाभान्वित होने की संभावना लागत मूल्य से अधिक या कम होने के पर्याप्त आकड़ें उपलब्ध नहीं है, इसलिए योजना क निवेश का लाभ कब और कितना होगा यह अनुमान लगाना मुश्किल हैं, हालांकि प्रभावित परिवारों द्वारा इस योजना को काफी महंगा बताया गया है जिसका लाभ निकट भविष्य में सरकार एवं जनता को मिलना मुश्किल बताया गया हैं। यदि हवाई अड्डे का निर्माण वैकल्पिक स्थानो पर प्रेषित किया जाता है तो निश्चत तौर पर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सभी पक्षो के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा यह निष्कर्ष लगभग सभी प्रभावित परिवारों एवं अन्य वर्गो द्वारा जनसुनवाई के दौरान व्यक्त किया गया है।

एसआर एशिया द्वारा नामित एसआईए विशेषज्ञ, सभी सामाजिक प्रभावों का आकलन करने के पश्चात इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित **सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP)**, **परिशिष्ट–एक**, **जनसुनवाई अध्याय संख्या–नौ** और **परिशिष्ट–चार** में उल्लेखित विभिन्न शर्तों के अनुसार भूमि अधिग्रहण की सिफारिश करती हैं।

अध्याय–एक

भूमिका

1.1 पृष्ठभूमि :

विकास एक सतत प्रकिया है। मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न काल खण्डों के तत्कालीन परिवेश के अनुरूप आविष्कार किये जाते रहे है। किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र की आवश्यताओं को ध्यान में रखते हुए आविष्कार किये जाते हैं। समय–समय पर इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी होते रहे है। मनुष्य की प्रकृति रही है कि ज्यों–ज्यों आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाती है त्यों–त्यों जीवन स्तर में सुधार हेतु नई आवश्यकताऐं अनुभव की जाती रही है।

जब व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताऐं पूरी हो जाती है तब उसे सुविधाजनक जीवन की चाहत बढ़ती जाती है। परिणामस्वरूप सुख सुविधाओं के साधनों के विकास और सृजन भी खोज प्रारम्भ होती जाती है। यह प्रकिया कभी सामाप्त नहीं होती है। इस अवधि में भी जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है फलतः विकसित किये गये साधनों पर जनसंख्या का भार बढ़ जाता है जिससे नये साधनों का विकास किया जाता है साधनों के विकास के साथ उनकी तकनीक में भी सुधार किया जाता है। मनुष्य की यह भी प्रकृति है कि उसके द्वारा नवीनतम तकनीको का उपयोग अधिक रूप से किया जाता है, ताकि मानव जीवन अधिक सुगम हो सके।

विभिन्न प्रकार की सुख सुविधा युक्त साधनों में परिवहन एवं यातायात महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। परिवहन एवं यातायात के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। इनमें सबसे अधिक दबाव सड़क मार्ग पर यातायात में पड़ता है। विगत वर्षों में सड़क मार्ग से यातायात के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे सड़क मार्ग से यातायात में वाहनों की भीड़भाड़ से सड़को पर अत्यधिक जाम तो लगता ही है साथ ही वाहनों की धीमी गति के कारण गन्तव्य तक पहॅुचनें में अधिक समय एवं ईंधन व्यय होता है। इसके निराकरण हेतु लोग वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं, जिससे वह अपने गन्तव्य स्थान पर जल्द पहुच सके है। इसके लिए हवाई अड्डे का विस्तार एवं नविन हवाई अड्डे के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

विगत कुछ वर्षो से पूर्व में निर्मित विद्यमान हवाई अड्डे को यथा सम्भव विस्तार किया जाता रहा है। इस क्रम में कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कांगना जनपद के कांगड़ा एवं शाहपुर तहसील के 14 ग्राम के भूमि पर विस्तार का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

अक्टूबर 2013 में, पहली बार, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का मुद्दा आधिकारिक रूप से सामने आया, जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए एक नया सर्वेक्षण करने का संकेत दिया। इस क्रम में अगस्त 2014 में, जिला प्रशासन को विस्तार सर्वेक्षण

करने का आदेश दिया गया था और इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को भी लिखा गया था।, इसके बाद, एएआई अधिकारियों की एक टीम ने व्यवहार्यता अध्ययन और आवश्यक भूमि की पहचान के लिए मई 2015 में हवाई अड्डे का दौरा किया।

वर्ष 2019 में, टीम ने हवाई अड्डे के आस–पास के क्षेत्र का दौरा किया और रनवे को 1,370 से 1,920 मीटर (4,490 से 6,300 फीट) तक विस्तारित करने के लिए भूमि की पहचान की गई। हालांकि, इस प्रस्तावित विस्तार के लिए कुल 140 हेक्टेयर (350 एकड़) भूमि की आवश्यकता होगी और इसका मतलब लगभग सभी गगल टाउनशिप का विस्थापन होगा जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किमी (1.2 मील) की दूरी पर स्थित है और हवाई पट्टी के विस्तार के प्रस्तावित मार्ग में सीधे स्थित है। नतीजतन, जनवरी और फरवरी 2020 में स्थानीय लोगों द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए गए।

मार्च 2021 में, एएआई द्वारा प्रस्तावित विस्तार के लिए बाधा/व्यवधान स्तर सर्वेक्षण (ओएलएस) किया गया था। एएआई के संशोधित सर्वेक्षण में, पहले मांझी नदी पर एक पुल का निर्माण करके रनवे की लंबाई को 1,900 मीटर (6,200 फीट) तक बढ़ाया जाना था, जो गगल टाउनशिप और हवाई अड्डे के बीच बहती है। इसके बाद, राष्ट्रीय राजमार्ग 154 को काटकर गगल टाउनशिप से भूमि का अधिग्रहण करके रनवे को 3,010 मीटर (9,880 फीट) तक विस्तारित किया जाना है, जिसके लिए राजमार्ग के पुनर्गठन की भी आवश्यकता होगी।

मार्च 2022 में, कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए दो चरणों में विस्तार की योजना बनाई।

चरण 1 में, रनवे को वर्तमान 1,372 से 1,900 मीटर (4,501 से 6,234 फीट) तक लगभग 600 मीटर (2,000 फीट) तक विस्तारित किया जाना है, जिसके लिए मांझी नदी पर एक रनवे पुल के निर्माण की आवश्यकता होगी, जो गगल टाउनशिप से कुछ ही दूर है। यदि पहला चरण पूरा हो जाता है, तो यह टर्बोप्रॉप हवाई जहाजों को बिना लोड पेनाल्टी के पूरी क्षमता के साथ गगल हवाई अड्डे पर उड़ान भरने और उतरने में मदद करेगा।

चरण 2 में, रनवे की लंबाई 1,900 से बढ़ाकर 3,110 मीटर (6,230 से 10,200 फीट) करते हुए रनवे को 1,210 मीटर (3,970 फीट) बढ़ाया जाना है। इस विस्तार के बाद यह हवाई अड्डे आसानी से एयरबस–320/330 और बोइंग 737 जैसे संकीर्ण आकार के टर्बोफैन विमानों को संचालित करने में सक्षम होगा। इससे न केवल कांगड़ा जिले के लिए पर्यटन क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, बल्कि चंबा, हमीरपुर और ऊना जिलों को भी फायदा होगा।

कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा कुल 400 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है।

वर्तमाण हवाई अड्डे 2,492 फीट (760 मीटर) की ऊंचाई पर, 1,269 एकड़ (514 हेक्टेयर) में एक डामर रनवे के साथ बना हुआ है, जो 15/33, 1,372 गुणा 30 मीटर (4,501 गुणा 98 फीट) की ओर उन्मुख है। इसका 91 गुणा 61 मीटर (300 गुणा 200 फीट) एप्रन एटीआर 72 और

डैश 8 सीरीज 400 जैसे दो टर्बोप्रॉप विमानों के लिए पार्किंग स्थान प्रदान करता है, जबकि इसकी टर्मिनल बिल्डिंग 100 यात्रियों को संभाल सकती है, आगमन में 50 यात्री और प्रस्थान में 50 यात्री । इसके छोटे रनवे के साथ–साथ अधिक ऊंचाई के कारण, हवाईअड्डे पर लोड पेनाल्टी है और इस हवाईअड्डे पर विमानों को पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरने की अनुमति भी नहीं है, जिसके कारण इस मार्ग पर कम उपयोग और उच्च हवाई किराए हैं।

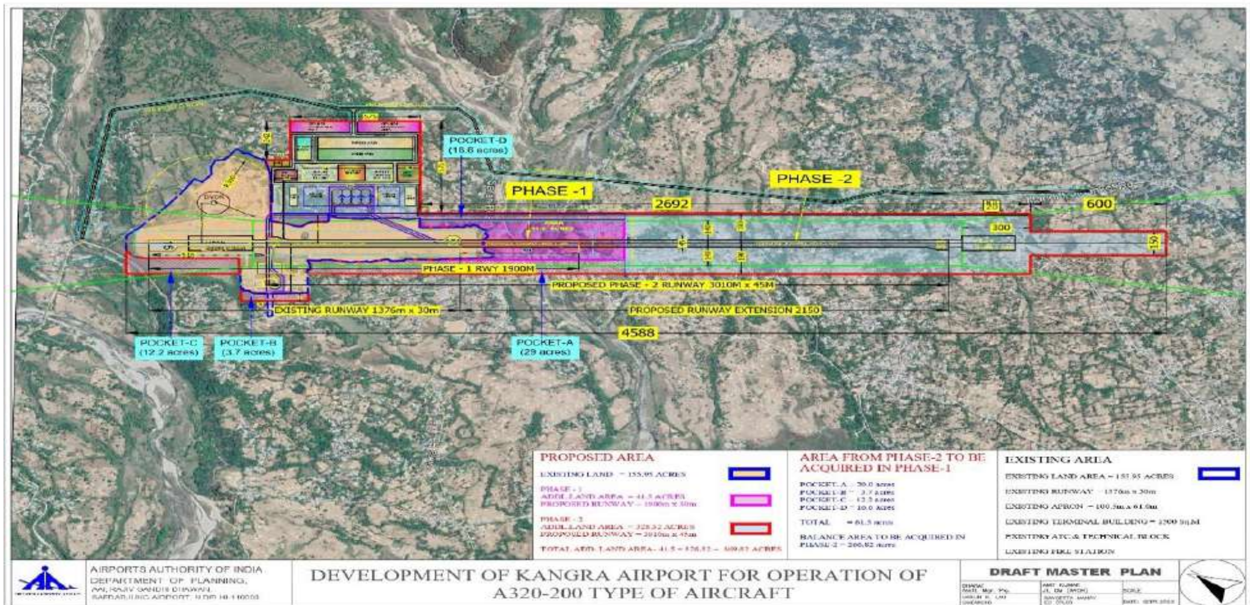

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मांझी खड्ड पर कंकरीट का पुल बनाकर गगल हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर भारतीय विमानन प्राधिकरण केंद्रीय

जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) पुणे की टीम ने हरी झंडी दे दी है। वर्तमान में गगल हवाई अड्डे का रनवे 1,330 मीटर है। पहले चरण में रनवे को 1,900 मीटर किया जाएगा। दूसरे चरण में रनवे की लंबाई 3,010 मीटर की जाएगी।

विस्तारीकरण के बाद यहां 320 सीटर जहाज उतर पाएगा, जिससे दिल्ली से कांगड़ा के हवाई सफर का किराया आधा होने की संभावना रहेगी। बीते नवंबर में सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे की टीम गगल हवाई अड्डे विस्तारीकरण की संभावनाएं तलाशने के लिए कांगड़ा पहुंची थी। इस दौरान टीम ने गगल हवाई अड्डे सहित साथ लगते क्षेत्रों, खड्डों और नालों का निरीक्षण किया था। टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया था कि मांझी खड्ड सहित अन्य नालों का तटीकरण (चौनलाइजेशन) कर यहां पर हवाई अड्डे का विस्तार किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से एक पर्वतीय राज्य है और परिवहन के अन्य साधनों की अनुपलब्धता सड़कों को अंतरराज्यीय और अंतर्राज्यीय परिवहन का एकमात्र साधन बनाती है। इसके अलावा, लंबी यात्रा का समय और सुरक्षा पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से खराब मौसम की स्थिति के दौरान बड़े मुद्दे हैं इसलिए हवाई संपर्क समय की बचत और सुरक्षा के मामले में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।

क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए विश्वसनीय और निर्बाध हवाई संपर्क की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय विमानन बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो हिमाचल प्रदेश को विमानन और संबद्ध व्यवसायों में निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना देगा। आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में हवाई अड्डें का निर्माण/विस्तार कराया जायेगा।

इसलिए, राज्य के समग्र विकास और कांगड़ा जिले के विकास को विशिष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए और हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर लाने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा हवाई अड्डे को राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है जो व्यापक रूप से संचालित करने के लिए उपयुक्त है। राष्ट्रीय उड़ानों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित साइट केंद्रीय रूप से स्थित है और अन्य महत्वपूर्ण/धार्मिक /पर्यटन स्थलों के साथ निकटता में है।

1.2 दिल्ली–धर्मशाला के बीच उड़ानें :

वर्तमान में दिल्ली–धर्मशाला के बीच गगल हवाई अड्डे पर तीन उड़ानें लैंड और टेकऑफ होती हैं। इसके अलावा शिमला के लिए भी यहां से उड़ानें होती हैं। गगल हवाई अड्डे का विस्तार होता है तो यहां पर्यटन कारोबार को भी पंख लगेंगे।

1.3 हवाई अड्डे के विस्तार की आवश्यकता :

हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसमें गगल हवाई अड्डे के माध्यम से हवाई संपर्क है। सीमित रनवे लैंग्थ व लोड पेनाल्टी के कारण यह हवाई अड्डे छोटे

विमानों के उतरने के लिए उपयुक्त है, परिणामतः हवाई किराया बहुत अधिक है। अधिक मांग और बहुत सीमित सीटें होने के कारण देश में गगल हवाई अड्डे के लिए विमान किराया उच्चतम स्तर पर है, जिससे राज्य में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तदानुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कांगडा़ हवाई अड्डे का बाधा/व्यवधान सीमा सतह सर्वेक्षण किया गया था तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रयोजन के लिए भूमि चयनित की गई है। यह विमानपत्तन राज्य के सर्वोच्च हितों की पूर्ति करेगा तथा वायु सेना की रक्षा आवश्यक्ताओं की पूर्ति हेतु आधार के रूप में सेवा प्रदान करने के साथ–साथ प्रस्तावित विमानपत्तन पर बड़े विमानों की लैंडिग से पर्यटकों का समय बचेगा और इन गंतव्यों के लिए हवाई किराए में गिरावट देखने को मिलेगी।

1.4 परियोजना स्थल :

तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के महाल जुगेहड, रछियालू, क्योड़ी और भड़ोत तथा तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के महाल भेडी, ढुगियारी खास, सनौर, बल्ला, सहौड़ा, मुंगरेहाड, बाग, गगल खास, बरसवालकड और झिकली इच्छी में अवस्थित कुल 147–75–87 हैक्टयर प्रस्तावित भूमि (सरकारी भूमि और निजी भूमि) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गगल (कांगड़ा) हवाई अड्डे, जिला कांगड़ा के विस्तारीकरण के लिए चयन किया गया हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और प्रस्तावित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना उपलब्ध नही कराई गयी। इसलिए सर्वेक्षण कार्य के दौरान प्रभावित परिवारों को साझाा नही किया जा सका।

1.5 परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान :

प्रभावित क्षेत्र के निवासियों एवं पचायत के सदस्यों से बात करने से ज्ञात हुआ कि प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि फसल उत्पादन के लिए ज्यदा उपजाऊ हैं और इसके साथ परियोजना क्षेत्र मे व्यवसायिक गतिविधियॉ एवं आवास भी प्रभावित हो रहा हैं। इससे क्षेत्र कि आर्थिक स्थिति खराब होगी एवं परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में सब्जी उत्पादन में कमी आयेगी। इस प्रभाव से बचने के लिए लोगो ने परियोजना के लिए तीन वैकल्पिक स्थल का सुझााव दिये जो निम्नवत हैः

क. क्षेत्रवासियों एवं ग्रामीणों के अनुसार इस परियोजना के विस्तार के लिए हवाई अड्डे के पश्चिम से उत्तर कि तरफ सराह कि ओर विस्तार कर सकते हैं, इस क्षेत्र में आबादी कम हैं और खाली भूमि का क्षेत्रफल अधिक हैं।

ख. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के विस्तार के अलावा नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कांगड़ा तहसील के बोड़क्वालू में वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव दिये है, जो तहसील से लगभग 15 किमी दूरी एवं गगल हवाई अड्डे से लगभग 12 कि0मी0 कि दूरी पर है।

प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध एवं मसरूर मंदिर लगभग 15 कि0मी0 पर हैं। जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं और ज्यादातर भूमि बंजर और कम उपजाऊ है और प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सम्भावना है।

ग. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के लिए तीसरा वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव कांगड़ा तहसील के रैत विकास खण्ड कें लंज क्षेत्र में दिये है, जो गगल हवाई अड्डे से लगभग 23 कि0मी0 कि दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध लगभग 5 कि0मी0 एवं मसरूर मंदिर लगभग 3 कि0मी0 पर हैं। जिला हमीरपुर से लगभग 70 कि0मी0 एवं ऊना से लगभग 100 कि0मी0 कि दूरी पर स्थित हें, जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं और वर्तमान प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सम्भावना है।

उपयुक्त स्थिति के अनुसार SIA टीम यह सुझाव देगी कि स्थल चयन के लिए तकनीकी टीम के सुझाव के उपरांत ही परियोजना के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थान का चयन किया।

वैकल्पिक भूमि बोड़क्वालू

वैकल्पिक जगह –1

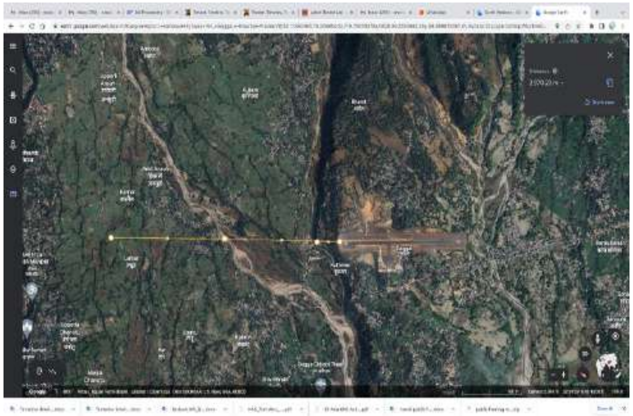

वैकल्पिक जगह –2

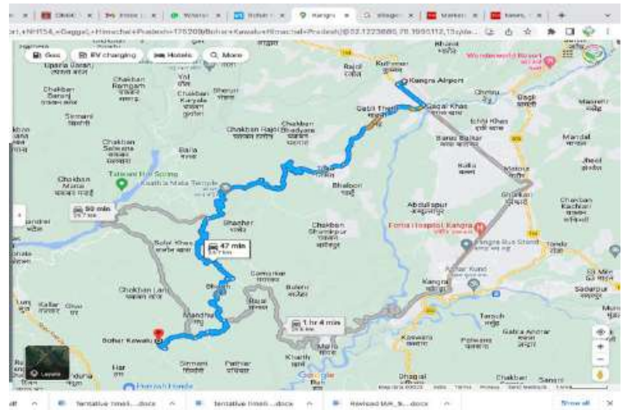

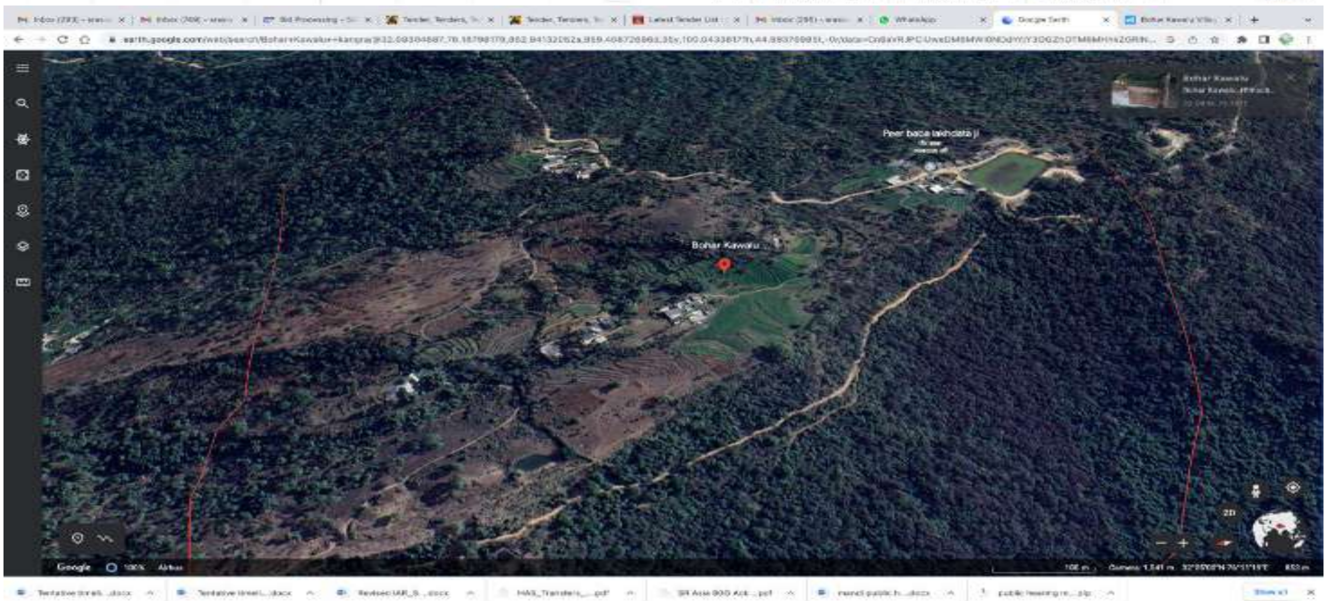

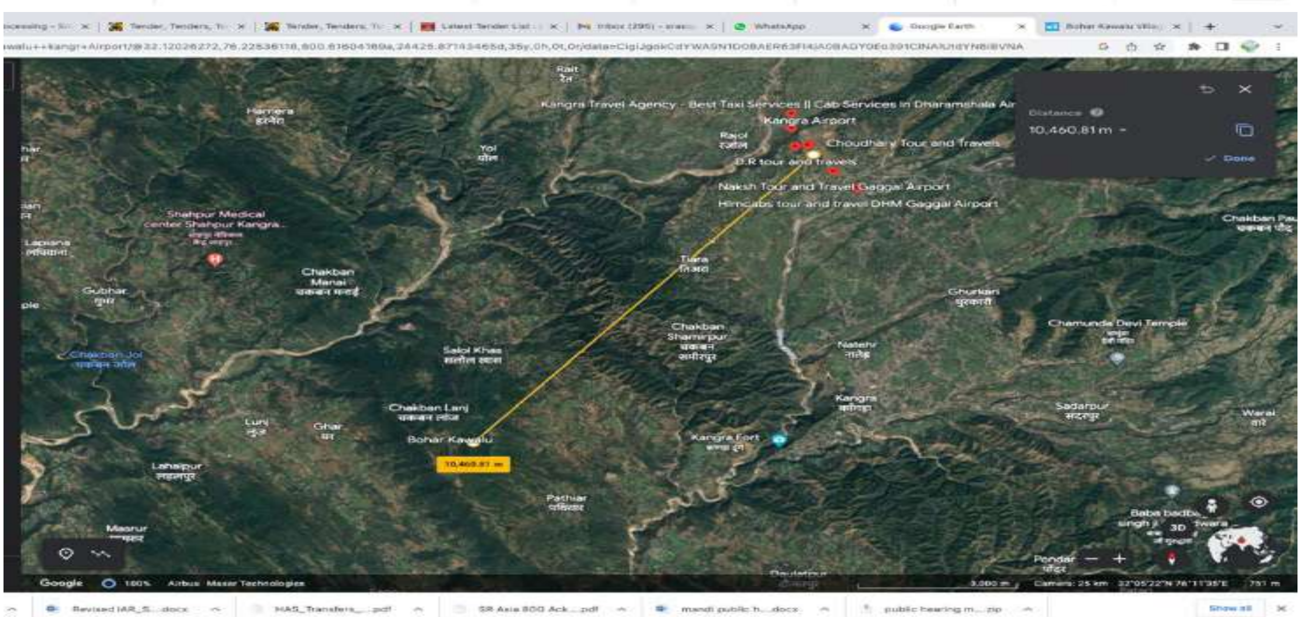

1.6 परिसिमायें, कार्य स्थल के अनुभव :

वर्तमान एसआईए अध्ययन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आयोजित किया गया था जिसमें प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया हैं। क्षेत्र के लोगों का परियोजना से व्यवसाय, आवास एवं भूमि पूर्ण रूप से प्रभावित होने के कारण परियोजना का विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना उपल्बध न होने के कारण लोगो में बहुत गुस्सा, असंतोष और आवेश हैं इसिकारण से प्रभावित परिवारो ने एसआईए टीम को साक्षात्कार देने से मना किये, प्रभावित परिवारों के समुह को ADM एवं SDM द्वारा एसआईए के बारे में बार–बार समझाने के उपरांत भी परिवारो ने एसआईए टीम को किसी भी प्रकार आंकड़ा एवं सुचना देने से इनकार किया। इसी क्रम में एसआईए टीम को प्रभावित ग्राम झिकली इच्छी एवं गगल खास पंचायत के लोगो ने साक्षात्कार देने से माना किया। पंचायत एवं ग्राम के लोगो ने एस.आई.ए. टीम को गांव के अन्दर जाने एवं साक्षात्कार करने से रोका एवं एसआईए टीम के सदस्यों को धमकियॉ भी दी, उनका कहना था कि जब हम लोगो को हवाई अड्डे विस्तार के लिए भूमि देनी ही नहीं हैं तो हम लोग साक्षात्कार क्यों दे। परंतु पंचायत के लोगो को समझाने के उपरांत गगल खास पंचायत के केवल 15 प्रतिशत परिवार के सदस्यों ने एस.आई.ए. टीम को साक्षात्कार दिये, इस प्रकार एसआर एशिया संस्था की एस.आई.ए. टीम को प्रभावित ग्राम के कुल 399 (34.04 प्रतिशत) परिवार के लोगों ने साक्षात्कार दिये। एस.आई.ए.टीम ने घर–घर जाकर लगभग 34 प्रतिशत लोगो से प्रशनावली के माध्यम से साक्षात्कार/ आंकड़ा एकत्र किया एवं अन्य प्रभावित परिवारों कि समस्याओं का विरोध के दौरान एकत्र भिड़ से साझा किये गये तर्को को संग्रह किया, DC कांगडा द्वारा प्रभावित परिवारों द्वारा साझा किये गये विरोध पत्र का भी आकलन किया गया हैं, साथ ही साथ एसआईए टीम द्वारा शोध के माध्यम से विगत कई वर्षो से जनता एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा हवाई अड्डा के विस्तारिकरण से सम्बंधित प्रतिक्रियाओं का अवलोकन किया गया हैं। अवलोकन से यह पता चलता हैं कि प्रभावित परिवार किसी भी हालत में उपयुक्त परियोजना के लिए भूमि देने को बिल्कुल तैयार नही हैं। इस अध्ययन में प्रभावित हितधारकों द्वारा उठाए गए चिंताओ, मुद्दों और सुझावो को शामिला किया गया है।

अध्याय–दो

सामाजिक समाघात आंकलन की अध्ययन पद्धति

2.1 परिचय :

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (भारत का राज पत्र असाधारण भाग–दो, ,खण्ड–एक, 27 सितम्बर 2013) और हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन नियम, 2015 के अनुसार जब कभी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करने का आशय हो, वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर, यथास्थित, पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करेगी और उनके परामर्श से ऐसी तारीख से जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करेगी। अध्याय–2 धारा (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के अन्तर्गत अन्य मामलों में निम्नलिखित सम्मिलित होगे। अर्थात (क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है। (ख) प्रभावित परिवारों का और उन परिवारों की संख्या का प्राक्कलन जिनके विस्थापित होने की सम्भावना है। (ग) ऐसी सार्वजनिक और निजी भूमि, भवनों, बन्दोबस्तों और अन्य समान परिसम्पत्तियों की सीमा जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की सम्भावना है। (घ) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तय की गयी है। (च) क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किये जाने पर विचार किया गया है, और उसे साध्य नहीं पाया गया है। (छः) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनके ठीक करने की प्रकृति और खर्चा तथा इन खर्चो का परियोजना के समग्र, खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में सामाघात का अध्ययन। इस प्रकार किसी भी सार्वजनिक उद्‌देश्य हेतु निजी भूस्वामियों की भूमि को अधिग्रहण करने से पूर्व सामाजिक प्रभाव का आंकलन करना आवश्यक किया गया है।

2.2 सामाजिक समाघात अध्ययन की आवश्यकता :

कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हवाई अड्डे के विस्तार हेतु संबंधित जनपद में भूमि की आवश्यकता पड़ रही है। इससे सरकारी तथा निजी दोनो प्रकार की भूमि सम्मिलित है। जिन निजी भू–स्वामियों की भूमि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध नियमों के तहत अधिग्रहित कर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश शासन को हस्तांतरित की जायेगी। इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यकता है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, यानी हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन नियम 2015 (एचपीएसआईए नियम, 2015) के अनुपालन में, किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का आकलन करने के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

तदनुसार, एचआईपीए की निविदा के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, (हिपा) हिमाचल प्रदेश सरकार , एसआर एशिया द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पूर्ण किया गया।

2.3 अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन का उद्देश्य हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनको होने वाले नुकसान का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने हेतु सुझाव देना है। प्रस्तुत सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन RFCTLARR अधिनियम, 2013 और HP SIA नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया ।

• यह आकलन करने के लिए कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि न्यूनतम आवश्यक है।

• प्रभावित परिवारों की संख्या और उनमें से उन परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जिनके आवासीय, व्यावसायिक या दोनों रूप से विस्थापित होने की संभावना है।

• परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आकलन करना।

• सामान्य संपत्ति संसाधनों (सीपीआर), सामाजिक–आर्थिक बुनियादी ढांचे आदि के नुकसान के कारण प्रत्यक्ष रूप से भूमि खोने वाले परिवारों के साथ–साथ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों दोनों को सामिल करके परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना और कुल लागत पर इन लागतों का प्रभाव और परियोजना के लाभ का आकलन करना।

• यह पता लगाने के लिए कि जहां कम से कम विस्थापन की समस्या है, उस उद्देश्य के लिए किसी वैकल्पिक स्थल पर विचार किया गया है, लेकिन वह स्थल ही परियोजना के लिए उपयुक्त है या नहीं ।

• सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के माध्यम से उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करके उपचारात्मक हस्तक्षेप उपायों का सुझाव देना।

2.4 अध्ययन पद्धति :

कांगड़ा जिले के कांगड़ा तहसील के दस ग्राम (गगल खास, सन्नौर, ढुगियारी खास, भेड़ी, बाग, बरसवालकड, झिकली इच्छी, मुंगरेहड, सौहाड़ा एंव बल्ला) के 108.4707 हे0 भूमि और शाहपुर तहसील के चार (जुगेहड़, क्योिड़ी, भड़ोत एवं रछियालू) ग्रामों के 39.2880 हे0 भूमि हवाई अड्डे विस्तार परियोजना से प्रभावित है, इस प्रकार दोनों तहसील के कुल 147.7587 हे0 भूमि अधिग्रहण से प्रभावित है। एसआर एशिया संस्था की एस.आई.ए. टीम द्वारा सभी ग्रामों के 1446 प्रभावित परिवारों से दिनांक 28 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक ग्रामों में लगातार घर –घर जाकर

साक्षात्कार करने हेतु मिलने का प्रयास किया गया तथा जो भूस्वामी ग्राम से बाहर थे उनसे दूरभाष के माध्यम से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से साक्षात्कार करने का प्रयास किया गया। इस सम्बध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि झकली इच्छी एवं गगल खास पंचायत के लोग साक्षात्कार देने से माना कर दियें। पंचायत के लोगो ने एस.आई.ए.टीम टीम को भी ग्राम के अन्दर साक्षात्कार करने से रोका एवं टीम के लोगों को धमकियॉ भी दी, उनका कहना था कि जब हम लोग को हवाई अड्डे विस्तार के लिए भूमि नहीं देनी हैं तो हम लोग साक्षात्कार क्यों दे। लोगों के अनुसार पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में परियोजना से सबंघित कई बार सर्वे का कार्य हुआ हैं। हवाई अड्डे विस्तार से क्षेत्र में बहुत ज्यदा मकान एवं व्यवसाय प्रभावित हो रहा हैं, इसलिए क्षेत्र के लोगों में परियोजना के प्रति काफी रोष हैं और परियोजना के विरोध में हैं। इसलिए लोगों ने साक्षात्कार देने से मना कर दिये। एस.आई.ए के लाभ को SDM एवं ADM कई बैठको के माध्यम से ग्रामों के परिवारों को बताने का प्रयास किये, परंतु लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और साक्षात्कार देने से मना कर दिये। परंतु उक्त अधिकारियों के समझाने के उपरांत गगल खास पंचायत के केवल 15 प्रतिशत परिवार के सदस्यो ने एस. आई.ए.टीम को साक्षात्कार दिये, इस प्रकार एसआर एशिया संस्था की एस.आई.ए. टीम को प्रभावित ग्राम के कुल 399 (34.04 प्रतिशत) परिवार के लोगों ने साक्षात्कार दिये, जिसके अघार पर एस.आई.ए.टीम ने प्रभावित ग्रामों के परिवारों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया गया। यह भी उल्लेख करना आवश्यक हैं कि परिवार के केवल एक सदस्य ने साक्षात्कार दिया, अन्य सदस्य साक्षात्कार देने से मना कर दिये, कुछ परिवार ग्राम से बाहर रहते है एवं अन्य विभिन्न कारणों से 773 परिवारों से साक्षात्कार नही हो पाया। जिसका ग्रामवार विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तथा तहसील स्तर से आंकडें प्राप्त किये गये। साथ ही प्रभावित ग्रामों मे सामूहिक विचार–विर्मश के आधार पर भी प्राथमिक आंकडे संकलित करने का प्रयास किये गये। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डे के विस्तार से संबन्धित ग्राम से विभिन्न हितधारकों से भी विचार–विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर इस सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन को पूर्ण किया गया।

तालिका – 2.1

ग्रामवार प्रभावित परिवारों की संख्या

क्र.सं.	ग्राम का नाम	प्रभावित परिवारों संख्या	साक्षात्कार हुआ	साक्षात्कार नहीं हुआ
	तहसील : शाहपुर			
1	रछियालू	205	75	130
2	भड़ोत	15	5	10
3	क्योड़ी	98	39	59

4	जुगेहड़	91	28	63
	तहसील : कांगड़ा			
5	भेडी	19	15	4
6	ढुगियारी खास	24	17	7
7	सनौर	138	54	84
8	बल्ला	95	61	34
9	सहौड़ा	41	12	29
10	मुंगरेहाड	45	28	17
11	बाग	46	8	38
12	गगल खास	355	57	298
	योग	1172	399 (34.04)	773 (65.96)
13	बरसवालकड	153	0	153
14	झिकली इच्छी	121	0	121

नोट : सूची में नाम बार–बार या दुसरे ग्राम में होने के कारण या एक परिवार के होने के कारण उनका साक्षात्कार केवल एक बार हुआ हैं। बरसवालकड, झकली इच्छी और 85 प्रतिशत गगल खास के लोगो ने साक्षात्कार का पूर्ण रूप से विरोध कियें।

2.5 अध्ययन के उपकरण :

अध्ययन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनो तरीको का उपयोग किया गया। प्रस्तुत सामाजिक सामाघात आंकलन अध्ययन को पूर्ण करने में निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया गया।

7. साहित्य समीक्षा
8. स्थल भ्रमण
9. ग्राम स्तरीय अनुसूची
10. प्रभावित परिवारों हेतु अनुसूची,
11. भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए)
12. सामूहिक विचार विमर्श हेतु प्रश्नावली
7. आंकडो का विश्लेषण
8. प्रतिवेदन लेखन

साहित्य समीक्षा :

अध्ययन के दौरान RFCTLARR अधिनियम 2013, और उपलब्ध प्रतिवेदन, परियोजना से संबंधित दस्तावेज और राजस्व और भूमि सुधार विभाग से रिकॉर्ड, और नक्शे सहित साहित्य, भूमि मालिकों का विवरण आदि की समीक्षा की गई। यह पीएएफ की सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति, परियोजना के प्रभाव के परिमाण और परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए किए जा सकने वाले उपायों को समझने के लिए किया गया था। डेस्क समीक्षा ने प्राथमिक आकडा संग्रह के लिए उपकरण विकसित करने में भी मदद करेगा।

स्थल भ्रमण :

परियोजना की भूमि और भूमि उपयोग पर संसाधनों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए परियोजना टीम ने उस भूमि का भौतिक रूप से दौरा किया जिसे अधिग्रहित किया जाना था। इससे संभावित प्रभावों का आकलन करने में भी मदद मिलेगी।

ग्राम सर्वेक्षण प्रश्नावली :

प्रभावित ग्रामों की सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा और परियोजना के प्रभावों की सभी श्रेणियों को समझने के लिए एक ऑफलाइन प्रश्नावली तैयार की गई। आँकड़ा संग्रह के उद्देश्य से ऑफलाइन प्रश्नावली का उपयोग किया गया था, जबकि आँकड़ा सारणीकरण और आँकड़ा विश्लेषण उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियों में खुले और बंद दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल थे। प्रश्नावली का नमूना प्रतिवेदन में संलग्न है। साथ ही, समुदाय के मुद्दों को समझने के लिए साइट के दौरे और प्रश्नावली सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ केंद्रित समूह चर्चाएँ आयोजित की गईं। एसआईएमपी (सोशल इंपैक्ट मैनेजमेंट प्लान) को समग्र दृष्टिकोण देने के लिए इनका और विश्लेषण किया गया।

व्यक्तिगत सर्वेक्षण प्रश्नावली :

प्रभावित परिवारों की सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा और परियोजना के प्रभावों की सभी श्रेणियों को समझने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की प्रश्नावली (जोहो सर्वे से तैयार) तैयार की गईं। आँकड़ा संग्रह के उद्देश्य से ऑफलाइन प्रश्नावली का उपयोग किया गया था, जबकि तालिका बनाने और आँकड़ा विश्लेषण के उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियों में खुले और बंद दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल थे। साथ ही, समुदाय के मुद्दों को समझने के लिए साइट के दौरे और प्रश्नावली सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ केंद्रित समूह चर्चाएँ आयोजित की गईं। एसआईएमपी (सोशल इंपैक्ट मैनेजमेंट प्लान) को समग्र दृष्टिकोण देने के लिए इनका और विश्लेषण किया गया।

भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) :

पीआरए गतिविधि परियोजना प्रभावित परिवारों के संसाधनों और सामुदायिक रूपरेखा का मानचित्रण करने के लिए की गई थी। समुदाय और गांवों के सामाजिक–राजनीतिक प्रोफाइल का विस्तृत मूल्यांकन सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल पर अध्याय में दिया गया है।

सामूहिक विचार विमर्श हेतु प्रश्नावली :

स्थिति को गहराई से समझने के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों, पंचायत सदस्यों, सरकारी अधिकारियों आदि हितधारकों के साथ सामूहिक विचार विमर्श आयोजित किया गया। परियोजना स्थल के मानचित्र और अन्य संबंधित दस्तावेज तहसील कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इन दस्तावेजों का उपयोग भूमि के बारे में विवरण, उस भूमि को प्राप्त करने की आवश्यकता, परियोजना से गाँव को होने वाले लाभों और हितधारकों पर इसके प्रभाव को समझने के लिए किया गया था। आयोजित चर्चाओं का विवरण रिपोर्ट के निम्नलिखित अध्याय में उल्लिखित है।

आंकडे विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन :

प्रभावित आबादी पर प्रासंगिक आधारभूत जानकारी का सारांश प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत प्रश्नावली और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से एकत्र किए गए आँकड़ों का विश्लेषण किया गया था। परियोजना प्रभाव की सभी श्रेणियां जिनमें लोगों और सामान्य पर्यावरण पर भौतिक और आर्थिक प्रकृति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव शामिल है। जन सुनवाई पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाती है। प्राथमिक और द्वितीयक रिकॉर्ड अनुसंधान के माध्यम से एकत्र किए गए सभी आंकडे को प्रतिवेदन के रूप में संकलित और विश्लेषित किया गया था।

2.6 टीम संयोजन :

इस सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन को एसआर एशिया संस्था गाजियाबाद के निम्नलिखित विशेषज्ञ एवं कर्मचारी द्वारा पूर्ण किया गया।

क्र0सं0	नाम	पद	अनुभव (वर्ष)
1	श्री बीरेंद्र दत्त रतूड़ी	विशेषज्ञ सलाहकार	25
2	श्री अजय कुमार सिंह	परियोजना प्रमुख	24
3	कु0 जया यादव	सहायक परियोजना प्रबंधक	2
4	सुश्री तरनजीत कौर	संचार प्रबंधक	10
5	सुश्री रमीन अंजुम	रसर्च एसोसिएट	4
6	सुश्री स्नेहा रतूड़ी	शोध सहायक	2
7	श्री आकाश रतूड़	शोध सहायक	2
8	श्री रवीन्द्र कुमार	शोध सहायक	3
9	सुश्री भावना	अनुसंधान सहायक	2
10	सुश्री निरूपमा	अनुसंधान अन्वेषक	2

क्र0सं0	नाम	पद	अनुभव (वर्ष)
11	सुश्री सुनिता देवी	अनुसंधान अन्वेषक	2
12	सुश्री निकीता ठाकुर	अनुसंधान अन्वेषक	2
13	श्री निशांत	अनुसंधान अन्वेषक	2
14	श्री मोनिम इमाम	अनुसंधान अन्वेषक	2
15	श्री राज कुमार	अनुसंधान अन्वेषक	3
16	श्री करतार सिंह	अनुसंधान अन्वेषक	2
17	श्री कुनजंग लमहु	अनुसंधान अन्वेषक	2
18	सुश्री रविन्द्रा नेगी	अनुसंधान अन्वेषक	3

2.7 कार्य एवं समय का विवरण :

क्र0सं0	विवरण	सप्ताह					
		1	2	3	4	5	6
1	टीम का गठन						
2	साहित्य समीक्षा						
3	क्षेत्र कार्य योजना						
4	टीम का प्रशिक्षण						
5	हितधारक के साथ बैठक						
6	परियोजना स्थल भ्रमण						
7	प्रश्नावली सर्वेक्षण						
8	आंकडे विशलेषण						
9	प्रतिवेदन लेखन						
10	आलेख्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करना						
11	सार्वजनिक जनसुनवाई						
12	अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना						

2.9 जन सुनवाई :

RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 5 में नियम हैं कि जब भी सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन होगा, तो प्रभावित क्षेत्रों में SIA आलेख्य प्रतिवेदन पर एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जायेगी और उस जनसुनवाई कि सभी प्रतिक्रिया, आपत्तियां और सुझावों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। तदनुसार SDM शाहपुर एवं कांगड़ा के कार्यालय के माध्यम से जन सुनवाई को तीन सप्ताह पहले अधिसूचित किया गया था। एसआईए संस्था ने पंचायत घरों और प्रमुख स्थानों पर पोस्टर एवं बैनर प्रदर्शित करके जन सुनवाई की तारीखों का प्रचार प्रसार की। इस विषय पर जन जागरूकता और जानकारी को अधिकतम करने के लिए समाचार पत्र विज्ञापन भी किया गया था। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट और व्हाट्सएप मैसेज सभी ग्राम प्रधानो और कुछ सामाजिक स्वयंसेवकों को किए गए। जन सुनवाई 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2023 के दौरान आयोजित की गई और जिसकी विस्तृत जानकारी अध्याय–9 में प्रस्तुत की गई है।

अध्याय–तीन

भूमि आंकलन

किसी भी प्रकार के निर्माण/विस्तार कार्य के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। विशेष रूप से हवाई अड्डे निर्माण/विस्तार हेतु प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, जनपद कांगड़ा में कांगड़ा तहसील के दस ग्रामों और शाहपुर तहसील के चार ग्रामों में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए रेखाकंन किया गया है।

3.1 परियोजना के अन्तर्गत वांछित भूमि आदि का विवरण :

परियोजना के अन्तर्गत वाँछित भूमि, ग्रामों की संख्या एवं जनपद में हवाई अड्डे विस्तार का विवरण तालिका 3.1 में दर्शाया गया है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनपद कांगड़ा के प्रभावित शाहपुर और कांगड़ा तहसील के 14 ग्रामों में हवाई अड्डे के विस्तार के अन्तर्गत कुल 147.7587 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें से 25.1064 हे0 (16.99 प्रतिशत) भूमि सरकारी है शेष (83.01 प्रतिशत) 122.6623 हे0 भूमि निजी कृषकों की है। हमारे संस्था द्वारा 147.7587 हे0 भूमि का सामाजिक समाघात आंकलन किया गया है।

तालिका–3.1

तहसील वार परियोजना के अन्तर्गत वांछित भूमि आदि का विवरण

क्र0सं0	विवरण	संख्या/क्षेत्रफल (हे0)		
		शाहपुर	कांगड़ा	योग
1	संरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि	39.2880 (100.0)	108.4707 (100.0)	147.7587 (100.0)
2	सरकारी भूमि	3.8878 (9.90)	21.2186 (19.56)	25.1064 (16.99)
3	निजी भूमि	35.4102 (90.13)	87.2521 (80.44)	122.6623 (83.01)
4	सामाजिक समाघात आंकलन हेतु भूमि	39.2880 (100.0)	108.4707 (100.0)	147.7587 (100.0)
कुल ग्रामों की संख्या		4	10	14

स्रोतः कार्यालय तहसील

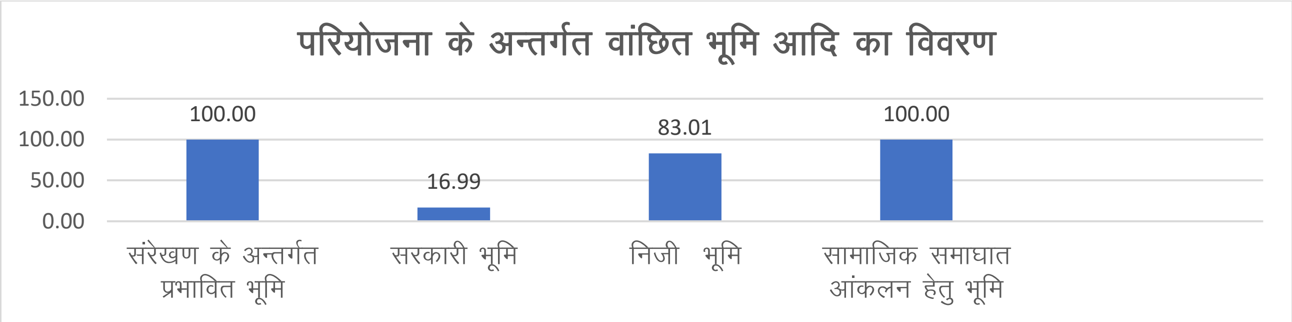

3.2 तहसील वार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण :

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जनपद कांगड़ा में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित/सामाजिक समाघात हेतु प्रस्तावित कुल 14 ग्राम है। इस प्रकार शाहपुर तहसील के 4 ग्रामों में 39.2880 हे0 (26.59 प्रतिशत) और कांगडा तहसील के 10 ग्रामों में 108.4707 हे0 (73.41 प्रतिशत) भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका–3.2

परियोजना के अन्तर्गत तहसील वार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र0सं0	तहसील का नाम	गाँव की सं0	क्षेत्रफल (हे0)
1	शाहपुर	04	39.2880 (26.59)
2	कांगड़ा	10	108.4707 (73.41)
3	कुल	14	147.7587 (100.0)

स्रोतः कार्यालय तहसील

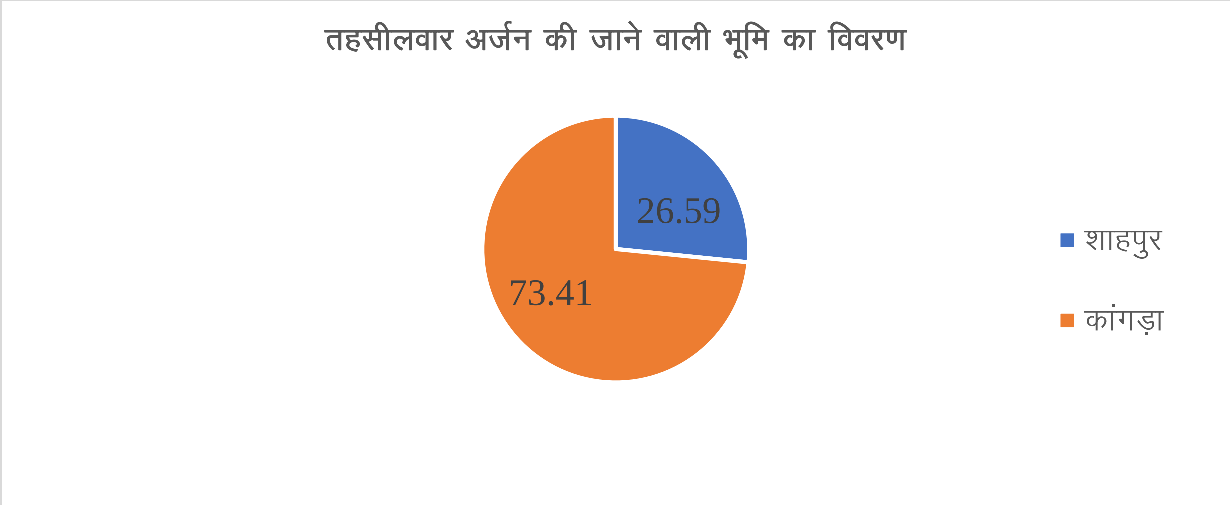

3.3 ग्रामवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण :

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जनपद कांगड़ा में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित/सामाजिक समाघात हेतु प्रस्तावित कुल 14 ग्रामों की भूमि है। जिसमें 83.02 प्रतिशत भूमि निजी एवं 16.99 प्रतिशत भूमि सरकारी हैं। ग्रामवार सरकारी एवं निजी भूमि का क्षेत्रफल तालिका–3.3 में दिया गया है।

तालिका–3.3

परियोजना के अन्तर्गत ग्रामवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

(भूमि हे0 में)

क्र.सं0	ग्राम का नाम	संरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि	सरकारी भूमि	निजी भूमि
1	रछियालू	29.4354 (100)	2.7228 (9.25)	26.7126 (90.75)
2	भड़ोत	0.2058 (100)	0.0836 (40.62)	0.1222 (59.38)
3	क्योड़ी	6.2895 (100)	0.2253 (3.58)	6.0642 (96.42)
4	जुगेहड़	3.3673 (100)	0.8461 (25.12)	2.5112 (74.58)
शाहपुर तहसील		39.2880 (100)	3.8778 (9.90)	35.4102 (90.12)
5	भेडी	3.5124 (100)	0.3191 (9.08)	3.1933 (90.92)
6	ढुगियारी खास	1.1998 (100)	0.0488 (4.07)	1.151 (95.93)
7	सनौर	12.0366 (100)	2.7301 (22.68)	9.3065 (77.32)
8	गगल खास	29.7536 (100)	9.9469 (33.43)	19.8067 (66.57)
9	झिकली इच्छी	17.744 (100)	3.1929 (17.99)	14.5511 (82.01)
10	सहौड़ा	3.5118 (100)	0.5179 (14.75)	2.9939 (85.25)
11	मुंगरेहाड़	2.8358 (100)	0.4031 (14.21)	2.4327 (85.79)
12	बाग	5.0211 (100)	0.4715 (9.39)	4.5496 (90.61)
13	बरसवालकड़	25.2331 (100)	3.1112 (12.33)	22.1219 (87.67)
14	बल्ला	7.6225 (100)	0.4771 (6.26)	7.1454 (93.74)
कांगड़ा तहसील		108.4707 (100)	21.2186 (19.56)	87.2521 (80.44)
योग		147.7587 (100)	25.1064 (16.99)	122.6623 (83.02)

स्रोतः कार्यालय तहसील

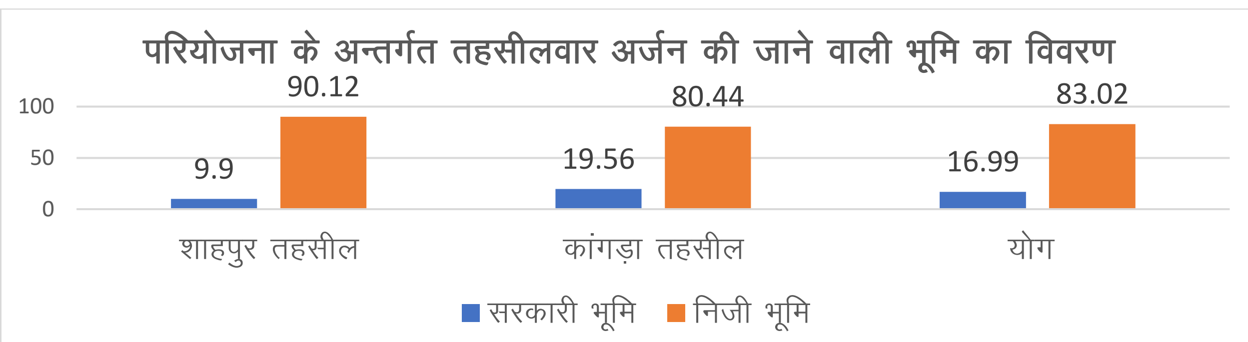

परियोजना के अन्तर्गत ग्रामवार अर्जन की जाने वाली खसरो की संख्या एवं भूमि का विवरण तालिका 3.4 में दिया गया हैं। तालिक से ज्ञात होता हैं कि इन चौदह ग्राम में से सबसे अधिक 764 खसरा गगल खास एवं कम 13 खसरा भड़ोत ग्राम के हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भी कुल क्षेत्रफल का सबसे अधिक 20.14 प्रतिशत गगल खास के एवं कम 0.14 प्रतिशत भूमि भड़ोत ग्राम का हैं। ग्रामवार अर्जन की जाने वाली खसरो की संख्या एवं भूमि का विवरण तालिका 3.4 में दिया गया हैं।

तालिका–3.4

परियोजना के अन्तर्गत ग्रामवार अर्जन की जाने वाली खसरो की संख्या एवं भूमि का विवरण

(भूमि हे0 में)

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	संरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि		सरकारी भूमि		निजी भूमि	
		भूमि	खसरा संख्या	भूमि	खसरा संख्या	भूमि	खसरा संख्या
1	रछियालू	29.4354 (19.92) (74.92)	644	2.7228 (70.03)	42	26.7126 (75.44)	602
2	भड़ोत	0.2058 (0.14) (0.52)	13	0.0836 (2.15)	3	0.1222 (0.35)	10
3	क्योड़ी	6.2895 (4.26) (16.01)	147	0.2253 (5.79)	7	6.0642 (17.13)	140
4	जुगेहड़	3.3673 (2.28) (8.57)	69	0.8561 (22.02)	6	2.5112 (7.09)	63
शाहपुर तहसील		39.2880 (100)	873	3.8878 (100)	58	35.4102 (100)	815
5	भेडी	3.5124 (2.38) (3.24)	55	0.3191 (1.50)	9	3.1933 (3.66)	46
6	ढुगियारी खास	1.1998 (0.81) (1.11)	44	0.0488 (0.23)	2	1.151 (1.32)	42
7	सनौर	12.0366 (8.15) (11.10)	273	2.7301 (12.87)	39	9.3065 (10.67)	234
8	गगल खास	29.7536 (20.14) (27.43)	764	9.9469 (46.88)	213	19.8067 (22.70)	551
9	झिकली इच्छी	17.744 (12.01) (16.35)	382	3.1929 (15.05)	53	14.5511 (16.68)	329
10	सहौड़ा	3.5118 (2.38) (3.24)	64	0.5179 (2.44)	17	2.9939 (3.43)	47
11	मुंगरेहाड़	2.8358 (1.92) (2.61)	55	0.4031 (1.90)	9	2.4327 (2.79)	46
12	बाग	5.0211 (3.40) (4.63)	93	0.4715 (2.22)	7	4.5496 (5.21)	86
13	बरसवालकड़	25.2331 (17.08) (23.26)	463	3.1112 (14.66)	83	22.1219 (25.34)	380

14	बल्ला	7.6225 (5.16) (7.03)	156	0.4771 (2.25)	24	7.1454 (8.19)	132
कांगड़ा तहसील		108.4707 (100)	2349	21.2186 (100)	456	87.2521 (100)	1893
योग		147.7587 (100.0)	3222	25.1064	514	122.6623	2708

स्रोत : कार्यालय तहसील ,

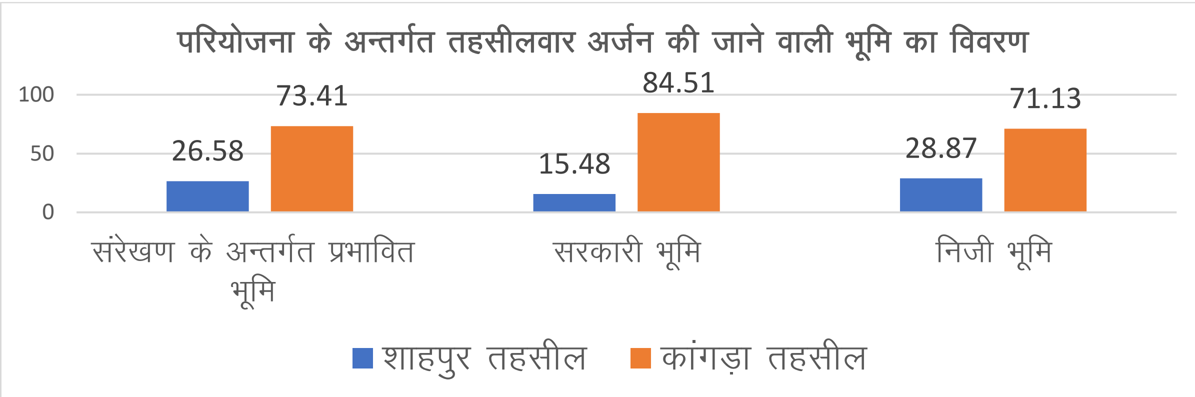

3.4 भूमि का प्रकार :

प्रस्तावित भूमि कृषि, गैर–कृषि, आवासीय, नदी स्थलों और वाणिज्यिक का मिश्रण है। भूमि में सरकारी और निजी दोनों तरह की संपत्तियां हैं। कांगड़ा जिले का गगल क्षेत्र मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों की विशेषता है और हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में है।

3.5 भूमि का उपयोग :

इस क्षेत्र की भूमि मुख्य रूप से कृषि योग्य है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल और सब्जियों की खेती होती हैं। मिट्टी आमतौर पर उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त है।

कृषि भूमि के अतिरिक्त, इस क्षेत्र में जंगल और चरागाह भूमि भी शामिल है। जंगल ज्यादातर देवदार और ओक के पेड़ों से बने होते हैं, जबकि चरागाहों का उपयोग पशुपालन के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से भेड़ और बकरियों को पालने के लिए होता हैं।

कुल मिलाकर, गगल क्षेत्र में कृषि और प्राकृतिक क्षेत्रों के मिश्रण के साथ एक विविध परिदृश्य है, जो स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका प्रदान करता है और जैव विविधता और पारिस्थितिक सेवाओं का समर्थन करता है।

अध्याय–चार

प्रभावित ग्रामों की सामाजिक एवं आर्थिक रूपरेखा

जैसा कि पूर्व अध्यायों में वर्णित किया गया है, कि जनपद कांगड़ा के तहसील शाहपुर और कांगड़ा के चौदह ग्राम हवाई अड्डे विस्तार परियोजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित है। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिनियम 2013 एवं 2015 के अनुसार भूमि अधिग्रहण से पूर्व प्रभावित ग्रामों तथा भूस्वामियों के सबन्ध में सामाजिक समाघात आंकलन किया जाना अनिवार्य किया गया है। इस प्रकिया में प्रभावित ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक विशेषताओं एवं रूपरेखा का विवरण अध्याय में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

4.1 ग्रामों की स्थिति :

प्रभावित ग्रामों की स्थिति का विवरण तालिका 4.1 में प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि प्रभावित सभी ग्राम विकास खण्ड कार्यालय से 5 से 10 कि0मी0 तक के दूरी पर हैं। तहसील कार्यालय से दस ग्राम 5 से 10 कि0मी0 तथा चार ग्राम 10 से 15 कि0मी0 कि दूरी पर स्थित है। अन्य विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं से प्रभावित ग्रामों की दूरी 10 कि0मी0 तक हैं जिसका विवरण तालिका 4.1 में दिया गया हैं।

तालिका : 4.1

विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं से दूरी के अनुसार प्रभावित ग्रामों की संख्या

क्र0 सं0	संस्था का नाम	दूरी (कि.मी.)				
		ग्राम में	5.0 कि. मी.तक	5.1 से 10.0 कि.मी.	10.01 से 15. 0 कि.मी.	15.01 कि.मी से अधिक
1	विकास खण्ड से दूरी (कि.मी.)	0	0	14 (100.0)	0	0
2	तहसील मुख्यालय से दूरी (कि.मी.)	0	0	10 (71.43)	4 (28.57)	0
3	जनपद मुख्यालय से दूरी (कि.मी.)	0	0	0	14 (100.0)	0
4	नजदीकी बस स्टेशन से दूरी (कि.मी.)	5 (35.71)	9 (64.29)	0	0	0
5	नजदीकी रेलवे स्टेशन से दूरी (कि.मी.)	0	0	14 (100.0)	0	0
6	राजमार्ग से दूरी (कि.मी.)	5 (35.71)	9 (64.29)	0	0	0
7	पुलिस स्टेशन से दूरी (कि.मी.)	1 (7.14)	13 (92.86)	0	0	0
कुल ग्रामों की संख्या		14 (100.0)				

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.2 जनसांख्यिकी स्थिति एवं श्रेणी :

तहसील के प्रभावित ग्रामों की जनसंख्या का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है। स्पष्ट है कि सभी प्रभावित ग्रामों में कुल जनसंख्या में पुरूषों का 50.27 प्रतिशत एवं महिलाओं का 49.73 प्रतिशत है। अनुसुचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 7.93 प्रतिशत हैं। कुल अनुसुचित जाति की जनसंख्या में पुरूष 48.42 प्रतिशत एवं महिला 51.58 प्रतिशत हैं। जबकि अनुसुचित जन जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 1.64 प्रतिशत हैं। अनुसुचित जन जाति की जनसंख्या में पुरूष 52.38 प्रतिशत एवं महिला 47.62 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार मुख्य कर्मकर की संख्या कुल जनसंख्या का 43.33 प्रतिशत हैं। जिसमे पुरूष 61.76 प्रतिशत एवं महिला 38.24 प्रतिशत मुख्य कर्मकर की जनसंख्या का हैं। तहसीलवार प्रभावित ग्रामो का पुरूषों, महिलाओं एवं अनुसुचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका : 4.2

प्रभावित तहसील के प्रभावित ग्रामों के परिवारों की जनसंख्यिकीय स्थिति

क्र0 सं0	विवरण	शाहपुर	कांगड़ा	योग
1	कुल	1606 (100.0)	9933 (100.0)	11539 (100.0)
1.1	पुरूष	769 (47.88)	5032 (50.27)	5801 (50.27)
1.2	महिला	837 (52.11)	4901 (49.73)	5738 (49.73)
2	अनुसुचित जाति	258 (16.06)	657 (6.61)	915 (7.93)
2.1	पुरूष	121 (46.90)	322 (49.01)	443 (48.42)
2.2	महिला	137 (53.10)	335 (50.99)	472 (51.58)
3	अनुसुचित जन जाति	79 (4.92)	110 (1.11)	189 (1.64)
3.1	पुरूष	42 (53.16)	57 (51.82)	99 (52.38)
3.2	महिला	37 (46.84)	53 (48.18)	90 (47.62)
4	**परिवारों कि संख्या**	384	2140	2524
5	**साक्षरता दर**	86 %	78 %	79%
6	मुख्य कर्मकर	588 (36.61)	4412 (44.41)	5000 (43.33)
6.1	पुरूष	395 (67.18)	2693 (61.04)	3088 (61.76)
6.2	महिला	193 (32.82)	1719 (38.96)	1912 (38.24)

स्रोत : जनगणना 2011

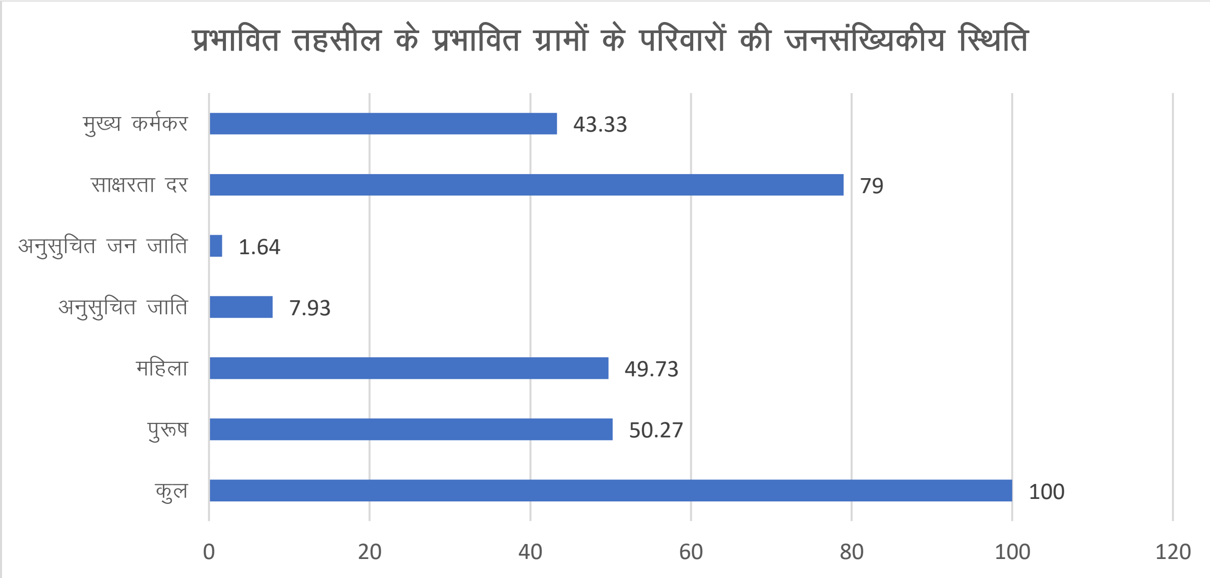

4.3 आर्थिक संस्थाओं की उपलब्धता :

वाणिज्यिक/ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, सहकारी क्रय–विक्रय/ऋण समिति, दैनिक बाजार, साप्ताहिक बाजार, सब्जी/गल्ला मंडी, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, खाद–बीज गोदाम एवं कृषि यंत्र स्टोर की सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रस्थिति को तालिका 4.3 में दर्शाया गया है। विचाराधीन सुविधाओं के सम्बन्ध में तालिका से ज्ञात होता हैं कि सब्जी/गल्ला मंडी, गेहूं, धान क्रय केन्द्र और कोल्ड स्टोरेज के अलावा सभी उपलब्धता सुविधाएँ 0 से 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं।

तालिका : 4.3
आर्थिक संस्थाओं की उपलब्धता व दूरी (कि.मी.)

क्र0 सं0	संस्था का नाम	गाँव में	5 कि.मी.	5–10 कि.मी.	10 कि.मी. से अधिक
1	वाणिज्यिक/ग्रामीण बैंक	2 (14.29)	12 (85.71)	0	0
2	सहकारी बैंक	1 (7.14)	13 (92.86)	0	0
3	सहकारी क्रय विक्रय/ऋण समिति	1 (7.14)	13 (92.86)	0	0
4	दैनिक बाजार/साप्ताहिक बाजार	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0
5	सब्जी/गल्ला मंडी	0	0	14 (100.0)	0
6	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	10 (71.43)	4(28.57)	0	0
7	खाद/बीज गोदाम	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0
8	कृषि यंत्र स्टोर	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0
9	गेहूं,धान क्रय केन्द्र	0	0	0	14 (100.0)
10	कोल्ड स्टोरेज	0	0	0	14 (100.0)
	कुल ग्रामों की संख्या	14(100.00)			

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.4 सामाजिक / धार्मिक स्थल :

प्रभावित ग्रामों में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं / स्थलों की उपलब्धता अथवा उपलब्ध न होने की स्थिति में दूरी का विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रभावित सभी ग्रामों मे मंदिर स्थित हैं, जबकि 10 ग्राम में खेल का मैदान, 5 ग्राम में मेला स्थल, 2 ग्राम में पुरूषों एवं महिलाओं हेतु सार्वजनिक शौचालय, ग्यारह ग्राम में शमशान / कब्रिस्तान स्थित हैं। शेष ग्रामों में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं / स्थलों जैसे कि पुरूषों / महिलाओं हेतु सार्वजनिक शौचालय, मस्जिद, गुरूद्वारा, खेल का मैदान तथा मेला स्थल की दूरी ग्राम से 5 कि0मी0 के अन्तर्गत हैं। गिरिजाघर एवं मस्जिद की दूरी प्रभावित ग्रामो से 5 से 10 कि0मी0 तक है।

तालिका : 4.4

सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाओं की उपलब्धता (दूरी कि.मी. में)

क्र0 सं0	संस्था / स्थल	गाँव में	2 कि.मी. तक	2–5 कि.मी.	5–10 कि.मी.	10 कि.मी. से अधिक
1	मंदिर	14 (100.0)	0	0	0	0
2	मस्जिद	0	0	0	14 (100.0)	0
3	गिरिजाघर	0	0	0	14 (100.0)	0
4	गुरूद्वारा	0	5 (35.71)	5 (35.71)	4 (28.57)	0
5	खेल का मैदान	10 (71.43)	4 (28.57)	0	0	0
6	मेला स्थल	5 (35.71)	9 (64.29)	0	0	0
7	पुरूष–सार्वजनिक शौचालय	2 (14.29)	10 (71.43)	2 (14.29)	0	0
8	महिला–सार्वजनिक शौचालय	2 (14.29)	10 (71.43)	2 (14.29)	0	0
9	शमशान / कब्रिस्तान	11 (78.57)	3 (21.43)	0	0	0
कुल ग्रामों की संख्या		14 (100.0)				

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.5 राजनैतिक, प्रशासनिक संस्थायें :

प्रभावित ग्रामों में राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं की उपलब्धता तथा उपलब्ध न होने की स्थिति में दूरी का विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रभावित सात ग्रामों में पंचायत भवन स्थित है, दो ग्राम में स्वैच्छिक संस्थाये, एक ग्राम में राजनैतिक दलों के कार्यालय, सात ग्राम में डाकघर एवं एक ग्राम में पुलिस स्टेशन स्थित हैं। शेष प्रभावित ग्रामों में से राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं की उपलब्धता की दूरी 2 से 4 कि0मी0 तक स्थित हैं, जिसका विवरण तालिका में दिया गया हैं।

तालिका : 4.5

राजनैतिक / प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं की उपलब्धता

दूरी (कि.मी.)

क्रम सं०	संस्था / स्थल	गाँव में	2 कि.मी.	2–4 कि.मी.	4–6 कि.मी.	6–10 कि.मी. से अधिक
01	पंचायत घर	7 (50.00)	7 (50.00)	0	0	0
02	स्वैच्छिक संस्थाऐं	2 (14.29)	5 (35.71)	7 (50.00)	0	0
03	राजनैतिक दलों के कार्यालय	1 (7.14)	10 (71.43)	3 (21.43)	0	0
04	डाकघर	7 (50.00)	7 (50.00)	0	0	0
05	पुलिस स्टेशन	1 (7.14)	10 (71.43)	3 (21.43)	0	0
कुल ग्रामों की संख्या		14 (100.00)				

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.6 शिक्षण संस्थायें :

प्रभावित ग्रामों में शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता का विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रभावित आठ ग्रामों में प्राइमरी स्कूल, सात ग्राम में उच्च प्राइमरी स्कूल, दो ग्राम में हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज, एक ग्राम में डिग्री कालेज एवं आई0 टी0 आई0 और पॉच ग्राम में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल उपलब्ध है। शेष ग्रामों में शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता व दूरी तालिका में दर्शया गया हैं ।

तालिका : 4.6

शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता व दूरी (कि.मी. में)

क्रम सं०	स्कूल / कालेज	गाँव में	2 कि.मी.	2–4 कि.मी.	4–6 कि.मी.	6 कि.मी. से अधिक
01	प्राइमरी स्कूल	8 (57.14)	6 (42.86)	0	0	0
02	उच्च प्राइमरी स्कूल	7 (50.00)	7 (50.00)	0	0	0
03	मदरसा	0	0	0	0	14 (100.0)
04	हाईस्कूल	2 (14.29)	10 (71.43)	2 (14.29)	0	0
05	इण्टर कालेज	2 (14.29)	10 (71.43)	2 (14.29)	0	0
06	डिग्री कालेज	1 (7.14)	6 (42.86)	7 (50.00)	0	0
07	आई0 टी0 आई0	1 (7.14)	5 (35.71)	6 (42.86)	2 (14.29)	0
08	अंग्रेजी माध्यम के स्कूल	5 (35.71)	7 (50.00)	2 (14.29)	0	0
कुल ग्रामों की संख्या		14(100.00)				

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.7 स्वास्थ्य सेवायें :

हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का विवरण तालिका 4.7 में दिया गया है। प्रभावित सभी ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध है। जबकि सात ग्राम में ए0एन0एम0 केन्द्र, तीन ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, ऐलोपैथीक

चिकित्सा, होमियोपैथी चिकित्सा, दो ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक चिकित्सा और बारह ग्रामों में झोलाछाप डाक्टर अवस्थित है। प्रभावित शेष ग्रामों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्ध 6 कि.मी. तक है।

तालिका : 4.7

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व दूरी (कि.मी. में)

क्रम सं०	सेवायें	गाँव में	2 कि.मी.	2–4 कि.मी.	4–6 कि.मी.	6 कि.मी. से अधिक
01	आंगनबाडी केन्द्र	14 (100.0)	0	0	0	0
02	ए0एन0एम0 केन्द्र	7 (50.00)	7 (50.00)	0	0	0
03	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	3 (21.43)	5 (35.71)	6 (42.86)	0	0
04	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2 (14.29)	5 (35.71)	4 (28.57)	3 (21.43)	0
5.1	ऐलोपैथीक चिकित्सा	3 (21.43)	7 (50.00)	4 (28.57)	0	0
5.2	होमियोपैथी चिकित्सा	3 (21.43)	7 (50.00)	4 (28.57)	0	0
5.3	आयुर्वेदिक चिकित्सा	2 (14.29)	7 (50.00)	5 (35.71)	0	0
5.4	झोलाछाप डाक्टर	12 (85.71)	2 (14.29)	0	0	0
वु ु ल ग्रामों की संख्या		14 (100.0)				

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.8 पशु चिकित्सा सेवाये :

प्रभावित तीन ग्राम में पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता हैं। जबकि शेष ग्यारह ग्रामों से पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता एक कि.मी. से चार कि0मी0 की दूरी. तक है। जैसा कि तालिका 4.8 में दिया गया है।

तालिका : 4.8

पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता व दूरी कि.मी.

क्रम सं०	सेवायें	ग्राम में	2–4 कि.मी.	4–6 कि. मी.	6–8 कि.मी.	8 कि.मी. से अधिक
01	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0	0
02	पैरावेट	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0	0
03	पशु चिकित्सालय	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0	0
कुल ग्रामों की संख्या		14 (100.0)				

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.9 विद्युत कनेक्शन :

प्रभावित ग्रामों में विद्युत कनेक्शन के प्रकार का विवरण तालिका 4.9 में दिया गया है। प्रभावित सभी आबाद ग्राम विद्युतीकृत हैं। शत प्रतिशत आबाद ग्रामों में घरेलू बत्ती/पंखा ु विद्युत कनेक्शन तथा 9 ग्राम में औद्योगिक कार्य हेतु औद्योगिक कनेक्शन उपलब्धता है।

तालिका–4.9

विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता

क्रम सं०	विवरण	शाहपुर	कांगड़ा	योग
01	घरेलू कनेक्शन	04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)
02	कृषि कनेक्शन	0 (0.0)	0(0.0)	0 (0.0)
03	औद्योगिक कनेक्शन	2 (50.00)	7 (70.00)	9 (64.29)
कुल ग्रामों की संख्या		4(100.00)	10(100.00)	14(100.00)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.10 पेयजल स्रोत :

प्रभावित ग्रामों के पेयजल के स्त्रोत का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है शत प्रतिशत ग्रामों में क्रमशः पइप से जलापूर्ति, समरसेबिल/ बोरींग/ टयूबवेल तथा कुंआ पीने के पानी का मुख्य स्त्रोत है।

तालिका–4.10

पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता

क्रम सं०	स्त्रोत	शाहपुर	कांगड़ा	योग
01	पाईप से जलपूर्ति	04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)
02	देशी हैण्डपम्प	0)	0	0
03	बोरींग/ टयूबवेल/समरसेबिल	04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)
04	कुंआ	04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)
कुल ग्रामों की संख्या		04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.11 सिंचाई का साधन :

प्रभावित ग्रामों में सिंचाई के स्त्रोत का विवरण तालिका 4.11 में दिया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सभी ग्रामों में सिंचाई के साधन के रूप में कुह्ल (water channel) उपल्बधता हैं। जबकि कांगड़ा तहसील के एक ग्राम में सिंचाई के साधन के रूप में राजकीय नलकूप भी उपलब्ध हैं।

तालिका–4.11

सिंचाई के स्त्रोत की उपलब्धता

क्रम सं०	स्त्रोत	शाहपुर	कांगड़ा	योग
01	कुह्ल (water channel)	04 (100.0)	10(100.0)	14 (100.0)
02	राजकीय नलकूप (बोरींग/ टयूबवेल)	0	1 (10.00)	1 (7.14)
03	निजीनलकूप/पम्पसेट	0	0	0
04	तालाब	0	0	0
	कुल ग्रामों की संख्या	04 (100.0)	10(100.0)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.12 आर्थिक गतिविधियां :

प्रभावित ग्रामों में गठित स्वयं सहायता समूहों का विवरण तालिका 4.12 में प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि शत प्रतिशत ग्रामों में महिला स्वयं सहायता समूह गठित हैं। जबकि किसी भी ग्राम में पुरूष स्वयं सहायता समूह गठित नहीं हैं।

तालिका–4.12
स्वयं सहायता समूह

क्रमसं०	विवरण	शाहपुर	कांगड़ा	योग
01	महिला	04 (100.00)	10 (100.00)	14 (100.0)
02	पुरूष	0	0	0
	कुल ग्रामों की संख्या	04 (100.00)	10 (100.00)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.13 कुटीर उद्योगो की स्थिति :

प्रभावित ग्रामों में विद्यमान कुटीर उद्योगों का विवरण तालिका 4.13 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि प्रभावित सभी ग्रामों में किराना स्टोर, दूधिया, बकरी पालन इकाइयां उपलब्ध है। शेष अन्य कुटीर उद्योगों की उपलब्धता ग्राम संख्या तालिका में दिया गया हैं। जबकि कांगड़ा तहसील का गगल ग्राम क्षेत्र के व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र हैं जो अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा हैं।

तालिका–4.13
ग्राम में कुटिर उद्योगों की उपलब्धता

क्रमसं०	विवरण	शाहपुर	कांगड़ा	योग
01	हथकरघा	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
02	पावरलूम	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
03	मिनीराइसमिल / पालिशर	2 (50.00)	7 (60.00)	9 (64.29)
04	आटा चक्की	3 (75.00)	9 (90.00)	12 (85.71)
05	तेल घानी	1 (25.00)	3 (30.00)	4 (28.57)
06	किराना स्टोर	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
07	इंजन / आटो मरम्मत	1(25.00)	4 (40.00)	5 (35.71)
08	दूधिया	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
09	बकरी पालन इकाइयां	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
10	मुर्गी पालन इकाइयां	1 (25.00)	4 (40.00)	5 (35.71)
11	टेन्ट हाउस	1 (25.00)	6 (60.00)	7 (50.0)
12	मटन / चिकन / फिश शॅाप	1(25.00)	10 (100.0)	11 (78.57)
13	वाइन शॅाप (अंग्रेजी / देशी)	1(25.00)	8 (80.00)	9 (64.29)
	कुल ग्रामों की संख्या	4 (100.0)	10(100.0)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.14 कुरीतियां :

प्रभावित ग्रामों में व्याप्त कुरीतियों का विवरण तालिका 4.14 मे दिया गया है। प्रभावित सभी ग्रामों के प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासीयों द्वारा बताया गया कि उनके ग्रामों में दहेज प्रथा, विधवा विवाह पाबंदी, लड़कियों की उच्च शिक्षा पर पाबंदी, अंधविश्वास, तांत्रिक क्रिया एवं परिवार नियोजन पर पाबंदी आदि कुरीतियां बिल्कुल नहीं है। जबकि पंचायती फैसले आदि सामान्य रूप में प्रचलित है।

तालिका : 4.14

ग्राम में व्याप्त कुरीतियां

क्र.सं०	विवरण	अधिक	सामान्य	बिल्कुल नहीं
01	बाल विवाह	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
02	दहेज प्रथा	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
03	अंधविश्वास	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
04	विधवा विवाह पाबंदी	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
05	तांत्रिक क्रिया	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
06	लड़कियों की उच्च शिक्षा पर पाबंदी	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
07	परिवार नियोजन पर पाबंदी	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
08	पंचायती फैसला	0 (0.00)	14 (80.95)	0 (0.00)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.15 पशुधन :

प्रभावित ग्रामों में उपलब्ध पशुधन का विवरण तालिका 4.15 में दिया गया है। स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत आबाद ग्रामों में गोवंशीय, महिषवंशीय एवं बकरियां उपलब्ध हैं।

तालिका–4.15

ग्रामों में पशुधन की उपलब्धता

क्र0सं0	विवरण	हाँ	नहीं
01	गोवंशीय	14 (100.00)	0
02	महिषवंशीय	14 (100.00)	0
03	बकरियाँ	14 (100.00)	0
04	खच्चर	10 (71.43)	4 (28.57)
	कुल ग्रामों की संख्या	14 (100.00)	

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.16 पशुओं हेतु हरा चारे की उपलब्धता :

प्रभावित सभी आबाद ग्रामों में पशुओं हेतु हरा चारे की उपलब्धता का विवरण तालिका 4.16 में दिया गया है। स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत प्रभावित ग्रामों में पशुओं हेतु हरा चारे की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हैं।

तालिका–4.16 ग्रामवार पशुओं हेतु हरा चारे की उपलब्धता

क्रम सं०	तहसीलों का नाम	पर्याप्त	अपर्याप्त
01	शाहपुर	हाँ	नहीं
02	कांगड़ा	हाँ	नहीं

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.17 मुख्य फसलें :

प्रभावित ग्रामों में बोयी जाने वाली मुख्य–मुख्य फसलों का विवरण तालिका 4.17 में दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि यह विवरण 14 ग्रामों के सम्बन्ध में है। स्पष्ट है कि रबी की फसलों में शत प्रतिशत ग्रामों में गेहूं एवं सरसों की खेती होती है। खरीफ की फसलों में शत प्रतिशत ग्रामों में धान एवं मक्का बोया जाता है। जबकि जायद की फसलों में कोई फसले नहीं बोयी जाती हैं। वाणिज्यिक फसलों के सम्बन्ध में स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत आबाद ग्रामों में सब्जिया (टमाटर, गोभी, बैगन, भिण्डी, खिरा आादि) तथा आलू बोयी जाती हैं। प्रभावित ग्रामों के मुख्य फसलों में सब्जियॉ (टमाटर, गोभी, बैगन, भिण्डी, खिरा आादि) हैं। इन ग्रामों में सब्जी कि खेती प्रचुर मात्रा में होती हैं। जो ग्राम के किसानों के आय का मुख्य स्त्रोत हैं।

तालिका : 4.17 : मुख्य फसलें

क्र0सं0	विवरण	तहसीलवार ग्रामों की संख्या		
		शाहपुर	कांगड़ा	योग
अ	रबी			
1	गेंहूँ	04 (100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
2	जौं	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
3	सरसों / लाही	04 (100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
4	मसूर	0 (0.00)	0 (0.00)	0
5	चना	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ब	खरीफ			
1	धान	04 (100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
2	ज्वार	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
3	बाजरा	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
4	उड़द	02 (50.0)	4 (40.00)	6 (42.86)
5	मूंग	0	0	0
6	मक्का	04(100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
स	जायद			
1	उड़द	0	0	0

2	मूंग	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
3	मैथा	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
द	वाणिज्यक फसलें			
1	आलू	04(100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
2	सब्जियां	04(100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
3	मूंगफली	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	कुल ग्रामों की संख्या	04(100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.18 अधिग्रहीत सार्वजनिक परिसम्पत्तियां :

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित ग्राम समाज/सरकारी भूमि पर स्थित सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का विवरण तालिका 4.18 में दिया गया है। तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि लगभग 93 प्रतिशत ग्रामों में सम्पर्क मार्ग, सिंचाई नाली, मकान, 86 प्रतिशत ग्रामो में मंदिर, पेड–पौघे, 71 प्रतिशत ग्रामो में जल निकासी नाली, 64 प्रतिशत ग्रामों में दुकान, बोरींग/ टयूबवेल (पिने के पानी हेतु) आदि प्रभावित हैं। तहसीलवार अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित परिसम्पत्तियां का विवरण तालिका में दि गई है। जबकि कांगड़ा तहसील का गगल ग्राम क्षेत्र के व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र हैं जो अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा हैं।

तालिका–4.18

अधिग्रहीत भूमि में अवस्थित सार्वजनिक परिसम्पत्तियां

क्र0सं0	परिसम्पत्ति का विवरण	तहसीलवार ग्रामों की संख्या		
		शाहपुर	कांगड़ा	योग
1	चकरोड / सम्पर्कमार्ग	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
2	बोरींग/ टयूबवेल (पिने के पानी हेतु)	2 (50.00)	7 (70.00)	9 (64.29)
3	सिंचाई नली/गुह्ल	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
4	जल निकासी नाली	2 (50.00)	8 (80.00)	10 (71.43)
5	विधालय भवन	1 (25.00)	5 (50.00)	6 (42.86)
6	देव स्थान (मठ)/ मंन्दिर	3 (75.00)	9 (90.00)	12 (85.71)
7	मकान और अन्य ढाचा	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
10	पंचायत भवन	1 (25.00)	2 (20.00)	3 (21.43)
11	तालाब	1 (25.00)	0	1 (7.14)
12	चरागाह	1 (25.00)	2 (20.00)	3 (21.43)
13	आंगनवाड़ी	2 (50.00)	5 (50.00)	7 (50.00)
14	पेट्रोल टंकी	0	1 (10.00)	1 (7.14)
15	पशु अस्पताल	1 (25.00)	2 (20.00)	3 (21.43)
16	सरकारी भवन (पटवारी,सोसाइटी आदि)	2 (50.00)	4 (40.00)	6 (42.86)
17	दुकान	2 (50.00)	7 (70.00)	9 (64.29)
18	शमशान/कब्रिस्तान	0	3 (30.00)	3 (21.43)

19	पेड़–पौघे	2 (50.00)	10 (10.00)	12 (85.71)
20	मुर्गी फार्म	0	1 (10.00)	1 (7.14)
	कुल ग्रामों की संख्या	04 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.19 असहमति के कारण :

प्रभावित ग्रामों के प्रधानों/पंचायत सदस्यों के अनुसार भूस्वामियों द्वारा स्वेच्छा से परियोजना के लिए भूमि न देने के कारणों का बहुउत्तरीय विवरण तालिका 4.19 में दिया गया है। स्पष्ट है कि शत प्रतिशत ग्रामों में सर्किल रेट बाजार मूल्य से बहुत कम होना, भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना एवं भूमि का अत्यधिक मूल्यवान होना, कई अंशधारको का होना, भूस्वामि का मृत्क होना/वरासत न होने के कारण, 92.86 प्रतिशत ग्राम में आवास का नुकसान होना, पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना का न होना, बेरोजगारी का भय, आवास एवं व्यवसाय के लिए भूमि का न होना एवं ग्राम से पलायन की समस्या आदि कारण बताये गये।

तालिका–4.19

परियोजना के लिए भूमि न देने के कारण

(बहुउत्तरीय)

क्र0सं0	कारण	शाहपुर	कांगड़ा	योग
1	सर्किल रेट बाजार मूल्य से कम है	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
2	आवास का नुकसान होना	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
3	व्यवसाय का नुकसान होना	2 (50.00)	7 (70.00)	9 (64.29)
4	भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
5	भूमि सड़क के पास होना	2 (50.00)	7 (70.00)	9 (64.29)
6	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना का न होना	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
7	कई अंशधारको का होना	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
8	बेरोजगारी का भय	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
9	भूस्वामि का मृत्क होना/वरासत न होने के कारण	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
10	आवास एवं व्यवसाय के लिए भूमि का न होना	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
11	ग्राम से पलायन की समस्या	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
	कुल ग्रामों की संख्या	04 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.20 परियोजना के प्रभाव :

प्रभावित ग्रामों के प्रधानों/सदस्यों के अनुसार परियोजना से होने वाले नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभावों का विवरण तालिका 4.20 में दिया गया है। परियोजना से नकारात्मक प्रभावो के सम्बन्ध में शत प्रतिशत द्वारा कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी, 92.86 प्रतिशत द्वारा मुख्य/सम्पर्क मार्गों का नुकसान, आवास का नुकसान, किसानों को खेतों को आन–जाने मे कठिनाईयां, बेरोजगारी

का भय, 85.71 प्रतिशत द्वारा सब्जी उत्पादन में कमी, सिचाई के साधनों में कमी, 78.57 प्रतिशत द्वारा प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हो जायेगी, ग्राम से पलायन की समस्या एवं 64.28 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय का नुकसान होना आदि नकारात्मक बहुउत्तरीय प्रभाव बताये गये।

तालिका–4.20
परियोजना के प्रभाव

(बहुउत्तरीय)

क्र0 सं0	प्रभाव	ग्रामों की संख्या
अ	**नकारात्मक**	
01	ग्राम के मुख्य/सम्पर्क मार्गों का नुकसान	13 (92.86)
02	कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी	14 (100.0)
03	प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हो जायेगी	11 (78.57)
04	आवास का नुकसान	13 (92.86)
05	किसानों को खेतों को आन–जाने मे कठिनाईयां	13 (92.86)
06	ग्राम से पलायन की समस्या	11 (78.57)
07	बेरोजगारी का भय	13 (92.86)
08	सब्जी उत्पादन में कमी	12 (85.71)
09	सिचाई के साधनों में कमी	12 (85.71)
10	व्यवसाय का नुकसान होना	9 (64.28)
ब	**सकारात्मक**	
01	क्षेत्र का तीव्र विकास होगा	14 (100.0)
02	परिवहन की सुविधा बढ़ जायेगी	14 (100.0)
03	व्यापार करने की सुविधा बढ़ जायेगी	14 (100.0)
04	यात्रा में समय की बचत होगी	14 (100.0)
05	क्षेत्र से शहर में पलायन कम होगा	11 (78.57)
06	क्षेत्रवासीयों के रहन सहन में सुधार होगा	10 (71.43)
07	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा	10 (71.43)
08	शिक्षा सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा	9 (64.28)
09	अन्य जमीनों की मूल्य दर में वृद्धि होगी	14 (100.0)
10	रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे	12 (85.71)
11	पर्यटन में वृद्वि होगी	14 (100.0)
	कुल ग्रामों की संख्या	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकडे

जबकि शत प्रतिशत द्वारा गाँव / क्षेत्र का विकास, परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि, यात्रा में समय की बचत होगी, पर्यटन में वृद्वि होगी एवं अन्य जमीनों की मूल्य दर में वृद्धि, जबकि 92.86 प्रतिशत द्वारा व्यापार करने की सुविधा बढ़ जायेगी, 85.71 प्रतिशत द्वारा रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे, 78.57 प्रतिशत द्वारा क्षेत्र से शहर में पलायन कम होगा, 71.43 प्रतिशत द्वारा क्षेत्रवासीयों के रहन सहन में सुधार होगा, स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा,64.28 प्रतिशत द्वारा शिक्षा सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा आदि सकारात्मक बहुउत्तरीय प्रभाव बताये गये।

अध्याय– पाँच

सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव

प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत जनपद कांगड़ा में हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप विभिन्न समुदायों एवं संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकृति की परियोजनाओं का प्रभाव तीन चरणों में होता है। (1) परियोजना प्रारम्भ से पूर्व भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर (2) निर्माण अवधि में निर्माण स्थलों पर बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति तथा भारी भरकम मशीनों के परिवहन एवं निर्माण स्थल पर विद्यमान होने पर तथा (3) परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि में। बरसवालकड, झकलीइच्छी और 85 प्रतिशत गगल खास के लोगो ने हवाई अड्डे के विरोध के कारण एसआईए सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार देने का पूर्ण रूप से विरोध किये, जिसके कारण केवल लगभग 34 प्रतिशत प्रभावित परिवार के सदस्यों ने साक्षात्कार दिये हैं, इसके आधार पर प्रस्तुत अध्याय में परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप सम्बंधित क्षेत्रों, ग्रामों एवं परिवारों पर पड़ने वाले सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का आंकलन करने का प्रयास किया गया है।

5.1 प्रभावित परिवारों की विशेषताएँ :

जैसा कि अध्ययन पद्धति मे यह उल्लेख हैं कि जिन भूस्वामियो का सूची में नाम बार–बार या दुसरे ग्राम में होने के कारण या एक ही परिवार के होने के कारण उनका साक्षात्कार केवल एक बार हुआ है। क्षेत्र के लोगों द्वारा हवाई अड्डे के विस्तार के पूर्ण रूप से विरोध के कारण लगभग 34 प्रतिशत परिवारों का साक्षात्कार हुआ हैं इसी के आधार पर प्रभावित परिवारों की सामाजिक विशेषताओं का विवरण अगले प्रस्तरों में किया जा रहा है।

5.1.1 लिंग :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का लिंग के अनुसार वर्गीकरण तालिका 5.1 में दिया गया है। स्पष्ट है कि कुल साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों में से 77.44 प्रतिशत पुरूष तथा 22.563 प्रतिशत महिलाऐ है। ग्रामवार पुरूष एवं महिला का विवरण तालिका में प्रस्तुत किया गया हैं।

तालिका: 5.1

प्रभावित साक्षात्कार भूस्वामियों का लिंगवार वर्गीकरण

क्रम सं0	ग्राम का नाम	पुरुष	महिला	योग
1	रछियालू	61 (81.33)	14 (18.67)	75 (100.0)
2	भड़ोत	3 (60.00)	2 (40.00)	5 (100.0)

3	क्योड़ी	32 (82.05)	7 (17.95)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	22 (78.57)	6 (21.43)	28(100.0)
5	भेडी	12 (80.00)	3 (20.00)	15(100.0)
6	ढुगियारी खास	13 (76.47)	4 (23.53)	17 (100.0)
7	सनौर	42 (77.78)	12 (22.23)	54(100.0)
8	बल्ला	49 (80.32)	12 (19.67)	61(100.0)
9	सहौड़ा	7 (58.33)	5 (41.67)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	15 (53.57)	13 (46.43)	28 (100.0)
11	बाग	6 (75.00)	2 (25.00)	8 (100.0)
12	गगल खास	47 (82.46)	10 (17.54)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	309 (77.44)	90 (22.56)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

नोटः बरसवालकड, झकली इच्छी और 85 प्रतिशत गगल खास के लोगो ने हवाई अड्डे के विस्तार के विरोध के कारण एसआईए सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार का पूर्ण रूप से विरोध किये।

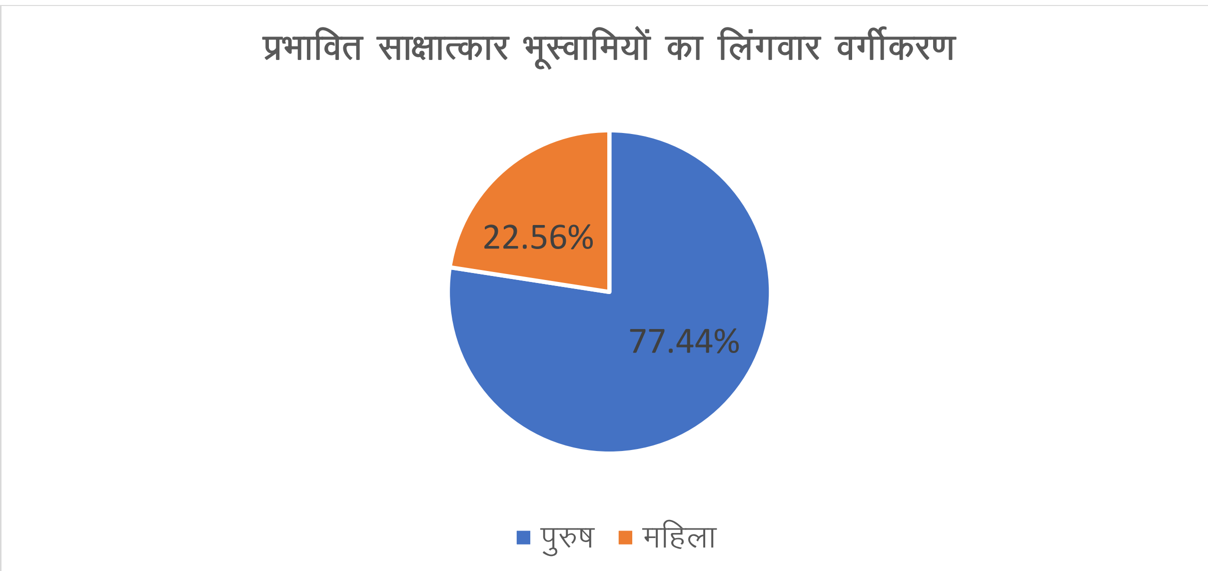

5.1.2 शैक्षिक योग्यता :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों के परिवार के सदस्यो का उच्चतम शैक्षिक योग्यता में 1.00 प्रतिशत हाई स्कूल से कम, 18.55 प्रतिशत हाई स्कूल तक, 17.29 प्रतिशत इंटरमीडिएट,

38.60 प्रतिशत स्नातक तक तथा 24.56 प्रतिशत परास्नातक या उससे अधिक तक शिक्षा प्राप्त किये है। ग्रामवार शैक्षिक योग्यता का विवरण तालिका 5.2 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका : 5.2

प्रभावित साक्षात्कार भूस्वामियों के परिवार के सदस्यो का उच्यतम शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्गीकरण

क्र0सं0	ग्रामों के नाम	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल	इंटरमीडिएट	स्नातक	परास्नातक और अधिक	योग
1	रछियालू	0	17 (22.67)	18 (24.00)	25 (33.33)	15 (20.00)	75 (100.0)
2	भड़ोत	0	0	3 (60.00)	1 (20.00)	1 (20.00)	5 (100.0)
3	क्योड़ी	2 (5.12)	8 (20.51)	7 (17.94)	16 (41.03)	6 (15.38)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	0	6 (21.43)	3 (10.71)	10 (35.71)	9 (32.14)	28 (100.0)
5	भेडी	1 (6.67)	5 (33.33)	2 (13.33)	4 (26.67)	3 (20.00)	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	0	6 (35.29)	2 (11.76)	5 (29.41)	4 (23.53)	17 (100.0)
7	सनौर	1 (1.85)	13 (24.07)	5 (9.26)	20 (37.04)	15 (27.78)	54 (100.0)
8	बल्ला	0	3 (4.92)	7 (11.48)	21 (34.43)	30 (49.48)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	0	1 (8.33)	2 (16.67)	7 (58.33)	2 (16.67)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	0	4 (14.29)	4 (14.29)	12 (42.86)	8 (28.57)	28 (100.0)
11	बाग	0	0	0	7 (87.50)	1 (12.50)	8 (100.0)
12	गगल खास	0	11 (19.30)	16 (28.07)	26 (45.61)	4 (7.02)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0	0
	योग	4 (1.00)	74 (18.55)	69 (17.29)	154 (38.60)	98 (24.56)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

नोटः बरसवालकड, झकली इच्छी और 85 प्रतिशत गगल खास के लोगो ने हवाई अड्डे के विस्तार के विरोध के कारण एसआईए सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार का पूर्ण रूप से विरोध किये।

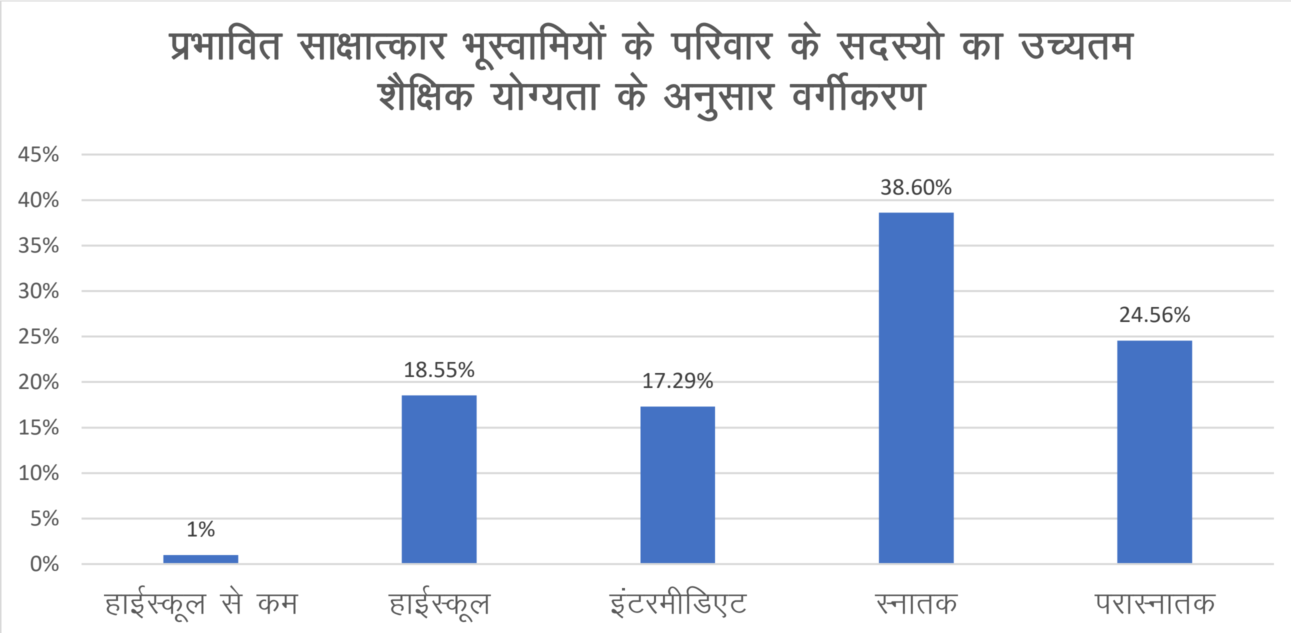

5.1.3 धर्म :

प्रभावित भूस्वामियों का धर्म के अनुसार विवरण तालिका 5.3 में दिया गया है। साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में शत प्रतिशत हिन्दू है।

तालिका : 5.3

प्रभावित भूस्वामियों का धर्म के आधार पर वर्गीकरण

कम सं0	ग्राम का नाम	हिन्दू	मुस्लिम	योग
1	रछियालू	75 (100.0)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	क्योिड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28(100.0)	0	28(100.0)
5	भेडी	15(100.0)	0	15(100.0)
6	ढुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54(100.0)	0	54(100.0)
8	बल्ला	61(100.0)	0	61(100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

5.1.4 जाति :

प्रभावित भूस्वामियों का जाति के आधार पर ग्रामवार वर्गीकरण तालिका 5.4 में किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 1.75 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 5.76 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 34.59 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 57.90 प्रतिशत सामान्य जाति के है।

तालिकाः 5.4

प्रभावित साक्षात्कार भूस्वामियों का जाति के आधार पर वर्गीकरण

कम सं0	ग्राम का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ावर्ग	सामान्य	योग
1	रछियालू	7 (9.33)	0	63 (84.00)	5 (6.67)	75 (100.0)
2	भड़ोत	0	0	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	क्योड़ी	10 (25.64)	2 (5.13)	2 (5.13)	25 (64.10)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	0	0	0	28 (100.0)	28 (100.0)
5	भेडी	0	0	5 (33.33)	10 (66.67)	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	0	2 (11.76)	5 (29.41)	10 (58.82)	17 (100.0)
7	सनौर	1 (1.85)	0	43 (79.63)	10 (18.52)	54 (100.0)
8	बल्ला	0	0	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	0	3 (25.00)	9 (75.00)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	0	0	25 (89.29)	3 (10.71)	28 (100.0)
11	बाग	5 (62.50)	0	3 (37.50)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	0	0	10 (17.54)	47 (82.46)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0
	योग	23 (5.76)	7 (1.75)	231 (57.90)	138 (34.59)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

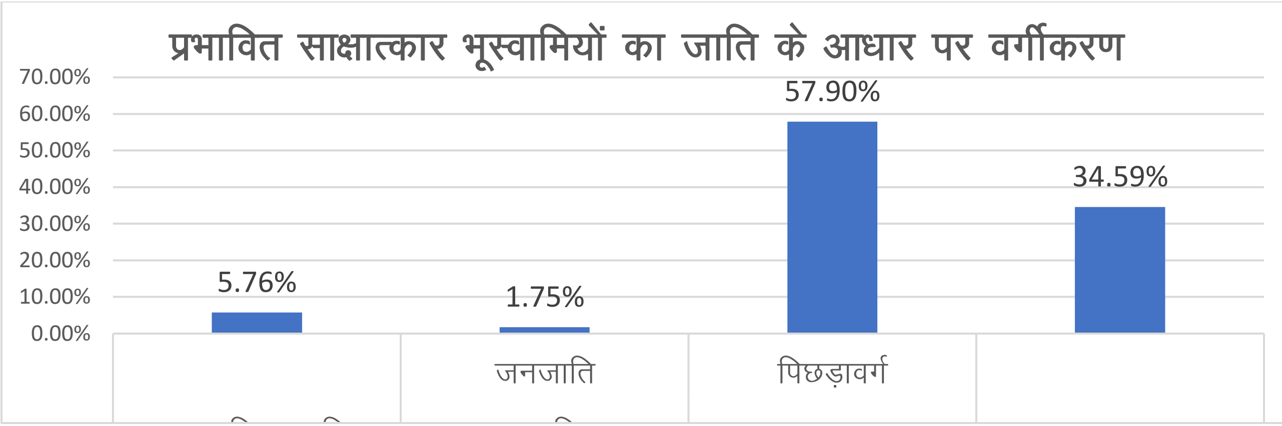

5.2 व्यवसाय :

परिवार के व्यवसाय के अनुसार साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का ग्रामवार विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 60.40 प्रतिशत का व्यवसाय स्वयं की भूमि पर कृषि जबकि 8.27 प्रतिशत का व्यवसाय कृषि एवं अन्य मजदूरी हैं। इसके अतरिक्त 16.79 प्रतिशत का दुकान/व्यापार, 17.04 प्रतिशत सरकारी नौकरी, 22.30 प्रतिशत प्राइवेट नौकरी तथा 29.32 प्रतिशत का अन्य व्यवसाय है।

तालिका : 5.5

प्रभावित परिवारों का व्यवसाय

(बहुत्तरीय)

क्र0 सं0	ग्रामों के नाम	कृषि स्वयं भूमि	कृषि एवं अन्य मजदूरी	दुकान/ व्यापार	सरकारी नौकरी	प्राइवेट नौकरी	अन्य	योग
1	रछियालू	57 (76.00)	18 (24.00)	3 (4.00)	9 (12.00)	16 (21.30)	15 (20.0)	75 (100.0)
2	भड़ोत	1 (20.00)	2 (40.00)	0	0	0	4 (80.0)	5 (100.0)
3	क्योड़ी	24 (61.54)	4 (10.26)	1 (2.56)	5 (12.82)	15 (38.50)	11 (28.21)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	21 (75.0)	0	0	5 (17.86)	13 (46.40)	9 (32.14)	28 (100.0)
5	भेडी	14 (93.33)	1 (6.67)	0	3 (20.0)	3 (20.0)	5 (33.33)	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	13 (76.47)	0	4 (23.53)	2 (11.76)	3 (17.60)	7 (41.18)	17 (100.0)
7	सनौर	12 (22.22)	1 ()1.85	6 (11.11)	16 (29.63)	14 (25.90)	13 (24.07)	54 (100.0)
8	बल्ला	48	7	3	4	11	19	61

		(78.69)	(11.48)	(4.92)	(6.56)	(18.00)	(31.15)	(100.0)
9	सहौड़ा	11 (91.67)	0	0	1 (8.33)	0	7 (58.33)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	16 (57.14)	0	8 (28.57)	5 (17.86)	4 (14.30)	13 (46.43)	28 (100.0)
11	बाग	6 (75.0)	0	3 (37.50)	3 (37.50)	1 (12.50)	2 (25.00)	8 (100.0)
12	गगल खास	18 (31.58)	0	39 (68.42)	15 (26.32)	9 (15.80)	12 (21.05)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0	0	0
	योग	241 (60.40)	33 (8.27)	67 (16.79)	68 (17.04)	89 (22.30)	117 (29.32)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

(बहुत्तरीय)

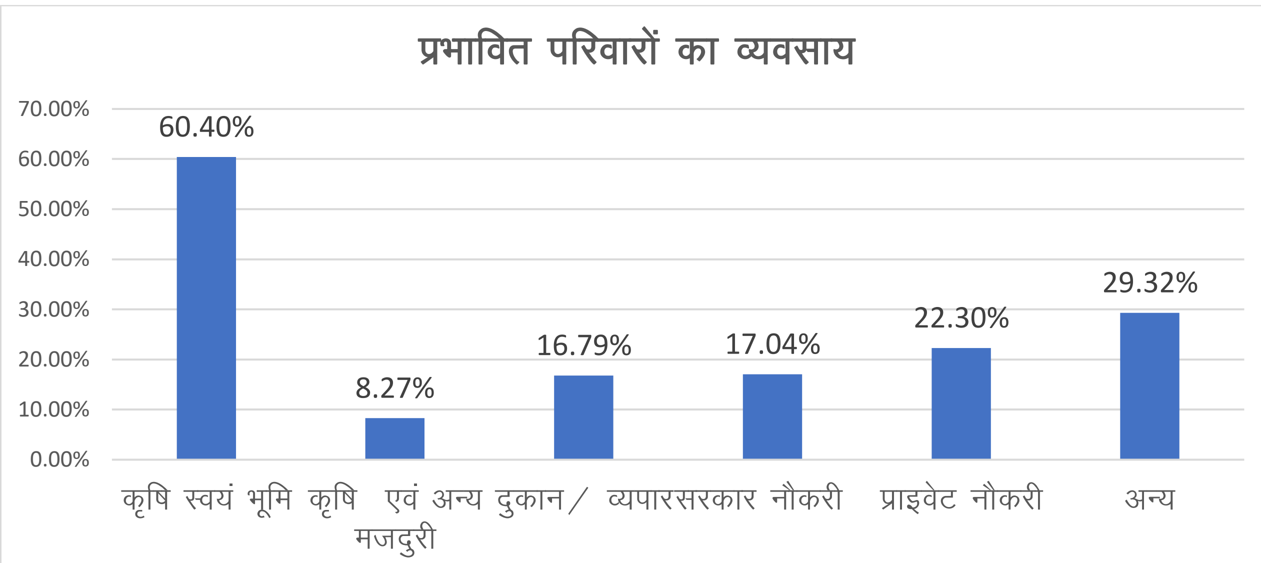

5.3 आय :

परिवार के आय के अनुसार साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का ग्रामवार विवरण तालिका 5.6 में दिया गया है तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों के वार्षिक आय में से 33.08 प्रतिशत का आय एक से 2.5 लाख तक, 32.08 प्रतिशत का 2.5 लाख से 5 लाख तक, 14.79 प्रतिशत का पॉच लाख से 10 लाख तक, 13.53 प्रतिशत का एक लाख से कम तथा 6.52 प्रतिशत का 10 लाख से अधिक का आय है।

तालिका : 5.6
वार्षिक आय के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

कम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	1 लाख से कम	1. लाख से 2.5 लाख तक	2.5 लाख से 5 लाख तक	5 लाख से 10 लाख तक	10 लाख अधिक	योग
1	रछियालू	15 (20.00)	40 (53.33)	15 (20.00)	5 (6.67)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	0	2 (40.00)	3 (60.00)	0	0	5 (100.0)
3	क्यिोड़ी	4 (10.26)	19 (48.72)	13 (33.33)	3 (7.69)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	11 (39.29)	4 (14.29)	9 (32.14)	3 (10.71)	1 (3.57)	28 (100.00
5	भेडी	2 (13.33)	2 (13.33)	10 (66.67)	1 (6.67)	0	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	0	9 (52.94)	3 (17.65)	2 (11.76)	3 (17.65)	17 (100.0)
7	सनौर	10 (18.51)	16 (29.63)	15 (27.78)	13 (24.07)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	7 (11.47)	22 (36.07)	28 (45.90)	4 (6.56)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	0	1 (8.33)	4 (33.33)	7 (58.33)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	2 (7.14)	10 (35.71)	10 (35.71)	6 (21.43)	0	28 (100.0)
11	बाग	0	2 (25.00)	4 (50.00)	2 (25.00)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	3 (5.26)	5 (8.77)	14 (24.56)	13 (22.81)	22 (38.60)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0	0
	योग	54 (13.53)	132 (33.08)	128 (32.08)	59 (14.79)	26 (6.52)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

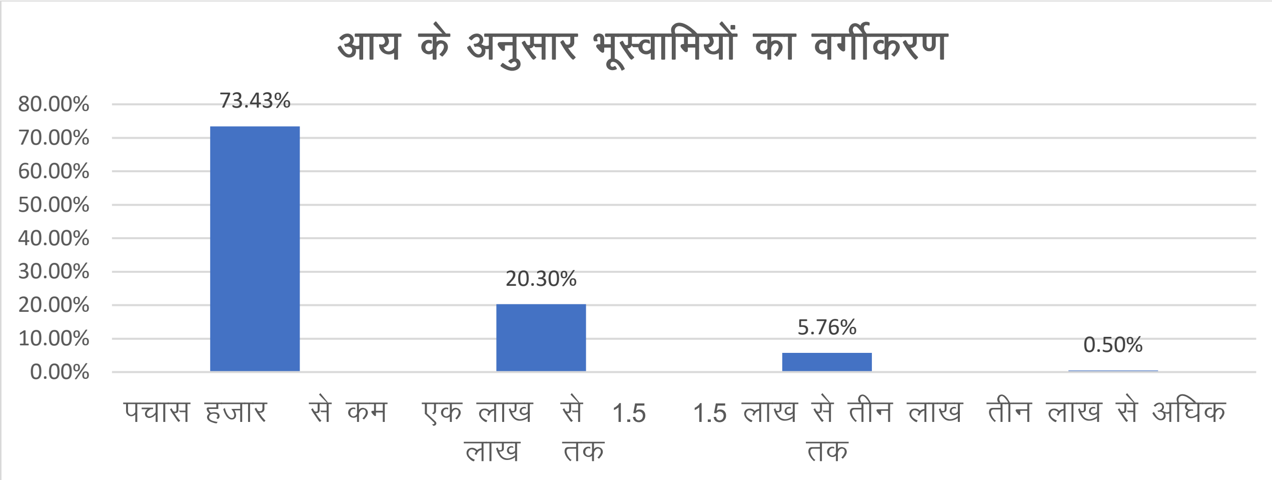

5.4 परिवार के प्रकार :

परिवार के प्रकार के अनुसार साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का ग्रामवार विवरण तालिका 5.7 में दिया गया है तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 31.08 प्रतिशत एकल परिवार, 34.59 प्रतिशत मध्य परिवार तथा 33.09 प्रतिशत का संयुक्त परिवार के है।

तालिका : 5.7

परिवार के प्रकार के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्र0सं0	प्रभावित ग्रामों के नाम	स्वयं	एकल परिवार	मध्यम परिवार	संयुक्त परिवार	योग
1	रछियालू	0	18 (24.00)	22 (29.33)	35 (46.67)	75 (100.0)
2	भड़ोत	0	1 (20.00)	3 (60.00)	1 (20.00)	5 (100.0)
3	क्योड़ी	0	15 (38.46)	16 (41.03)	8 (20.51)	39(100.0)
4	जुगेहड़	1 (3.57)	14 (50.00)	10 (35.71)	3 (10.71)	28 (100.0)
5	भेडी	0	4 (26.67)	5 (33.33)	6 (40.00)	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	0	3 (17.65)	2 (11.77)	12 (70.59)	17 (100.0)
7	सनौर	2 (3.71)	13 (24.07)	28 (51.85)	11 (20.37)	54 (100.0)
8	बल्ला	0	19 (31.15)	22 (36.07)	20 (32.79)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	0	5 (41.67)	3 (25.00)	4 (33.33)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	1 (3.57)	14 (50.00)	7 (25.00)	6 (21.42)	28 (100.0)
11	बाग	0	2 (25.00)	2 (25.00)	4 (50.00)	8 (100.0)
12	गगल खास	1 (1.75)	16 (28.07)	18 (31.58)	22 (38.60)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0
	योग	5 (1.25)	124 (31.08)	138 (34.59)	132 (33.09)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

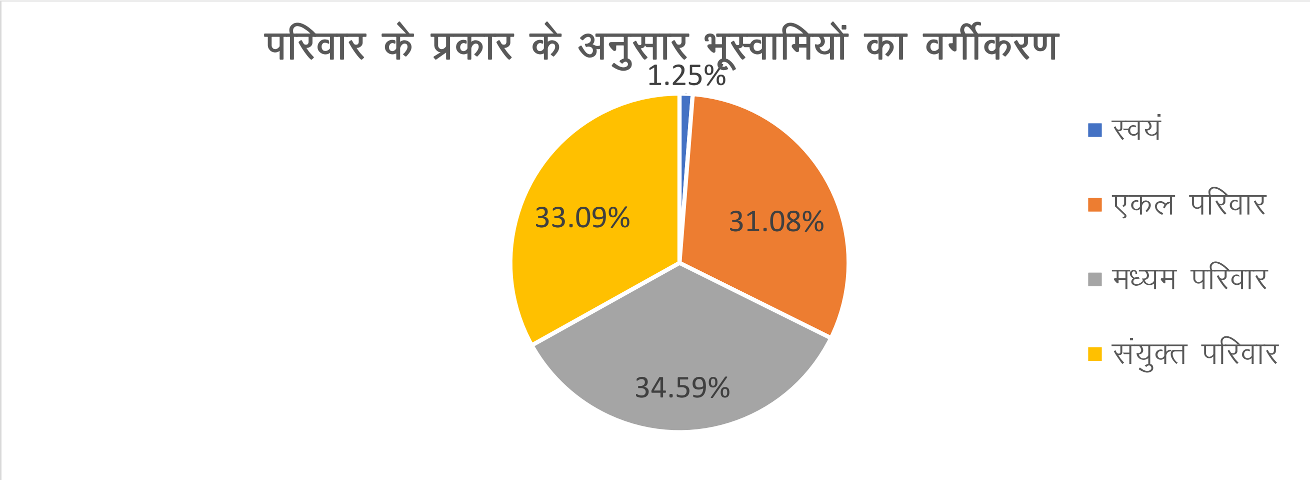

5.5 पशुधन :

प्रभावित भूस्वामियों के पास पशुधन की उपलब्धता का ग्राम विवरण तालिका 5.9 में दिया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि साक्षात्कारकृत भूस्वामियों में से 40.10 प्रतिशत के पास पशुधन की उपलब्धता हैं जबकि 59.90 प्रतिशत के पास पशुधन की उपलब्धता नहीं है।

तालिका : 5.9

भूस्वामियों के पास पशुधन की उपलब्धता

क्रम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	योग
1	रछियालू	32 (42.67)	43 (57.33)	75 (100.0)
2	भड़ोत	3 (60.00)	2 (40.00)	5 (100.0)
3	क्योड़ी	16 (41.03)	23 (58.97)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	3 (10.71)	25 (89.29)	28 (100.0)
5	भेडी	10 (66.67)	5 (33.33)	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	0	17 (100.0)	17 (100.0)
7	सनौर	15 (27.78)	39 (72.22)	54 (100.0)
8	बल्ला	47 (77.05)	14 (22.95)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	7 (58.33)	5 (41.67)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	8 (28.57)	20 (71.43)	28 (100.0)
11	बाग	4 (50.00)	4 (50.00)	8 (100.0)
12	गगल खास	15 (26.32)	42 (73.68)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	160 (40.10)	239 (59.90)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

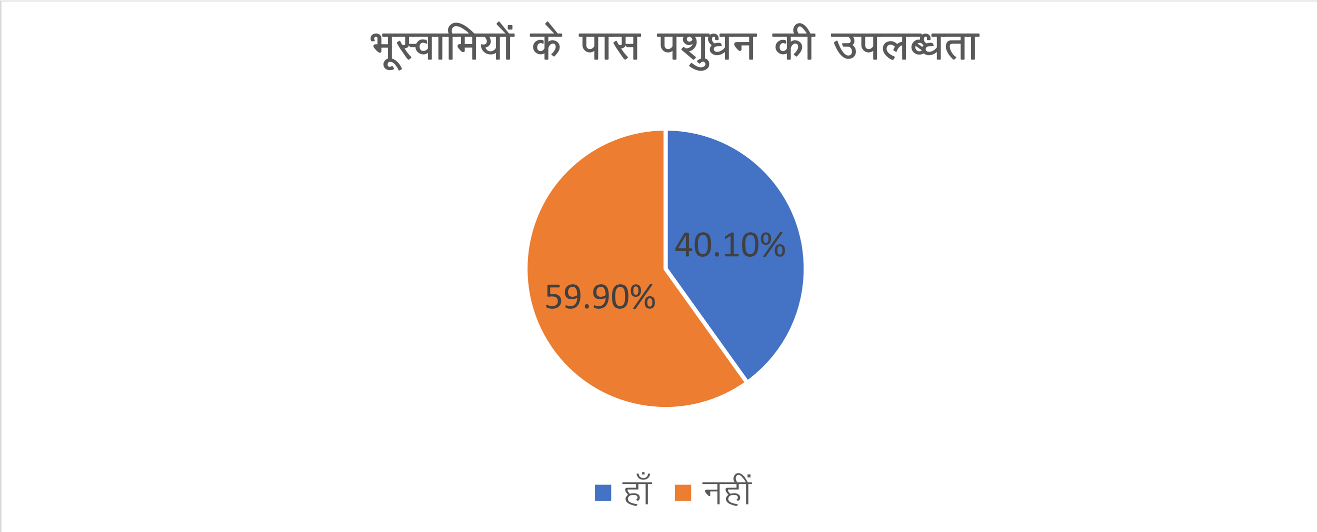

5.6 सामाजिक स्थिति :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों की सामाजिक स्थिति का विवरण निम्न प्रस्तरों में प्रस्तुत है।

5.6.1 मकान का प्रकार :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का मकान के प्रकार का विवरण तालिका 5.10 में दिया गया है। स्पष्ट है कि 43.86 प्रतिशत का एक तल पक्का मकान, 38.35 प्रतिशत का बहुमंजिल पक्का मकान, 12.53 प्रतिशत का मिश्रित मकान तथा 5.26 प्रतिशत का कच्चा मकान है। ग्रामवार मकान का विवरण तालिका में दिया गया हैं।

तालिका : 5.10

मकान के प्रकार के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

कम सं0	ग्राम का नाम	बहुमंजिल पक्का मकान	पक्का	कच्चा	मिश्रित	योग
1	रछियालू	20 (26.67)	34 (45.33)	6(8.00)	15 (20.00)	75(100.0)
2	भड़ोत	0	5 (100.0)	0		5 (100.0)
3	क्योड़ी	27 (69.23)	9 (23.08)	1 (2.56)	2 (5.13)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	9 (32.14)	13 (46.43)	0	6 (21.43)	28 (100.0)
5	भेडी	1 (6.67)	9 (60.00)	2 (13.33)	3 (20.00)	15(100.0)
6	ढुगियारी खास	10 (58.82)	6 (35.29)	0	1 (5.88)	17 (100.0)
7	सनौर	20 (37.04)	28 (51.85)	3 (5.56)	3 (5.56)	54 (100.0)
8	बल्ला	15 (24.59)	32 (52.46)	6 (9.84)	8 (13.11)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	3 (25.00)	3 (25.00)	1 (8.33)	5 (41.67)	12 (100.0)

10	मुंगरेहाड	11 (39.28)	11 (39.28)	1 (3.57)	5 (17.86)	28 (100.0)
11	बाग	5 (62.50)	3 (37.50)	0	0	8 (100.0)
12	गगल खास	32 (56.14)	22 (38.59)	1 (1.75)	2 (3.51)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0
	योग	153 (38.35)	175 (43.86)	21 (5.26)	50 (12.53)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

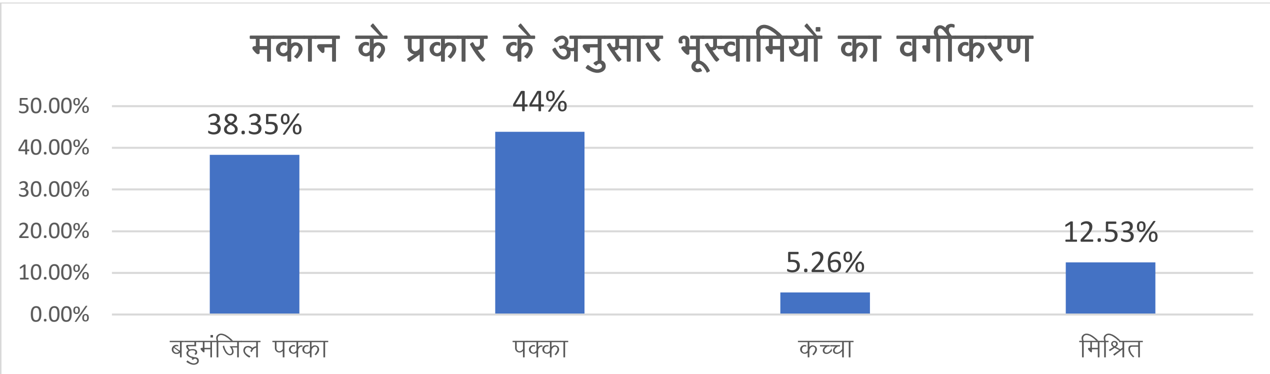

5.6.2 विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता :

प्रभावित भूस्वामियों के घरों में विद्युत कनेक्शन का विवरण तालिका 5.11 में दिया गया है। साक्षात्कार किये गये सभी भूस्वामियों के पास विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है।

तालिका : 5.11

विद्युत की उपलब्धता

क्रम सं0	ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	योग
1	रछियालू	75(100.0)	0	75(100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	क्योड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15(100.0)	0	15(100.0)
6	ढुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)

11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

5.6.3 पेयजल स्रोत :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों के पेयजल के स्रोत का विवरण तालिका 5.12 में दिया गया है। स्पष्ट है कि शतप्रतिशत प्रभावित भूस्वामियो का पेयजल स्रोत पाइप लाइन द्वारा है।

तालिका : 5. 12

पेयजल के स्रोतों के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्र0 सं0	प्रभावित ग्रामों के नाम	पाइप लाइन	इण्डिया मार्क ।। हैण्डपम्प	योग
1	रछियालू	75(100.0)	0	75(100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	क्योिड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15(100.0)	0	15(100.0)
6	ढुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

5.6.4 शौचालय की उपलब्धता :

साक्षात्कार कृत भूस्वामियों के घरों में शौचालय की उपलब्धता का ग्रामवार विवरण तालिका 5.13 में दिया गया है। स्पष्ट है कि शत प्रतिशत भूस्वामियों के यहां शौचालय निर्मित हैं।

तालिका : 5.13

कृषक के परिवार हेतु शौचालय की व्यवस्था

क्रम सं0	ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	योग
1	रछियालू	75(100.0)	0	75(100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	क्योिड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15(100.0)	0	15(100.0)
6	ढुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

5.6.5 रसोई की उपलब्धता :

प्रभावित भूस्वामियों के घरों में अलग से रसोई की उपलब्धता का ग्रामवार विवरण तालिका 5.14 में दिया गया है। स्पष्ट है कि कुल साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से केवल 87.97 प्रतिशत के घरों में अलग से रसोई उपलब्ध हैं शेष 12.03 प्रतिशत के घरों में अलग से रसोई उपलब्ध नही हैं।

तालिका : 5.14

भूस्वामियों के वर्गीकरण रसोई की उपलब्धता के अनुसार

क्रम सं0	ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	योग
1	रछियालू	64 (85.33)	11 (14.6700)	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	क्योिड़ी	33 (84.62)	6 (15.38)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	24 (85.71)	4 (14.29)	28 (100.0)
5	भेडी	15 (100.0)	0	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	15 88.24)	2 (11.76)	17 (100.0)
7	सनौर	48 (88.89)	6 (11.11)	54 (100.0)

8	बल्ला	54 (88.52)	7 (11.48)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	10 (83.33)	2 (16.67)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	23 (82.14)	5 (17.86)	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	52 (91.23)	5 (8.77)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	351 (87.97)	48 (12.03)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

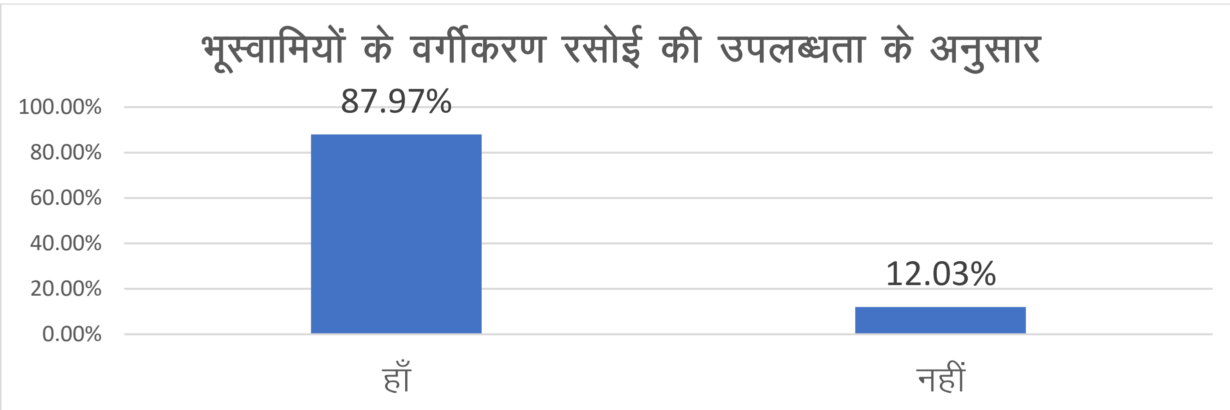

5.7 आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली सुविधाओं की नियमितता :

तालिका 5.16 में आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली सुविधाओं की नियमितता को प्रदर्शित किया गया है। आँकड़ें बताते हैं कि उपरोक्त सुविधाओं की नियमितता शतप्रतिशत है।

तालिका : 5.16

आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली सुविधाओं की नियमितता

क्रम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	योग
1	रछियालू	75 (100.0)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	क्योड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15 (100.0)	0	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)

12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

5.8 चिकित्सकीय सुविधा :

प्रभावित भूस्वामियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की चिकित्सा हेतु तय की जाने वाली दूरी का विवरण तालिका 5.17 में दिया गया है। तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि चिकित्सा हेतु शतप्रतिशत भूस्वामियों को 0 से 5 कि.मी. तक दूरी तय करनी पड़ती है।

तालिका–5.17

भूस्वामियों के परिवार के सदस्यों द्वारा चिकित्सा हेतु तय की जाने वाली दूरी

क्र0 सं0	प्रभावित ग्रामों के नाम	5 किमी की दूरीतक	5 किमी से अधिक की दूरी	योग
1	रछियालू	75 (100.0)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	क्योिड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15 (100.0)	0	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्त्रोतः प्राथमिक आकड़े

5.9 विभिन्न उत्सवों में भागीदारी :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों के परिवारों के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्सवों/आयोजनों में भाग लेने का विवरण तालिका 5.18 में दिया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि कुल भूस्वामियों में से 30.83 से 47.37 प्रतिशत द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय पर्वो/आयोजनों, धार्मिक मेलों, धार्मिक आयोजनो एवं राजनैतिक आयोजनो में अधिक सहभागिता तथा 45.36 से 65.41 प्रतिशत द्वारा सामान्य सहभागिता का स्तर रहता है। जबकि 3.76 से 14. 29 प्रतिशत द्वारा बहुत अधिक सहभागिता का स्तर रहता है।

तालिका : 5.18

ग्राम में मनाये जाने वाले उत्सवों/मेलों में सहभागिता का स्तर

क्रम सं0	विवरण	सहभागिता का स्तर			
		बहुत अधिक	अधिक	सामान्य	संख्या
1	धार्मिक आयोजन	15 (3.76)	123 (30.83)	261 (65.41)	399(100)
2	धार्मिक मेले	23 (5.76)	135 (33.84)	241 (60.40)	399(100)
3	सामाजिकउत्सव	57 (14.29)	156 (39.10)	186 (46.62)	399(100)
4	आर्थिक आयोजन	45 (11.28)	131 (32.83)	223 (55.89)	399(100)
5	राजनैतिक आयोजन	26 (6.52)	156 (39.10)	217 (54.39)	399(100)
6	राष्ट्रीय पर्व	29 (7.27)	189 (47.37)	181 (45.36)	399(100)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

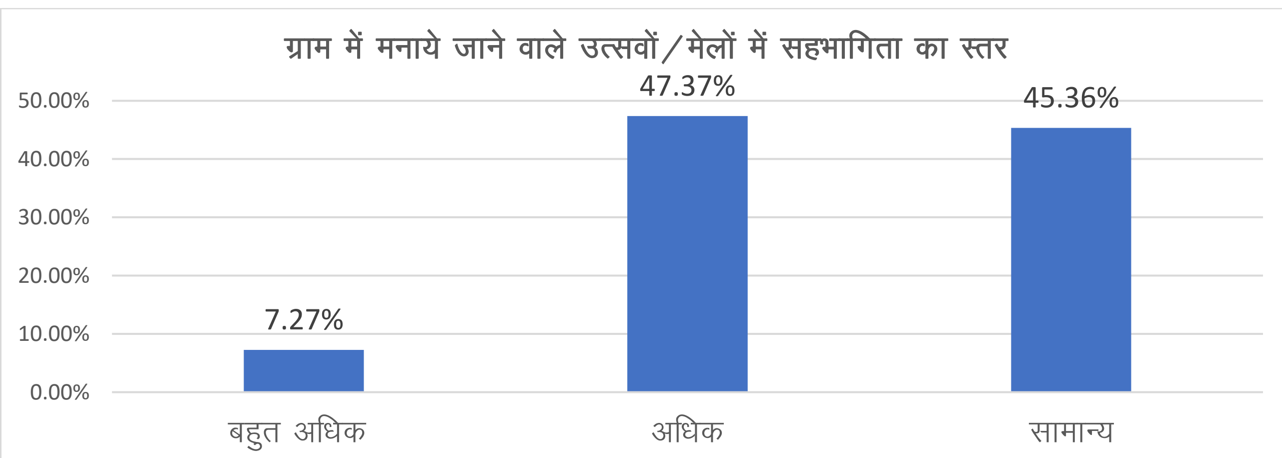

5.10 गाँव के पास/मध्य में हवाई अड्डे के विस्तार के संबंध में जानकारी :

तालिका 5.19 में गाँव के पास/मध्य में हवाई अड्डे के विस्तार के सम्बन्ध में जानकारी को दर्शाया गया है। प्रभावित सभी भूस्वामियों को इस सम्बन्ध में जानकारी शत–प्रतिशत पायी गयी।

तालिका : 5.19

गाँव के पास/मध्य में हवाई अड्डे के विस्तार के संबंध में जानकारी

कम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	हाँ	नही	योग
1	रछियालू	75 (100.0)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	क्योड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15 (100.0)	0	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

5.11 अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल :

प्रभावित भूस्वामियों की हवाई अड्डे विस्तार हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल का विवरण तालिका 5.20 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि 82.21 प्रतिशत भूस्वामियों की 0.20 हे0 तक, 14.79 प्रतिशत की 0.21 से 0.40 हे0 तक तथा 3.01 प्रतिशत की 0.40 हे0 से अधिक की भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका : 5.20
परियोजना के अन्तर्गत भूस्वामी की अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल

क्रम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	0.20 हे0 तक	0.21से 0.40 हे0	0.40 हे0 से अधिक	कुल कृषक
1	रछियालू	56 (74.67)	14 (18.67)	5 (6.67)	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	0	5 (100.0)
3	क्योड़ी	33 (84.62)	6 (15.38)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	25 (89.29)	3 (10.71)	0	28 (100.0)
5	भेडी	13 (86.67)	2 (13.33)	0	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	14 (82.35)	3 (17.65)	0	17 (100.0)
7	सनौर	46 (85.19)	6 (11.11)	2 (3.70)	54 (100.0)
8	बल्ला	52 (85.25)	7 (11.48)	2 (3.28)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	10 (83.33)	2 (16.67)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	21 (75.00)	6 (21.43)	1 (3.57)	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	0	8 (100.0)
12	गगल खास	45 (78.95)	10 (17.54)	2 (3.51)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	328 (82.21)	59 (14.79)	12 (3.01)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

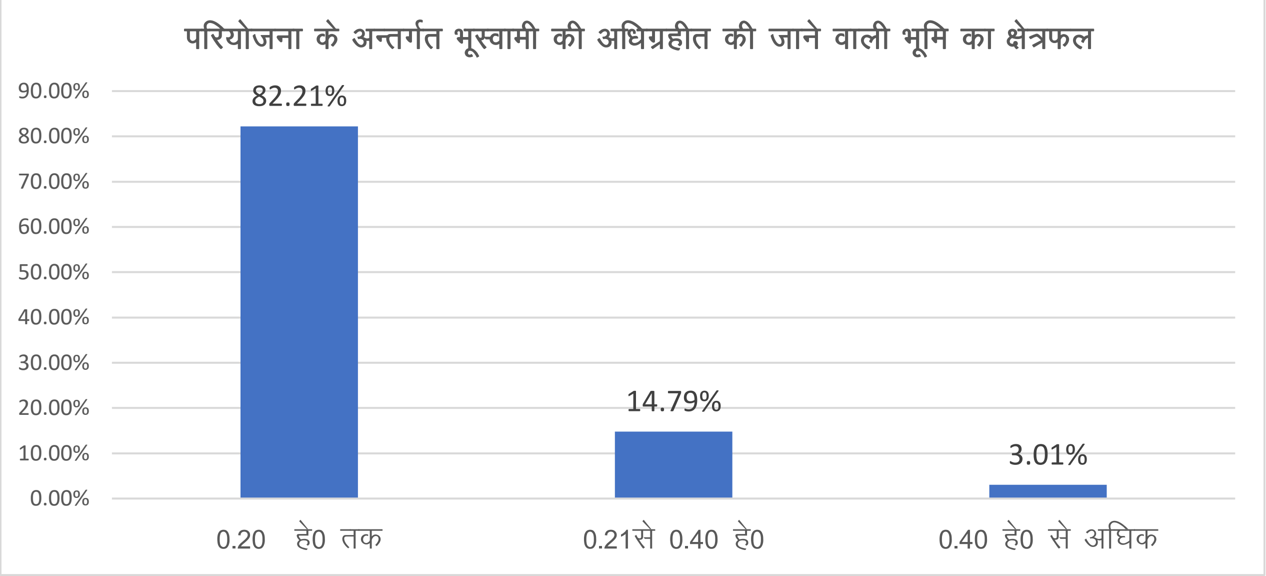

5.12 अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर बोयी जाने वाली फसलें :

अधिग्रहीत की जा रही भूमि में वर्तमान में बोई जाने वाली फसलों का बहुत्तरीय विवरण तालिका 5.21 में दिया गया है। स्पष्ट है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर 63.91 प्रतिशत द्वारा धान्य फसलें, 24.56 प्रतिशत द्वारा तिलहनी फसलें तथा 68.17 प्रतिशत द्वारा अन्य वाणिज्यिक (सब्जी) फसलें बोयी जा रहीं हैं।

तालिका : 5.21

अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर बोयी जाने वाली फसलें

(बहुत्तरीय)

क्रम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	धान्य फसलें	तिलहन	वाणिज्यिक फसलें (सब्जी)	कृषकों की संख्या
1	रछियालू	57 (76.00)	14 (18.67)	59 (78.67)	75 (100.0)
2	भड़ोत	4 (80.00)	2(40.00)	2(40.00)	5(100.0)
3	क्योड़ी	25 (64.10)	11(28.21)	21(53.84)	39(100.0)
4	जुगेहड़	12 (42.85)	5(17.85)	10(35.71)	28(100.0)
5	भेडी	6 (40.00)	4(26.67)	9(60.00)	15(100.0)
6	ढुगियारी खास	9(52.94)	5(29.41)	7(41.18)	17(100.0)
7	सनौर	34(62.96)	16(29.63)	44(81.48)	54(100.0)
8	बल्ला	57(93.44)	23(37.70)	52(85.25)	61(100.0)
9	सहौड़ा	8(66.67)	3(25.00)	7(58.33)	12(100.0)
10	मुंगरेहाड	24(85.71)	9(32.14)	16(57.14)	28(100.0)
11	बाग	4(50.00)	2(25.00)	8(100.0)	8(100.0)
12	गगल खास	15(26.32)	4(7.02)	37(64.91)	57(100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	255(63.91)	98(24.56)	272(68.17)	399(100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

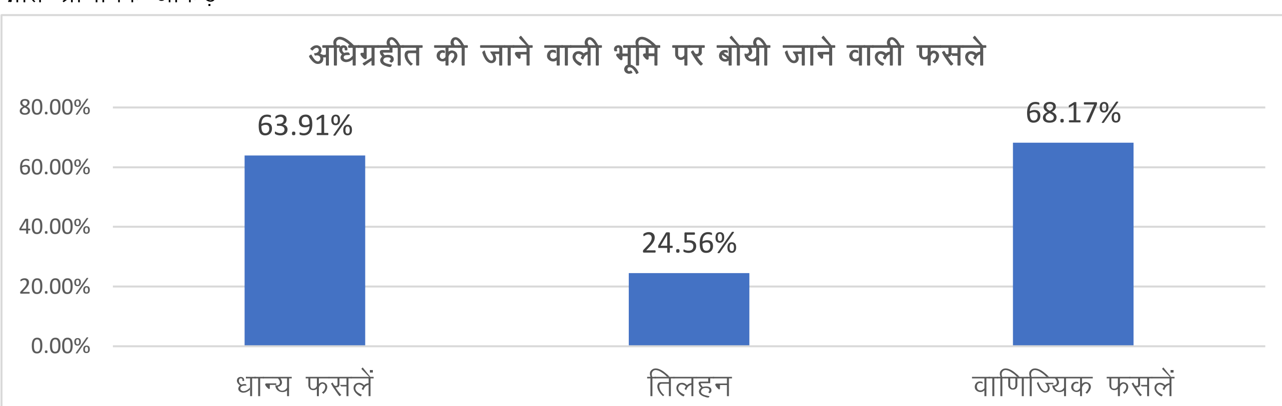

5.13 अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की श्रेणी :

अधिग्रहीत की जा रही भूमि के प्रकार का विवरण तालिका 5.22 में दिया गया है। स्पष्ट है कि 69.67 प्रतिशत की भूमि उपजाऊ, 32.58 प्रतिशत की भूमि बहुत उपजाऊ तथा 29.32 प्रतिशत की भूमि सामान्य श्रेणी की है। ग्रामवार विवरण तालिका में दिया है।

तालिका : 5.22

अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की श्रेणी

(बहुत्तरीय)

क्रम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	बहुत उपजाऊ	उपजाऊ	सामान्य	योग
1	रछियालू	21 (28.00)	63 (84.00)	25 (33.33)	75 (100.0)
2	भड़ोत	1 (20.00)	3 (60.00)	3 (60.00)	5 (100.0)
3	क्योड़ी	12 (30.77)	21 (53.85)	16 (41.03)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	8 (28.57)	21 (75.00)	9 (32.14)	28 (100.0)
5	भेडी	2 (13.33)	13 (86.67)	5 (33.33)	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	5 (29.41)	11 (64.71)	4 (23.53)	17 (100.0)
7	सनौर	14 (25.92)	38 (70.37)	19 (35.19)	54 (100.0)
8	बल्ला	29 (47.54)	35 (57.38)	11 (18.03)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	5 (41.67)	6 (50.00)	3 (25.00)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	9 (32.14)	15 (53.57)	7 (25.00)	28 (100.0)
11	बाग	3 (37.50)	6 (75.00)	2 (25.00)	8 (100.0)
12	गगल खास	21 (36.84)	46 (80.70)	13 (22.81)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	130 (32.58)	278 (69.67)	117 (29.32)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

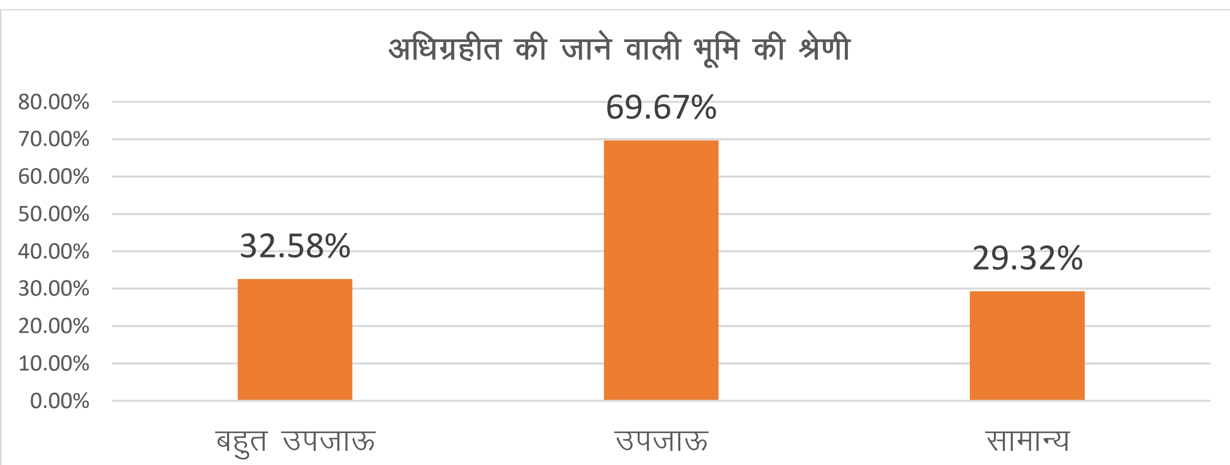

5.14 अधिग्रहीत होने वाली भूमि से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय :

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि में फसलोत्पादन से होने वाली वार्षिक आय का विवरण तालिका 5.23 में दिया गया है। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 73.43 प्रतिशत का आय पचास हजार से कम, 20.30 प्रतिशत का एक लाख से 1.5 लाख तक, 5.76 प्रतिशत का 1.5 लाख सें 3 लाख तक तथा 0.50 प्रतिशत का 3 लाख से अधिक का आय है।

तालिका : 5.23

अधिग्रहीत होने वाली भूमि से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय

कम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	पचास हजार से कम	एक लाख से 1. 5 लाख तक कम	1.5 लाख से तीन लाख तक	तीन लाख से अधिक	योग
1	रछियालू	51 (68.00)	18 (24.00)	6 (8.00)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	0	0	5 (100.0)
3	क्योड़ी	35 (89.74)	4 (10.26)	0	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	22 (78.57)	6 (21.43)	0	0	28 (100.0)
5	भेडी	13 (86.67)	2 (13.33)	0	0	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	12 (70.59)	3 (17.65)	2 (11.77)	0	17 (100.0)
7	सनौर	42 (77.78)	8 (14.82)	4 (7.41)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	49 (80.33)	9 (14.75)	3 (4.92)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	10 (83.33)	2 (16.67)	0	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	19 (67.86)	7 (25.00)	2 (7.14)	0	28 (100.0)
11	बाग	6 (75.00)	2 (25.00)	0	0	8 (100.0)
12	गगल खास	29 (50.88)	20 (35.09)	6 (10.53)	2 (3.51)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0
	योग	293 (73.43)	81 (20.30)	23 (5.76)	2 (0.50)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

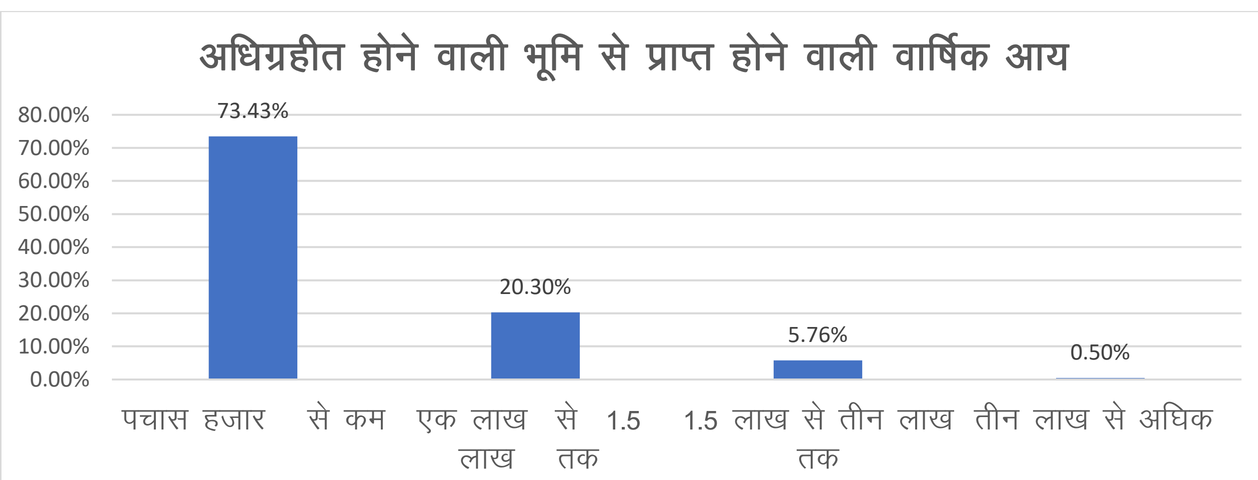

5.15 हवाई अड्डे परियोजना के विस्तार के बारे में राय :

हवाई अड्डे परियोजना के विस्तार के बारे में भूस्वामियों की राय का विवरण तालिका 5.24 में दिया गया है। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 26.82 प्रतिशत भूस्वामियों ने अच्छा, 39.35 प्रतिशत भूस्वामियों ने खराब तथा 33.83 प्रतिशत भूस्वामियों ने कह नहीं सकते हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में अपनी राय बताई।

तालिका : 5.24

हवाई अड्डे परियोजना के विस्तार के बारे में राय

कम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	अच्छा	खराब	क्ह नही सकते	योग
1	रछियालू	20 (26.67)	34 (45.33)	21 (28.00)	75 (100.0)
2	भड़ोत	4 (80.00)	1 (20.00)	0	5 (100.0)
3	क्योड़ी	4 (10.26)	17 (43.59)	18 (46.15)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	10 (35.71)	12 (42.86)	6 (21.43)	28 (100.0)
5	भेडी	9 (60.00)	2 (13.33)	4 (26.67)	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	6 (35.29)	3 (17.65)	8 (47.06)	17 (100.0)
7	सनौर	10 (18.52)	34 (62.96)	10 (18.52)	54 (100.0)
8	बल्ला	6 (9.84)	22 (36.07)	33 (54.10)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	0	11 (91.67)	1 (8.33)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	6 (21.43)	5 (17.86)	17 (60.72)	28 (100.0)
11	बाग	0	7 (87.50)	1 (12.50)	8 (100.0)
12	गगल खास	32 (56.14)	9 (15.79)	16 (28.08)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	107 (26.82)	157 (39.35)	135 (33.83)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

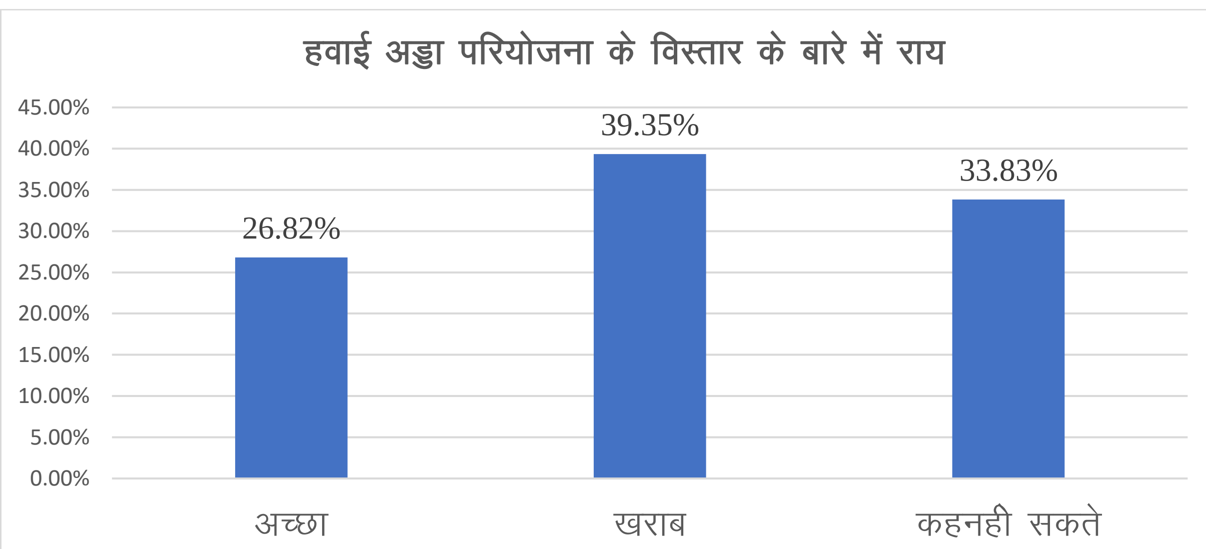

5.16 भूमि अधिग्रहित करने की सहमति :

हवाई अड्डे परियोजना के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहित करने की सहमति का विवरण तालिका 5.25 में दिया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 52.63 प्रतिशत भूस्वामियों ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि देने में सहमति जताई जबकि 32.33 प्रतिशत भूस्वामियों ने भूमि देने में असहमति जताई तथा 15.04 प्रतिशत भूस्वामियों ने भूमि देने के लिए कह नहीं सकते का जबाब दिया।

तालिका : 5.25

परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित करने की सहमति है

क्रम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	हाँ	नही	कहनही सकते	योग
1	रछियालू	31 (41.33)	32 (42.67)	12 (16.00)	75 (100.0)
2	भड़ोत	4 (80.00)	1 (20.00)	0	5 (100.0)
3	क्योड़ी	16 (41.03)	16 (41.03)	7 (17.95)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	16 (57.14)	10 (35.71)	2 (7.14)	28 (100.0)
5	भेडी	11 (73.33)	1 6.67	3 (20.00)	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	9 (52.94)	0	8 (47.06)	17 (100.0)
7	सनौर	23 (42.59)	25 (46.30)	6 (11.11)	54 (100.0)
8	बल्ला	29 (47.54)	22 (36.07)	10 (16.39)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	2 (16.67)	9 (75.00)	1 (8.33)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	16 (57.14)	5 (17.86)	7 (25.00)	28 (100.0)
11	बाग	2 (25.00)	5 (62.50)	1 (12.50)	8 (100.0)
12	गगल खास	51 (89.47)	3 (5.26)	3 (5.26)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	210 (52.63)	129 (32.33)	60 (15.04)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़े

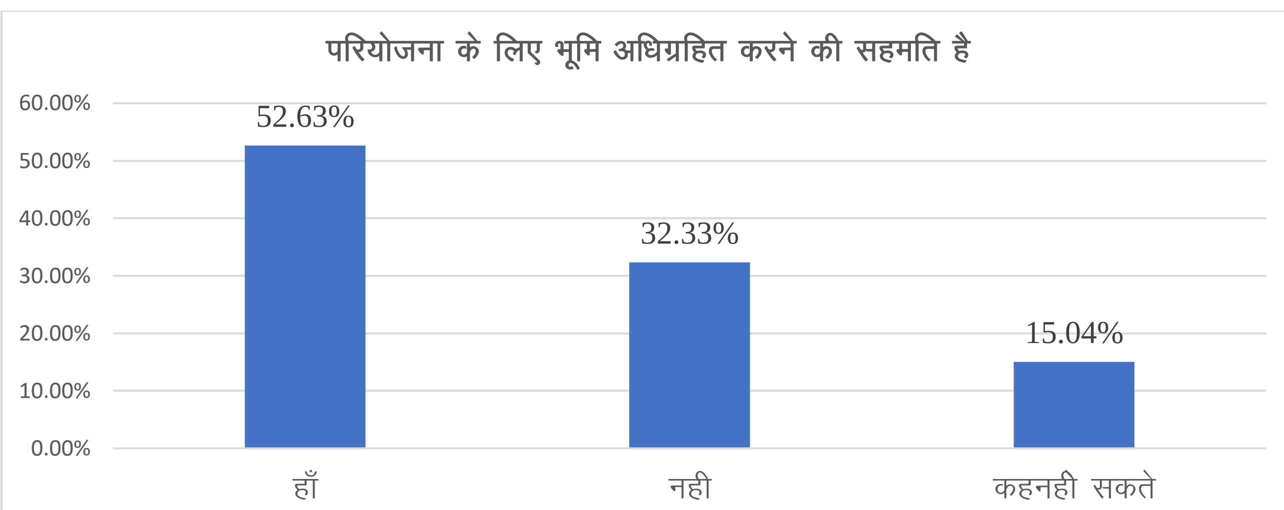

5.17 भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली सम्पत्ति :

हवाई अड्डे परियोजना के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहित से प्रभावित सम्पत्तियों का विवरण तालिका 5.26 में दिया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 45.36 प्रतिशत भूस्वामियों के भूमि पर आवास, 16.04 प्रतिशत भूस्वामियों के भूमि पर व्यवसाय के साथ शत प्रतिशत भूस्वामियों के कृषि भूमि भी अधिग्रहण प्रभावित हैं।

तालिका : 5.26

भूमि अधिग्रहन से प्रभावित होने वाली सम्पत्ति

(बहुत्तरीय)

क्रम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	आवास	व्यवसाय	कृषि भूमि	योग
1	रछियालू	34 (45.33)	8 (10.67)	75 (100.0)	75 (100.0)
2	भड़ोत	0	0	5 (100.0)	5 (100.0)
3	क्योड़ी	18 (46.15)	0	39 (100.0)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	17 (60.71)	1 (3.57)	28 (100.0)	28 (100.0)
5	भेडी	13 (86.67)	0	15 (100.0)	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	5 (29.41)	4 (23.53)	17 (100.0)	17 (100.0)
7	सनौर	35 (64.81)	3 (5.56)	54 (100.0)	54 (100.0)
8	बल्ला	0	0	61 (100.0)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	3 (25.00)	0	12 (100.0)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	0	1 (3.57)	28 (100.0)	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	5 (62.50)	8 (100.0)	8 (100.0)
12	गगल खास	48 (84.21)	42 (73.68)	57 (100.0)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	181 (45.36)	64 (16.04)	399 (100.0)	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़े

(बहुत्तरीय)

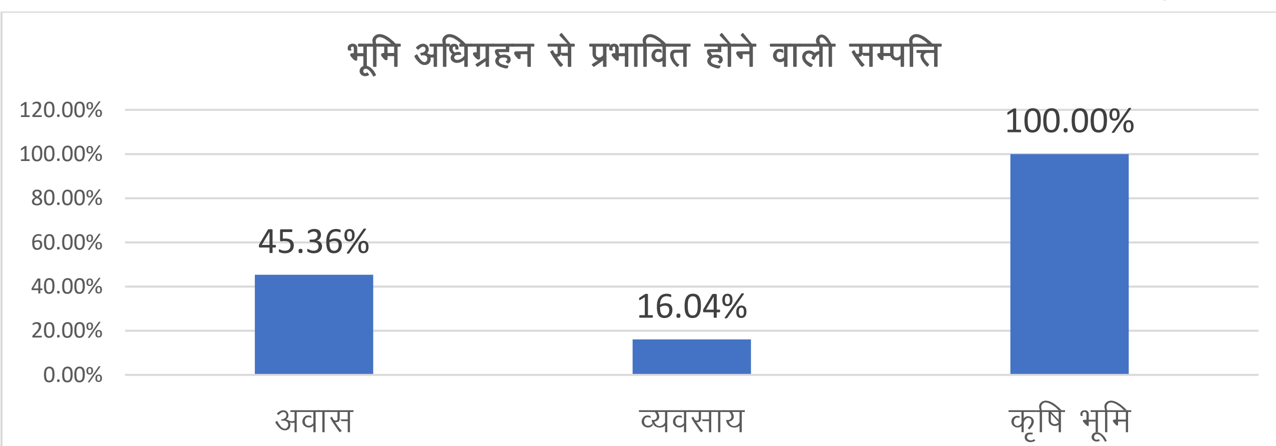

5.18 असहमति के कारण :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों द्वारा हवाई अड्डे परियोजना के विस्तार के लिए भूमि देने के असहमति के कारणों का बहुत्तरीय विवरण तालिका 5.27 में दिया गया है। स्पष्ट है कि शतप्रतिशत द्वारा सर्किल रेट बाजार मूल्य से कम होना, 61.40 प्रतिशत द्वारा भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना, 82.96 प्रतिशत द्वारा जिवकोपार्जन/व्यवसाय का नुकसान, 76.69 प्रतिशत द्वारा भूमि अत्यधिक मूल्यवान होना, 86.47 प्रतिशत द्वारा बेरोजगारी का भय, 60.40 प्रतिशत द्वारा ग्राम से पलायन, 35.34 प्रतिशत द्वारा भूमि से आवास के लिए अन्य भमि का न होना, 94.74 प्रतिशत द्वारा भूमि के कई अंशधारक का होना तथा 34.09 प्रतिशत द्वारा पुर्वजों का भूमि होना आदि का कारण बताये गये।

तालिका : 5.27
भूस्वामियों द्वारा परियोजना के लिए भूमि न देने के कारण

(बहुत्तरीय)

कम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	कुल संख्या
1	सर्किल रेट बाजार मूल्य से कम हैं	399 (100.0)
2	भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना	245 (61.40)
3	भूमि अत्यधिक मूल्यवान हैं	306 (76.69)
4	बेरोजगारी का भय	345 (86.47)
5	कई अंशधारको का होना	378 (94.74)
6	ग्राम से पलायन की समस्या	241 (60.40)
7	आवास के लिए अन्य भमि का न होना	141 (35.34)
8	जिवकोपार्जन/ व्यवसाय का नुकसान	331 (82.96)
9	भूमिहीन होने का भय	101 (25.31)
10	पुर्वजों का भूमि होने के कारण	136 (34.09)
	अघार	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

(बहुत्तरीय)

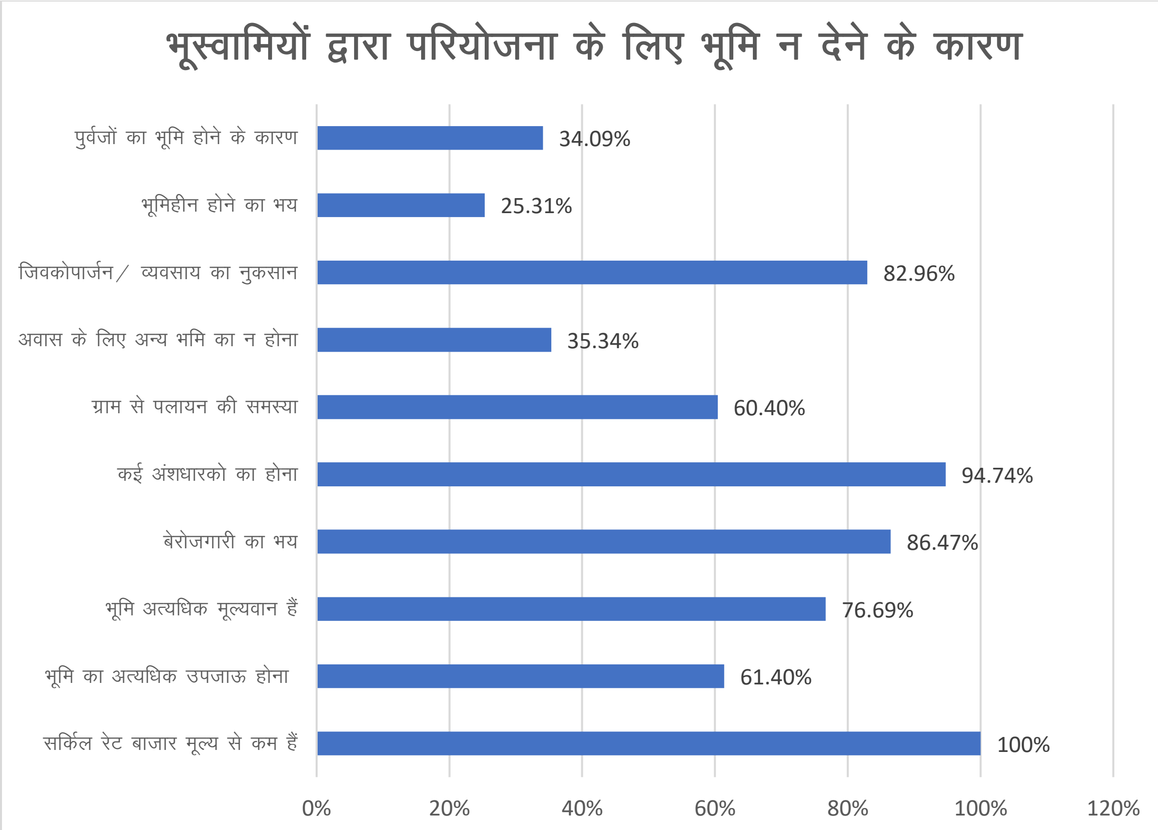

5.19 भूस्वामियों द्वारा बतायीं गई शर्तें जिन पर वे भूमि देने हेतु सहमत है :

प्रभावित भूस्वामियों से यह भी जानकारी प्राप्त की गयी थी कि उनके द्वारा किन शर्तों पर भूमि देने हेतु सहमत होंगे। जिसका बहुत्तरीय विवरण तालिका 5.28 में प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में शतप्रतिशत द्वारा सर्किल रेट बाजार मूल्य के बराबर होने पर, 80.70 प्रतिशत द्वारा भूमि अधिग्रहण के बराबर और गुणवत्ता की भूमि किसी अन्यत्र स्थान पर दी जाय, 49.62 प्रतिशत द्वारा सरकारी अथवा अर्ध–सरकारी विभाग में नौकरी, 30.83 प्रतिशत द्वारा वैकल्पिक रोजगार प्रारम्भ करने हेतु भौतिक/वित्तीय सहायता दी जाय, 43.86 प्रतिशत द्वारा विस्थापन के समस्या के निवारण के बाद, 77.94 प्रतिशत द्वारा क्षतिपूर्ति समय से मिलने पर तथा 30.83 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय के लिए भूमि का आवंटन एवं वित्तीय सहयोग के उपरांत के बाद आदि शर्तें बतायी गयीं।

तालिका–5.28
भूस्वामियों द्वारा बतायी गई शर्तें जिन पर वे भूमि देने हेतु सहमत हैं

(बहुत्तरीय)

क्रम सं0	विवरण	कुल संख्या
1	सर्किल रेट बाजार मूल्य के बराबर होने पर	399 (100.0)
2	भूमि अधिग्रहण के बराबर और गुणवत्ता की भूमि किसी अन्यत्र स्थान पर दी जाय	322 (80.70)
3	सरकारी/अर्द्धसरकारी नौकरी दी जाय	198 (49.62)
4	वैकल्पिक रोजगार प्रारम्भ करने हेतु भौतिक/वित्तीय सहायता दी जाय	123 (30.83)
5	विस्थापन के समस्या के निवारण के बाद	175 (43.86)
6	व्यवसाय के लिए भूमि का आवंटन एवं वित्तीय सहयोग के उपरांत	123 (30.83)
7	क्षतिपूर्ति समय से मिलने पर	311 (77.94)
अघार		399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

(बहुत्तरीय)

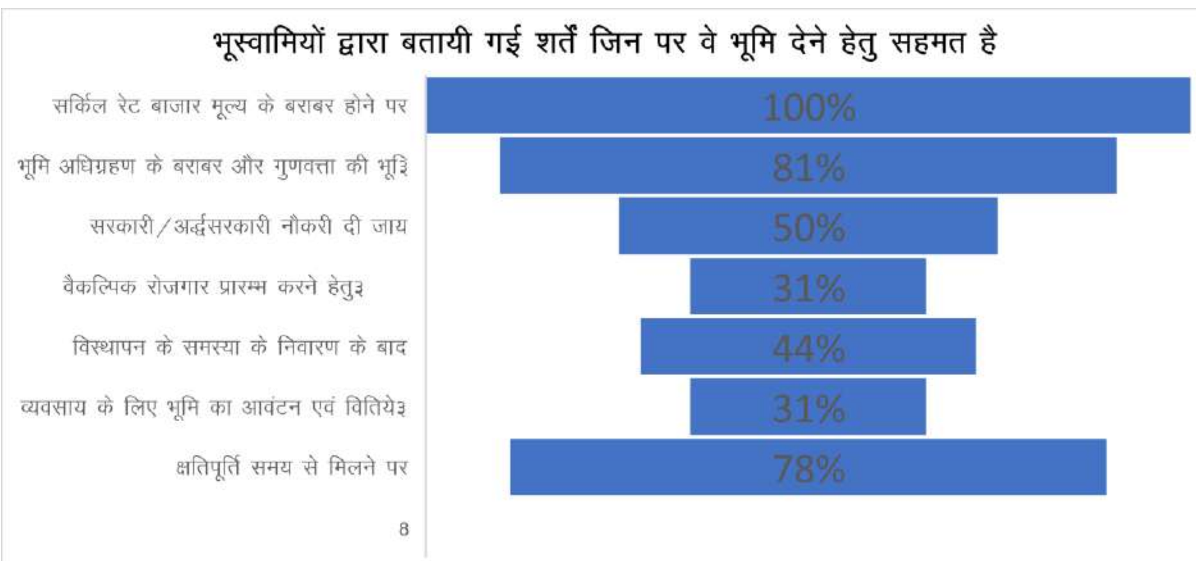

5.20 परियोजना से प्रतिकूल प्रभाव :

साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों के अनुसार हवाई अड्डे के विस्तार से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के विषय पर चर्चा की गयी जिसका बहुत्तरीय विवरण तालिका 5.29 में दिया गया है। इस सम्बन्ध में शतप्रतिशत द्वारा कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी, 86.47 प्रतिशत द्वारा सब्जी उत्पादन में कमी एवं किसानो को अपने खेत में जाने मे समस्या, 89.22 प्रतिशत द्वारा प्रदूषण में वृद्वि,

64.41 प्रतिशत ग्राम से पलायन की समस्या, 38.60 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय समाप्त होने कि संभावना तथा 35.34 प्रतिशत कृषकों द्वारा कोई विशेष कुप्रभाव न होने की बात कही है।

तालिका : 5.29

हवाई अड्डे के विस्तार से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव

(बहुउत्तरीय)

कम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या
1	कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी	399 (100.0)
2	सब्जी उत्पादन में कमी	345 (86.47)
3	सिचाई के साधनों में बाधा उत्पन्न होने कि संभावना	244 (61.15)
4	किसानों को खेतों को आन–जाने मे कठिनाईयां	345 (86.47)
5	ग्राम से पलायन की समस्या	257 (64.41)
6	व्यवसाय समाप्त होने कि संभावना	154 (38.60)
7	प्रदूषण में वृद्धि	356 (89.22)
8	आवास कि समस्या	121 (30.33)
9	कोई विशेष प्रभाव नहीं	141 (35.34)
	अघार	399 (100.0)

स्रोतः प्राथमिक आंकड़ें

(बहुउत्तरीय)

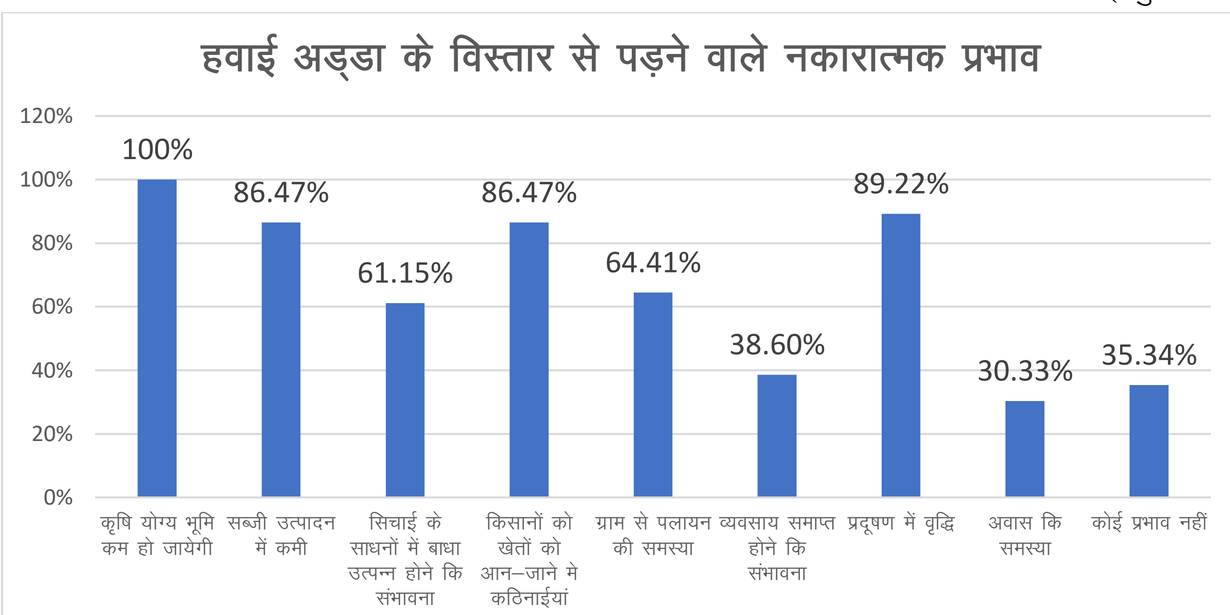

5.22 हवाई अड्डे से लाभ :

साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों के अनुसार हवाई अड्डे के विस्तार से होने वाले लाभ का विवरण तालिका 5.30 में दिया गया है इस सम्बन्ध में शत प्रतिशत द्वारा क्षेत्र का तीव्र विकास

होगा, पर्यटन में वृद्वि होगी एवं अन्य जमीनों की मूल्य में वृद्धि होगी, 94.49 प्रतिशत द्वारा आवागमन सुविधा में वृद्वि होना, 89.22 प्रतिशत द्वारा रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंना, 96.99 प्रतिशत द्वारा यात्रा में समय की बचत, 97.99 प्रतिशत भूस्वामियों द्वारा स्वरोजगार के साधनों में वृद्धि, 38.60 प्रतिशत द्वारा गाँव से शहर में पलायन कम होगा, 73.93 प्रतिशत द्वारा रहन सहन में सुधार होगा तथा 36.84 प्रतिशत द्वारा सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोगी होना आदि लाभ बताये है।

तालिका– 5.30
हवाई अड्डे के विस्तार से होने वाले लाभ

(बहुत्तरीय)

कम सं0	प्रभावित ग्राम का नाम	संख्या
1	क्षेत्र का तीव्र विकास होगा	399 (100.0)
2	अन्य जमीनों की मूल्य में वृद्धि होगी	399 (100.0)
3	आवागमन सुविधाजनक	377 (94.49)
4	स्वरोजगार के साधनों में वृद्धि	391 (97.99)
5	यात्रा में समय की बचत	387 (96.99)
6	गाँव से शहर में पलायन कम होगा	154 (38.60)
7	पर्यटन में वृद्वि होगी	399 (100.0)
8	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा	154 (38.60)
9	शिक्षा सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा	142 (35.59)
10	रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे	356 (89.22)
11	ग्रामीणों के रहन सहन में सुधार होगा	295 (73.93)
12	सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं	147 (36.84)

स्रोत : प्राथमिक आंकडे

(बहुउत्तरीय)

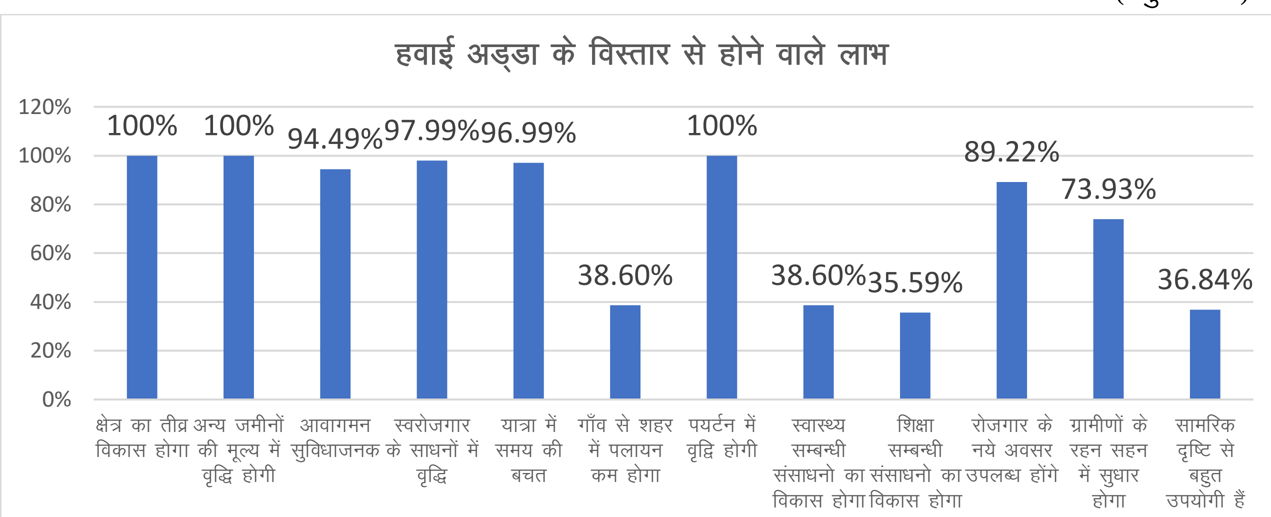

अध्याय–छ

सामूहिक विचार विमर्श

यह अध्याय जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के कांगड़ा और शाहपुर तहसील के प्रभावित सभी 14 ग्राम (गगल खास, सन्नौर, ढुगियारी खास, भेड़ी, बाग, बरसवालकड, झिकली इच्छी, मुंगरेहड, सौहाड़ा, बल्ला, जुगेहड़, क्योिड़ी, भड़ोत और रछियालू) के लोगो से एवं परियोजना प्रभावित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय के सदस्यों के साथ सामूहिक विचार विमर्श के दौरान प्रतिभागियों और उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी और आंकड़ा पर चर्चा प्रस्तुत करता है, जो प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित होने की संभावना है।

6.1 सामूहिक विचार विमर्श और परामर्श की आवश्यकता :

आघारभूत संरचना और विकास परियोजनायें जो प्रभावित परिवारों की आजीविका, पशुधन, रोजगार, सार्वजनिक और सामुदायिक परिसम्पत्तियो, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जल–निकासी, स्वच्छता, पेयजल स्त्रोत, पशुओं के लिए जल स्त्रोत, सामुदायिक जलाशय, चरागाह, बाग, सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे डाकधर, उचित मूल्य की दुकानों, अन्न भंडारण गोदामों, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं,स्कूल (विद्यालय) सुविधाओं, आंगनबाड़ी, पार्क, पूजा–स्थलों और दाह संस्कार स्थल को प्रभावित करती हैं। यह नीति निर्माताओं को पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) अधिनियम के अनुसार निष्पादन पर पर्याप्त और सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत ढांचा प्रदान करती हैं। सामूहिक विचार विमर्श परियोजना के लिए समावेशी और स्थानीय समुदाय और सामाजिक पारिस्थितिकी के प्रति उत्तरदायी होने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह परस्पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण चिंताओं पर चर्चा करने और उन्हें संबोधित करने के लिए सभी हितधारकों, नीति–निर्माण निकायों और कई एजेंसियों को एक साथ लाता है। यह विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से प्रभावित समुदायों को शामिल करने का एक माध्यम है, जो उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित मुद्दों और गतिविधियों के बारे में अपनी राय, चिंताओं और आशंकाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, इस प्रकार उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह न केवल कुछ भावात्मक प्रभाव और प्रभावी योजना की पहचानने की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि यह सूचनाओं के संचार, उनके भय को कम करने और समुदायों के साथ तालमेल के विकास में भी सहायता प्रदान करता है, जो कि इस तरह के सुचारू परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्वोपरि है। परियोजना से प्रभावित लोगों की भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य खुले संवाद के माध्यम से कथित पर्यावरणीय परिणामों को कम करके सार्वजनिक जागरूकता और विकास गतिविधि या परियोजना की स्वीकृति कों बढ़ाना है।

6.2 सामूहिक विचार विमर्श – अनुसंधान और आंकड़ा संग्रह की प्रक्रिया :

एसआईए टीम ने सभी परियोजना प्रभवित गांवों मे परियोजना के संभावित प्रभाव के गुणात्मक विश्लेषण के लिए आंकड़ा संग्रह और समाज के कल्याण के लिए पुनर्वास और परियोजना के निष्पादन के बारे में भू–स्वामियों की राय / दृष्टिकोण जानने के लिए पीएपी के साथ सामूहिक विचार विमर्श और गहन साक्षात्कार आयोजित करने का प्रयास किया। जिससे उनके भूमि अधिग्रहण, आजीविका, रोजगार, सामाजिक संरचना, जीवन स्तर, मनोवैज्ञानिक कल्याण आदि से संबंधित कई प्रासंगिक मुद्दों के बारे में सशक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सके। प्रत्येक ग्राम में प्रभावित समुदाय के सदस्यों के साथ दिनांक 27 फरवरी से 10 मार्च 2023 के दौरान सामूहिक विचार विमर्श का आयोजन किया गया। प्रतिक्रिया देने वालों में अधिकांश परियोजना प्रभवित क्षेत्र के किसान, व्यवसायी आदि थे। सामूहिक विचार विमर्श में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या भी लगभग पुरूषो के बराबर थी। इसके अतरिक्त महिला एव पुरूषों का सामूहिक विचार विमर्श अलग– अलग करने का प्रयास किया गया। सामूहिक विचार विमर्श की शुरुआत में सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन और अध्ययन करने वाली एजेंसी के लक्ष्यों और विधियों का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया था। सामूहिक विचार विमर्श के दौरान, SIA टीम के सदस्यों की भूमिका मध्यस्था के रूप में थी।

सामूहिक विचार विमर्श (एफजीडी) का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना था, वे किस क्षेत्र में रहते हैं, उनके भूमि उपयोग की व्यवस्था, व्यवसाय एवं रोजगाार आदि के बारे में जानकारी एकत्र करना था। परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ एफजीडी का आयोजन उनके समुदाय की विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र के कमजोर लोगों के मौजूदा सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को समझने के लिए एवं समुदाय की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किया गया था। यह प्रक्रिया करने के लिए प्रभावित सभी ग्रामों में खसरावार प्रभवित पविारों द्वारा 27 फरवरी से 10 मार्च 2023 के बीच एफजीड करने का प्रयसा किया गया। परंतु गगल एवं झिकली इच्छी पंचायत के लोगो ने पुरी तरह से इस प्रयोजना का विरोध किये इस कारण इस पंचायत में एवं इनके पास के ग्राम में विचार विमर्श पूर्ण रूप से नहीं हो पाया।SDM और ADC द्वारा इन ग्राम पंचायतों में SIA के बारे में जनकारी देने के लिए दो से तीन बार बैठके कि गई फिर भी लोग SIA टिम को साक्षात्कार एवं विचार विमर्श के लिए तैयार नही हुए। हालांकि, अधिकांश पीएएफ ने प्रस्तावित कांगड़ा हवाईअड्डा परियोजना के बारे में अपनी असहमति व्यक्त की क्योकि इस परियोजना के विस्तार से उनके आवास एवं व्यवसाय पुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र के लोग इस परियोजना के विरोध मे है। इसलिए एसआईए टीम को सक्षात्कार नहीं दिये। उनका कहना हैं कि जब हमलोग इस परियोजना के विरोध में हैं तो फिर इस परियोजना के लाभ एवं हानि के बारे में क्यों बात करे। इसलिए लोगों ने एसआईए

टीम को सक्षात्कार एवं विचार विमर्श करने के लिए ग्राम के अन्दर जाने से माना /विरोध किया।

6.3 परियोजना प्रभवित तहसील शाहपुर के गांवों का सामूहिक विचार विमर्श :–(जुगेहड़, क्योड़ी, भड़ोत और रछियालू) :

परियोजना के विरोध के कारण एसआईए टीम गहण विचार विमर्श करने में असमर्थ थी। परंतु कुछ बिन्दुओं पर सामूहिक विचार विमर्श प्रभावित परिवार से किया गया हैं तहसील शाहपुर के प्रभावित चारों ग्राम के परिवार पिछले लगभग 15 वर्षो से हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना के बाते सुनकर परेशान हैं। विचार विमर्श के दौरान, उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे कांगड़ा हवाईअड्डा परियोजना के विस्तार के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और भूस्वामियों को अधिग्रहण के बारे में सूचित कर दिया गया है। चूंकि अधिकांश उत्तरदाताओं को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में पता था, इसलिए सामाजिक प्रभाव आकलन टीम ने उत्तरदाताओं को प्रस्तावित परियोजना की पृष्ठभूमि और सरकार की पहल के बारे में जानकारी देने में कोई समस्या नहीं हुई।

SIA टीम के सदस्यों के पास अर्ध–संरचित एवं खुले हऐ प्रश्न थे जिसके माध्यम से वरिष्ठ निवासियों/किसानों/परिवारों के प्रमुखों और समूह प्रतिभागियों के साथ विस्तृत चर्चा कि गई। प्रतिभागियों ने हवाईअड्डा विस्तार परियोजना के विस्तार के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बारे में अपनी राय और विचार साझा किए। उन्होंने एक दूसरे के उत्तरों पर अपने विचार और टिप्पणियाँ भी साझा कीं। सामूहिक विचार विमर्श में सभी आयु वर्गें के ग्रामीणों ने भाग लिया। विशेष रूप से महिलाओं ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया और हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

विचार विमर्श से ज्ञात हुआ कि ग्राम के लोग अपनी आवासीय भूमि के अलावा अन्य भुमि देने को तैयार हैं। ग्राम के अधिकांश प्रभावित लोग रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। विचार विमर्श से ज्ञात हुआ कि लोग हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना का जल्द समाधान चाहते हैं। जिन परिवारों का आवास हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित हो रहा और उनके पास भूमि आवास बनाने के लिए नहीं हैं उन परिवारों को लगभग 20 कि0मी0 के दायरे में जमिन का अवाटंन या आवास उपल्बध कराई जाए तो लोग अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं। प्रभावित लोगों का कहना हैं कि हवाई अड्डे के विस्तार से रोजगार प्रभावित होगा, इसलिए सरकार को विस्थापित /प्रभावित परिवारों के लिए उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना बनाना चाहिए, जिससे किसी को समाजिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि, देखी गई प्रमुख चिंता उनके कृषि भूमि, निवास स्थान और आजीविका के नुकसान और पारिस्थितिक पर्यावरण में परिवर्तन के लिए व्यापक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए उचित प्रतिकर के बारे में थी। परियोजना क्षेत्र के लोगों को सबसे बड़ी समस्या परियोजना के विस्तार में देरी से था। उनका कहना था

कि पिछले कई वर्षों से परियोजना विस्तार कि चर्चा सुनकर मानसिक परेशानी हो गई हैं। इससे हमारे बच्चों को शादि होंने में दिक्कतो का सम्मना करना पड़ रहा हैं। उनका कहना हैं कि परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए कोई सरकार के तरफ से विस्तृत योजना प्रस्तुत नही किया गया हैं। जिसके कारण प्रभावित परिवार अपने आवास, व्यापार एवं रोजगार के लेकर काफी चिंतित थे।

6.4 परियोजना प्रभावित तहसील कांगड़ा के गांवों का सामूहिक विचार विमर्श :–(गगल खास, सन्नौर, ढुगियारी खास, भेडी, बाग, बरसवालकड, झिकली इच्छी, मुंगरेहड, सौहाड़ा और बल्ला):

जैसा कि पूर्व में कहा गया हैं कि गगल एवं झिकली इच्छी पंचायत के प्रभावित ग्राम के लगभग 90 प्रतिशत लोग परियोजना के विरोध कर रहे हैं। परियोजना के विरोध के कारण एसआईए टीम गहण विचार विमर्श करने में असमर्थ थी। परंतु कुछ बिन्दुओं पर सामूहिक विचार विमर्श प्रभावित ग्रामों में प्रभावित परिवार के लोगों के साथ किया गया है प्रभावित क्षेत्र के परिवार पिछले लगभग 15 वर्षो से हवाई अड्डे के विस्तार के बाते सुनकर परेशान हैं। विचार विमर्श के दौरान, उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे कांगड़ा हवाईअड्डा परियोजना के विस्तार के बारे में जानते हैं परंतु भूस्वामियों को अधिग्रहण के बारे में पूर्ण जनकारी नहीं हैं क्योकि कई बार इस तरह का सर्वे हो चूका हैं, इसलिए लोगो का विशवास नहीं हैं। चूंकि अधिकांश उत्तरदाताओं को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के खिलाफ थे, इसलिए सामाजिक प्रभाव आकलन टीम को उत्तरदाताओं को प्रस्तावित परियोजना की पृष्ठभूमि और सरकार की पहल के बारे में जानकारी देने में समस्या हुई। क्योंकि लोगों का कहना था कि जब हम जमिन नहीं देना चाहते तो फिर बात क्यों करे। प्रभावित परिवार के अनुसार उनका आवास एवं व्यापार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा हैं और सरकार कोई उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना नहीं बनाया हैं इसलिए परियोजना का विरोध कर रहें हैं, क्योंकि इस परियोजना से उनका भविष्य अधंकारमय हो जायेगा। परंतु तहसील कांगड़ा के प्रभावित ग्राम सन्नौर, ढुगियारी खास, भेड़ी, मुंगरेहड, सौहाड़ा और बल्ला के कुछ लोगो ने एसआईए टीम के साथ संक्षिप्त विचार विमर्श में भाग लिए और अपनी समस्यों को टीम को अवगत कराये।

व्यक्तिगत भूस्वामियों पर प्रत्याशित परियोजना प्रभाव : प्रस्तावित परियोजना स्थल अधिकांश निजी भूमि और सरकारी भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। सरकारी भूमि विभिन्न गतिविधियों के लिए ग्राम सभा को दी गई है।

प्रस्तावित परियोजना स्थल के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि बाद में उस क्षेत्र के सामान्य संपत्ति संसाधनों को प्रभावित करेगी। हालांकि, परियोजना के लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच और आर्थिक गतिविधियों की उपलब्धता बेहतर होगी।

क. अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि उनका घर परियोजना स्थल के अंतर्गत आता है, उत्तरदाताओं का मानना था उनका आवास तब तक नहीं खंडित किया जाए जब तक उनके पास रहने के लिए कोई पक्का घर न हो जाए या जब तक कि आवास सुविधा के साथ किसी अन्य आवंटित भूमि क्षेत्र से प्रतिस्थापित न कर दिया जाए। हालांकि, भूमि विनिमय नहीं होने की स्थिति में ऐसे पीएपी पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ख. कुछ प्रभावित परिवार कई वर्ष पहले अन्य परियोजना से प्राावित होकर यहा पर अपना आवास बनाये थे। उन परिवारों को फिर विस्थापन का दर्द सता रहा हैं। इसलिए जिन लोगों का आवास प्रभावित हो रहा हैं, वे चाहते हैं कि उनके आवास के लिए भूमि का आवंटन किया जाय।

ग. अधिकांश प्रभावित (खासकर गगल खास, बरसवालकड और झिकली इच्छी ग्राम पंचायत) परियोजना का विरोध कर रहें हैं क्योंकि उनका व्यवसाय परियोजना स्थल के अंतर्गत आता है, जो पीएफ के अजीविका को प्रभावित करेगा, परियोजना के विस्तार से उनका व्यवसाय समाप्त होगा या पुनः चालू करने मे समय लगेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थित खराब होने कि संभावना हैं। हालांकि, कुछ उत्तरदाताओं का मानना था उनका व्यवसाय तब तक नहीं खंडित किया जाये जब तक कि व्यवसाय संचालित करने के लिए किसी अन्य आवंटित भूमि क्षेत्र से प्रतिस्थापित न कर दिया जाए। प्रभावित परिवार अपना पुनः व्यापार शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग चाहते हैं, उनका कहना था कि जब तक व्यापार पूर्व के स्थिति में न आ जाय तब तक उनके आय के अनुसार प्रतिमाह प्रतिकर मिलना चाहिए।

ध. प्रस्तावित परियोजना से पीएफ/परिवारों के बहुत अधिक प्रभावित होने की संभावना है, अधिकांश पीएफ अधिग्रहण के संरेखन के अन्तर्गत रहते हैं एवं रोजगार करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित कृषि भूमि के संबंध में भी आशंका व्यक्त की क्योंकि एक बड़ा हिस्सा (कुछ परिवारों के लिए, उनकी सम्पूर्ण भूमि) प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसे नष्ट होने और उसके लिए उचित प्रतिकर की आवश्यकता है।

ड. हालाँकि, उन्हें कुषि की भूमि और उससे प्राप्त होने वाले वार्षिक राजस्व को खोने की आशंका थी। इसलिए उनकी मांग थी कि नियमित राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिए अपने तहसील क्षेत्र में समान आकार (क्षेत्रफल) और गुणवत्ता वाली भूमि आवंटित की जानी चाहिए।

6.5 भूमि अधिग्रहण से पीएपी में रोजगार क्षमता, आय क्षमता, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक लोकाचार, पारिवारिक संरचना, मानसिक कल्याण और पारिस्थितिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा

अधिकांश ग्रामीणों ने कांगड़ा में हवाई अड्डे के विस्तार से कृषि क्षेत्र में सब्जी उत्पादन को नुकसान बताया, जिसके कारण ग्रामीण बेरोजगार होंगे क्योकि अधिकांश ग्रामीण कृषि कार्य में लगे हुए हैं और इसमें सबसे अधिक प्रभावित आबादी महिलाओं की है। चर्चा से यह भी ज्ञात

हुआ हवाई अड्डे के विस्तार से सब्जी उत्पादन का नुकसान होगा और यह उनकी कमाई क्षमता, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक लोकाचार, पारिवारिक संरचना, मानसिक कल्याण, पारिस्थितिक कल्याण को प्रभावित करेगी। ग्राम के लोग साल भर में लगभग तीन फसलें उगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इस परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में हरा सब्जी उत्पादन का नुकसान ह्रोगा, जिससे सामान्य तौर पर प्राकृतिक संसाधन का नुकसान होगा और जिससे कारण सब्जी के मुल्यों में वृद्धि होंगी।

1 भूमि अधिग्रहण का हम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और यह हमारे जीवन को काफी बदल देगा। हवाई अड्डे और कॉर्पोरेट क्षेत्र की स्थापना से सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारी और गाँव की पहचान मिट जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप हमारा सामाजिक जीवन के वीरान होने की सम्भवना हैं।

2 भूमि अधिग्रहण से ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, जिसका हमारे सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पारंपरिक रूप से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पंचायती राज संस्कृति की कार्यप्रणाली कमजोर होगी।'

3 किसी भी प्रकार का विकास क्षेत्र की स्थलाकृति को प्रभावित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप पेड़ों को हटाने और भूमि की खुदाई के कारण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होंगे।

4 सरकार को जमीन देने का मतलब है कि परिवार छिन्न–भिन्न हो जाएंगे क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के ग्राम में लौटने का कोई औचित्य नहीं होगा। भूमि अधिग्रहण के बाद आने वाली पीढ़ियां काम की तलाश में दूसरे शहरों में चली जाएंगी। इस प्रकार, परिवार के विघटन का प्रमुख कारण अधिग्रहण होगा।'

5. इसके परिणामस्वरूप, मनोवैज्ञानिक संकट बढ़ेगा, भविष्य की चिंताएँ उभरने लगेंगी, और पारिवारिक विवाद मौद्रिक क्षतिपूर्ति के साथ बढ़ेंगे। आने वाली पीढ़ियों के पास अधिक पैसा होगा, जिससे पारिवारिक मूल्यों के बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा और परियोजना प्रभवित क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा।

6. ग्रामवासियों के अनुसार परियोजना के विस्तार से कई ग्राम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

6.6 प्रभावित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि, व्यापार के अवसर, जमीन की कीमत, सार्वजनिक सुविधा, औपचारिक रोजगार उत्पादकता और जीवन स्तर में वृद्धि के संबंध में उनकी राय /धारणाओं पर चर्चा की गई :

1 परियोजना प्रभवित लोगों को यदि प्रस्तावित परियोजना में रोजगार मिलता हैं तो उनकी वित्तीय स्थिति सुरक्षित रहेगी यदि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

2 यह परियोजना सरकार के पर्यटन आय को बढ़ावा देगी, इससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

3 प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में औद्योगिक संभावनाओं में सुधार करेगी, लेकिन तभी जब सरकार योजना में ग्रामीण लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी अन्यथा औद्योगिक अवसरों में वृद्धि से ग्रामीण लोगों अर्थात पीएपी को लाभ नहीं होगा।

6.7 प्रभावित क्षेत्र में खाद्य (सब्जी) सुरक्षा में वृद्धि, महिला रोजगार उत्पादकता और जीवन स्तर के संबंध में उनकी राय/धारणाओं पर चर्चा की गई और राय मांगी गई :

कृषि भूमि के अधिग्रहण से क्षेत्र में सब्जी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यहां की अधिकांश महिलाएं कृषि (सब्जी उत्पादन) कार्य में लगी हुई हैं, इसलिए प्रस्तावित परियोजना से महिलाओं की रोजगार उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि उनके पास किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल की कमी है, और उनके भविष्य की संभावना भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, प्रस्तावित परियोजना के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण से उनके जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कृषि और पशुपालन इन गांवों में महिलाओं के आय का मुख्य स्रोत हैं।

6.8 परियोजना क्षे़त्र मे जल स्रोत, जल संचय, भूमिगत जल स्तर और वन संरक्षित जैसे मुद्दों पर चर्चा :

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से क्षेत्र के जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी, भूजल स्तर भी नीचे जाएगा, प्राकृतिक जल स्रोत और पर्यावरण को क्षेत्र मे नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे और इनका क्षेत्र के जल स्रोतों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

6.9 परियोजना क्षे़त्र मे स्वास्थ्य सुविधाओं पर पर चर्चा :

उनमें से अधिकांश की राय थी कि परियोजना स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और समुदाय और आस–पास के गांवों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित कर सकती है।

6.10 परियोजना का क्षेत्र में शैक्षिक सुविधा/स्कूलो/कॉलेजों और परिवहन और सड़क सुविधा में वृद्धि पर प्रभाव :

यह परियोजना क्षेत्र में स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, इसके अलावा प्रस्तावित परियोजना स्थानीय यातायात और सड़क सुविधाओं के साथ कनेक्टिविटी की सुविधा भी प्रदान करेगी।

6.11 क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता में सुधार और निजी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा :

अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि प्रस्तावित परियोजना के कारण इस क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता में सुधार हो सकता है और निजी संपत्ति क्षेत्र का मूल्य बढ़ सकता है।

6.12 परियोजना से क्षे़त्र मे पर्यटन सुविधाओं पर चर्चा :

प्रभावित परिवारों में से अधिकांश की राय थी कि परियोजना पर्यटन के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, परियोजना के विस्तार से क्षेत्र में पर्यटकों कि संख्या में वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र,समुदाय और आस–पास के गांवों के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

6.13 एफजीडी के दौरान परियोजना के बारे में अन्य राय और टिप्पणी पर चर्चा :

चर्चा में विधिवत अवगत कराया गया कि परियोजना की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारी परियोजना से संबंधित प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखेंगे। संबंधित अधिकारी को सभी लोगों की भूमि को सही तरह से अधिग्रहित किया जाना चाहिए। मुआवजे की दरें आसपास के क्षेत्र के हिसाब से तय की जाए। परियोजना प्रभावित क्षेत्र के भूमिहीन, आश्रित एवं गरीब लोगों के लिए भी अधिनियम के अनुसार समुचित सुविधाओं का प्रावधान उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, एफजीडी के दौरान पीएपी द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थे :

1. इस परियोजना का समुदाय की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं, इसके भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। वर्तमान में क्षेत्र में अपराध कम है, लेकिन उन्हें आशंका है कि परियोजना के पूरा होने के बाद प्रवासी मजदूरों और अन्य अपरिचित लोगों के घुसपैठ के कारण अपराध बढ़ सकता है।

2. उत्तरदाताओं को यह भी आशंका थी कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर आवंटित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि उनके पास तकनीकी कौशल की कमी है और उनकी शैक्षिक योग्यता कम है, जो हवाईअड्डा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नौकरियों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है।

3 गौशालाओं के नुकसान, जलाऊ लकड़ी संसाधनों के नुकसान, घरेलू पशुओं की चरागाह भूमि आदि से संबंधित चिंता पर भी विधिवत चर्चा की गई।

4. परियोजना से जिन लोगों का आवास प्रभावित हो रहा हैं और उनके पास आवास बनाने के लिए भूमि उपल्बध नहीं हैं उनलोगों को आवास के लिए भूमि से संबंधित चिंता पर भी विधिवत चर्चा की गई।

5. परियोजना से जिन लोगों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा हैं और उनको व्यवसाय संचालित करने के लिए भूमि के साथ तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रतिमाह दिया जाय जब तक उनका व्यवसाय पुरानी स्थिति में न आ जाये पर भी विधिवत चर्चा की गई।

6.14 शमन के उपाय :

1 भूमि के उचित मुआवजे के साथ–साथ प्रभावित क्षेत्र और अन्य पुनर्वास उपायों में उठाए गए ढांचे के लिए अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करें।

2. स्थानीय और राहगीरों से अवैध वसूली पर नजर रखी जाए और उसे प्रतिबंधित किया जाए।

3. निर्माण चरण के दौरान सामुदायिक सुरक्षा को बनाये रखने के लिए आत्मबल विकसित की जाए, विशेष रूप से जहां परिवारों को रहने के उद्देश्य से स्थानांतरित किया जाएगा

6.15 सामुदायिक कल्याण और जीवन शैली पर संभावित प्रभाव :

पीएपी सामुदायिक कल्याण और रहने की क्षमता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंतित थे जिससे उनके जीवन प्रभावित होगा। यह भी जवाब दिया गया है कि इस भूमि अधिग्रहण से कुछ पीएएफ अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि वे दूसरों की तुलना में बड़े क्षेत्र में भूमि, आवास एवं व्यवसाय खो देंगे। परियोजना लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को अस्त–व्यस्त कर देगी क्योंकि परियोजना के बाद उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल सकती है। वे अपनी मूल पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति और संयुक्त परिवार संरचना के नुकसान के बारे में बहुत आशंकित हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जो परिवार के सदस्यों के बीच आय का समान अवसर प्रदान करती है, लेकिन भूमि के नुकसान के बाद, हमें उनके अस्तित्व के लिए किसी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो संयुक्त परिवार की संरचना को प्रभावित करेगा। इसके अलावा परियोजना पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकती है, ग्रामवासीयों के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण से क्षेत्र की स्थलाकृति बदल जाएगी और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परियोजना के कारण ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होगा।

6.16 सामूहिक विचार विमर्श के दौरान ग्रामीणों की मांगे :

प्रस्तावित क्षेत्र के कुछ ग्राम के अधिकांस किसान/भूस्वामि अपना भूमि परियोजना के लिये नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे उनका व्यवसाय एवं आवास का नुकसान हो रहा हैं और वह चाहते हैं कि सरकार पहले प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना प्रस्तुत करें। परंतु प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डे विस्तार के संरेखन से प्रभावित अन्य ग्राम के किसान अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं परंतु इसके बदले अपनी भूमि का मूल्य बाजार मूल्य के बराबर चाहते हैं या फिर सर्किल रेट का दस गुणा दर चाहते हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां, जमीन के बदले जमीन और प्रभावित परिवार के युवा पीढ़ी

के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार सृजित करणा आदि शर्ते बताऐ गये। जिनका घर अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा है उनको तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के नियमानुसार किया जाना चाहिए। जिनका व्यवसाय अधिग्रहण सें पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगा। उनको भूमि अधिनियम 2013 के अनूसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए और जब तक उनका व्यवसाय सुचारू रूप से न चल सके तब तक उनको जीविकोपार्जन के लिये वर्तमान आय के अनुसार धनराशि प्रतिमाह मिलनी चाहिये।

6.17. परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान पर चर्चाः

एफजीडी के दौरान ग्रामीणों से इस परियोजना के विस्तार के लिए वैकल्पिक स्थान पर चर्चा किया गया एवं उनका सुझाव लिया जो निम्नवत हैं:

1. ग्रामीणों ने पहला सुझाव इस परियोजना के विस्तार के लिए हवाई अड्डे के पश्चिम से उत्तर कि तरफ सराह कि ओर दिये, उनके अनुसार इस क्षेत्र में आबादी कम हैं और खाली भूमि अधिक हैं।

2. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के विस्तार के अलावा नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कांगड़ा तहसील के बोड़क्वालू में वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव दिये है, जो तहसील से लगभग 15 किमी दूरी एवं गगल हवाई अड्डे से लगभग 12 कि0मी0 कि दूरी पर है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध एवं मसरूर मंदिर लगभग 15 कि0मी0 पर हैं। जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं और ज्यादातर भूमि बंजर और कम उपजाऊ है और प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सम्भावना है।

ग. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के लिए तीसरा वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव कांगड़ा तहसील के रैत विकास खण्ड कें लंज क्षेत्र में दिये है, जो गगल हवाई अड्डे से लगभग 23 कि0मी0 कि दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध लगभग 5 कि0मी0 एवं मसरूर मंदिर लगभग 3 कि0मी0 पर हैं। जिला हमीरपुर से लगभग 70 कि0मी0 एवं ऊना से लगभग 100 कि0मी0 कि दूरी पर स्थित हें, जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं और वर्तमान प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सम्भावना है।

उपयुक्त स्थिति के अनुसार SIA टीम यह सुझाव देगी कि स्थल चयन के लिए तकनीकी टीम के सुझाव के उपरांत ही परियोजना के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाए।

अध्याय–सात

लागत और लाभ विश्लेषण

कांगड़ा जिला के कांगड़ा तहसील में स्थित हवाई अड्डे के विस्तार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद, एसआईए टीम ने लागत की तुलना इसके लाभों से की। इस अध्याया में लाभ और संबंधित लागतों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना की लागत उपलब्ध नहीं हो पाया हैं इसलिए उचित लागत–लाभ विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।

7.1 परियोजना से सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन :

कांगड़ा जिला के कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी और इससे बेहतर बुनियादी ढांचा, पर्यटन विकास और हवाई संपर्क भी बेहतर होगा। परियोजना लंबी अवधि में पीएफ और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। साथ ही, यह परियोजना आने वाले भविष्य में एक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

यह भी प्रमाणित किया जा सकता है कि निजी भूमि का अधिग्रहण करके और इस तरह परियोजना के निर्माण को पूरा करने से एक सार्वजनिक उद्देश्य निश्चित रूप से पूर्ण होगी। यदि परियोजना पूर्ण हो जाती है, तो इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगी और यात्रियों को सुगम, तेज और सुरक्षित आवागमन और परिवहन सेवाएं प्रदान करेगी। यदि परियोजना में देरी होती है, तो इससे परियोजना की कुल लागत में वृद्धि होगी, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार और इसके निवासी दोनों प्रभावित होंगे। यदि परियोजना को रोक दिया जाता है, तो इससे न केवल धन की हानि होगी, बल्कि परियोजना पर अब तक खर्च की गई पूरी जनशक्ति और संसाधनों की बर्बादी भी होगी। इसलिए, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सामाजिक लागत और लाभों का आकलन यह मानते हुए किया गया है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा।

7.2 संरचना और आकार पर प्रभाव :

पीएफ अपना भूमि, आवासीय, वाणिज्यिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे निर्माण संरचनाओं को खो देंगे जिसको वे अपनी आजीविका और आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। शुरू से ही, यह परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए उनकी आजीविका और आवासीय उद्देश्य दोनों के लिए काफी प्रभाव और नुकसान प्रतीत होता है। इस परियोजना के विस्तार से विशेष रूप से गगल खास, बरसवालकड़, झिकली इच्छी के परिवारो के व्यवसाय एवं

आवास पर ज्यदा प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना के विस्तार से क्षेत्र के व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रभावित / समाप्त होने कि संभावना हैं।

7.3 मुआवजे के निर्धारण :

RFCTLARR –2013 की धारा 26 और 27 के अनुसार, कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य और मुआवजे की राशि का आकलन और निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मानदंड का उपयोग करते हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में बिक्री विलेखों के पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट बाजार मूल्य या जहां भूमि स्थित है, बेचने के लिए समझौते, निकटतम गांव या निकटतम पड़ोस में स्थित समान प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य के अनुसार प्रतिकर की राशि निर्धारण करते हैं।

पीएफ और पीएपी के साथ बातचीत के दौरान, उनमें से अधिकतर प्रति हे0 35 से 40 करोड़ रुपये के औसत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार, इस तरह की दरों का भुगतान उसी क्षेत्र के अन्य बिल्डरों / खरीदारों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। मुआवजा का निर्घारण हिमाचल प्रदेश सरकार के RFCTLARR –2015 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए।

7.4 पात्रता तालीका (मैट्रिक्स) :

पीएएफ निम्नलिखित छह प्रकार के मुआवजे और सहायता पैकेजों के हकदार होंना चाहिए :

- भूमि, फसलो / पेड़ों के नुकसान के लिए उनकी प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा।
- संरचनाओं (आवासीय / वाणिज्यिक) यदि कोई हो और अन्य अचल संपत्तियों के लिए उनकी प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा।
- व्यापार / मजदूरी आय के नुकसान के अनुसार सहायता और आय सृजन करने में सहायता।
- भौतिक रूप से विस्थापित परिवारों के लिए जिनके पास कोई घर नहीं हैं उनके लिए वैकल्पिक आवास या घर के बदले नकद मुआवजा।
- स्थान परिवर्तन और पुनर्वास स्थल (यदि आवश्यक हो) के लिए सहायता का प्रावधान होना चाहिए।
- सामुदायिक संसाधनों / सुविधाओं का पुनर्निर्माण होना चाहिए।

RFCTLARR –2013 की धारा 26 और 27 के अनुसार, कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य और मुआवजे की राशि का आकलन और निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मानदंड का उपयोग करते हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में बिक्री विलेखों के पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट बाजार मूल्य या जहां भूमि स्थित है, बेचने के लिए समझौते के औसत बिक्री मूल्य के अनुसार मुआवजे की राशि निर्धारण करते हैं।

• निकटतम गांव या निकटतम पड़ोस में स्थित समान प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य के अनुसार।

• निजी कंपनियों के लिए भूमि के अधिग्रहण के मामले में धारा 2 की उप–धारा (2) के तहत सहमति के अनुसार मुआवजे की राशि का निर्घारण।

• RFCTLARR –2013 के अनुसार आर एंड आर पैकेज का निर्घारण।

नीचे दी गई तालिका में प्रभाव की श्रेणी और RFCTLARR अधिनियम 2013 के R&R की पात्रता के अनुसार पात्रता मैट्रिक्स दर्शाती है। मुआवजा निर्धारण को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत तालिका 7.1 में दर्शाया गया हैं।

तालिका 7.1

पात्रता तालीका (मैट्रिक्स) और मुआवजा निर्धारण को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत

प्रभाव का प्रकार	पात्रता कि योगता	प्रासंगिक RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार	
भूमि का नुकसान	प्रभावित भूस्वामि	भूमि का बाजार मुल्य जिला कलेक्टर द्वारा RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार किया जाना चाहिए। भूमि एवं संपत्ति के नुकसान के मुआवजे की राशि मौजूदा स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अनुसार होना चाहिए	प्रभावित अधिकांस परिवार मुआवजे की राशि एवं पुनर्वास और पुनर्स्थापन RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार चाहते हैं।
	प्रभावित भूस्वामि/परिवार	भूमि के बदले भूमि	RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार
अन्य संपत्तियों का नुकसान	प्रभावित भूस्वामि	आवास एवं संपत्तियों का मुआवजा/प्रतिकर	प्रभावित परिवारों को RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए (प्रथम अनुसूची क्रमांक 2 के तहत प्रावधान (उक्त अधिनियम की धारा 29 के अनुसारं)। मुआवजा कि राशि भूमि या संरचना के नुकसान के अनुसार कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा या प्रदान किया जाएगा।

विलम्ब शुल्क	प्रभावित भूस्वामि / किरायादार	भू–अधिग्रहण के समय भुमि पर लगे फसलों का मुआवजा RTFCTLARR अधिनियम 2013 के धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान होना चहिए।	
भूमि एवं अन्य संपत्तियों का नुकसान	प्रभावित भूस्वामि	भूमि एवं अन्य संपत्तियों के बाजार मुल्य पर अतरिक्त 12 प्रतिशत राशि मिलना चाहिए	भूमि का मूल्य, भूमि के संबंध में धारा 4 की धारा (2) के तहत एसआईए की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि का कब्जा लेने की तिथि तक भूमि के बाजार मूल्य पर अतिरिक्त 12 प्रतिशत प्रति वर्ष का भुगतान किया जाना चाहिए।
मुआवाजा / प्रतिकर	प्रभावित भूस्वामि	कुल मुआवजा राशि मुआवजे के अतिरिक्त और मुआवजे की राशि के 100 प्रतिशत के बराबर होगी (u/s 30 RFCTLARR Act, 2013)	
अतिरिक्त घटक	प्रभावित भूस्वामि	RFCTLARR Act, 2013 के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के अलावा, प्राधिकरण प्रत्येक मामले में SIA की अधिसूचना तिथि से लेकर धारा 4 के तिथि तक बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तय की गई राशि का भुगतान करेगा	

7.5 परियोजना की लागत और लाभ :

जिला कांगडा में हवाई अड्डे के विस्तार आर्थिक विकास और अन्य लाभों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। इसके निर्माण से कुछ संभावित लाभ निम्नलिखित हैं :

• हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र में भूमि की कीमत में वृद्धि होगी जिसका सीधा लाभ परियोजना क्षेत्र के भूस्वामी को होगा।

• हवाई अड्डे की सुगमता के कारण परिवहन में सुधार से कांगड़ा जिले में पर्यटन का विकास होगा। इससे परिवहन, होटल और आतिथ्य उद्योग और स्थानीय उत्पाद के बाजारों में विकास होगा।

• पैराग्लाइडिंग, क्षेत्र में उभरता हुआ पर्यटन खेल हैं, जो संभावित रूप से भारत में सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह अधिकतम निरंतर उड़ान घंटे और सुरक्षित और बड़ा लैंडिंग स्थान प्रदान करता है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना परियोजना की व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

- यह विमानपत्तन राज्य के सर्वोच्च्य हितों की पूर्ति करेगा तथा वायु सेना की रक्षा आवश्यक्ताओं की पूर्ति हेतु आधार के रूप में सेवा प्रदान भी करेगा।

- प्रस्तावित विमानपत्तन पर बड़े विमानों की लैंडिग से पर्यटकों का समय बचेगा और इन गंतव्यों के लिए हवाई किराए में गिरावट देखने को मिलेगी। जिससे पर्यटकों के संख्या में वृद्धि होगी।

1) लागत

जिला कांगड़ा के कांगड़ा तहसील में हवाई अड्डे के विस्तार में आर्थिक, परिचालन और पर्यावरणीय लागत शामिल है।

(क) आर्थिक और बुनियादी ढांचे की लागत में शामिल हैं : (अ) परियोजना की योजना बनाने में शामिल लागत, (आ) इसके लिए आवश्यक भूमि की लागत, (इ) भवन की लागत, (ई) विद्युतीकरण की लागत और (ए) सुरक्षा उपकरणों की लागत। इनमें भारी खर्च होता है और ये आर्थिक लागत का गठन करते हैं।

(ख) परिचालन लागत में शामिल हैं : (अ) ऊर्जा और बिजली की लागत, (आ) श्रम लागत, (इ) सामग्री की लागत और (ई) वार्षिक रखरखाव लागत। परिचालन लागत भी आर्थिक लागत है लेकिन बाद में उत्पन्न होता हैं।

(ग) परियोजना की बाहरी, पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों में शामिल हैं : (अ) वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की लागतें, (आ) ग्लोबल वार्मिंग में योगदान के लिए जिम्मेदार लागतें।

2) लाभ

हवाईअड्डा परियोजना के पूरा होने और संचालित होने पर निम्नलिखित लाभ होंगे :

(क) आर्थिक लाभ : (अ) राजस्व में वृद्धि, (आ) भूमि मूल्य में वृद्धि, (इ) व्यापार के अवसर, (ई) आजीविका विकल्प, (ए) रोजगार और (ऐ) विकसत बाजार आदि।

(ख) बाहरी या सामाजिक लाभ : (अ) लोगों एवं सामानों की आवाजाही में आसानी, (आ) समय कें बचत, (इ) सड़क परिवहन और उपयोग में कमी के कारण प्रदूषण में कमी

(ग) वायुमार्ग में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी : (अ) भीड़भाड़ और देरी से बचने के लिए परिवहन में विश्वसनीयता में सुधार और (आ) सुरक्षा सुधार जो यातायात दुर्घटनाओं और जीवन रक्षा में कमी में मदद करता है।

हवाई अड्डे परियोजना में निवेश करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय है। हालांकि, सार्वजनिक निर्णय निर्माताओं को न केवल वित्तीय लागत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि समाज पर प्रभाव से होने वाले संभावित सकारात्मक प्रभावों पर भी ध्यान देना चाहिए। लागत और लाभ विश्लेषण प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रस्तावित परियोजना लाभदायक और व्यवहार्य है। लागत और लाभ के परिणामों का विश्लेषण तालिका–7.2 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका–7.2 लागत और लाभ के परिणामों का विश्लेषण

लागत		लाभ	
आर्थिक और आधारभूत संराचना	योजना भूमि इमारत विद्युतीकरण सुरक्षा उपकरण	आर्थिक लाभ	पर्यटकों के संख्या में वृद्धि यात्री किराया से आय, भूमि मूल्य में वृद्धि, व्यवसाय के सुनहरे अवसर, आजीविका के विकल्प, रोजगार से आमदनी, विकसित बाजार आदि
संचालन लागत	ऊर्जा श्रम सामग्री वार्षिक रखरखाव	समाजिक लाभ	विकसित परिवहन, नए स्थानों तक पहुंच, यात्रा के समय में बचत, परिवहन की विश्वसनीयता, सुरक्षा में सुधार सड़क में बचत आधारभूत संरचना
अन्य और पर्यावरणीय लागत	दुर्घटना, वायु प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण और सांस्कृतिक आक्रमण	सांस्कृतिक लाभ	व्यावसायिक संस्कृति का प्रचार, आराम और असान यात्रा
कुल लागत का वर्तमान मूल्य		कुल लाभ का वर्तमान मूल्य	

7.6.1 लागत –लाभ विश्लेषण लागू करने में समस्याएँ :

किसी परियोजना के संबंध में निर्णय लेने में लागत–लाभ विश्लेषण एक उपयोगी उपकरण है। लेकिन लागत –लाभ विश्लेषण की शुद्धता और विश्वसनीयता लागत और लाभ के अनुमान की सटीकता से निर्धारित होती है। लागत –लाभ विश्लेषण में, लागत और लाभ दोनों में मौद्रिक और गैर–मौद्रिक तत्व होते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हितधारकों के संदर्भ में होते हैं। सामाजिक लाभ भावी पीढ़ी और गैर–मानवीय हितधारकों से भी संबंधित हैं। इसलिए किसी परियोजना की सभी लागतों और लाभों का आर्थिक मूल्यांकन संभव नहीं है। कई मामलों में मूल्यों को आरोपित करना पड़ता है और अनुमान लगाना पड़ता है। इसलिए लागत –लाभ विश्लेषण एक अत्यधिक जटिल और बहुत ही चुनौतीपूर्ण अभ्यास है और मूल्यांकन के गलत होने की अधिक संभावना है।

कांगड़ा हवाई अड्डे विस्तारीकरण परियोजना से लाभान्वित होने की संभावना लागत मूल्य से अधिक या कम होने के पर्याप्त आकड़ें उपलब्ध नहीं है, इसलिए योजना के निवेश का लाभ कब और कितना होगा यह अनुमान लगाना मुश्किल हैं, हालांकि प्रभावित परिवारों द्वारा इस योजना को काफी महंगा बताया गया है जिसका लाभ निकट भविष्य में सरकार एवं जनता को मिलना मुश्किल बताया जा रहा हैं।

अध्याय–आठ

सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना

8.1 सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (SIMP):

इस अध्याय में भूमि अधिग्रहण अधिनियम RFCTLARR –2013 / एचपी 2015 के तहत आवश्यक शमन उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिससे अल्प एवं दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावो को कम से कम किया जाय। साथ ही साथ विषय वस्तु की उचित समझ के लिए उनकी गंभीरता के स्तर को परिभाषित किया गया है।

परियोजना के परिचालन हेतु सभी विधी–विधानों के अनुरूप क्षति को कम से कम करने हेतु दर्शाये गये शमन उपायों जैसे उचित प्रतिकर अथवा आजीविका के स्रोतो तथा संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो परियोजना के परिचालन में सामाजिक कुप्रभाव नहीं होने देने के लिए उचित स्रोतो के सृजन का प्रयास किया जाना चाहिए। जहाँ यह सम्भव न हो तो सामाजिक प्रभाव /प्रतिघात की अवधि, सघनता एवं प्रभाव के प्रसार को कम से कम किया जाना चाहिए। साथ ही, ऐसे प्रभाव जिनको पूर्ण रूप से कम नहीं किया जा सकता है उनको पूर्व की स्थिति में लाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए समाजिक ताना–बाना, कृषि भूमि की उपलब्धता, आजीविका के स्रोत, व्यक्तियों की जीवनशैली की गुणवत्ता और सामुदायिक संम्पत्तिया इत्यादि)।

परियोजना प्रभावित परिवारो में दुर्बल / कमजोर व्यक्तियों एवं परिवारों, जैसे भूमिहीन एवं बटाई कृषक जो अपने जीविकोपार्जन हेतु कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति एवं परिवार नई परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने, परामर्श करने एवं विचार–विमर्श में भाग लेने में असमर्थ रहते है। साथ ही, आजीविका के नये साधनों एवं परियोजना के अन्तर्गत काम के अवसरों के सम्बंध में भी अनभिज्ञ रहते हैं। प्रभावित ऐसे लोगो को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए जिनके पास उचित भूमि स्वामित्व या भूमि पंजीकरण नहीं है, हालांकि वे कई वर्षों से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं।

एसआईए टीम ने विभिन्न प्रभावित समूह, परिवारों और लोगों द्वारा साझा किए गये सभी नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण किया है। इसके अलावा लोगों के साथ चर्चा में सर्वेक्षण प्रश्नावली, सार्वजनिक परामर्श, केंद्रित समूह चर्चा, आलेख्य प्रतिवेदन पर सार्वजनिक जनसुनवाई के माध्यम से उचित समाधानों की पहचान एवं गणना की गई है। जनसुनवाई के दौरान 800 से अधिक सदस्यो ने व्यक्तिगत एवं सामुहिक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारीयों के समक्ष

एआईए टीम को सौपा जिसका पूर्ण रूप से विस्तृत अवलोकन कर SIMP एवं संस्तुतियो में प्रस्तुत किया गया है।

यदि हवाई अड्डे का विस्तार प्रस्तावित भूमि पर किया जाता है तो परियोजना से प्रभावित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैंः–

1. हवाई अड्डे के विस्तार से सबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, व्यवहार्यता प्रतिवेदन एवं पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना उपल्बघ नहीं हैं इसलिए प्रस्तुत सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत लागत और लाभ विश्लेषण का अनुमान नहीं हो पाया है, परंतु समाजिक एवं आर्थिक आंकड़े को सर्वे एवं जानता द्वारा ही साझा किये गये आकड़े के विश्लेषण के आधार पर किया गया हैं।

2. भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना की प्रक्रिया पारदर्शिता और भागीदारी दृष्टिकोण का अनुपालन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके अन्तर्गत सभी प्रभावित गांवो को एक या एक से अधिक विकसित कालोनी एवं बाजार लगभग 10 कि.मी. के परिधि के अंतर्गत बसाया जाना चाहिए। विस्थापन/पुनर्वास के कारण आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिक, मानसिक इत्यादि समस्याओ को हल करने के लिये विन्दुवार सुझाये गये उपायों (SIMP) को क्रियान्वयन उचित मुआवजे के साथ समयबद्ध किया जाना चाहिए।

3. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन में दर्शाये गये उपायों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

4. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले विस्थापित परिवार की सूची, भूमि का स्वामित्व और बुनियादी ढांचा, वाणिज्यिक संरचना, प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन लोगों की सूची, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीएएपी की सूची, प्रभावित क्षेत्र में विकलांग सूची, प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सूची, प्रभावित क्षेत्र में चल/अचल संपत्ति की सूची को तैयार किया जाना चाहिए और तदनुसार मौद्रिक लाभ का निर्धारण भूस्वामियों की समिति के साथ किया जाना चाहिए।

5. प्रभावित व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को परियोजना के हितधारकों के रूप में अपनी तर्कसंगत, रूचियों एंव परियोजना से सम्बधित विषयों में अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। प्रभावित लोगों के असहमति का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उस पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए।

6. पुनर्वास और पुनर्स्थापन लागू करने प्रभावित परिवारो के समस्त प्रतिकरो का भुगतान समयबद्ध तरिके से किया जाना चाहिए।

7. सभी प्रस्तावित पीएफ को विस्थापन की सूचना अग्रिम रूप से कई क्रम में दी जानी चाहिए।

8. सुचारू पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए 18–24 महीने का उचित समय दिया जाना चाहिए।

9. परियोजना के विस्तार से ग्राम या क्षेत्र में जलभराव/बाढ़ कि समस्या उत्पन्न हो सकती हैं इसलिए पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और इसे आपदा प्रबंधन के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

10. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित एवं आसपास के गांवो के लिए पीने के पानी तथा कृषि हेतु सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था अग्रिम रूप से की जानी चाहिए, जिससे कृषि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।

11. संस्थागत तंत्र–विवादों को अंकीत करने तथा उनका निवारण करने हेतु एक सरकारी सशक्त शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना चाहिए।

नीचे दी गई तालिका में SIMP के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समय सीमा, अनुमानित धनराशि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी तथा राज्यस्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए, ताकि सामाजिक प्रभाव शमन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन समिति और समय सीमा

समय तालिका	अनुमानित धनराशि	भूमि अधिग्रहण की संस्था/ परिपालन करने वाली संस्था	निगरानी समिति
यह भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाएगा।	सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के समय परियोजना लागत अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।	प्रमुख– पर्यटन विभाग, निदेशक परियोजना– कांगड़ा हवाईअड्डा विस्तार	अध्यक्ष– उपायुक्त एवं जिला भू–अर्जन अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, निदेशक शिक्षा के रूप में अन्य सदस्य। आयुक्त आवश्यक समझे जाने पर अन्य प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकते हैं। निगरानी दल में कुछ जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

भूमि एवं परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं परियोजना के संचालन के फलस्वरूप होने वाले प्रभावों एवं उनके शमन के उपाय को निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है।

शमन एवं उपाय

क्र0. सं0	प्रभाव / समाघात	प्रभाव की श्रेणी एवं प्रकार	निवारण हेतु उपाय	निवारण के उपरांत प्रभाव की श्रेणी एवं प्रकार
1.	परियोजना प्रभावित परिवार हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अपनी भूमि देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उनका जीविकोपार्जन इसी भूमि पर निर्भर हैं। जन सुनवाई के दौरान सभी प्रभावित परिवारो एवं ग्रामीणों ने परियोजना के प्रभाव पर विस्तृत चर्चाओ में भाग लिया।	उच्च गंभीर एवं दीर्घकालीन	प्रभावित परिवारो एवं ग्रामीणों ने परियोजना के विस्तार के लिए कम से कम सामाजिक विस्थापन और आर्थिक लाभ के लिए तीन वैकल्पिक भूमियों का सुझाव दिया। यदि प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण होता है तो लगभग दस हजार लोग जिसमें छोटे व्यवसाय, कृषि पर निर्भर किसान परिवार और चल अचल व्यवस्था एवं संपतियों को नुकसान होगा। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से परियोजना का दुष्प्रभाव स्थानिये लोगो एवं व्यवसायो पर अत्यधिक होने की आशंका हैं, साथ ही साथ स्थानिय लोग परियोजना के प्रति अपना रोष और असहमती प्रकट किये हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक परियोजना स्थलो पर विचार किया जा सकता है।	सामान्य स्थिति
2	समान उर्वरता स्तर और अच्छी तरह से विकसित आधारभूत संरचना के साथ "भूमि के बदले भूमि की मांग"	उच्च गंभीर एवं दीर्घकालीन	1. प्रस्तावित भूमि मे रहने वाले पीएएफ का प्रथामिक व्यवसाय कृषि एवं सूक्ष्म व्यापार (दुकान, ठेला, रेड़ी, होटल, प्रचून की दुकान, पेट्रोल पंप इत्यादि) हैं। नए व्यवसाय सीखना और सफलता पूर्वक कार्यान्वयन करना उनके लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से जोखिम भरा है। 2.यदि भूमि अधिग्रहण का वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार लागू होता है, तो भूमि के बदले भूमि, समान सुविधाओं के साथ दी जानी चाहिए। इसके अलावा संपत्ति और भूमि के लिए बाजारू मूल्य प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि सर्किल दर बाजारू कीमत से बहुत कम हैं। 3.प्रत्येक प्रभावित गांव के लोगों को संभवतः एक साथ एवं एक स्थान पर विस्थापित किया जाना	सामान्य स्थिति

			चाहिए, जिससे प्रभावित परिवारो को सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक अखंडता सुनिश्चित करने मे किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उस स्थल को "नया गांव नाम" के रूप में नामित किया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी या शहरी विकास के तहत स्थानीय बाजारों को या नई बाजार को विकसित किया जाना चाहिए और उसमें विस्थापित व्यापारियों को मकान के साथ दुकान का आवंटन किया जाना चाहिए।	
3	जल एवं बाढ़ प्रबंधन	उच्च गंभीर एवं दीर्घकालीन	1. गगल अत्यधिक बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र है और हवाई अड्डे के विस्तार से बाढ़ की समस्या के स्तर में और अधिक गंभीरता बढ़ सकती है, इसलिए पानी की निकासी और आपूर्ति के लिए एकल जल प्रबंघन योजना बनायी जानी चाहिए। जिससे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या की रोकथाम हो सके। 2. प्रभावित ग्रामीण और साथ में लगे गांव जो वर्तमान भूमि अधिग्रहण के कारण सीधे या आंशिक रूप से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको सिंचाई के लिए पानी, पेयजल, रास्ता, सड़क, स्कूल, अस्पताल और बाढ़ इत्यादि की समस्या न हो इसके लिए आपूर्ति का अध्ययन कर के निवारण किया जाना चाहिए और भूअधिग्रहण से पहले सभी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।	सामान्य स्थिति
4	अधिग्रहण के उपरांत अधिग्रहत खसरा संख्या से 2 कनाल से कम बची भूमि का भी अधिग्रहण।	उच्च गंभीर एवं दीर्घकालीन	1. अधिग्रहण के उपरांत अधिग्रहत खसरा संख्या से यदि 2 कनाल से कम भूमि शेष रहती है तो उसका भी अधिग्रहण किया जाना चाहिए क्योंकि भूस्वामि उस भूमि पर न तो कृषि एवं निर्माण कार्य कर सकता हैं।	सामान्य स्थिति
5	वृद्धावस्था, सेवानिवृत्त और विकलांग व्यक्तियों का विस्थापन, जो अपने	उच्च गंभीर एवं दीर्घकालीन	वृद्ध, सेवानिवृत्त और विकलांग लोगों को मौजूदा सुविधाओं के अनुसार आवास प्रदान किया जाना चाहिए और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया के दौरान	सामान्य स्थिति

	परिवारों से अलग रह रहे हैं।		उचित सावधानी और सहायता प्रदान करनी चाहिए।	
6	निजी नौकरियों और दुकानों का नुकसान	उच्च गंभीर एवं दीर्घकालीन	चूंकि भुअधिग्रहण से हजारों लोग अपने व्यवसाय या नौकरी के साथ आय खो देंगे, इसलिए पुनर्वास और पुनर्वासन योजना मे स्पष्ट रूप से निवारण का उल्लेख होना चाहिए। जब तक प्रभावित दुकान मालिकों और निजी नौकरी करने वाले व्यक्तियों का आय वर्तमान के अनुसार न हो जाय, तब तक वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वृद्धिशील मूल्य के साथ मानदेय दिया जाना चाहिए।	सामान्य स्थिति
7	स्कूलों, अस्पतालों और आंगनवाड़ी, कब्रिस्तान, लिंक रोड आदि जैसे सामान्य संपत्तियों का नुकसान	उच्च गंभीर एवं दीर्घकालीन	हवाई अड्डे के विस्तार के निर्माण से पहले प्रत्येक गांव के लिए ऐसी आवश्यक (स्कूलों, अस्पतालों और आंगनवाड़ी, कब्रिस्तान, लिंक रोड आदि जैसे सामान्य संपत्तिया) सुविधाओं का निर्माण अग्रिम रूप किया जाना चाहिए।	सामान्य स्थिति
8	उपजाऊ भूमि की क्षति	उच्च गंभीर एवं दीर्घकालीन	1. भूमि का अधिग्रहण तकनीकी व्यावहारिकता प्रतिवेदन' के आधार पर किया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण अन्तिम विकल्प है और प्रस्तावित भूमि तकनीकी रूप से सर्वोत्तम है। 2. भूमि के मुआवजे के लिए अधिकृत एवं पात्र व्यक्तियों को (प्रतिकर हेतु पात्रता, प्रतिकर की धनराशि, प्रतिकर उपलब्ध कराने की समयावधि, प्रतिकर से सम्बंध में आपत्ति करने का तरीका आदि) स्पष्ट रूप में परिभाषित करते हुए प्रभावित भूस्वामियों को अवगत कराया जाना चाहिए। 3. प्रतिकर के लिए एक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए जिसमें केवल प्रभावित संम्पत्ति का प्रतिकर न होकर मूल्य आधारित हों।	सामान्य स्थिति

			4. निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व पुनर्वास के सभी उपाय पूर्ण किये जाने चाहिए। चूँकि भूमि अधिग्रहण योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर दिये जाने का प्राविधान है। अतः प्रभावित भूस्वामियों को प्रतिकर का भुगतान समय से किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। 5. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिकर के भुगतान में किसी बिचौलिये की भूमिका न हो। 6. प्रतिकर की राशि के निर्धारण से पूर्व अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि में अवस्थित सभी संम्पत्तियों यथा नलकूप/बोरिंग/ पम्पसेट, दुकानें, भवन, पेड़ पौधों आदि के मूल्य का निर्धारण सम्बंधित विभागों द्वारा किये जाने एवं उसके यथेष्ट प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की परसंम्पत्ति की पूरी सूची तैयार की जानी चाहिए। यदि उपरोक्त संम्पत्तियों, उदाहरण स्वरूप पेड़–पौधों की प्रतिकर की धनराशि कम प्रतीत हो रही है तो प्रभावित कृषक को इसे खुले बाजार में बेचने की छूट दी जानी चाहिए। इस स्थिति में सम्बंधित विभाग (यथा वन विभाग) से अनुमति दिलाने का कार्य भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 7. प्रभावित ग्राम की शत् प्रतिशत कृषि भूमि के अधिग्रहण के बावजूद प्रतिकर के निर्धारण में उस छोटी भूमि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो हवाई अड्डे के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नही है, तथापि निर्माण कार्य के कारण अनुपयोग्य हो गयी है। उदाहरण स्वरूप किसी कृषक की भूमि का एक छोटा सा	

			टुकड़ा जो कुछ मीटर ही लम्बा अथवा चौड़ा हो सकता है। उसे अधिग्रहीत न किये जाने के बावजूद वह उस कृषक के किसी उपयोग का नहीं रह जायेगा। सामाजिक समाघात अध्ययन में सामने आया है कि इस प्रकार के मुद्दो के प्रति कृषकों में भ्रान्तियां फैली हैं। अतएव इस सम्बंध में जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की जानेवाली भूमि का भौतिक सत्यापन करा के प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिससे कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भूमि की वास्तविक जानकारी हो सके। 8. मौद्रिक प्रतिकर के अतिरिक्त प्रभावित कृषकों को ग्राम समाज की भूमि में से कुछ भूमि उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिससे उसका वैकल्पिक रोजगार अथवा पशुओं का बाड़ा बनाने आदि में उपयोग किया जा सके।	
9	जीविकोपार्जन की क्षति एवं पलायन की सम्भावना	उच्च गम्भीर एवं अल्पकालीन	1. ऐसे भूस्वामियों को प्राथमिकता दी जाये जिनकी भूमि परियोजना द्वारा 70 प्रतिशत से अधिक प्रभावित हो चुकी है। 2. स्थानीय निवासियों को हवाई अड्डे के विस्तार में रोजगार को प्राथमिकता दी जाए। 3. प्रभावित परिवारों के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। 4. यदि सम्भव हो तो नयी क्रय की गई भूमि में निःशुल्क बोरिंग एवं बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता एवं छूट दी जाए। 5. जिनका व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा हैं उन लोगों को व्यवसाय शुरू करने हेतु प्राथमिकता के अधार पर सहयोग देना चाहिए। 6. जिनका व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा हैं उन लोगों को व्यवसाय शुरू करने हेतु स्थल का अवांटन एवं ॠृण में छुट देना चाहिए।	सामान्य स्थिति

10	निर्माण अवधि में कर्मकारों एवं दीर्घकालीन परिचालन अवधि में अस्थानीय एवं बाहरी व्यक्तियों के कारण सामुदायिक मूल्यों एवं जीवन शैली में प्रभाव। परियोजना के निर्माण अवधि में परियोजना कार्यकर्ताओं की उपस्थिति एवं उनके कृत्य सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है इससे स्थानीय समुदाय भी प्रभावित हो सकता है। समुदायों के व्यक्तियो में प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय रूप में उपलब्ध सीमित सुविधाओं का परियोजना कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग से भी स्थानीय व्यक्तियों की जीवन शैली पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना।	कम तीव्रता एवं दीर्घकालीन	1. निर्माण अवधि मे किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में स्थानीय निवासियों के लिए शिकायती रजिस्टर / पंजिका अथवा हेल्प लाइन एवं फोन नम्बर की व्यवस्था होनी चाहिए। 2. सभी प्रकार की शिकायतों का निवारण समयबद्ध रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 3. बहुत बड़े आकार के संघर्ष / विवाद की स्थिति में ग्रामस्तर पर बैठक करनी चाहिए ग्रामों में बड़ी संख्या में बाहरी कार्यकर्ताओं के आने के फलस्वरूप लैगिंक आपराधिक घटनाएँ एवं शिकायतें आ सकती हैं। 4. ठेकेदारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए उनके आचरण के सम्बंध में आचार संहिता (कोड ऑफ कन्डक्ट) अथवा स्पष्ट नियमावली बनानी चाहिए। इस नियमावली में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए की कर्मचारी–गण स्थानीय निवासियों से किस–किस विषय में तथा किस सीमा तक बात / चीत कर सकते हैं।	सामान्य स्थिति
11	बड़े व्यापार एवं रोजगार की क्षती	उच्च गम्भीर तीव्रता एवं दीर्घकालीन	1.जिनका व्यवसाय भू–अधिग्रहण से पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगा। उनको भूमि अधिनियम 2013 के अनूसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए और जब तक उनका व्यवसाय सुचारू रूप से न चल सके तब तक उनको जीविकोपार्जन के	सामान्य स्थिति

			लिये वर्तमान आय के अनुसार प्रतिमाह धनराशि मिलनी चाहिये। 2. व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता कम ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए। 3. कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। 4. दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवंटित किया जाना चाहिए।	
12	भूमिहीन एवं भूअधिनियम 118 हि.प्र. के अन्तर्गत भूस्वामि	उच्च गम्भीर तीव्रता एवं दीर्घकालीन	भूमिहीन परिवारो को schedule 2 के अनुसार स्वामित्व सुनिश्चित किया जाय और भूअधिनियम 118 हि.प्र. के अन्तर्गत भूस्वामि को भी भूआवंटन तदनुसार किया जाना चाहिए।	सामान्य स्थिति

8.2 प्रभाव से बचने, कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय :

प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डे विस्तार के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए सर्वोत्तम संभव तकनीकी डिजाइन प्रस्तावित किया जाना चाहिए और न्यूनतम संभव भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे अधिग्रहण में न्यूनतम व्यवधान हो। साथ ही, निर्माण चरण के दौरान भी उचित उपायों की योजना बनाई जाना चाहिए, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी न हो। भूमि और उससे जुड़े प्रभाव की भरपाई के लिए, RFCTLARR अधिनियम, 2013 और RFCTLARR (HP) नियम 2015 के आधार पर व्यापक R&R योजना बनाई जानी चाहिए।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को निम्नलिखित कार्य करने का सुझाव :

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को RFCTLARR (HP) नियम 2015 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने का सुझाव दिया जाता है :

- **शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता :** भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर से संबंधित शिकायतों के समय पर समाधान के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी चाहिए। यह शुरुआत से परियोजना के अंत तक मौजूद रहना चाहिए।
- पुनर्वास कार्य योजना की गुणवत्ता की निगरानी एक वरिष्ठ नामित अधिकारी की निगरानी में नियमित आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए और प्रत्येक तीन महीने में एक बार बेहतर गुणवत्ता की निगरानी नियमित आधार पर बाहरी एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।
- आर एंड आर का मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सुझाव का उपयोग आगे की कार्रवाई के लिए किया जाना चाहिए। आर एंड आर (पुनर्वास कार्य योजना) का मूल्यांकन योजना के मध्य में और एक अंतिम अवधि पर होना चाहिए।

8.3. महिलाओं के लिए प्रबंधन योजना :

प्रस्तावित परियोजना का महिलाओं पर संभावित प्रभाव भूमि के रूप में अचल संपत्तियों से जुड़ी दीर्घकालिक सुरक्षा का नुकसान हो सकता है। प्रबंधन योजना को परियोजना प्रभावित महिलाओं को वित्तीय स्थिरता से मजबुत करने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उनकी वर्तमान स्थिति को ऊपर उठाने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। हालांकि, जहां परियोजना के माध्यम से महिलाओं को नियोजित किया जाएगा वहां सुरक्षा और सुरक्षा की कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। महिलाओं को भी प्रबंधन योजना की समान लाभार्थी बनने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थित उपाय किए जाना चाहिए :

.1. कार्यन्वयन एजेंसी को सक्रिय पहल करनी चाहिए ताकि संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए समूह–आधारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए महिलाओं से उचित परामर्श लिया जा सके और उन्हें कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जा सके।

2. आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और बढ़ावा देने की जरूरत है।

3. पीएएफ की महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित और संरचित योजना को संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है।

8.4 विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी :

परियोजना की तैयारी से लेकर निर्माण चरण तक और एक हद तक संचालन चरण तक परियोजना में महिलाओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा :

• परियोजना तैयार करने के चरण में, सर्वेक्षण और परामर्श के दौरान महिलाओं की भागीदारी संभव हुई।

• निष्पादन एजेंसी सक्रिय पहल करेगी ताकि संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए महिलाओं से उचित परामर्श किया जा सके और उन्हें समूह आधारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सके।

• महिलाओं के कौशल को ध्यान में रखते हुए निर्माण चरण के दौरान और संचालन चरण के दौरान भी महिलाओं को काम मे लगाया जाना चाहिए।

• निगरानी और मूल्यांकन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

• महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उनकी समग्र सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में मदद करेंगे और उन्हें सुरक्षा की स्थिति प्रदान करेंगे।

• महिलाओं के लाभ से संबंधित परियोजना कार्य की निगरानी उनकी भागीदारी को आमंत्रित करेगी जो प्रक्रिया को उनके लिए अधिक पारदर्शी बनाएगी। महिलाओं को उनके दृष्टिकोण से परियोजना के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बेहतर और अनुकूल स्थिति बनाने के लिए परियोजना में आगे संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उनके उपयोगी सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा।

8.5 निर्माण शिविरों में महिलाओं का प्रावधान

• **अस्थायी आवास –** श्रमिकों/श्रमिकों के परिवारों को निर्माण कार्य के दौरान श्रमिक शिविर स्थल पर उपयुक्त आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिये। कमरे का आकार मानक (4मी0,2/व्यक्ति) के अनुसार होना चाहिए। मानक उपलब्ध न होने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया जाना चाहिये। डिजाइन को निर्माण पर्यवेक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाना चाहिये। ऐसे परिवारों के लिए स्वीकृत डिजाइन के अनुसार कमरों का निर्माण किया जाना चाहिये।

• **स्वास्थ्य केंद्र –** निर्माण शिविर के लिए अस्थायी रूप से स्थापित स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं या मामूली दुर्घटना के मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम एक विजिटिंग डॉक्टर होना चाहिए, बड़ी बीमारियों और गंभीर मामलों के

रोगियों को रेफर करने के लिए निकटतम अस्पताल के साथ संबंध होना चाहिए। शिविर में माताओं और बच्चों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में एमसीडब्ल्यू (मातृ एवं बाल कल्याण) इकाइयां होनी चाहिए। इसके अलावा, स्वास्थ्य केंद्र बच्चों के लिए आवश्यक नियमित टीकाकरण प्रदान करेगा।

• **शिशु गृह सुविधाएं** – यह उम्मीद की जाती है कि महिला श्रमिकों में निर्माण स्थल पर शिशुओं और छोटे बच्चों वाली माताएं होंगी। शिशु गृह का प्रावधान ऐसी महिलाओं की समस्याओं को हल कर सकता है जो अपने बच्चों को शिशु गृह में छोड़कर दिन के लिए निर्माण गतिविधियों में काम कर सकती हैं।

• **निर्माण कार्यों का समय निर्धारण** – तेजी से निर्माण कार्य की मांग के कारण यह उम्मीद की जाती है कि 24 घंटे का कार्य शेड्यूल चालू रहेगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट से छूट दी जानी चाहिए। यौन उत्पीड़न को कम करने के लिए निर्माण स्थल पर कड़ी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

• **शिक्षा सुविधाएं** – निर्माण श्रमिक मुख्य रूप से चलते–फिरते समूह हैं। वे अपने परिवारों को साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसलिए उनके बच्चों को उनके काम के स्थान पर शिक्षित करने की आवश्यकता है। प्राथमिक शैक्षिक सुविधाओं के साथ डे क्रेच सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

8.6 प्रशिक्षण आवश्यकता का आकलन

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में पीएपी के आर्थिक निर्वाह के लिए रणनीति बनानी होगी। उन्हें नए कौशल प्रदान करने या प्रशिक्षण के माध्यम से अपने मौजूदा कौशल को उन्नत करने के लिए अपने उत्पादन स्तर को सुधारने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। चूंकि पीएफ ज्यादातर अपनी प्राथमिक आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए प्रशिक्षण उनकी आय बहाली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। पीएएफ के लिए जो अपनी आर्थिक गतिविधियों में विविधता लाने का इच्छा रखते हैं, उन्हें उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार आय सृजन में संलग्न करने के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करनी होगी। कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, सामान्य उद्यमिता विकास का भी आकलन करने की आवश्यकता है और ऐसे विकास कार्यक्रम भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए जिसका उद्देश्य पीएपी की प्रबंधकीय क्षमताओं में सुधार करना हो। इसके अलावा, कुछ कौशल जैसे सिलाई और बुनाई, छोटी अच्छी दुकानें, विपणन–खरीद और बिक्री स्थानीय उत्पाद आदि के प्रति महिलाओं की पहुंच में सुधार के लिए क्षमता बढ़ाने वाली सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, जो महिलाओं के लिए आय के पूरक स्रोत के रूप में कार्य कर सकती है। परियोजना से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी

दिया जा सकता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से महिला समुदाय के विकास और कल्याण के लिए बनाई गई मौजूदा सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे और प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना से पूरक निधियों को स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे कई सरकारी योजनाए और एनजीओ हैं जिनसे इस उद्देश्य के लिए संपर्क किया जा सकता है और उनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि :

क. स्वयं सहायता समूह,

ख. महिला और बाल विकास के लिए समर्थन,

ग. विभिन्न गांवों में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आदि।

8.7 कौशल विकास के माध्यम से आजीविका संचालन और आय सृजन की रणनीति :

इस परियोजना से कौशल विकास प्रशिक्षण और तहसील स्तर पर चल रही सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव के माध्यम से आय सृजन के अवसर प्रदान करने की उम्मीद है। निष्पादन एजेंसी पीएपी के लाभ के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को गतिशील बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। निष्पादन एजेंसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ देने के लिए पीएफ और तहसील के समबंधित विभाग के साथ काम करेगी।

आय सृजन गतिविधियों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू में उन पीएफ का कौशल मानचित्रण शामिल है जिनकी आजीविका भूमि अधिग्रहण के कारण सीधे प्रभावित होती है। क्षेत्र के संसाधन आधार से जुड़े कौशल विकास विकल्प और बाजार की उपलब्धता पर पीएएफ के साथ चर्चा की जाएगी ताकि कुछ कौशल विकास प्रशिक्षण का चयन करने में उनकी प्राथमिकताओं का पता लगाया जा सके। पीएफ को अल्पकालिक व्यवस्था के बजाय व्यवहार्य दीर्घकालिक आय–सृजन योजनाओं के विकास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए व्यवहार्य स्थायी प्रस्ताव तैयार करने के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों, जिला प्रशासन और संस्थागत वित्तपोषण और विपणन संघों में अन्य हितधारकों के परामर्श से ऐसी योजनाओं की पहचान कार्यकारी एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान कार्य की आवश्यकता के साथ मौजूदा कौशल का उपयोग करने का भी प्रयास करना चाहिए। पीएफ को काम पाने की सख्त जरूरत के लिए आवश्यक कौशल के न होने की स्थिति में, परियोजना को ठेकेदार के परामर्श से नौकरी प्रशिक्षण की सुविधा भी देनी चाहिए।

इसके अलावा, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, परियोजना प्रभावित परिवारों को कौशल विकास प्रशिक्षण के द्वारा नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। पीएफ संबद्ध कृषि गतिविधियों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, पशु पालन आदि में भी शामिल हो सकते हैं, जो पीएएफ के

मौजूदा पशुधन की देखभाल भी करेंगे। परियोजना को विभिन्न संगठनों की मदद से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान करने में पीएफ की मदद करने पर भी ध्यान देना चाहिए।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना को इसके द्वारा सृजित नौकरियों के लिए पीएफ के क्षेत्र में आवश्यक कौशल के प्रकार का पता लगाने के लिए एक आजीविका मानचित्रण अभ्यास सुनिश्चित करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उन लोगों की पहचान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जो आजीविका और कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं और इस प्रकार उपयुक्त और पाठ्यक्रम और कक्षाओं को खोजने के लिए अपनी रुचि के क्षेत्रों को वर्गीकृत करते हैं। एजेंसी पीएफ को विस्तारित समर्थन के रूप में परियोजना प्रभावित क्षेत्र के आसपास उपयुक्त प्रशिक्षण संस्थानों, कक्षाओं और संगठनों की पहचान भी कर सकती है।

8.8. हिमाचल प्रदेश नियम 2015 के अनुसार अपेक्षित निकाय द्वारा उपाय :

यह एसआईए रिपोर्ट आवश्यक निकाय के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने और सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई आकांक्षा के अनुसार कार्य योजना तैयार के लिए फायदेमंद होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के आलोक में अपेक्षित सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

क. भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों 2015, के अनुसार भूमिहीन और आवासहीन हो रहे पीएफ के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक पूर्ण आर एंड आर नीति और योजना विकसित की जनी चाहिए और साथ ही पीएफ के बार–बार विस्थापन न होना परे इस पर विचार किया जाना चाहिए।

ख. प्रभावित परिवार जिनका व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा हैं, उन परिवारों को जब तक व्यवसाय पूर्व के स्थिति में न आ जाय तब तक आर्थिक सहयोग भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों 2015 के नियमानुसार किया जाना चाहिए।

8.9 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था :

अधिनियम 2013 के अनुसार, जहां अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि 100 एकड़ या उससे अधिक है,सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में एक "पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति" का गठन करेगी। इस समिति का उद्देश्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं या योजना का कार्यान्वयन कि प्रगति की समीक्षा करना और ग्राम सभा के परामर्श से कार्यान्वयन के बाद सामाजिक अंकेक्षण करना चाहिए। उसके बाद कार्यान्वयन और सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य निम्नानुसार हो सकते है:

1. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का एक प्रतिनिधि।

2. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जाति की आबादी का एक प्रतिनिधि।
3. क्षेत्र में कार्यरत किसी स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) का प्रतिनिधि।
4. परियोजना का भू–अर्जन अधिकारी।
5. प्रभावित क्षेत्र की पंचायत/पंचायतों के अध्यक्ष या उनके नामिती।
6. संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य या उनके नामांकित व्यक्ति। (जीपी प्रधान)
7. अपेक्षित निकाय का एक प्रतिनिधि।
8. संयोजक के रूप में आर एंड आर के लिए प्रशासक।

8.10 शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) :

प्रभावित परिवार को उनके शंकाओं और शिकायतों का तत्काल समाधान करने के लिए एक कुशल निवारण तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। पीएफ की शिकायतों को पहले परियोजना के क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए। उन अधिकारियों द्वारा शिकायतों के समाधन न हाने के स्थित में शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) में लाया जाना चाहिए। प्रस्तावित जीआरसी की संरचना आर एंड आर समिति के समान हो सकता है। यह समिति का बैठक मासिक आधार पर या अवश्यकता अनुसाार होनी चाहिए या राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए। जीआरसी की मुख्य जिम्मेदारियां हो सकती हैः

- भूमि/संपत्ति अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर पीएफ को सहायता प्रदान करना।
- पीएफ की शिकायतों को रिकॉर्ड करना, शिकायतों को वर्गीकृत करना और प्राथमिकता के अनुसार उनका समाधान करना;
- पीएफ को उनकी शिकायतों और जीआरसी के निर्णयों के बारे में घटनाक्रम पर रिपोर्ट करना।

न्यायालय के तहत स्वामित्व अधिकारों से संबंधित विवादों के अलावा, जीआरसी सभी पुनर्वास लाभ, मुआवजा, स्थानांतरण, प्रतिस्थापन लागत और अन्य सहायता से संबधित शिकायतों का समीक्षा करना। जब कोई शिकायत फील्ड स्तर के पदाधिकारियों के पास लाई जाती है, तो शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर समाधान किया जाना चाहिए। जीआरसी की बैठक प्रति माह होनी चाहिए (यदि शिकायतों को समिति में लाया जाता हैं), प्रत्येक शिकायत का योग्यता का निर्धारण करना और शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतों का समाधान करना, इससे समाधन न होने पर शिकायतों का निवारण के लिए उपयुक्त न्यायालय संदर्भित किया जाना चाहिए।

अध्याय– नौ

जनसुनवाई / लोकसुनवाई

आलेख्य प्रतिवेदन पर आयोजित सभी जन सुनवाई बैठकें RTFCTLAR 2013 और HP-2015 की अनुसूची–8 के अनुसार वीडियो रिकॉर्ड की गईं और किसी भी समीक्षा और सत्यापन और सार्वजनिक फीडबैक के सत्यापन के लिए HIPA को प्रस्तुत की गईं।

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (C) SHAHPUR, DISTRICT KANGRA (HP)

SDM /SHA/ OK/2023-224-228 Dated:18-03-2023

PUBLIC HEARING NOTICE

Whereas it appeases to the Government of Himachal Pradesh to acquire land in 02 Panchyats of Tehsil Shahpur Distt. Kangra HP at the public expenses for a public purpose namely expansion of Kangra Airport at District Kangra HP.

Himachal Pradesh social impact Assessment unit as per section 4 of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement Act 2013 has prepared and submitted the draft social impact assessment and report and social impact management plan (both in English and Hindi for the public under the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013).

This Notice is hereby issued under the provisions of section 5 of right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 to all whom it may concern for seeking feed back in finding if the draft social impact assessment impact report and social impact management plans both in hindi and English and to seek any other additional information as deemed necessary for in corporation in the final document/ report .

Therefore , in exercise of the power conferred under section 5 of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement Act 2013, I Kartar Chand HPAS Sub Divisional Collector Shahpur do hereby notify date, time and venue for the public hearing under the provision of 8 (1) Right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement (Social impact assessment and consent) rule 2015 as under.

Sr. No.	Mohal	Venue	Date	Time
1	Rachhialu, Bhadot, Kiyodi	Gram Panchyat Office Rachhialu	10-04-2023	11:00 AM
2	Jugehar	Gram Panchayat Office Kuthman	10-04-2023	11:00 PM

Therefore, any person interested who has any objection to the aforesaid draft report may file objection within three weeks of publication of this notice in written before me in writing on the date of public hearing. The draft report both in English and Hindi is available in the office of Deputy commissioner Kangra at Dharamshala and Sub Division Office Shahpur and Gram Panchyat Office Rachhialu, and Kuthman and on the website that i.e www.himachal.nic.in/hipa.

Collector Cum
Sub Divisional Officer (C)
Shahpur

Endst. No. 224-228/OK dated 18-03-2023
Copy forwarded to:-

1. The Chairperson, H.P. Social Impact Assessment Unit, Shimal (H.P.) for information please.
2. The Deputy Commissioner Kangra at Dharamshala for information please.
3. The Pradhan Gram Panchayat Rachhialu, and Kuthman with the request to inform affected people and concerned area representative . This is for information and necessary action please.
4. Social Responsibility (SR) Asia Ghaziabad UP for the information and necessary action please.

Collector Cum
Sub Divisional Officer (C)
Shahpur

Office of the Sub Divisional Officer (C) Kangra Distt. Kangra H.P.

SDM/KNG/SDK/2023-201-209

Dated 18th April 2023

PUBLIC HEARING NOTICE

Whereas it appeases to the Government of Himachal Pradesh to acquire land in 5 Panchayats of Tehsil Kangra Distt. Kangra HP at the public expenses for a public purpose namely expansion of Kangra Airport at Distt. Kangra.

Himachal Pradesh Social Impact Assessment Unit as per section 4 of the Right to Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehablitation and Resettlement Act 2013 has prepared and submitted the Draft Social Impact Assessment report and Social Impact Managemant Plan (both in English & Hindi for the public under the Right to Fair Compensaation & Transparency in Land Acquisition, Rehablitation and Resettlement Act 2013).

This notice is hereby issued under the provisions of section 5 of Right to Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 to all whom it may concern for seeking feedback in findings of the Draft Social Impact Assessment Impact report and Social Impact Managemant Plans both in Hindi and English and to seek any other additional information as deemed necessary for incorporation in the final document report.

Therefore, in exercise of the power conferred under section 5 of Right to Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehablitation and Resettlement Act 2013, I, Sub Division Collector Kangra do hereby notify date, time and venue for the public hearing under the provision of section 8 (1) Right to Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehablitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rule 2015 as under

Sr. No.	Mohal	Venue	Date	Time
1.	Bhedi, Dhugiari Khas, Sanour	Gram Panchayat Office Sanour	11-04-2023	11-00 AM
2.	Gaggal Khas	Gram Panchayat Office Gaggal	11-04-2023	11-00 AM
3.	Balla	Gram Panchayat Office Matour	11-04-2023	11-00 AM
4.	Jhikli Ichhi, Mungrehad, Bagh. Barsbalkar	Gram Panchayat Office Jhikli Ichhi	12-04-2023	11-00 AM
5.	Sahoura	Gram Panchayat Office Sahoura	12-04-2023	11-00 AM

Therefore, any person interested who has any objection to the aforesaid draft report within three weeks of publication of this notice may file objection before me in writing on the date of public hearing. The draft report both in English and Hindi is available in the offices of Deputy Commissioner Kangra at Dharamsala, Sub Divisional Officer (C) Kangra and Pradhan Gram Panchayat Sanour, Gaggal, Matour, Jhikli Ichhi & Sahoura and on the website i.e www.himachal.nic.in/hipa.

Collector-Cum
Sub-Division Office (C),Kangra.

Endst. 201-209/SDK dated 18-03-2023

Copy forwarded to:-

1. The Chairperson, H.P. Social Impact Assessment Unit, Shimla (H.P.) for information please.
2. The Deputy Commissioner Kangra at Dharamsala for information please.
3. The Pradhan Gram Panchayat Sanour, Gaggal, Matour, Jhikli-Ichhi & Sahoura with the request to inform affected people and concerned area representatives. This is for information & necessary action please.
4. Social Responsibility (SR) Asia,Ghaziabad UP for the information & necessary action please.

Collector Cum
Sub Division Office (C) Kangra.

जनसुनवाई / लोकसुनवाई की कार्यवृती तहसील शाहपुर

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार की धारा–5 और हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नियम 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार की धारा–8(1) के अनुसार जन सुनवाई आयोजित की गई। सार्वजनिक जनसुनवाई उपमंडलाधिकारी नागरिक, शाहपुर कार्यालय से प्राप्त अधिसूचना संख्या SDM/SHA/OK/2023-224-228 दिनांक 18 मार्च, 2023 के अनुसार दिये गये समय–सारणी, जगह और विभिन्नहित धारको के साथ मिलकर निष्पादित की गई है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

जनसुनवाई / लोकसुनवाई की कार्यवृती : I

स्थान : पंचायत भवन रछियालू **ग्राम :** भड़ोत, क्योड़ी और रछियालू

उपस्थित सदस्यों की संख्या : लगभग 175 **तहसील :** शाहपुर

सार्वजनिक अधिसूचना एवं एस0आर0एशिया द्वारा प्रचार प्रसार के अनुसार दिनांक 10/04/23, समय पूर्वान्ह 11 बजे ग्राम भड़ोत, क्योड़ी और रछियालू के संरेखण में आने वाली भूमि व परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित सामाजिक समाघात आकलन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जनसुनवाई ग्राम पंचायत भवन रछियालू में अयोजित की गई, जिसमे भू–अर्जन अधिकारी शाहपुर (उप मंडलाधिकारी नागरिक), उप मंडलाधिकारी कांगड़ा, पुलिस अधीक्षक एवं विभागीय प्रतिनिधि (पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, बिजली, जल एवं जीवन मिशन आदि) उपस्थित रहे।

सामाजिक समाघात आकंलन संस्था –एस0आर0एशिया के प्रतिनिधि श्री विरेन्द्र रतूड़ी, अंतरराष्ट्रीय निदेशक एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

भू–अर्जन अधिकारी शाहपुर ने सभा में उपस्थित सदस्यों का अभिवादन करते हुए जनसुनवाई का शुभारम्भ किया एवं संक्षिप्त में सामाजिक समाघात आकलन रिर्पोट की जानकारी को प्रस्तुत किया।

एसआर एशिया के निदेशक द्वारा सर्वप्रथम भूअधिनियम 2013 एवं हिप्रा. 2015 के मौलिक सिद्धांतो एवं नियमों का वर्णन किया गया। ततपश्चात ग्राम भड़ोत, क्योडी और रछियालू से संबधित सामाजिक समाघात प्रतिवेदन एवं प्रबन्धन योजना को बिन्दुवार साझा किया गया और ग्रामीणों (परियोजना प्रभावित एवं अन्य) से अतरिक्त सुझावो एवं आपत्तियों को आमंत्रित किया गया।

प्रभावित निम्न लोगो एवं उनके प्रतिनिधियों ने सुझाव एवं आपत्तियों का ज्ञापन दिये जो निम्नवत् हैः–

क्र.स	ज्ञापन देने वाले का नाम	ग्राम	मोबाइल न0
1	मुखतियार खान पूर्व प्रधान	रछियालू	9816833612
2.	श्री भूमि सिंह एवं अन्य सदस्य	रछियालू	8894626137

3	श्री ओम प्रकाश पुत्र गुनी राम	रछियालू	–
4	श्री हरि सिंह पुत्र मोती राम	रछियालू	9816842101
5	श्री प्रताप चंद पुत्र दीवान चंद	रछियालू	–
6	श्री अमित कुमार सदस्य वार्ड न02 एवं प्रभावित ग्रामवासी	रछियालू	9816536011

क्र.स	आपत्तिकर्ता	प्राप्त आपत्तियां/सुझााव	निवारण के उपाय
1	मुखतियार खान पूर्व प्रघान	1. यदि हमारे ग्राम की आबादी वाली भूमि में हवाई पट्टी का निर्माण नहीं हो रहा है और भूमि का अधिग्रहण किसी अन्य काम के लिए किया जा रहा है तो यह भूमि भड़ोत के ग्राम से लिया जाए जिससे आबादी प्रभावित न हो। 2. परियोजना से विस्थापित परिवार को वार्ड न0–1 में 15 कनाल भूमि में टूरिस्ट –वेस्ड बना रहा है उसे उस जगह पर न बना कर सराह पंचायत में बनाया जाय और खसरा नं0 3 रकवा 72 कनाल जमीन में विस्थापित लोगो को कलोनी बना कर दिया जाय 3. भूमि का सर्किल मूल्य सड़क से 100 मीटर के अन्दर 10 लाख 50 हजार और 100 मीटर से ऊपर 5 लाख 50 हजार हैं यह कम हैं। इसलिए सर्किल मूल्य में संशोधन करते हुए। प्रभावित परिवारो को भूमि का एक समान मूल्य मिले।	1.यह आपत्तियां/सुझााव तकनीकी है इसलिए तकनीकी टीम को इस पर विचार करना चाहिए। 2. जिला भू अधिग्रहण अधिकारी तथ्यो का विवेचन करके, पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना मे उचित करवाई हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 3.वर्तमान भूमि का सर्किल मूल्य बहुत कम हैं इस मूल्य पर भूमि क्रय करना मुश्किल हैं ऐसी स्थिति में वर्तमान भूमि के अनुसार भूमि या भूमि के सर्किल मूल्य में संशोधन करते हुए बाजार मूल्य के अनुसार प्रतिकर दी जाय और एक परियोजना एक कीमत के अनुसार भूमि का मूल्य दी जानी चाहिए।
2	श्री भूमि सिंह एवं अन्य सदस्य	1. भू–अधिग्रहण से पहले विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन सभी	1.भू–अधिग्रहण से पहले विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना सभी मूलभूत सुविघा (शिक्षा, स्वास्थ, पानी,

		मूलभूत सुविधा के साथ जगह बताई जाए। 2. भूमि का कीमत बाजार कीमत के अनुसार और एक परियोजना समान लागत से भुगतान की मांग। 3. परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। 4. वर्ष 1989 एवं वर्ष 2007 में किये गये भूअधिग्रहण का प्रतिकर का भुगतान अभी तक कुछ परिवारो को सरकार द्वारा नहीं दिया गया हैं और मामला न्यायलय में विचाराधीन है ऐसे स्थिति में नया भूअधिग्रहण से प्रभावित न किया जाए।	बिजली, सड़क आदि) बनाई जानी चाहिए। 2. भूमि की कीमत बाजारू भाव/ कीमत के अनुसार और एक परियोजना समान लागत के अनुसार भुगतान की जानी चाहिए। 3. परियोजना प्रभावित परिवार के एक सदस्य को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। 4. हवाई अड्डे परियोजना में कुछ परिवार पहले ही अपनी भूमि एक–दो बार दे चूके हैं इसलिए प्रतिकर नियामानुसार अन्य लोगो से ज्यादा मिलना चाहिए एवं वर्ष 1989 एवं वर्ष 2007 का प्रतिकर का भुगतान ब्याज सहित अतिशीध्र दी जानी चाहिए।
3	श्री ओम प्रकाश पुत्र गुनी राम	खासरा न. 491/474 की भूमि का हवाई अड्डे विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क बनाकर कब्जा कर लिए गया हैं इसलिए इस भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए।	इस भूमि का नियमानुसार सत्यापन कराकर भूमि का प्रतिकर शिध्र दी जानी चाहिए।
4	श्री प्रताप चंद पुत्र दीवान चंद	पूर्व भू–अधिग्रहण मे खसरा न. 663 और 664 की थोडी भूमि अवशेष हैं जिसमें भूस्वामि न कृषि एवं निर्माण कार्य कर सकता है इसलिए इस भूमि का भी अर्जन किया जाय।	उपयुक्त कार्यवाई नियमानुसार की जाय।
5	श्री अमित कुमार सदस्य वार्ड न. 2 एवं प्रभावित ग्रामवासी	1 जमीन के बदले जमीन दी जाय। 2. परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।	1. जमीन के बदले जमीन, सभी मूलभूत सुविधा के साथ दी जाए। 2. परियोजना प्रभावित परिवार के एक सदस्य को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए।

		3. भू–अधिग्रहण से पहले विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना सभी मूलभूत सुविघा के साथ ग्रामवार बनाई जाए। 4. परियोजना के लिये वांछित भूमि का मूल्य एक समान करने की मांग (एक परियोजना समान कीमत) है। 5. भूमि का प्रतिकर एक किस्त में दिया जाय। 6. विस्थापितो के लिए दो वर्ष का न्यूनतम समय की मांग।	3.भू–अधिग्रहण से पहले विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना सभी मूलभूत सुविघा के साथ ग्रामवार एवं समुदायवार बनाई जानी चाहिए। 4. भूमि की कीमत बाजारू भाव/कीमत के अनुसार और एक परियोजना समान लागत के अनुसार भुगतान किया जाय। 5. भूमि का प्रतिकर अग्रिम रूप से तथा एक बार एक किस्त में दिया जाना चाहिए। 6. विस्थापित प्रभावित परिवारो को विस्थापन के लिए न्यूनतम दो वर्ष का समय दिया जाय।
6	श्रीमती संजू कुमारी (प्रघान) और पंकु कांगडिया (जिला परिषद)	1. भूमि का मूल्य बाजारू मूल्य के अनुसार और एक परियोजना एक कीमत के अनुसार होना चाहिए। 2. भूमि का प्रतिकर एक किस्त में दिया जाय। 3 जमीन के बदले जमीन दिया जाय। 4. परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। 5. भू–अधिग्रहण से पहले विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना सभी मूलभूत सुविघा के साथ हमारे पंचायत के वार्ड न. 1 में 15 कनाल भूमि में किया जाए एवं वार्ड न. 1 में और क्योडियां में हि.प्र. सरकार टूरिस्ट–वेस्ड	1. भूमि की कीमत बाजारू भाव/कीमत के अनुसार और एक परियोजना समान लागत के अनुसार भुगतान किया जाय। 2. भूमि का प्रतिकर अग्रिम रूप से तथा एक बार एक किस्त में दी जानी चाहिए। 3. जमीन के बदले जमीन सभी मूलभूत सुविधा के अनुसार नियमानुसार दी जाय। 4. परियोजना प्रभावित परिवार के एक सदस्य को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। 5. भू–अधिग्रहण से पहले विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना सभी मूलभूत सुविघा के साथ हमारे पंचायत के वार्ड न. 1 में 15 कनाल भूमि में की जाय एवं वार्ड न. 1 में

		बना रही है उसे सराह पंचायत की भूमि पर बनाई जाए।	और क्योडियां में हि.प्र. सरकार टूरिस्ट–वेस्ड बना रही है उसे सराह पंचायत की भूमि पर बनाई जाए।

प्रथम दृष्टि परियोजना प्रभावित परिवार भूमि देने के लिए सहमत नहीं हैं परंतु यदि सरकार जबरन हवाई अड्डे बनाना चाहती हैं और प्रभावित परिवारो को विस्थापित करती हैं तो प्रभावित परिवार केवल इन शर्तों पर अपनी भूमि देंगे, यदि भूमि का प्रतिकर उचित मूल्य के साथ साथ विस्थापन लगभग 5 कि0मी0 के अन्तर्गत, भूमि का प्रतिकर अग्रिम रूप से तथा एक बार एक किस्त में दी जानी चाहिए, एक परियोजना समान लागत के अनुसार भुगतान और साथ ही साथ विस्थापित जगह पर सभी मूलभूत सुविघाये उपलब्ध हो, जिससे समाज मे एक दुसरे पर निर्भता बनी रहे। अधिग्रहण से बची हुई भूमि पर सिंचाई हेतु प्रभावित नाली का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बची भूमि पर फसलो का उत्पादन को सके, यदि सरकार इन शर्तो को नहीं मानती है और जबरन भू अर्जन की कार्यवाई करती हैं तो ग्रामवासी मजबुरन परियोजना का भरपुर विरोध करेंगे और अपना भूमि किसी भी कीमत पर नहीं देंगे।

जनसुनवाई / लोकसुनवाई की कार्यवृती : II

स्थान : पंचायत भवन कुठमां **ग्राम :** जुगेहड़

उपस्थित सदस्यों की संख्या : लगभग 75 **तहसील :** शाहपुर

सार्वजनिक अधिसूचना एवं एस0आर0एशिया द्वारा प्रचार प्रसार के अनुसार दिनांक 10 / 04 / 23, समय पूर्वान्ह 11 बजे ग्राम जुगेहड़ के संरेखण में आने वाली भूमि व परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित सामाजिक समाघात आकलन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जनसुनवाई ग्राम पंचायत भवन कुठमां में अयोजित की गई, जिसमे तहसीलदार शाहपुर एवं तहसील के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

सामाजिक समाघात आकंलन संस्था –एस0आर0एशिया के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक व कु0 जया यादव एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

तहसीलदार शाहपुर ने सभा में उपस्थित सदस्यों का अभिवादन करते हुए जनसुनवाई का शुभारम्भ किया एवं संक्षिप्त में सामाजिक समाघात आकलन रिर्पोट की जानकारी को प्रस्तुत किया।

एसआर एशिया के परियोजना निदेशक द्वारा सर्वप्रथम भूअधिनियम 2013 एवं हिप्रा. 2015 के मौलिक सिद्धांतो एवं नियमों का वर्णन किया गया। ततपश्चात ग्राम जुगेहड़ से संबधित सामाजिक समाघात प्रतिवेदन एवं प्रबन्धन योजना को बिन्दुवार साझा किया गया और ग्रामीणों (परियोजना प्रभावित एवं अन्य) से अतरिक्त सुझावो एवं आपत्तियों को आमंत्रित किया गया।

प्रभावित परिवारो द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्तियों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	आपत्तिकर्ता	प्राप्त आपत्तियां / सुझााव	निवारण के उपाय
1	श्री परवीन सिंह पुत्र खजान सिंह, श्री जोगिंदर सिंह (जिला पंचायत सदस्य) आदि	1. पटवारी कार्यालय को ग्राम सभा में बनाये जाने की मांग। 2. अधिग्रहीत जमीन के बदले जमीन की मांग। 3. प्रभावित परिवार अपने भूमि का अधिग्रहण होने से पहले एक मुश्त मुआवजा की अग्रिम मांग। और पिछले भूमि अधिग्रहण का भुगतान अतिशिध्र करने की मांग। 4. प्रभावित परिवारों ने अधिग्रहित भूमि का पूरी जनकारी की मांग। 5.प्रभावित परिवार जमीन में लगाए गए वृक्षारोपण के लिए उचित मुआवजा की मांग।	1. प्रभावित पटवारी कार्यालय को ग्राम सभा के अंतर्गत बनाई जानी चाहिए। 2. जमीन के बदले जमीन उसी गुणवत्ता के अनुसार दी जानी चाहिए। 3. प्रभावित परिवारो के भूमि का अधिग्रहण करने से पहले एक मुश्त मुआवजे का अग्रिम भुगतान होना चाहिए और साथ ही साथ पिछले भूमि अधिग्रहण का भुगतान भी अतिशिध्र की जानी चाहिए। 4. संबधित विभाग के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीणो को हवाई अड्डे के एलाइनमेंट की जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 5. विभाग द्वारा वृक्षारोपण का उचित मूल्यांकन कराकर मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।
2	1.श्रीमती बीना कुमारी पुत्री श्री हरनाज सिंह, 2. श्री जोगिंदर सिंह 3.श्री संदीप सिंह पुत्र	1. प्रस्तावित हवाई अड्डे के विस्तार के लाभों के बारे में जानकारी की मांग। 2. एयर इंडिया या अन्य सरकारी विभाग में उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर अपने बच्चों के लिए नौकरी की मांग।	1. हवाई अड्डे के विस्तार के सभी लाभों को ग्रामीणों तक पहुंचाई जानी चाहिए। 2. परियोजना प्रभावित परिवार के एक सदस्य को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए।

	लेफ्टिनेंट श्री सुचेत सिंह		
3	श्री साहिल राणा पुत्र बलजित राणा श्री किशोरी लाल पुत्र श्री मोहन लाल	1. ग्रामीण अपनी मांगों को रखने से पहले सर्किल मूल्य की जानकारी चाहते हैं। 2. भूमि के मुआवजे की धनराशि अग्रिम एवं एक मुश्त होना चाहिए, यदि भुगतान में विलंब होना पर दे धनराशि पर ब्याज की मांग। 3. अधिग्रहीत जमीन के बदले जमीन की मांग। 4. भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण में उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर अपने बच्चों के लिए नौकरी की मांग।	1.प्रभावित भूमि का सर्किल मूल्य घोषीत की जानी चाहिए। 2. भूमि के मुआवजे की धनराशि अग्रिम एवं एक मुश्त होना चाहिए, यदि भुगतान में विलंब होती है तो ब्याज सहित धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। 3. भूमि के बदले भूमि उसी गुणवत्ता के अनुसार दी जानी चाहिए। 4. परियोजना प्रभावित परिवार के एक सदस्य को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए।
4	श्री संदीप सिंह पुत्र लेफ्टिनेंट श्री सुजित सिंह	1. श्री संदीप सिंह पिछले 100 वर्षो से सरकारी भूमि पर मकान बना कर रहे है, विस्थापन के स्थित में उक्त भूमि के बदले मुआवजे की मांग ।	1. सरकारी भूमि पर घर बनाने वालों को प्रतिकर या भूमि दी जानी चाहिए।
5	श्री– अनूप राणा पुत्र लेफ्टिनेंट– श्री– कल्याण सिंह	1. प्रस्तावित हवाई अड्डे के विस्तार एवं चार लेन सड़क परियोजना के संरेखन के जानकारी की मांग।	प्रस्तावित हवाई अड्डे के विस्तार एवं चार लेन सड़क परियोजना के संरेखन की जानकारी सभी ग्रामवासीयों को दी जानी चाहिए।

इसके अतरिक्त ग्रामवासियों ने अपनी भूमि हवाई अड्डे के लिए देने को तैयार हैं यदि भूमि का प्रतिकर उचित मूल्य के साथ साथ विस्थापन लगभग 5 कि0मी0 के अन्तर्गत, मुआवजा की धनराशि अग्रिम एवं एक मुश्त प्रदान की जाय, भूमि की कीमत बाजारू भाव / कीमत के अनुसार और एक परियोजना समान लागत के अनुसार भुगतान और साथ ही साथ विस्थापित जगह पर सभी मूलभूत सुविधाये उपलब्ध हो, जिससे समाज मे एक दुसरे पर निर्भता बनी रहे साथ ही

साथ बची हुई भूमि पर सिंचाई हेतु प्रभावित नाली का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बची भूमि पर फसलो का उत्पादन को सके यदि सरकार इन शर्तो को नहीं मानती है और जबरन भू अर्जन की कार्यवाई करती हैं तो ग्रामवासी मजबुरन परियोजना का भरपुर विरोध करेंगे और अपना भूमि किसी भी कीमत पर नहीं देंगे।

जनसुनवाई / लोकसुनवाई की कार्यवृती तहसील कांगड़ा

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार की धारा–5 और हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नियम 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार की धारा–8(1) के अनुसार जन सुनवाई आयोजित की गई। सार्वजनिक जनसुनवाई उपमंडलाधिकारी नागरिक, शाहपुर कार्यालय से प्राप्त अधिसूचना संख्या SDM/ KNGS/SDK//2023-201-209 दिनांक 18 मार्च, 2023 के अनुसार दिये गये समय–सारणी, जगह और विभिन्नहित धारको के साथ मिलकर निष्पादित की गई है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

जनसुनवाई / लोकसुनवाई की कार्यवृती : I

स्थान : पंचायत भवन मटौर **ग्राम :** बल्ला

उपस्थित सदस्यों की संख्या : लगभग 70 **तहसील :** कांगड़ा

सार्वजनिक अधिसूचना एवं एस0आर0एशिया द्वारा प्रचार प्रसार के अनुसार दिनांक 11 / 04 / 23, समय पूर्वान्ह 11 बजे ग्राम बल्ला के संरेखण में आने वाली भूमि व परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित सामाजिक समाघात आकलन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जनसुनवाई ग्राम पंचायत भवन मटौर में अयोजित की गई, जिसमे भू–अर्जन अधिकारी कांगड़ा, (उप मंडलाधिकारी नागरिक) एवं विभागीय प्रतिनिधि (पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, बिजली, जल एवं जीवन मिशन आदि) उपस्थित रहे।

सामाजिक समाघात आकंलन संस्था –एस0आर0एशिया के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

भू–अर्जन अधिकारी कांगड़ा ने सभा में उपस्थित सदस्यों का अभिवादन करते हुए जनसुनवाई का शुभारम्भ किया एवं संक्षिप्त में सामाजिक समाघात आकलन रिर्पोट की जानकारी को प्रस्तुत किया।

एसआर एशिया के परियोजना निदेशक द्वारा सर्वप्रथम भूअधिनियम 2013 एवं हिप्रा. 2015 के मौलिक सिद्धांतो एवं नियमों का वर्णन किया गया। ततपश्चात ग्राम बल्ला से संबधित सामाजिक समाघात प्रतिवेदन एवं प्रबन्धन योजना को बिन्दुवार साझा किया गया और ग्रामीणों (परियोजना प्रभावित एवं अन्य) से अतरिक्त सुझावो एवं आपत्तियों को आमंत्रित किया गया।

प्रभावित निम्न लोगो एवं उनके प्रतिनिधियों ने सुझाव एवं आपत्तियों का ज्ञापन दिये जो निम्नवत् है:–

क्र.स	ज्ञापन देने वाले का नाम	ग्राम	मोबाइल न0
1	कैप्टन निर्मल सिंह, प्रधान	मटौर	9805135937
2.	श्री रविंदर कुमार मोंगरा एवं निशा मोंगरा	बल्ला	9418033313

क्र0 सं0	आपत्तिकर्ता	प्राप्त आपत्तियां / सुझााव	निवारण के उपाय
1	कैप्टन निर्मल सिंह, प्रधान, श्रीमती व्यासा देवी, अवधेश कुमार, श्रीमती लज्जा देवी, श्री भोला प्रसाद, श्री बलदेव परसोना, श्री अश्वनी कुमार , श्री संदीप बालिया एवं अन्य ग्रामवासी	1. अधिकतर प्रभावित परिवार जीविकापार्जन के लिए अपनी उपजाऊ भूमि पर आश्रित हैं। इसलिए लोग परियोजना के लिए भूमि नही देना चाहते है। 2. परियोजना के संरेखन में बदलाव या किसी अन्य जगह पर बनाई जाए। 3. परियोजना से मकान, व्यवसाय प्रभावित होगा इसलिए भूमि नही देना चाहते हैं।	उपयुक्त पर नियमानुसार कार्यवाई की जाय।
2	श्री अरविन्द कंमार निवासी इच्छी, भूमि महाल बल्ला एवं बरसवालकड	1. मेरी भूमि बहुत ही उपजाऊ है एवं महाल बरसवालकड के भूमि खसरा न0 477/264 & 265 पर DDUGKY & HPKVN का NIOS केन्द्र संचालित हैं। इससे हमारा जीविकोपार्जन चलता हैं इसलिए भूमि नही देना चाहते हैं। 2. हवाई अड्डे प्राधिकरण द्वारा पछिले तीन वर्षो से खरीद बिक्री पर रोक के कारन भूमि के सर्किल मूल्य में वृद्धि नही हो पा रहा हैं इसलिए क्षेत्र का सर्किल मूल्य कम है, जो मान्य नहीं हैं। 3. पर्यटन विभाग ने अधिसुचना हि.प्र. 2015 के अनुसार निकाला हैं जो हमलोगो को मान्य नहीं हैं।	1. जमीन के बदले जमीन दिया जाय एवं संचालित केन्द्र का संचलन के लिए मकान या प्रयाप्त राशि दी जाए एवं जब तक उनका आय वर्तमान आय के अनुसार न हो प्रतिमाह आय के बराबर प्रतिकर दी जानी चाहिए। 2.भूमि के सर्किल मूल्य मे संशोधन करते हुए बाजार मूल्य के अनुसार दी जानी चाहिए। 3. पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना 2013 के अनुसार 4

		4. पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना 2013 के अनुसार 4 कि0मी0 के अर्न्तगत दिया जाय। 5.परियोजना प्रभावित क्षेत्र में जो स्कूल या अन्य संस्था संचालित है, उन संस्थाओं को परियोजना से प्रभावित होने के कारन अन्य स्थान पर संचालन के लिए अनुमति प्रदान की मांग। 6. भूमि का प्रतिकर RFCTLARR 2013 के अनुसार और एक परियोजना एक लागत सभी ग्राम में होने की मांग।	कि0मी0 के अर्न्तगत किया जाना चाहिए। 4.परियोजना प्रभावित क्षेत्र में जो स्कूल या अन्य संस्था संचालित है, उन संस्थाओं को परियोजना से प्रभावित होने के कारन अन्य स्थान पर संचालन के लिए अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। 6. भूमि का प्रतिकर RFCTLARR 2013 के अनुसार और एक परियोजना एक लागत सभी ग्राम में होनी चाहिए।
3	श्री मदन लाल बल्ला वार्ड न0 6	अधिग्रहण से सेब के बाग एवं मछली पालन का तलाब प्रभावित होने के कारन प्रतिकर की मांग	संबधित संस्था से मूल्याकंन कराकर प्रभावित संपति के आय के अनुसार प्रतिकर दी जानी चाहिए।
4	श्री मदन चौधरी	अधिग्रहण से प्रभावित बगीचे की प्रतिकर की मांग।	अधिग्रहण से प्रभावित बगीचे की मूल्यांकन कराकर उचित प्रतिकर दी जानी चाहिए।
5	श्री अवधेश कुमार	1. हवाई अड्डे को वैकल्पिक जगह पर बनाया जाय। 2. सर्किल मूल्य बहुत कम है और एक परियोजना एक लागत सभी ग्राम में करने की मांग। 3.हवाई अड्डे के आय में प्रभावित परिवारो ने पिढ़ी दर पिढ़ी हिस्से की मांग।	1.सर्किल मूल्य में संशोधन किया जाना चाहिए और एक परियोजना एक लागत सभी ग्राम में होनी चाहिए। 2.हवाई अड्डे के लाभ में प्रभावित परिवारो को पिढ़ी दर पिढ़ी हिस्सा दी जानी चाहिए।
6	श्रीमती रजनी देबी	मकान एवं दुकान के नुकसान के प्रतिकर की मांग।	प्रभावित मकान के लागत के अनुसार प्रतिकर दी जानी चाहिए और जब तक उनका व्यवसाय सुचारू रूप से न चले तब तक

			वर्तमान आय के अनुसार प्रतिमाह धनराशि दी जाय।

प्रथम दृष्टि परियोजना प्रभावित परिवार भूमि देने के लिए सहमत नहीं हैं परंतु यदि सरकार जबरन हवाई अड्डे बनाना चाहती हैं और प्रभावित परिवारो को विस्थापित करती हैं तो प्रभावित परिवार केवल इन शर्तों पर अपनी भूमि देंगे यदि भूमि का प्रतिकर उचित मूल्य के साथ साथ विस्थापन लगभग 5 कि0मी0 के अन्तर्गत, मुआवजा की धनराशि अग्रिम एवं एक मुश्त प्रदान की जाय, भूमि की कीमत बाजारू भाव / कीमत के अनुसार और एक परियोजना समान लागत के अनुसार और साथ ही साथ विस्थापित जगह पर सभी मूलभूत सुविघाये उपलब्ध हो, जिससे समाज मे एक दुसरे पर निर्भता बनी रहे। अधिग्रहण से प्रभावित संपत्तियों का उचित प्रतिकर मिलना चाहिए। अधिग्रहण से बची हुई भूमि पर सिंचाई हेतु प्रभावित नाली का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे बची भूमि पर फसलो का उत्पादन को सके, यदि सरकार इन शर्तो को नहीं मानती है और जबरन भू अर्जन की कार्यवाई करती हैं तो ग्रामवासी मजबुरन परियोजना का भरपुर विरोध करेंगे और अपना भूमि किसी भी कीमत पर नहीं देंगे।

जनसुनवाई / लोकसुनवाई की कार्यवृती : II

स्थान : पंचायत भवन गगल — ग्रामः गगल खास

उपस्थित सदस्यों की संख्या : लगभग 400 — तहसीलः कांगड़ा

गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 11 अप्रैल 2023 को गगल गांव में जनसुनवाई की गई। जन सुनवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे समाप्त हुई। जन सुनवाई में ए.डी.एम, एस.आर. एशिया टीम (सर्वे टीम), तहसीलदार, पटवारी, ग्राम प्रधान व ग्रामीण की उपस्थिति देखी गई। ए.डी.एम. ने ग्रामीणों को सभा का उद्देश्य समझाते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को जारी रखने के लिए एक रास्ता प्रदान करके जन सुनवाई शुरू की। उसके बाद एस.आर. एशिया टीम ने ग्रामीणों को रिपोर्ट के निष्कर्षों और जनसुनवाई के घटकों के बारे में समझाया और ग्रामीणों को अपनी राय साझा करने के लिए मंच सौंपाा गया। ग्रामीणों ने अपनी राय, अपनी स्थितियों, अपनी आपत्तियों को साझा किया, तहरीर दी और हवाई अड्डे के विस्तार के प्रति अपना दुख व्यक्त किया। सभी व्यक्तियों द्वारा अपने विचारो को व्यक्त करने के उपरांत कार्यक्रम का समापन किया गया। ग्रामीणों ने अपनी राय, अपनी स्थितियों, अपनी आपत्तियों को साझा किया, तहरीर दी और हवाई अड्डे के विस्तार के प्रति अपना दुख व्यक्त किया वे निम्नवत् हैंः—

क्र0 सं0	विभिन्न वर्गो द्वारा दिये गये लिखित ज्ञापन	नाम एवं व्यवसाय	प्राप्त आपत्तियां / सुझााव	निवारण के उपाय
1	व्यवपारी वर्ग–	(शेर सिंह किराना स्टोर, दीवान ऑटोवाला मोटर्स, राजीव इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू कोली टायर रिट्रेड्स, एम / एस श्याम डेंटिंग वर्क्स, श्री धीरज, रूप स्टील उद्योग, एम / एस एस. गोरला उद्यम, जे. एस. मोटर्स वर्कशोप, श्री मदनलाल, विजय मोटर गैराज, त्रिलोक ऑटो रिपेयरिंग वर्क, धीमान ऑटो वर्क्स, राजन कुमार वर्कशॉप, ओलजवर सिंह एंड ब्रदर्स, विशाल उद्यम, एम / एस मुक्त व्यापार	गगल में व्यापारियों ने हवाई अड्डे के विस्तार का विरोध किया है। उन्होंने परियोजना के विस्तार में अपनी जमीन नहीं देने का तर्क दिया हैं (भाग अ में दी गई), यदि विस्तार अंतिम है तो अधिग्रहीत भूमि के बदले में कुछ मांग की गई हैं (भाग ब में दी गई) । अ) हवाई अड्डे का विस्तारीकरण न हो। हम इस गगल गाँव में अपने जन्म से रह रहे है, हम पिछले कुछ सालों से इस विस्तारीकरण के मुद्दे से बहुत दुखी हो चुके हैं। हम अपने घरों में न तो कुछ नया करवा पा रहे हैं जो कि समय की मांग होती है और न ही अच्छे से जी पा रहे हैं। रोज रोज यही सुनते है कि हवाई अड्डे का विस्तार होने जा रहा है, हमारी पहली मांग यही है की हम नहीं चाहते कि हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हमें यह सरकार लिख कर दे कि हवाई अड्डे का विस्तारीकरण अब कभी भी नहीं होगा। ब) अगर हवाई अड्डे का विस्तारीकरण होगा तो निम्न शर्तो के अनुसार : 1. जैसा कि पिछले कुछ दिनों से विस्तारीकरण का मुद्दा चल रहा है तो मै इस सन्दर्भ में कहना चाहता हूँ कि गगल या आस पास	अ. हवाई अड्डे का विस्तारीकरण के लिए वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाना चहिए जिससे गगल जैसा बाजार का नुकसान न हो । ब. व्यापारियों द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बदले में कुछ मांगे है जिनका समाधान करके भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता हैं : 1. जमीन का उचित मुआवजा factor-ll (चार गुना) के तहत दी जानी चाहिए। 2. जमीन एवं मकान का मुआवजा आज के बाजार मूल्य के अनुसार मिलना चाहिए जिससे भूमि खरीद कर मकान का निर्माण किया जा सके। साथ ही साथ फेज–1 और फेज–2 का एक साथ ही विस्तारीकरण होने चाहिए । 3. पुनर्वास और पुनर्स्थापन (rehabilitation & resettlement) योजना के तहत गगल से 5 कि0मी0 के अन्तर्गत सभी को उनके वर्तमान मकान के अनुसार भूमि प्रदान करे या फिर ग्रामवार एवं समुदायवार सभी विस्थापित परिवारो को एक विकसित कालोनी मे मकान बनाकर अवांटन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ

		उपकरण की दुकान, सैनी स्पेयर पार्ट्स, पी.एम. डीजल सेवा, कवल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, दोस्तों मोटर इंजीनियरिंग वर्क्स, सुभाष चंद टी स्टॉल, श्री अजय कुमार, बिल्लू चाय की दुकान, कमानी मेके और डीजल मोटर कार्यशाला, जनता रेडिएटर मरम्मत, सैनी मोटर स्टोर, कथला मोटर वर्क्स, धर्मचंद दा ढाबा, जयंत डीजल वर्कशॉप, ज्योति टायर्स, सुनील टायर वर्क्स, गोटी टायर, श्री अश्वनी,	के जितने भी गाँव है यहाँ पर बहुत सारे बड़े एवं छोटे दुकानदार भी है। बहुत मुश्किल से इन लोगों ने धीरे धीरे अपना व्यवपार को आगे बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद दूसरी जगह अपना कारोबार करना इतना भी आसान नहीं होगा यह आप भी अच्छे से जानते हैं। कुछ लोगों की उपजऊ जमीने हैं वह हर रोज सब्जी बेचते है उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। सदियों लग जाती है आस पड़ोस बनाने में, परन्तु अगर देश की भावना को देखते हुए हम भी सरकार से कुछ अनुरोध करना चाहते है। 1. हमे जमीन का उचित मुआवजा दिया जाये व हमें सरकार बताये की हमारी जमीन का क्या मुआवजा देने जा रही है। हमारी मांग है कि हमें factor-ll (चार गुना) के तहत मुआवजा दिया जाये।अपनी जमीन देना व दूसरी जगह जमीन लेकर के मकान बनाना आजकल इतना भी आसान नहीं है। यह बात सरकार को भी सोचनी चाहिए। यह भी बताया जाये कि बनाये हुए मकान का कितना मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ फेज–1 और फेज–2 का एक साथ ही विस्तारीकरण होने चाहिए । 2. हमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन (rehabilitation & resettlement) के तहत सभी के लिए कम से कम 10 मरले या 1	विस्थापन के समय बुजुर्ग सदस्यो को विशेष घ्यान दिया जाना चाहिए। जिससे सभी विस्थापित परिवार मानसिक रूप से बीमार न हो। 4. पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अंतर्गत एक गगल जैसा बाजार विकसित किया जाना चाहिए एवं उस बाजार मे सभी विस्थापित व्यापारियों को दुकान अवांटिक किया जाना चाहिए या फिर गगल के नजदीक ही सभी व्यापारियों को भूमि का अवांटन किया जाना चाहिए जिससे अपना व्यवपार फिर से शुरू कर सके। 5. हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के बाद विस्थापित परिवारो के सदस्यो को रोजगार/ नौकरी और अन्य हवाई अड्डे के कार्यो मे जैसे कि टैक्सी यूनियन में विस्थापित लोगों का हिस्सा या फिर दूसरे हवाई अड्डे के कामों में भागीदारी होना चाहिए। 6. जिनका मकान पंचायत की आवंटन भूमि पर हैं उनको भी भूमि का मुआवजा या फिर मकान बनाने के भूमि या मकान आवंटन किया जाना चाहिए। 7. हवाई अड्डे में नौकरी हेतु आवेदन में विस्थापित परिवार के सदस्यो को प्रथमिकता दी जानी चाहिये।

		सोनू बैटरी रिपेयर एंड केयर सेंटर, श्री रमेश, एम/एस शक्ति चंद मनमास एंड संस, शिवा इंजिनियरिंग वर्क्स, अनूप इलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्रेम मोटर वर्क्स, रिंका अमृतसरिया नान स्पेशल, नवयुग ऑटो फर्निशर, ईशा प्रोविजन स्टोर, साई हार्डवेयर, एम/एस मेहता हार्डवेयर, श्री संजय मेहता, श्री पंकज, डॉ. मोहन निझन, श्री अक्षय मेहता, डॉ. पी.पी. शर्मा, श्री पी.डी. मेहता, श्री अनुज मेहता,	कनाल जमीन दिया जाय जिसमें कि कम से कम छोटा सा घर बना कर हम सभी रह सके। घर में बहुत सरे बजुर्ग लोग भी है उनकी मानसिकता का भी ध्यान रखा जाये क्योंकि आजकल की महंगाई के युग में मकान बनाना कोई आसान काम नहीं है। पैसे तो लगते ही है परन्तु मानसिक रूप से भी बीमारी का कारन बनते हैं। इसके लिए सरकार चाहे तो सरकारी भूमि आवंटन करे या कहीं पर प्राइवेट भूमि लेकर हमारी रहने की व्यवस्था करे / छोटे छोटे समूह बनाकर सरकारी या प्राइवेट भूमि अधिग्रहन करके सभी विस्थापितों को बसाया जाये ताकि हम सभी विस्थापित मानसिक रूप से बीमार न हो सके। 3. जिन भी लोगों के कारोबार है उनके लिए कहीं नजदीक में थोड़ी थोड़ी जमीन दी जाये जिससे की यह अपनी रोजी रोटी कमा कर गुजरा कर सके। कारोबारियों को जमीन देना बहुत ही जरूरी होगा नहीं तो अगर कमा ही नहीं पाएंगे तो ऐसे ही मर जायेंगे। 4. हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के बाद जो भी लोग विस्थापित होंगे उनका हवाई अड्डे के बीच कुछ न कुछ शेयर होना जरूरी है जैसे कि टैक्सी यूनियन में विस्थापित लोगों का हिस्सा या फिर दूसरे हवाई अड्डे के कामों में भागीदारी ।	

		श्री नीरज मेहता, श्री बिपुल बाली, जय माँ जनरल स्टोर, श्री दीपक, श्री राजन कुमार, श्री जोगिंदर सिंह, श्री आदेश हादरिया)	5. जिन लोगों को पंचायत की भूमि आवंटन हुई थी उनके घर भी इस विस्थापन में जायेंगे उनके लिए भी सरकार उचित मुआवजा व भूमि आवंटन की व्यवस्था करे। 6. हवाई अड्डे में नौकरी हेतु आवेदन में विस्थापित लोगों को तरजीह दी जाये।	
2	ग्रामीण	श्रीमति रेनू पठानिया (ग्राम प्रधान) एंव अन्य ग्रामीणों	ग्रम प्रधान गगल मे जन सुनवाई के दौरान हवाई अड्डे विस्तारीकरण का विरोध करते हुये निम्न शर्तो को ग्राम वासीयो के हस्ताक्षर के साथ साझा किया । 1. हमारी जमीने व व्यापारिक प्रतिष्ठान हमारी खाद्य सुरक्षा (food security) व जीवन जीने का माध्यम है हम लोग अपनी उपजाऊ जमीनो से नकदी फसलें उगा कर स्थानीय बाजार में बेचकर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। अतः गुजारिश है कि हमसे हमारी जमीने व व्यापार छीन कर हमें खाने व जीने के मौलिक अधिकार से वंचित न किया जाए। 2. गगल के 80 प्रतिशत लोगों के घरों से कोई भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र मे कार्यरत नहीं है लोग अपना भरण–पोषण जमीन के माध्यम से ही करते है अगर उनसे जमीने ही छीन ली गई तो	गगल के ग्राम प्रधान ने हवाई अड्डे विस्तारीकरण का विरोध करते हुए जो ज्ञापन दिये वह तर्क संगत हैं, इसलिए सरकार एक निगरानी समिति जिला उपायुक्त के अध्यक्षता मे निम्न सदस्यो के साथ (जिला भू–अर्जन अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, निदेशक शिक्षा के रूप में अन्य सदस्य, आयुक्त आवश्यक समझे जाने पर अन्य प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकते) बनाकर इस समस्या का समाघन करे या फिर हवाई अड्डे विस्तारीकरण के लिए वैकल्पिक भूमि का चयन करे।

			आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा बेराजगार हो जाएगा । 3. यहां का व्यापारी वर्ग जिसमें दुकाने, लघु उद्योग, वर्कशाप, मार्ट, शोरूम हैं जो पांच से लेकर पैतिस लोगों को प्रत्येक दुकान रोजगार दे रही है । विस्तारीकरण की स्थिति से सीधे तौर पर पांच से छः हजार व्यक्ति हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाएंगे । 4. गगल मे 545 परिवार निवास करते है लेकिन यहां से प्रतिदिन 5500 बाहर के छोटे–मोटे रेहड़ी–फड़ी वाले व तहबाजारी के तहत अपना रोजगार कमा रहे हैं जिनमें किराये की दुकाने लेकर काम करने वाले व फेरी लगाने वाले भी शामिल है। जिन्हें न कुछ मिलेगा और वह बेरोजगार अलग से हो जाएगे। 5.गगल की आबादी का बड़ा हिस्सा पहले ही दो बार Pok और कशमीर से विस्थापित हो चुका हैं लोगों का कहना है कि अब उन्हें तीसरी बार विस्थापन मंजूर नहीं है। 6. व्यापारी वर्ग का कहना है कि सरकार ने हमारे विकास के लिए आज तक कुछ नहीं किया। पिछले 70 वर्षों की मेहनत से हमने व्यापार को खड़ा किया है जिसके खत्म हो जाने से हम 70 वर्ष पीछे चले जाएगे। यही नही भारी–भरकम कारोबार तथा उसके लिए बड़े–बड़े शोरूम व कमिर्शियल लोन जो कि	

			व्यापारियों के हैं वो दुबारा से चन्द दिनो में व्यवस्थित नहीं हो पायेंगे। 7. गगल बाजार सरकार को सालाना सात सौ करोड़ का रेवन्यू मुहैया करवा रहा है । इतने विकसित बाजार को उजाड़ना किसी भी मायने में जायज नही है । 8. विस्तारीकरण से पढ़ने वाले बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ेगा। जब माता पिता को छत और रोजगार की चिन्ता बढ़ जायेगी तो उनकी पढ़ाई अधर में ही छूट जाएंगी क्योंकि या तो मां–बाप घर या भोजन दे पायेंगे या फिर पढ़ाई का खर्च क्योंकि 80 प्रतिशत लोगो सिर्फ गुजारे लायक ही कमा पाते हैं । 9. लोगों का यह भी विरोध है कि एस0आई0ए0 के आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मसलन भू–अधिग्रहण कमेटी ने 83 प्रतिशत भूमि निजि व 17 प्रतिशत भूमि सरकारी बताई है जबकि इसे सरकार उलट दिखा रही है। यह भी आंकड़ा गलत है कि प्रभावित चौदह पंचायतों में से 10 पंचायतें राजी हैं और मात्र 4 पंचायतों की ही विरोध में है जबकि हकीकत में 10 पंचायतो में सिर्फ पाच प्रतिशत लोग प्रभावित हैं और विरोध कर रही चार पंचायतों में 95 प्रतिशत लोग प्रभावित हैं। अतः बहुमत को देखा जाना	

			चाहिए, जिसका 2013 के एक्ट में भी प्रवधान है 10–विस्तारीकरण से वह लोग भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे जो भू–अधिग्रहण की जद से बाहर हैं क्योंकि हवाई अड्डे की दीवारे लग जाने से सिंचाई हेतु बनी कूहले बन्द हो जाएंगी और जमीने बंजर हो जाएगी । यही नहीं किसानों का नजदीकी बाजार के उजड़ जाने से उनका रोजगार भी छिन जाएगा। जिनके लिए विस्थापन के नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है । अतः मान्यवर आपके माध्यम से व एस0आई0ए0 के माध्यम से हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें खाने व जीवित रहने के मौलिक अधिकार से वंचित न किया जाए इन्ही आपत्तियों के साथ हम विस्तारीकरण का विरोध करते है।	
3	अलग–अलग परिवारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया।	ज्ञान चंद हीर, विवेक कथोच, सुरेश कुमार, पूजा देवी, वंदना, माया देवी, कल्पना देवी, देवेंद्र सिंह, संजय कुमार, नारायण दास, रीता देवी, प्रतीत कुमारी, रक्षा देवी, प्रकाश चंद, जगदीश	विस्तारीकरण कि स्थिति बताते हुए ग्राम वासियो ने जनसुनवाई में आपनी यह विभिन्न आप्तिया दर्ज करायी है जिनके पूर्ण होने पर ही ग्राम वासी अपनी भूमि देंगे. 1) अधिग्रहण से RFCTLARR 2013 के अनुसार किये जाने की मांग। 2) हमें अपने मकान, दुकान कारोबार का फैक्टर –2 के तहत चार गुणा मुआवजा बिना किसी मूल्यह्रास (Depreciation) के दिया जाए क्योंकि हमें यहाँ से विस्थापित किया जायेगा न की हम अपनी मर्जी से उठेंगे।	1) भुमि अधिग्रहण RFCTLARR 2013 के अनुसार किये जाना चाहिए। 2) प्रभावित भूस्वामियो को मकान, दुकान का मुआवजा फैक्टर –2 के तहत चार गुणा बिना किसी मूल्यह्रास (Depreciation) के दिया जाना चाहिए। 3) प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत अस्पताल, स्कूल,पार्क, बस स्टॉप, बाजार, अंतिम संस्कार गृह सामुदायिक हॉल आदि जैसी आवश्यक

		चंद, जोगिंदर पाल, जगत राम, अजय कुमार, सुतेन्दर भरारिया, लाज्या देवी, विजय कुमार, श्री पदंजीत काउलि, रविंद्र कुमार, जगिन सिंह, मंसा राम, बिंदू कुमार, राकेश कुमार, ईशान शर्मा, विनय कुमार, देवेंद्र कुमार कोहली, हरवीर सिंघ, कन्या, तारा चंद, रोशन लाल बेदी, राजीव बेदी व अन्य ग्राम वासी.	3) प्रभावित परिवारों को उनके पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए अस्पताल, स्कूल,पार्क, बस स्टॉप, बाजार, अंतिम संस्कार गृह सामुदायिक हॉल आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। 4) परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का प्रावधान 5) मकान के बदले मकान और दुकान के बदले दुकान दी जाए 6) भूमि अधिग्रहण धन का एकमुश्त भुगतान 7) गगल ग्राम पंचायत कि आवंटिक भूमि पर जीनका मकान है उन्हे भी factor II के हिसाब से मिलना चहिये.	सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। 4) परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। 5) मकान के बदले मकान और दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए। 6) भूमि अधिग्रहण के प्रतिकर का भुगतान एकबार मे होना चाहिए। 7) गगल ग्राम पंचायत कि आवंटिक भूमि पर जिनका मकान है उन्हे भी factor II के हिसाब से प्रतिकर या मकान के बदले मकान मिलना चहिये।
4	किरायेदार	श्री अनिल कुमार, श्री सुशील कुमार, श्री नरेंद्र कुमार, वचन सिंह, अश्वनी कुमार, लता देवी, संजय कुमार.	1) मैंने एक दुकान किराए पर ली थी जो मुझे अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन में मदद करती है। अधिग्रहण के कारण मेरे लिए जीविकोपार्जन करना मुश्किल हो जाएगा। कृपया मुझे बाजार में एक दुकान प्रदान करें ताकि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं।	जिन व्यापारियों का दुकान प्रभावित हो रहा है, उन्हे हवाई अड्डे या विकसित बाजार मे एक दुकान का अवांटन किया जाना चाहिए।

		श्री राजेश्वर कोंदल व अन्य ग्राम वासी।		
5	वृद्ध पिता विकलांग पुत्र के साथ	श्री ज्ञान चंद हीर	मेरी उम्र 65 वर्ष है. वर्ष 1975 से मैं बकरी के चमरे का कारोबार कर रहा हूँ, मेरे तीन पूत्रो में से एक 45% लोकोमीटर विकलांगता (locometer disability) शारीरिक अक्षमता है, उसने MBA किया है व वह प्राईवेट नौकरी करता है. यदि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण होता है तो अपने पुत्र के लिये योग्यता अनुसार नौकरी कि मांग करते है।	प्रभावित परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनके योगता के अनुसार हवाई अड्डे में नौकरी दी जानी चाहिए।
6	पेट्रोल पंप मालिक	श्रीमती ब्रिज बाला	"संजय फिल्लिंग स्टेशन" के नाम से ब्रिज बाला जी एक पेट्रोल पम्प चलाती है जहा पर 10 लोग काम करते है. यह पेट्रोल पम्प 11 लोगो के परिवारो का भरन पाषन करता है। यदि यह विस्तारीकरण में जाता है तो प्रार्थी के निवेदन रहेगा कि उसे बाजार मूल्य के हिसाब से उचित प्रतिकर दिया जाये व एक पेट्रोल पम्प लगाकर मिल।	पेट्रोल पम्प के संचालन के लिए जगह का आवंटन किया जाना चाहिए एवं जब तक नई पम्प का संचालन नहीं हो रहा है तब तक नही तोड़ी जाना चाहिए एवं तब तक प्रभावित कर्मचारियो को प्रतिकर वर्तमान आय के अनुसार प्रतिकर दिया जाना चाहिए।
7	कई व्यवसायों वाला व्यवसायी परिवार	हिंद्विर कोहली, नीलम कोहली, जीवन ज्योति कोहली व मनिशा कोहली	कोहली परिवार गगल में पिछले 85 वर्षों से रह रहा है. उनके पास एक दवाईयो कि दूकान है, एक अस्पताल मशीनरी की दूकान है, एक ब्यूटी पार्लर व दो स्कूल है जहा 150 विद्यर्थी शिक्षा प्राप्त करते है. यह सारे व्यवसाय सरकार को जी.एस.टी (GST) व आयकर (income tax) प्रदान करते है. इन सब कारोबर में 40 से अधिक लोग काम करते है.	प्रभावित व्यवसायिक परिवार हवाई अड्डे का विस्तार नहीं चाहते क्योकि उनके व्यवसाय से लगभग 40 परिवारो का घर चलता है यदि विस्तारीकरण जरूरी है तो उनके शर्तो के समाघन के उपरांत : 1. प्रभावित जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य के चार गुणा दिया जाना चाहिए।

			यदि हवाई अड्डे का विस्तारीकरण होता है तो मुवावजे के लिये इस परिवार ने निम्न आपत्तियां दर्ज करायी हैः 1. प्रशासन से मांग है कि हवाई अड्डे की जद में आने वाले प्रभावितों को जमीन का उचित दरों पर मुआवजा दिया जाए। मुआवजा बाजार मूल्य (Market Value) के आंकलन के हिसाब से दिया जाये क्योंकी बाजार मूल्य बहुत ज्यादा होता है और सरकारी रेट बहुत कम इस लिए मुआवजा बाजार मूल्य का चार गुणा दिया जाये । हवाई अड्डे 2. प्रभावितों को भी ऐसी जगह जमीन उपलब्ध करवाई जाए, जहां गगल जैसी सुविधाएं हो और चार–पांच किलोमीटर क्षेत्र में हो। 3. अगर किसी की जमीन जा रही है, तो बदले में जमीन और पैसा दोनों का प्रावधान किया जाए। 4. विस्तार की जद में यदि संबंधित व्यक्ति का मकान आ रहा है, तो सरकार तय करे कि जैसे मकान में आज वह रह रहा है उसे वैसा मकान बनाकर दिया जाए व तमाम सुविधाए हो जैसी वो आज के मकान मे इस्तेमाल कर रहा है या मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाये। और जो पैसा दिया जाये वो आज के हिसाब से दिया जाये। 5. गंगल धीरे–धीरे बड़े कस्बे के रूप में उभरा है। कई दुकानें,	2. प्रभावितों परिवरो को गगल के चार–पांच किलोमीटर क्षेत्र में गगल जैसी सुविधाए जैसे सडक, बाजार , हॉस्पिटल, स्कुल इत्यादि के साथ ही बसाया जाना चाहिए। 4. प्रभावित जमीन के बदले जमीन और पैसा दोनों का प्रावधान होना चाहिए। 5. अधिग्रहण से मकान प्रभावित हो रहा है तो मकान का मुल्यांकन वर्तमान के मूल्य के अनुसार किया जाना चाहिए या फिर जिन सुविधाओ के साथ मकान मे रह रहे हैं वैसा ही मकान बना कर दिया जाना चाहिए। 6. गंगल जैसा बाजार विकसित करके उसमे प्रभावित व्यापारियों को दुकान आवंटन किया जाना चाहिए। 7. व्यापारियों के व्यवसाय का मूल्यांकन उनके तुलन पत्र (balance sheet) या आयकर रिटर्न (income tax return) के अनुसार होना चाहिए एवं उसके अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। 8. व्यापारियों का व्यवसाय जब तक वर्तमान स्थित मे न आ जाय तब तक कार्यरत कर्मचारियो को भी वर्तमान आय के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहीए। 9. व्यापारीयो को कुछ वर्षों तक हर महीने कुछ राशी दी जानी चाहिए ताकि वो अपना

			वर्कशॉप, शॉपिंग माल यहां हैं। हवाई अड्डे विस्तार में अगर किसी की दुकान आ रही है, तो प्रशासन उसे दुकान उपलब्ध करवाए, ताकि अजीविका कमाई जा सके। 6. व्यवसायियों के व्यवसाय की बीते वर्षों की तुलन पत्र (balance sheet) देख कर या आयकर रिटर्न (income tax return) देख कर व्यवसाय का सही मुल्यांकन किया जाये । 7. व्यापारियों एवं व्यापारियों के मुलाजिमों को भी उचित मुआवजा दिया जाये। 8. व्यापारी को कुछ वर्षों तक हर महीने कुछ राशी दी जाये ताकि वो अपना व्यापर सही से स्थापित (Establish) कर सके। 9. अगर हमारे दोनों स्कूल हवाई अड्डे की जद में आते हैं तो हमे सरकार गगल के नजदीक कोई भी ऐसा सरकारी स्कूल उपलब्ध करवाए जिस स्कूल में विध्यार्थी कम हैं या जिस स्कूल में विध्यार्थी ही नहीं है ताकि हम अपने स्कूल के विध्यार्थीयों का भविष्य खराब होने से बचा सके व उन विध्यार्थीयों के अभिभावक भी निशचिंत रहे।	व्यवपार सही से स्थापित (Establish) कर सके। 10. प्रभावित परिवार का यदि दोनों स्कूल हवाई अड्डे के विस्तारिकरण से प्रभावित होता हैं तो उस स्कूल मे पढने वाले बच्चो के लिए सरकार गगल के नजदीक कोई भी ऐसा सरकारी स्कूल उपलब्ध करवाए जिस स्कूल में विध्यार्थी कम हैं या जिस स्कूल में विध्यार्थी ही नहीं है ताकि हम अपने स्कूल के विध्यार्थीयों का भविष्य खराब होने से बचा सके व उन विध्यार्थीयों के अभिभावक भी निशचिंत रहे और उस स्कूल मे कार्यरत अध्यापक एवं कर्माचारियो को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए जब तक नई स्कूल का निर्माण एवं संचलन वर्तमान के अनुसार न हो जाय।
8	वरिष्ठ नागरिक, गगल	श्री मदन लाल कपूर, श्रीमती अंजु कुमारी, श्री हरी चंद श्री धर्मपाल श्री सुरेश कुमार	बहुत सारे लोग जिनकी भूमि हवाई अड्डे के विस्तार में अधिग्रहित की जा रही है, वे वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त कर्मी और वृद्ध लोग हैं जो जीविकोपार्जन के लिए खेती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं।	गगल के वरिष्ठ नागरिक, हवाई अड्डे के विस्तार का विरोध कर रहे हैं यदि विस्तार किया जाना जरूरी है तो प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत अस्पताल, स्कूल,पार्क,

		श्रीमती सुनीता देवी व अन्य ग्राम वासी.	ये लोग 4 दशक से अधिक समय से गगल में रह रहे हैं और लोगों के साथ एक समुदाय बनाया है। सरकार के लिए यह ध्यान देना जरूरी है कि विकास के नाम पर इन लोगों को अपने परिवार और दोस्तों से बांटना अमानवीय होगा, इसलिए ये विस्तार का विरोध करते हैं। स्थानांतरण के मामले में वे एक अच्छी तरह से निर्मित समुदाय में बसना चाहते हैं, जहां सभी सुविधाएं शीर्ष पायदान पर होंगी, इसके अलावा उनकी मांग है कि उनका पूरा समुदाय एक ही स्थान पर बसेगा और उन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए। घर बनाने के लिए भी सरकार से सहायता की आवश्यकता होगी क्योंकि वृद्ध लोग जीवन के इस पड़ाव पर ऐसा करने में असमर्थ होते हैं।	बस स्टॉप, बाजार, अंतिम संस्कार गृह सामुदायिक हॉल आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए एवं विस्थापित परिवारो को ग्राम वार एवं समुदाय वार पुनर्वास और पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए। विस्थापन के समय प्रभावित बुजुर्ग परिवारो को विशेष सहायता दी जानी चाहिए।
9	पहले से ही विस्थापित	श्री राजन कुमार, श्री शगुन कुमार, श्री सुरेश धवन व अन्य ग्राम वासी.	गौरतलब है कि पोंग बांध निर्माण के समय गगल गांव में रहने वाले बहुत से लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। उस प्रक्रिया से फिर से गुजरना उन्हें मानसिक और शारीरिक तनाव के अधीन कर सकता है। इसके अलावा लोगों ने साझा किया है कि उन्हें पहले से ही "डेमीये" कहा जाता था, अब उन्हें "एयरपोटिए" कहा जाएगा। स्थानीय लोगों ने आंसू बहाए और कहा कि उन्हें फिर से इस तरह की यातना नहीं दी जा सकती।	गगल गांव में रहने वाले बहुत से लोग पोंग बांध निर्माण से विस्थापित हैं। उस प्रक्रिया से फिर से गुजरना उन्हें मानसिक और शारीरिक तनाव के अधीन कर सकता है। इसलिए परियोजना का विरोध कर रहे हैं। यदि परियोजना का विस्तार जरूरी हैं तो प्रभावित परिवारो को ग्रामवार, समुदायवार गगल जैसा बाजार विकसित करके सभी सुविधओ जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी आदि के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना बनाया जाना चाहिए।

10	पहले ही अधिग्रहित भूमि और आगे विस्तार		गगल में रहने वाले बहुत से लोगों ने हवाई अड्डे के निर्माण के समय अपनी जमीन दी थी और अब वे फिर से विस्तार के कारण अपने घरों और जमीनों को खोने के कगार पर हैं। भविष्य में भी और विस्तार हो सकता है जो फिर से लोगों के जीवन को अस्त–व्यस्त कर देगा और अधिग्रहित की जाने वाली भूमि को बारिश के दौरान जल संग्रहण की समस्या का सामना करना पड़ेगा। सरकार को इसे ध्यान में रखना चाहिए और उचित पुनर्वास योजना बनानी चाहिए जो लोगों को फिर से पीड़ित होने से रोके और उन्हें राहत प्रदान करे।	प्रभावित परिवार पहले भी हवाई अड्डे के निर्माण में अपनी भूमि दिये हैं यदि विस्तारिकरण मे भूमि लेते है तो बहुत परिवार भुमिहिन हो जायेगे इसलिए उनके भूमि का अधिग्रहण न किया जाये। भूमि अधिग्रहण एवं हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र मे जलभराव कि समस्या न हो इसलिए जल निकास नाली का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बचे हुए भूमि के लिए योजना के माध्यम से सिचई नाली का निर्माण किया जाना चाहिए। जिससे बची हुई भूमि पर फासलो का उत्पादन हो सके और भूमि को बंजर होने से बचाई जा सके। सरकार को इन समस्यो का ध्यान में रखते हुए उचित पुनर्वास योजना बनानी चाहिए जो लोगों को फिर से पीड़ित होने से रोके और उन्हें राहत प्रदान करे।

नोट : लोक सुनवाई के दौरान आपत्ति दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता का विस्तृत विवरण अनुबंध में संलग्न है.

प्रथम दृष्टि परियोजना प्रभावित परिवार भूमि देने के लिए सहमत नहीं हैं क्योंकि उनका ग्राम एक विकसित ग्राम के श्रेणी में आता हैं यह ग्राम पुरे क्षेत्र का व्यापार का केन्द्र हैं। परंतु यदि सरकार जबरन हवाई अड्डे बनाना चाहती हैं और प्रभावित परिवारो को विस्थापित करती हैं तो प्रभावित परिवार केवल इन शर्तों पर अपनी भूमि देंगे यदि भूमि का प्रतिकर बजार मूल्य के साथ साथ विस्थापन लगभग 5 कि0मी0 के अन्तर्गत, गगल जैसा एक विकसित बाजार बनाकर सभी प्रभावित व्यापारियों को दुकान उपलब्ध कराई जाय, भूमि का प्रतिकर RFCTLARR Act 2013 के Factor II के अनुसार चार गुणा मुआवजा की राशि अग्रिम एवं एक मुश्त प्रदान की जाय, भूमि की कीमत बाजारू भाव / कीमत के अनुसार और एक परियोजना समान लागत के अनुसार और साथ ही साथ विस्थापित जगह पर सभी मूलभूत सुविघाये जैसे स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली

एवं दुकान आदि उपलब्ध हो, जिससे समाज मे एक दुसरे पर निर्भता बनी रहे। अधिग्रहण से बची हुई भूमि पर सिंचाई हेतु प्रभावित नाली का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बची भूमि पर फसलो का उत्पादन को सके एवं साथ ही क्षेत्र में जलभराव की समस्या न हो इसके लिए जल निकास नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए। व्यापारियों का व्यापार जब तक वर्तमान के स्थिति में न आ जाय तब तक उसमें कार्यारत कर्मचारियो एवं व्यापारियों को उनके आय के अनुसार प्रतिमाह प्रतिकर दिया जाना चाहिए यदि सरकार इन शर्तो को नहीं मानती है और जबरन भू अर्जन की कार्यवाई करती हैं तो ग्रामवासी मजबुरन परियोजना का भरपुर विरोध करेंगे और अपना भूमि किसी भी कीमत पर नहीं देंगे।

जनसुनवाई / लोकसुनवाई की कार्यवृती : III

स्थान : पंचायत भवन सनौरा **ग्राम :** सनौरा, दुग्यारी खास व भेड़ी

उपस्थित सदस्यों की संख्या : लगभग 100 **तहसील :** कांगड़ा

सार्वजनिक अधिसूचना एवं एस0आर0एशिया द्वारा प्रचार प्रसार के अनुसार दिनांक 11 / 04 / 23, समय पूर्वान्ह 11 बजे ग्राम सनौरा, दुग्यारी खास व भेड़ी के संरेखण में आने वाली भूमि व परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित सामाजिक समाघात आकलन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जनसुनवाई ग्राम पंचायत भवन सनौरा में अयोजित की गई, जिसमे तहसीलदार एवं विभागीय प्रतिनिधि (पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, बिजली, जल एवं जीवन मिशन आदि) उपस्थित रहे।

सामाजिक समाघात आकंलन संस्था –एस0आर0एशिया के प्रतिनिधि श्री कु0 जया यादव एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

तहसीलदार कांगड़ा ने सभा में उपस्थित सदस्यों का अभिवादन करते हुए जनसुनवाई का शुभारम्भ किया एवं संक्षिप्त में सामाजिक समाघात आकलन रिर्पोट की जानकारी को प्रस्तुत किया।

एसआर एशिया के प्रतिनिधी द्वारा सर्वप्रथम भूअधिनियम 2013 एवं हिप्रा. 2015 के मौलिक सिद्धांतो एवं नियमों का वर्णन किया गया। ततपश्चात ग्राम सनौरा, दुग्यारी खास व भेड़ी से संबधित सामाजिक समाघात प्रतिवेदन एवं प्रबन्धन योजना को बिन्दुवार साझा किया गया और ग्रामीणों (परियोजना प्रभावित एवं अन्य) से अतरिक्त सुझावो एवं आपत्तियों को आमंत्रित किया गया।

क्र0 सं0	विभिन्न वर्गो द्वारा दिये गये लिखित ज्ञापन	नाम एवं व्यवसाय	प्राप्त आपत्तियां / सुझााव	निवारण के उपाय
1	ग्रामीण	अंजू देवी पत्नी स्व. श्री अभिषेक कुमार	जमीन के मुआवजे बाजार मूल्य के अनुसार और नए स्थान पर घर के निर्माण के लिए भूमि की मांग।	भूमि के सर्किल मूल्य में संशोधन करके भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य के अनुसार एवं मकान बनाने के लिए भूमि या आवास आवटन किया जाना चाहिए।
2	ग्रामीण	राजिंदर सिंह पुत्र श्री ठाकुर त्रिलोक सिंह	1.(खाता संख्या 2225 / 2164, 2410, / 2328 / 2227,2412 / 2329 / 2227, 2165 / 566) में संपत्ति है। संपत्ति NH–24 के बगल में है और गगल से जुड़ी हुई है। वह पिछले 27 वर्षों से संपत्ति में विभिन्न व्यवसाय कर रहे है और पांच गुना मुआवजे की मांग करते है जो गगल को प्रदान किया जाना है। 2. पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित की जाए। 3. परिवार के सदस्यों एवं स्वयं के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान।	1. भूमि का मुआवजा गगल ग्राम के अनुसार दी जानी चाहिए या एक परियोजना एक मूल्य सभी ग्रामो का होना चाहिए। 2. पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत अस्पताल, स्कूल, पार्क, बस स्टॉप, बाजार आदि सभी मूलभूत सुविधा के साथ बनाई जानी चाहिए। 3. परियोजना प्रभावित परिवार के एक सदस्य को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए।
3	व्यक्तिगत परिवार	श्री मनोज, लवीन कुमार, श्री ऋतिक, श्री अशोक, श्री सरूप, कुलदीप	भूमि का मूल्य बाजार मूल्य के अनुसार और एक परियोजना एक मूल्य की मांग।	भूमि की कीमत बाजारू भाव / कीमत के अनुसार और एक परियोजना समान लागत के अनुसार भुगतान दी जानी चाहिए।

		कुमार और देवेंद्र कुमार		
4	व्यक्तिगत परिवार	श्री कुशल कुमार पुत्र श्री हरि सिंह निवासी सनौरा	उनके भाई और पिता के घरों का अधिग्रहण किया जा रहा है। वह अधिकारियों से अनुरोध करते है कि उनकी जमीनों का भी अधिग्रहण किया जाए क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों से अलग नहीं होना चाहते।	इस मांग को भू–अधिग्रहण विभाग या हवाई अड्डे विकास प्राधिकरण विचार करे।
5	व्यक्तिगत परिवार	श्री भीम सेन पुत्र श्री लाभ राम, श्री नरिंदर सिंह पुत्र श्री दया सिंह, श्री अश्विनी कुमार पुत्र श्री वासन सिंह, श्री रमेश चंद पुत्र श्री पोलो राम और श्री विकास कपूर पुत्र श्री भूषण कुमार	हमारी संपत्तियां उच्य माध्यमिक विद्यालय ढुगियारी और मांझी पुल के बीच निचले इलाके में स्थित है, गगल हवाई अड्डे के विस्तार एवं नेशनल हाईवे रोड की बाउंड्रीवाल की ऊंचाई बढ़ने से हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी भी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाए।	इस मांग को भू–अधिग्रहण विभाग या हवाई अड्डे विकास प्राधिकरण विचार करे। प्रभावित परिवार के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए साथ ही साथ जल निकास नाली भी बनाई जाए जिससे जल भराव न हो सके और बची हुई भूमि के लिए सिचाई नाली एवं संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे भूमि में कृषि का कार्य किया जा सके।
6	व्यक्तिगत परिवार	श्रीमतीबीना देवी पत्नी श्री देशराज, धनराम पुत्र श्री वक्षीराम	अधिग्रहण प्रक्रिया में हमारी भूमि को शामिल किया जाय क्योंकि यह प्रस्तावित हवाई अड्डे की सीमा रेखा के बगल में है और अन्य क्षेत्रों के साथ हमारे संपर्क नही होगा। भूमि अपना मूल्य खो देगी और लिंक रोड के	

			निर्माण के बिना संपत्ति तक पहुंचना मुश्किल होगा।	
7	व्यक्तिगत परिवार	श्री इंद्रजीत कुमार पुत्र श्री जगत राम	1. प्रभावित परिवार जमीन में लगाये गये वृक्षारोपन के लिए उचित मुआवजे की मांग। 2. भूमि के मुआवजे की धनराशि अग्रिंम व एक मुश्त होना चाहिए। 3. अधिग्रहीत जमीन के बदले जमीन की मांग।	1. प्रभावित परिवार के भूमि में लगे वृक्षो का संबधित विभाग से मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा दी जानी चाहिए। 2. भूमि के मुआवजे की धनराशि अग्रिम व एक मुश्त होनी चाहिए। 3.भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए।
8	ग्रामीण	श्री सुनीता देवी (ग्राम प्रधान) ऐव समस्त ग्रामीण सनौरा	1) गांव सनौरा की जमीन का मुआवजा गगल पटवार– सर्कल के बराबर दिया जाए क्योंकि सनौरा और गग्गल एक सर्कल में पड़ते हैं। 2) अधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन व घरों के आने जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे, उनको आवगमन के लिए मार्ग दिया जाए तथा हवाई अड्डे बनने से वर्षा के मौसम में जल भराव होने से पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए। रास्ता 4 मीटर चौड़ाई से कम नहीं होना चाहिए। 3) जिन लोगों की भूमि अधिग्रहण होगी उनके रोजगार की मांग।	1) दोनो ग्रामो का एक पटवार– सर्कल होने के कारन बराबर मूल्य दी जाए या एक परियोजना एक लागत होनी चाहिए। 2) अधिग्रहन के बाद बची हुई भूमि के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण कम से कम 4 मीटर चौड़ा होनी चाहिए। 3) भूमि के सिचाई के लिए सिचाई नाली का निर्माण एवं साथ ही साथ वर्षा एवं अन्य दिनो में जल भराव की समस्या न हो इसके लिए जल निकास नाली का निर्माण की जानी चाहिए।

			4) भूमि का प्रतिकर अग्रिम रूप से तथा एक बार एक किस्त में करने की मांग। 5) बिजली, पानी, सड़क का उचित प्रबंध किया जाए। 6) लघु जमींदार तथा ग्रामीण कारीगर जैसे लुहार,नाई, पुरोहित आदि जिन का रोजगार बंद हो जाएंगें उनको गुजारा – भत्ता की मांग। 7) विस्तारीकरण एक बार कर दिया जाए ताकि लोग नया मकान व पुराने घरों की मुरम्मत करवा सकें । 8) नया घर बनाने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय दिया जाए 9) जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण मे जा रही है उनको एक कनाल मकान बनाने के लिए जमीन 3 किमी के दायरे में ही दिया जाए। 10) सोकडू नाले व कुहलों की जल निकासी का उचित प्रबंध किया जाए। 11) हवाई अड्डे के बनने से कुछ घरों को बहुत नुकसान हो रहा है । जिनके घरों के सामने 4–5 सौ फुट दीवार लग जाएगी तो उनके दरवाजे भी बन्द हो जाएंगे, उनके घरों में न हवा आएगी व न ही सूर्य की रोशनी आएगी और	3) परियोजना प्रभावित परिवार के एक सदस्य को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। 4) भूमि का प्रतिकर अग्रिम रूप से तथा एक बार एक किस्त में दी जानी चाहिए। 5) अधिग्रहण से प्रभावित परिवारो एवं शेष परिवारो के लिए बिजली, पानी, सड़क का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। 6) लघु जमींदार तथा ग्रामीण कारीगर जैसे लुहार, नाई, पुरोहित आदि जिन का रोजगार बंद हो जाएंगें उनको लिए भी रोजगार या नियमानुसार प्रतिकर दी जानी चाहिए। 7) संपूर्ण विस्तारीकरण एक बार मे किया जाना चाहिए जिससे बार बार विस्थापन का सामना न करना पड़े और अपने मकानो का सही तरह से मरम्मत कर सके । 8) नया घर बनाने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। 9) जिन लोगों की मकान अधिग्रहण से प्रभावित है

			पानी की निकासी भी नहीं होगी पहले ही उनके घर वरसात के पानी से भर जाते है। हमारी प्रार्थना है कि जिन घरों को नुक्सान हो रहा है उन घरों को भी आप विस्तारीकरण में शामिल करें।	उनको उनके मकान के अनुसार भूमि या कम से कम एक कनाल भूमि मकान बनाने के लिए जमीन 3 किमी के दायरे में ही दी जाय। 10) सोकडू नाले व कुहलों की जल निकासी का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए जिससे जल भराव एवं बची हुई भूमि के लिए सिचाई की समस्या न हो सके। 11) अधिग्रहण से बची भूमि के लिए सड़क, बिजली, पानी एवं सभी मूलभूत सुविघाओ का पुनः निर्माण किया जाना चाहिए या फिर उनका भी भूमि का अधिग्रहण कर लेना चाहिए।

नोट : लोक सुनवाई के दौरान आपत्ति दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता का विस्तृत विवरण अनुबंध में संलग्न है.

सरकार हवाई अड्डे बनाना चाहती हैं और प्रभावित परिवारो को विस्थापित करती हैं तो प्रभावित परिवार केवल इन शर्तों पर अपनी भूमि देंगे यदि भूमि का प्रतिकर उचित मूल्य के साथ साथ विस्थापन लगभग 5 कि0मी0 के अन्तर्गत, मुआवजा की राशि अग्रिम एवं एक मुश्त प्रदान की जाय, भूमि की कीमत बाजारू भाव / कीमत के अनुसार और एक परियोजना समान लागत के अनुसार और साथ ही साथ विस्थापित जगह पर सभी मूलभूत सुविघाये उपलब्ध हो, जिससे समाज मे एक दुसरे पर निर्भता बनी रहे। अधिग्रहण से बची हुई भूमि पर सिंचाई हेतु प्रभावित नाली का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बची भूमि पर फसलो का उत्पादन को सके, परियोजना से ग्राम मे जल भराव की समस्या न हो इसलिए जल निकास नाली का निर्माण किया जाना चाहिए, प्रभावित सम्पर्क मार्ग का निर्माण भी किया जाना चाहिए। यदि सरकार इन शर्तो को नहीं मानती है और जबरन भू अर्जन की कार्यवाई करती हैं तो ग्रामवासी मजबुरन परियोजना का भरपुर विरोध करेंगे और अपना भूमि किसी भी कीमत पर नहीं देंगे।

जनसुनवाई/लोकसुनवाई की कार्यवृती : IV

स्थान : पंचायत भवन सहौड़ा **ग्राम :** सहौड़ा

उपस्थित सदस्यों की संख्या : लगभग 145 **तहसील :** कांगड़ा

सार्वजनिक अधिसूचना एवं एस0आर0एशिया द्वारा प्रचार प्रसार के अनुसार दिनांक 12/04/23, समय पूर्वान्ह 11 बजे ग्राम सहौड़ा के संरेखण में आने वाली भूमि व परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित सामाजिक समाघात आकलन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जनसुनवाई ग्राम पंचायत भवन सहौड़ा में अयोजित की गई, जिसमे भू–अर्जन अधिकारी कांगड़ा,(उप मंडलाधिकारी नागरिक) एवं विभागीय प्रतिनिधि (पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, बिजली, वन, जल एवं जीवन मिशन आदि) उपस्थित रहे।

सामाजिक समाघात आकंलन संस्था –एस0आर0एशिया के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

भू–अर्जन अधिकारी कांगड़ा ने सभा में उपस्थित सदस्यों का अभिवादन करते हुए जनसुनवाई का शुभारम्भ किया एवं संक्षिप्त में सामाजिक समाघात आकलन रिर्पोट की जानकारी को प्रस्तुत किया।

एसआर एशिया के परियोजना निदेशक द्वारा सर्वप्रथम भूअधिनियम 2013 एवं हिप्रा. 2015 के मौलिक सिद्धांतो एवं नियमों का वर्णन किया गया। ततपश्चात ग्राम सहौड़ा से संबधित सामाजिक समाघात प्रतिवेदन एवं प्रबन्धन योजना को बिन्दुवार साझा किया गया और ग्रामीणों (परियोजना प्रभावित एवं अन्य) से अतरिक्त सुझावो एवं आपत्तियों को आमंत्रित किया गया।

प्रभावित निम्न लोगो एवं उनके प्रतिनिधियों ने सुझाव एवं आपत्तियों का ज्ञापन दिये जो निम्नवत् है:–

क्र.स	ज्ञापन देने वाले का नाम	ग्राम	मोबाइल न0
1	श्रीमती किरन बाला, प्रधान	सहौड़ा	9805410224
2.	श्री सुभाष चौधरी जिला परिषद सदस्य		9882933666
3	श्री विरेन्द्र कुमार	सहौड़ा	9218707100
4	श्रीमती रोशनी	सहौड़ा	985711978
5	श्री कमल कुमार	सहौड़ा	9816840889
6	श्री विकास	सहौड़ा	8894665907
7	श्री राम चन्द	सहौड़ा	9459078226
8	श्री पूर्ण चन्द	सहौड़ा	9459417005
9	श्रीमती निम्मो देवी	सहौड़ा	9816597342
10	श्री वीर सिंह	सहौड़ा	9459838555

11	श्री अशोक कुमार	सहौड़ा	9805470994
12	श्री हरनाम सिंह	सहौड़ा	9459444449

क्र0 सं0	आपत्तिकर्ता	प्राप्त आपत्तियां/सुझााव	निवारण के उपाय
1	श्रीमती किरन बाला, प्रधान और ग्रामवासी	कांगड़ा स्थित गगल हवाई अड्डे का विस्तार हमलोग को बिल्कुल स्वीकार नहीं है, यदि विस्तार होता हैं तो निम्न शर्तो के अनुसार– 1. प्रभावित निजी भूमि के बदले एक परियोजना एक मूल्य की मांग। 2. प्रभावित उपजाऊ भूमि के बदले उतनी उपजाऊ भूमि की मांग। 3. प्रभावित भूमि का प्रतिकर claim factor 2 के अनुसार की मांग। 4. परियोजना से बची भूमि हेतु सिचाई के लिए, सिचाई नाली या टयूबवेल निर्माण कि मांग। 5.परियोजना से बची भूमि हेतु सड़क, बिजली, पानी की मांग। 6. प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग। 7.प्रभावित सरकारी भूमि पर जिन परिवारो का कब्जा है उनको भूमि का मूल्य मिलने कि मांग।	कांगड़ा स्थित गगल हवाई अड्डे का विस्तार निम्न समाधान के के अनुसार होना चाहिए: 1. प्रभावित निजी भूमि के बदले एक परियोजना एक मूल्य सभी ग्रामो के भूमि को दी जानी चाहिए। 2. प्रभावित उपजाऊ भूमि के बदले उतनी उपजाऊ भूमि दी जानी चाहिए। 3. प्रभावित भूमि का प्रतिकर claim factor 2 के अनुसार की दी जानी चाहिए। 4. परियोजना से बची भूमि के लिए, सिचाई नाली या टयूबवेल निर्माण कीी जानी चाहिए। 5.परियोजना से बची भूमि हेतु सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था वर्तमान के अनुसार दी जानी चाहिए। 6. परियोजना प्रभावित परिवार के एक सदस्य को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। 7.प्रभावित सरकारी भूमि पर जिन परिवारो का कब्जा है उनको भूमि का मूल्य या भूमि के बदले मकान या

			व्यवसाय के लिए भूमि दी जानी चाहिए।
2	श्री सुभाष चौधरी जिला परिषद सदस्य	1. गगल एक अति सुंदर कस्बा है। पठानकोट से लेकर मण्डी तक किसी कस्बे, शहर के साथ गगल की तुलना करना गैर संगत है यह कस्बा यहां के लोगों ने अपने आप बसाया एवं संवारा है। सरकार की ओर से यहां पर कुछ नहीं दिया गया है, न ही कोई अच्छा स्कूल, न ही कोई अच्छा अस्पताल और न ही कोई बड़ा प्रोजक्ट इस कस्बे को दिया है अतः इस कस्बे को खत्म व उजाड़ कर हवाई अड्डे का विस्तार नहीं होना चाहिए। 2.गगल कस्बे में स्थानिय लोगों के अतिरिक्त आसपास के गावों के लगभग 2500 लोग काम करते है और अपनी अजिविका कमा कर अपना व अपने परिवार का पेट पालते है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इन परिवारों की रोजी रोटी न छिनी जाए । 3. गगल गांव में कई सौ करोड़ का कारोबार होता है और सरकार को करोड़ों में राजस्व प्राप्त होता है। इस राजस्व को खत्म करके हवाई अड्डे का विस्तार न किया जाए। 4. यहां पर भारत – पाकिस्तान के बंटवारे के समय कुछ लोग विस्थापित होकर यहां पर अपने बसेरे बनाये थे। वे लोग थोड़ा बहुत व्यापार करके अपना निर्वाह कर रहे हैं। उन्हें दोबारा विस्थापन का डंस न झेलना पड़े। 5. लगभग 70 वर्ष पहले यहां पर विस्थापित लोगों ने अपने आशियाने बनाए है उस समय सरकारी भूमि पंचायत द्वारा लोगों को आवंटन की गई थी और आज 70 वर्ष बाद भी उस भूमि को सरकारी ही कहा जा रहा है जबकि आजतक इस भूमि का मालिकाना हक उनका मिल जाना चाहिए था।	ग्राम एवं क्षेत्र के लोग परियोजना का आर्थिक, समाजिक एवं व्यवसायिक आदि कारनो से विरोध कर रहे हैं और इसे वैकल्पिक जगह पर बनाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं अगर फिर भी सरकार इन तथ्यों की उपेक्षा करके हवाई अड्डे का विस्तार करती है तो लोगों के भविष्य का ध्यान करते हुए फैक्टर 2 लगा कर मुआवजा दें और लोगों को मुआवजे के अतिरिक्त घर बनाने के लिए भूमि, बची भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था, सम्पर्क मार्ग का निर्माण, बिजली, शिक्षा एवं सभी मूलभूत सुविधा का निर्माण किया जाना चाहिए और साथ में व्यापारियों के व्यवसाय के लिए भूमि का अवाटन एवं जब तक उनका व्यवसाय वर्तमान के स्थित मे न आये तब तक उनके आय के अनुसार प्रतिकर प्रतिमााह मिलना चाहिए एवं उनके दुकान में कार्यारत कर्माचारियों को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे। अन्य मांगे: 1. गगल के समान नई बाजार विकसित किया जाना चाहिए। 2. उपजाऊ भूमि के बदले उपजाऊ भूमि दी जानी चाहिए। 3. भूमिहीन होने वाले परिवारे के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। 4. पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना 2013 के अनुसार बनाई जानी चाहिए।

		7.बड़ा जहाज चलाकर किराया कितना कम होगा कोई नहीं जानता चण्डीगढ़ से दिल्ली का किराया बड़े जहाज में 3500 होता है तो क्या गगल से दिल्ली का किराया 5000 रु से उपर नहीं होगा जबकि आज भी किराया 4500 से 5000 रु तक हैं। 7- अगर फिर भी सरकार इन तथ्यों की उपेक्षा करके हवाई अड्डे का विस्तार करती है तो लोगों के भविष्य का ध्यान करते हुए फैक्टर 2 लगा कर मुआवजा दें और लोगों को मुआवजे के अतिरिक्त घर बनाने के लिए जमीन और साथ में व्यापारियों के व्यवसाय के लिए उनकी रोजी रोटी का प्रावधान करवाये।	5. नेशलन हाईवे के निर्माण किस क्षेत्र में होगा उसकी जानकारी दी जानी चाहिए।
3	श्री विरेन्द्र कुमार, श्रीमती रोशनी, श्री कमल कुमार, श्री विकास, श्री पूर्ण चन्द, श्रीमती निम्मो देवी, श्री वीर सिंह, श्री अशोक कुमार, श्री हरनाम सिंह	(क) कांगड़ा स्थित गगल हवाई अड्डे का विस्तार हमलोग को बिल्कुल स्वीकार नहीं है क्योंकि 1) यह एयपोर्ट हमारी पुस्तानी निजी भूमि पर बनाना प्रस्तावित है। जिस भूमि पर यह हवाई अड्डे बनाया जाना है यह भूमि राजस्व रिकार्ड में अवल है। हर मौसम में हर प्रकार की फसल सब्जी इत्यादि के लिए उपयुक्त है। बेशक हम लघु किसान है परन्तु फिर भी हमारा परिवार इसी भूमि पर निर्भर रहता है और संतुष्ट हैं। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी अथवा गेरे–सरकारी नौकरी में नहीं है। 2)हमलोग एक किसान है और किसान के लिए पशुधन ही हमारा धन है। पशुचारा, दाना इत्यादि भी हम इसी जमीन से पैदा करते हैं।इसके अतिरिक्त हमलोगो के पास कोई कृषियोग्य जमीन	कांगड़ा स्थित गगल हवाई अड्डे का विस्तार के लिए जो तर्क दिये गये है उनपर विचार करते हुए उन्हे भूमि के बदले भूमि या प्रयाप्त प्रतिकर दी जानी चाहिए जिससे वे लोग कृषि योग्य भमि खरीद सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।

		नहीं है। हवाई अड्डे से हमारा सारा कारोवार नष्ट हो जाएगा। 3)हमलोगो ने प्राकृतिक खेती अपनाई हुई हैं। इस समय हमलोगो के पास प्शुधन हैं. तथा गोबर खाद ही खेतो में डालते है। यदि इस हवाई अड्डे का विस्तार होता है तो हमारा सारा का सारा रोजगार समाप्त हो जायेगा. और हमलोग भूमिहीन व पशुहीन हो जायेंगे। अतः इस हवाई अड्डे का विस्तार न किया जाये।	
4	श्री राम चन्द	कांगड़ा स्थित गगल हवाई अड्डे का विस्तार बिल्कुल स्वीकार नहीं है यदि हवाई अड्डे का विस्तार होता है तो भूमि का मूल्य वर्तमान सर्किल मूल्य का 4 गुना की मांग।	हवाई अड्डे का विस्तार होता है तो भूमि का मूल्य वर्तमान सर्किल मूल्य का 4 गुना मिलना चाहिए।
5	श्री चुन्नी लाल	परियोजना से बची भूमि हेतु सिचाई के लिए सिचाई नाली का निर्माण भूमि वार बनाने की मांग।	परियोजना से बची भूमि हेतु सिचाई के लिए सिचाई नाली का निर्माण भूमि वार की जानी चाहिए।
6	श्री जशपाल चौधरीए श्री पारस राम	1.हवाई अड्डे का विस्तार न करके वैकल्पिक भूमि पर हवाई अड्डे बनाई जाए। 2. दुकानो मे कार्यरत कर्माचारियो के लिए प्रतिकर की मांग।	1.हवाई अड्डे का विस्तार न करके वैकल्पिक भूमि पर हवाई अड्डे बनाने पर विचार की जाय। 2. दुकानो मे कार्यरत कर्माचारियो के आजीविका के लिए योजना बनाई जानी चाहिए या उन्हे भी उचित प्रतिकर दी जानी चाहिए।
7	श्री टेक चन्द, श्री हरि राम	1.परियोजना से प्रभावित सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग।	1.परियोजना से प्रभावित सम्पर्क मार्ग का निर्माण ग्रामवासीयो के अनुसार की जानी चाहिए।
8	श्री कांता	1. भविष्य मे हवाई अड्डे के विस्तार की जानकारी की मांग।	1. भविष्य मे हवाई अड्डे के विस्तार की जानकारी ग्राम

			वासीयो को दी जानी चाहिए।
9	श्री हरि राम	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना ग्रामवार एवं समुदायवार बनाने की मांग।	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना 2013 के अनुसार ग्रामवार एवं समुदायवार बनाई जानी चाहिए।
10	श्री बाबुराम, श्री मोहित एवं अन्य ग्रामवासी	1.परियोजना से बची भूमि हेतु सिचाई के लिए सिचाई नाली का निर्माण भूमि वार बनाने की मांग। 2. परियोजना से प्रभावित सम्पर्क मार्गो का निर्माण। 3. किसानो के लिए नई सब्जी मण्डी की मांग।	1. परियोजना से बची भूमि हेतु सिचाई के लिए सिचाई नाली का निर्माण भूमि वार बनाई जानी चाहिए। 2.परियोजना से प्रभावित सम्पर्क मार्गो का निर्माण ग्रामवासीयो के अनुसार किया जाना चाहिए। 3. किसानो के लिए नई सब्जी मण्डी का निर्माणकिया जाना चाहिए।
11	श्री विरेन्द्र कुमार	प्रभावित परिवार के पशुधन के लिए योजना की मांग।	प्रभावित परिवार के पशुधन के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।
12	श्रीमती माया देवी	विस्थापन के दौरान अकेले बुजुर्ग लोगो के लिए योजना की मांग।	विस्थापन के दौरान अकेले बुजुर्ग लोगो के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।

नोट : लोक सुनवाई के दौरान आपत्ति दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता का विस्तृत विवरण अनुबंध में संलग्न है।

प्रथम दृष्टि परियोजना प्रभावित परिवार भूमि देने के लिए सहमत नहीं हैं परंतु यदि सरकार जबरन हवाई अड्डे बनाना चाहती हैं और प्रभावित परिवारो को विस्थापित करती हैं तो प्रभावित परिवार केवल इन शर्तों पर अपनी भूमि देंगे यदि भूमि का प्रतिकर उचित मूल्य(claim factor 2) के साथ साथ विस्थापन लगभग 5 कि0मी0 के अन्तर्गत, मुआवजा की राशि अग्रिम एवं एक मुश्त प्रदान की जाय, भूमि का औसत मूल्य एक परियोजना एक मूल्य होना चाहिए और साथ ही साथ विस्थापित जगह पर सभी मूलभूत सुविघाये उपलब्ध हो, जिससे समाज मे एक दुसरे पर निर्भता बनी रहे। अधिग्रहण से बची हुई भूमि पर सिंचाई हेतु प्रभावित नाली का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बची भूमि पर फसलो का उत्पादन को सके, नई बाजार गगल जैसा बसाने की मांग, यदि सरकार इन शर्तो को नहीं मानती है और जबरन भू अर्जन की कार्यवाई करती हैं तो ग्रामवासी मजबुरन परियोजना का भरपुर विरोध करेंगे और अपना भूमि किसी भी कीमत पर नहीं देंगे।

जनसुनवाई / लोकसुनवाई की कार्यवृती : V

स्थान : पंचायत भवन झिकलीइचछी ग्रामः बरसवालकड,बाग और झिकलीइचछी

उपस्थित सदस्यों की संख्या : लगभग 600 तहसीलः कांगड़ा

गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 12 अप्रैल 2023 को झिकलीइचछी ग्राम में जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे समाप्त हुई। जनसुनवाई में ए. डी.एम.,एस.आर. एशिया टीम (सर्वे टीम), तहसीलदार, पटवारी, ग्राम प्रधान व ग्रामीण की उपस्थिति देखी गई। ए.डी.एम.ने ग्रामीणों को सभा का उद्देश्य समझाते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को जारी रखने के लिए एक रास्ता प्रदान करके जनसुनवाई शुरू की। उसके बाद एस.आर. एशिया टीम ने ग्रामीणों को रिपोर्ट के निष्कर्षों और जनसुनवाई के घटकों के बारे में समझाया और ग्रामीणों को अपनी राय साझा करने के लिए मंच सौंपा गया। ग्रामीणों ने अपनी राय, अपनी स्थितियों, अपनी आपत्तियों को साझा किया, तहरीर दी और हवाई अड्डे के विस्तार के प्रति अपना दुख व्यक्त किया। सभी व्यक्तियों द्वारा अपने विचारो को व्यक्त करने के उपरांत कार्यक्रम का समापन किया गया। ग्रामीणों ने अपनी राय, अपनी स्थितियों, अपनी आपत्तियों को साझा किया, तहरीर दी और हवाई अड्डे के विस्तार के प्रति अपना दुख व्यक्त किया वे निम्नवत् हैंः–

क्र0 सं0	विभिन्न वर्गो द्वारा दिये गये लिखित ज्ञापन	नाम एवं व्यवसाय	प्राप्त आपत्तियां / सुझाव	निवारण के उपाय
1	व्यक्तिगत ग्रामीण	श्रीमती रीना देवी, श्री राजिंदर सिंह, श्रीमती किरण वालिया, श्री कमल कुमार, श्री पवन कुमार, श्री सुरेश कुमार, श्री स्वरूप	झिकली इच्ची गांव के लोगों ने हवाई अड्डे के विस्तार का विरोध किया है और परियोजना का समर्थन नहीं करने के लिए निम्नलिखित कारण बताए हैं : 1) अधिसूचना की हमे कोई जानकारी नहीं दी गई। हवाई पट्टी के विस्तारिकरण की योजना केन्द्र सरकार की है। उक्त अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अवैध व अधिनियम की अनदेखी करके की गई है। इस	इन आपत्तियों / सुझाावो को भू–अर्जन विभाग, हवाई अड्डे विकास प्राधिकरण, पर्यटन या संबधित विभाग संज्ञान मे लेकर इनका समुचित निवारण किया जाना चाहिए।

		चंद, श्री सुरिंदर सिंह, श्री सुरजीत सिंह, श्री राजू बाला, श्री कौशल्या देवी, श्री संजय कुमार, श्री रमेश चंद, श्री करतार सिंह, श्री पुरुषोत्तम चंद, श्रीमति सुनीता रैना, श्रीमती अनीता धीमान, श्री अशोक कुमार, श्री विजय कुमार, श्री उत्तम चंद, श्री रविंदर, श्री जय बहादुर, श्रीमति सरोज कुमारी, श्री सुभाष चंद, श्रीमती राजीबीर सिंह, श्री	अधिसूचना को शीघ्र अतिशीघ्र निरस्त कर दिया जाए। 2) प्रभावित इच्छी गांव में सभी प्रकार की समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है तथा यह गांव एक विकसित गांव है। हम सभी इन मूलभूत सुविधाओं से वंचीत हो जाऐगे । 3) इस अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवार के सदस्यों/ बच्चों की पढाई तथा उनका भविष्य प्रभावित होगी। 4) प्रभवित परिवार के सदस्यों के आय (रोजगार) के सभी साधन समाप्त हो जाएगे। 5) अगर हमारी आधी भूमि हवाई पट्टी अधिग्रहण में जाती है तो जो शेष भूमि बच जाती है तो उसका मै क्या करूगा यदि मैं यहा से कही और किसी स्थान पर विस्थापित होता हूँ तो जो शेष भूमि बंजर बन जाऐगी तो इस जमीन की जिम्मेदारी सरकार वहन करे। 6) हमलोगो का सामाजिक ढांचा भी गड़बड़ा जाएगा तथा जोकि हम एक परिवार की तरह निवास करते है यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। 7) हवाई पट्टी के विस्तीकरण से हमलोगो को कोई लाभ नहीं होगा। यह मेरे लिए बड़ा कष्टदाई	

		जोगिंदर पाल व अन्य ग्रामीण	व किसी भूकम्प से कम नहीं है। जोकि मानव निर्मित भूकम्प है। इन्ही उपरोक्त कारणों से हमलोग अपनी भूमि एवं अन्य सम्पति हवाई पट्टी के विस्तार के लिए किसी भी सूरत में नहीं देना चाहते है। इस अधिग्रहण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT(AMENDMENT) ORDINANCE, 2015 को लागू न किया जाए।	
2	व्यापारियों का समूह	रमन ऑटो ट्रेडर्स, डोडवाल ऑटो ट्रेडर्स, कोटिया हिम कृषि ट्रेडर्स, सैनी इलेक्ट्रिकल एंड स्क्रैप शॉप, सिकंदर कुमार गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टर, सबरवाल स्टील वर्क्स, सबरवाल वेल्डिंग	काँगड़ा हवाई अड्डे विस्तारीकरण से इच्छी गांव में बहुत से दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं। जो वर्षों से यहां पर दुकानों से अपनी रोजी–रोटी कमाते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग ओटोमोबाईल व अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और किराये की दुकानों में अपना व्यवसाय करते हैं विस्तारीकरण के बाद यह सभी लोग प्रभावित होगे। महोदय जी आपसे निवेदन है कि आप इन सभी दुकानदारों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करें। यह सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए कार्य करते हैं. इसलिए हमलोगो का आप से अनुरोध है कि सभी दुकान वालों को एक साथ किसी अन्य जगह पर हमे व्यापार चलाने	विस्थापन से प्रभावित ग्राम में संचालित सभी तरह का व्यवसाय समाप्त हो जायेगे इसलिए इनका व्यवसाय संचालन के लिए क्षेत्र में एक विकसित बाजार का निर्माण सभी मूलभूत सुविघा के साथ किया जाना चहिए एवं उस बाजार में सभी प्रभावित व्यापारियों को दुकान आवंटन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ व्यापारियों को अपना व्यवपार संचलन के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जाना चाहिए। जिससे ग्राम एवं

		शॉप, निर्मल ढाबा, छत्तानी स्पेयर पार्ट्स, वर्मा ज्वेलर्स और अन्य व्यापारी।	हेतु जमीन उपलब्ध करवाये व अर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये, जिससे सभी लोग अपना व्यवसाय शुरु कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, महोदय जी आप इस विषय पर अवश्य ध्यान दे।	समाज में सदभावना बनी रहे एवं सभी परिवार खुशी से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।
3	दुकानदार	श्री रमेश कुमार व अन्य दुकानदार	हमलोगो कि दुकान ही हमलोगो के परिवार के लिए रोजी–रोटी कमाने का एकमात्र जरिया है। परियोजना के विस्तार से हमलोग अपनी दुकान खो देगे, कृपया मुझे बाजार में एक दुकान प्रदान करें।	
4	अलग–अलग परिवारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया	श्री राकेश कुमार, श्री संतोष कुमार, सुदेश कुमारी, श्री देवराज, श्री हरीश धनोतिया, श्री सरव प्रकाश व अन्य ग्रामीण	जनसुनवाई के दौरान झिकलीइच्ची के ग्रामीणों ने अपनी राय व्यक्त की और कहा कि जब उनसे उनके घर और नौकरियां छीन ली जाएंगी तो उन्हें कैसा महसूस होगा। किसी ने रोष जताया तो किसी ने आंसू बहाकर अपना दुख जताया। हालाँकि, यह ध्यान में रखते हुए कि अंतिम निर्णय प्रशासन द्वारा लिया जाएगा और अपनी भूमि देने के बदले में निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत की हैं। 1) 5 किमी के दायरे में कृषि योग्य भूमि के बदले में उपजाऊ भूमि की मांग। 2) यह देखते हुए कि झिकली इच्ची में स्कूल, अस्पताल, बाजार	जनसुनवाई के दौरान झिकलीइच्ची के ग्रामीणों ने परियोजना के विस्तार का विरोध किये एवं यदि परियोजना का विस्तार किया जाता हैं तो निम्न शर्तो पर भूमि देने की सहमती प्रदान किये जिनका समाघन किया जाना चाहिए। 1) प्रभावित परिवारो को भूमि 5 किमी के दायरे में कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि दिया जाना चाहिए। 2) पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत अस्पताल,

			आदि सभी सुविधाएं हैं, लोगों को एक ऐसे क्षेत्र में निवास दिया जाना चाहिए जहां ये सभी सुविधाएं हों जो जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक हों। 3) भूमि बंदोबस्त के लिए एकमुश्त अग्रिम भुगतान दिया जाए। 4) हमे जमीन का उचित मुआवजा दिया जाये व हमें सरकार बताये की हमारी जमीन का क्या मुआवजा देने जा रही है। हमारी मांग है कि हमें factor&ll (चार गुना) के तहत मुआवजा दिया जाये / अपनी जमीन देना व दूसरी जगह जमीन लेकर के मकान बनाना आजकल इतना भी आसान नहीं है। यह बात सरकार को भी सोचनी चाहिए। यह भी बताया जाये कि बनाये हुए मकान का कितना मुआवजा दिया जाएगा/ साथ ही साथ फेज और फेज–2 एक साथ ही विस्तारीकरण होने चाहिए । 5) प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। 6) हमें अपने समुदायों से अलग नहीं होना चाहिए और समुदायों को केवल एक स्थान पर बसाना चाहिए और बिखरना नहीं चाहिए। 7) वे लोग जो अपना जीवन यापन करने के लिए दिहाड़ी मजदूर पर	स्कूल,पार्क, बस स्टॉप, बाजार आदि सभी मूलभूत सुविधा के साथ बनाया जाना चाहिए। 3) भूमि का मुआवजा एकमुश्त अग्रिम किया किया जाना चाहिए। 4) हवाई अड्डे का विस्तार फेज 1 एवं 2 का एक साथ होना चाहिए। भुमि का प्रतिकर factor 2 के अनुसार सर्किल रेट का चार गुणा मिलना चाहिए। साथ ही साथ प्रभावित भूमि पर स्थित संपतियो (मकान, पशु ढाचा आदि) का मूल्यांकन सबंधित विभाग से कराकर आज के बाजार मूल्य के अनुसार दिया जाना चाहिए। जिससे अपने संपतियो का निर्माण पुनः कर सके। 5) प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी प्रदान की जानी चाहिए। 6) प्रभावित परिवार को ग्रामवार एवं समुदायवार सभी मूलभूत सुविधओ के साथ आवास या भूमि का

			निर्भर हैं, उन्हें पुनर्वास प्रक्रिया के बाद कुछ समय के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। 8) विशेषज्ञ टीम द्वारा वृक्षारोपण का सही मूल्यांकन किया जाएगा और उसी के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।	अवांटन किया जाना चाहिए। 7) वे लोग जो अपना जीवन यापन करने के लिए दिहाड़ी मजदूर पर निर्भर हैं, उन्हें पुनर्वास प्रक्रिया के बाद दो वर्षो तक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। 9) वन विभाग द्वारा वृक्षो का उचित मूल्यांकन कराकर आज के बाजार मूल्य के अनुसार प्रतिकर दिया जाना चाहिए।
5	वरिष्ठ नागरिक, झिकली इची	श्री करतार चंद, श्री बुद्धि सिंह, श्री फकीर चंद, श्री रमेश चंद, श्री किसन चंद व अन्य ग्रामीण	बहुत सारे लोग जिनकी भूमि हवाई अड्डे के विस्तार में अधिग्रहित की जा रही है, वे वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त कर्मी और वृद्ध लोग हैं जो जीविकोपार्जन के लिए खेती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। ये लोग कई वर्षो से गगल में निवास कर रहे हैं और लोगों के साथ एक समुदाय बनाया है। सरकार के लिए यह ध्यान देना जरूरी है कि विकास के नाम पर इन लोगों को अपने परिवार और दोस्तों से बांटना अमानवीय होगा, इसलिए ये विस्तार का विरोध करते हैं। स्थानांतरण के मामले में वे एक अच्छी तरह से निर्मित समुदाय में बसना चाहते हैं, जहां सभी	प्रभावित परिवार विस्थापन के कारन परियोजना का विरोध कर है यदि सरकार परियोजना के विस्तार के पक्ष में है तो प्रभावित परिवार को ग्रामवार एवं समुदायवार सभी मूलभूत जैसे बिजली, स्कूल, पानी, बाजार, सड़क, अस्पताल आदि सुविधओ के साथ आवास या भूमि का अवांटन किया जाना चाहिए। मकान बनाने के लिए बुजुर्ग परिवारो को सरकार से सहायता दिया जाना चाहिए। प्रभावित मकान का मूल्यांकन वर्तमान बाजार मूल्य के

			सुविधाएं शीर्ष पायदान पर होंगी, इसके अलावा उनकी मांग है कि उनका पूरा समुदाय एक ही स्थान पर बसेगा और उन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए। घर बनाने के लिए भी सरकार से सहायता की आवश्यकता होगी क्योंकि वृद्ध लोग जीवन के इस पड़ाव पर ऐसा करने में असमर्थ होते हैं।	अनुसार किया जाना चाहिए।
6	महिला मंडल दल, झिकली इच्छी	महिला मंडल दल की सदस्य	महिला मंडल दल की सदस्यों ने हवाई अड्डे के विस्तार का विरोध किया है. उन्होंने इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं : 1) महिला मंडल दल में अधिकांश महिलाएं आजीविका कमाने के लिए कृषि पर निर्भर हैं। उनके पास जमीन का एक छोटा हिस्सा है जिसमें वे सब्जियां उगाते हैं जिसे वे अपनी जीविका चलाने के लिए बाजार में बेचते हैं। 2) दल के सदस्य किसी भी स्थिति में अपनी कृषि भूमि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। 3) सरकार हमेशा लोगों को बंजर भूमि को कृषि में बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है तो इस मामले में विपरीत क्यों हो रहा है। 4) कई घरों में 95 साल तक के बुजुर्ग हैं। वे दशकों से इन घरों में रह रहे थे और अब उन्हें उनके घरों से अलग करना अमानवीय होगा।	1. महिला मंडल दल की सदस्यों ने हवाई अड्डे के विस्तार का विरोध किया है. उनके तर्को का निवारण प्रशासन एक समिति के माध्यम से करे या प्रभावित लोगो को कृषि योग्य भूमि उनके भूमि के बदले में दी जानी चाहिए जिससे अपना आजीविका चला सके। 2. हवाई अड्डे के विस्तार से पर्यावरण या प्राकृतिक सुंदरता में कमी न आये इसके लिए पर्यावरण विभाग द्वारा योजना बनाई जानी चाहिए। प्रभावित अन्य तर्को को संबधित विभाग विचार करे।

			5) हवाई अड्डे के विस्तार से पर्यावरण की प्राकृतिक सुंदरता में गिरावट आएगी। 6) महिला मंडल दल हवाई अड्डे के विस्तार के खिलाफ है और अपनी जमीन नहीं छोड़ेगी।	
7	पहले से ही विस्थापित लोग	श्री हंसराज, श्रीमती बीना देवी व अन्य ग्रामीण	पोंग बांध निर्माण के कारण एक बार विस्थापित हो चुके लोग हवाई अड्डे के विस्तार के खिलाफ हैं। वे विस्तार की संभावना पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने विरोध किया है कि पोंग बांध का विस्थापन 50 साल पहले हुआ था और उन्हें राजस्थान में जमीन दी गई थी, जहां न तो विकसित हुई और न ही कृषि भूमि है। उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी और उनके पास जो कुछ भी था उसे बनाया था। अब वे फिर से शुरू करने की संभावना के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वे सहमत हो गए थे और ऐसा करने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा वे फिर से परिवार और दोस्तों से अलग होने का दर्द सहन नहीं कर सकते हैं और सरकार से परियोजना को रोकने के लिए अनुरोध करते हैं।	प्रभावित परिवार पोंग बांध निर्माण में विस्थापन की समस्या से परेशान हैं, जिसका आज तक समाधान नहीं हो पाया हैं। सरकार ने जो भूमि दिया था वह आज तक कृषि योग्य नहीं हो पाया हैं इसलिए विस्थापन का कष्ट दुबारा न झेलना पड़े इसलिए परियोजना का विरोघ कर रहे हैं।

नोट : लोक सुनवाई के दौरान आपत्ति दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता का विस्तृत विवरण अनुबंध में संलग्न है।

प्रथम दृष्टि परियोजना प्रभावित परिवार भूमि देने के लिए सहमत नहीं हैं क्योंकि उनका ग्राम एक विकसित ग्राम के श्रेणी में आता हैं यह ग्राम क्षेत्र में व्यापार का केन्द्र हैं और यहा पहले से पोंग बांध के विस्थापित परिवार भी रहते हैं। यहा के लोगो का जिवकोपार्जन व्यापार के साथ साथ कृषि कार्य भी हैं। परंतु यदि सरकार जबरन हवाई अड्डे बनाना चाहती हैं और प्रभावित

परिवारो को विस्थापित करती हैं तो प्रभावित परिवार केवल इन शर्तों पर अपनी भूमि देंगे यदि भूमि का प्रतिकर बजार मूल्य के साथ साथ विस्थापन लगभग 5 कि0मी0 के अन्तर्गत, गगल जैसा एक विकसित बाजार बनाकर सभी प्रभावित व्यापारियों को दुकान उपलब्ध कराई जाय, भूमि का प्रतिकर RFCTLARR Act 2013 के Factor II के अनुसार चार गुणा मुआवजा की धनराशि अग्रिम एवं एक मुश्त प्रदान की जाय, भूमि की कीमत बाजारी भाव / कीमत के अनुसार और एक परियोजना समान लागत के अनुसार होना चाहिए और साथ ही साथ विस्थापित जगह पर सभी मूलभूत सुविघाये जैसे स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली एवं दुकान आदि उपलब्ध हो, जिससे समाज मे एक दुसरे पर निर्भता बनी रहे। अधिग्रहण से बची हुई भूमि पर सिंचाई हेतु प्रभावित नाली का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बची भूमि पर फसलो का उत्पादन को सके एवं साथ ही क्षेत्र में जलभराव की समस्या न हो इसके लिए जल निकास नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए। व्यापारियों का व्यापार जब तक वर्तमान के स्थिति में न आ जाय तब तक उसमें कार्यारत कर्मचारियो एवं व्यापारियों को उनके आय के अनुसार प्रतिमाह प्रतिकर दिया जाना चाहिए यदि सरकार इन शर्तो को नहीं मानती है और जबरन भू अर्जन की कार्यवाई करती हैं तो ग्रामवासी मजबुरन परियोजना का भरपुर विरोध करेंगे और अपना भूमि किसी भी कीमत पर नहीं देंगे।

अध्याय– दस
संस्तुतियां

एसआर एशिया द्वारा मनोनीत एसआइए विशेषज्ञों द्वारा वृहत अध्ययन और हितधारकों के साथ परामर्श, विचार विमर्श, आलेख्य प्रतिवेदन पर जनसुनवाई और अन्य क्षेत्रीये आंकड़ों के विश्लेषण के तदोउपरांत निम्नवत सिफारिशें प्रस्तावित करती हैं :

1. कांगड़ा हवाई अड्डे का प्रस्तावित विस्तारिकरण वृहत आबादी एवं व्यवसाय को गंभिर रूप से प्रभावित करेगी जोकि वर्षो से स्थापित एवं सामान्य रूप से स्वसंचालित हैं। सभी पक्षों से व्यापक विचार विमर्श से जानकारी मिली हैं कि यदि प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण होता हैं तो परियोजना कि लागत मूल्य लगभग कई हजार करोड़ों मे पूर्ण होगी और साथ ही साथ हजारो कि संख्या में परिवार अपना परिवारिक व्यवसाय, रोजगार और आय के श्रोत और सामाजिक ताना बना खो देंगे। विचार विमर्श के दौरान यह भी पता चला है कि हजारो लोग छोटी बड़ी दुकानो में कर्यारत है वे भी अपनी जीवन यापन इस कारण खो देंगे। जैसे कि सरकारी नौकरीयों के अवसर का पहले ही अभाव है इस स्थिति में सरकार कैसे हजारों लोगो को नियोजित कर पायेगी यह प्रश्न काफी चिंताजनक है, अतः इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित परिवारों ने परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान/भूमि एवं भू–अर्जन के लिए निम्न सुझाव प्रस्तावित किये है:–

i. हवाई अड्डे का विस्तार, वर्तमान कांगड़ा हवाई अड्डे के पश्चिम से उत्तर की तरफ धर्मशाला/सराह की ओर किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम परिवार विस्थापित होंगे और सरकारी धन की अत्यधिक बचत होगी और स्थानीय लोग भी इस विकल्प का समर्थन करते हैं।

ii. नये स्थान पर उपलब्ध भूमि ग्राम बोड़क्वालू या लंज, कांगड़ा तहसील में असिंचित एवं सरकारी भूमि है जिसमें हवाई अड्डे का निर्माण सहज एवं वृहत रूप मे किया जा सकता हैं और साथ ही साथ समाजिक एवं आर्थिक क्षति न्यूनतम आकीं गई है तथा परियोजना की लागत मूल्य भी गगल के अपेक्षा कई गुना कम अपेक्षित हैं।

2. भू–अर्जन से पहले भू कानून के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना कि व्यवस्था तथा हितधारको का सहयोग वांछनीय है।

3. RFCTLARR अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजारू मूल्य/ सर्कल दर (लागू होने पर) का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में भूमि के बाजारू दर का दो गुना देने पर भूस्वामि अधिग्रहण के लिए तैयार है, जिसका भुगतान एक परियोजना समान दर के अनुरूप किया जाना चाहिए।

4.परियोजना के विस्तार से ग्राम या क्षेत्र में जलभराव/बाढ़ कि समस्या उत्पन्न हो सकती हैं इसलिए पानी की निकासी और आपूर्ति के लिए एकल जल प्रबंधन योजना बनायी जानी चाहिए। जिससे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या की रोकथाम हो सके।

5.पूर्व में जो परिवार किसी अन्य परियोजना के तहत या वर्तमान हवाई अड्डे की भूमि अधिग्रहण से पहले से भी प्रभावित हैं ऐसे परिवार यदि पुनः अधिग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं तो विशेष प्रतिकर राशि दी जानी चाहिए।

6. प्रभावित भूस्वामियों को इस प्रतिवेदन में वर्णित सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) और RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर दिया जाना चाहिए एवं ग्रामवार समस्यों के समाधान हेतु दिये गये उपायो का विवरण परिशिष्ट–एक एवं जनसुनवाई अध्याय संख्या नौ में अंकित हैं। सभी प्रस्तुत ज्ञापनो की समीक्षा हालांकि एसआईएमपी मे प्रस्तुत है फिर भी विस्तृत ज्ञापनो का प्रारूप परिशिष्ट–चार के रूप में व्यक्तिवार एवं विन्दुवार उपयुक्त कार्यवाई के लिए प्रस्तुत हैं।

7. हवाई अड्डे के विस्तार से सबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, व्यवहार्यता प्रतिवेदन एवं पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना उपल्बघ नहीं हैं इसलिए प्रस्तुत सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत लागत और लाभ विश्लेषण का अनुमान नहीं हो पाया है। परियोजना की लागत उपलब्ध नहीं हो पाया हैं इसलिए उचित लागत–लाभ विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।

8. यह परियोजना आम जनमानस के लिए उपयोगि हैं और परियोजना के निर्माण और संचालन से सभी ग्रामीणों के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन रूप से लाभ प्रदान करेगा। यह रोजगार, वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान और सामुदायिक निवेश के संबंध में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं जो ग्रामीणों को लंबे समय तक लाभ प्रदान करेंगे जिससे अल्पकालिक नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।

9.गगल हवाई अड्डे विस्तारीकरण परियोजना से लाभान्वित होने की संभावना लागत मूल्य से अधिक या कम होने के पर्याप्त आकड़ें उपलब्ध नहीं है, इसलिए योजना के निवेश का लाभ कब और कितना होगा यह अनुमान लगाना मुश्किल हैं, हालांकि प्रभावित परिवारों द्वारा इस योजना को काफी महंगा बताया गया है जिसका लाभ निकट भविष्य में सरकार एवं जनता को मिलना मुश्किल बताया गया हैं। यदि हवाई अड्डे का निर्माण वैकल्पिक स्थानो पर प्रेषित किया जाता है तो निश्चत तौर पर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सभी पक्षो के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा यह निष्कर्ष लगभग सभी प्रभावित परिवारों एवं अन्य वर्गो द्वारा जनसुनवाई के दौरान व्यक्त किया गया है।

एसआर एशिया द्वारा नामित एसआईए विशेषज्ञ, सभी सामाजिक प्रभावों का आकलन करने के पश्चात इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित **सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP)**, **परिशिष्ट–एक**, **जनसुनवाई अध्याय संख्या–नौ** और **परिशिष्ट–चार** में उल्लेखित विभिन्न शर्तो के अनुसार भूमि अधिग्रहण की सिफारिश करती हैं।

परिशिष्ट– एक

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

तहसील:–कांगड़ा

1.ग्राम का नाम :– भेड़ी

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 3.1933 हे0	➢ अजीविका के स्रोत का अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पड़ेगा।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	मकान और अन्य ढाचा : 11 और 8	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।

3	मुर्गी फार्म :1	➢ मुर्गी फार्म का नुकसान। ➢ आय के स्रोत का ह्रास।	➢ मुर्गी फार्म का उचित प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए। ➢ पुनः व्यवसाय शुरू करने हेतु आर्थित सहयोग करना चाहिए।
4	पौघे के नर्सरी	➢ आय का स्रोत ➢ रोजगार का अभाव। ➢ पौष्टिक फलों एवं सब्जी के नर्सरी का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पर नर्सरी का व्यवसाय करने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➢ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➢ पौघे के नर्सरी के व्यवसाय शुरू करने हेतु उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए।
5	पेड़ पौघे	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➢ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➢ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
6	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
7	बोरींग/ ट्यूबवेल (पिने के पानी हेतु): 2	➢ पीने हेतू साफ जल की समस्या	➢ पुनः उचित स्थान पर बोरींग/ ट्यूबवेल की व्यवसथा की जानी चाहिए,जिससे पिने की पानी की समस्या न हों।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

2.ग्राम का नाम :– दुग्यिारी खास

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें / नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय / सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 1.1510 हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	➢ आवागमन बाधित। ➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	➢ ग्राम / क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली / मार्ग : 4	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	जल निकास नाली:	➢ नाले का नुकसान। ➢ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए।

		➢ संक्रामक रोगो का फैलाव। ➢ जलभराव की समस्या।	➢ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	हाईस्कूल और इन्टर कालेज : 1 प्राइवेट और सरकारी	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ शिक्षण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रुप से कराया जा सके। ➢ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
6	मकान और अन्य ढाचा : 13 और 9	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 16	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➢ व्यापार का नुकसान।	➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रुप से कराया/चलाया जा सके। ➢ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर

			व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
8	पेड़ पौधे :	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➢ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➢ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
9	नदी : 1	➢ बाढ़ का सम्सया ➢ फसल का नुकसान ➢ सिंचाई में व्यवधान	➢ नदी के पानी निकलने हेतु वैकल्पिक ब्यवस्था किया जाना चाहिए। ➢ सिचाई हेतु वैकल्पिक ब्यवस्था कि जानी चाहिए।
10	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
11	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 3	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास। ➢ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➢ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव।	➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

3.ग्राम का नाम :– सनौरा

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 9.3065 हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके।

		➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	➢ आवागमन बाधित। ➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	➢ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/ मार्ग : 5	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्त्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	जल निकास नालीः	➢ नाले का नुकसान। ➢ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➢ संक्रामक रोगो का फैलाव। ➢ जलभराव की समस्या।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	स्कूल : 1	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ शिक्षण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रुप से कराया जा सके। ➢ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

			➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
6	मकान और अन्य ढ़ाचा : 75 और 43	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	मंदिर : 2	➢ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➢ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➢ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष।	➢ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
8	पेड़ पौघे	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन / इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➢ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➢ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
9	बोरिंग / बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 6	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास। ➢ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➢ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव।	➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

			➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग / बोरवेल काराई जानी चाहिए।
10	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों / ग्रामवासियों / पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

4.ग्राम का नाम :– गगल खास

क्रम संख्य	**अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां**	**सम्भावित समस्यायें / नुकसान**	**इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय / सुझाव**
1	कृषि योग्य भूमि : 19.8067हे0	➢ अजीविका के स्रोत का अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 2	➢ आवागमन बाधित। ➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	➢ ग्राम / क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।

3	सिंचाई नाली / मार्ग : 4	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्त्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	जल निकास नाली :	➢ नाले का नुकसान। ➢ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➢ संक्रामक रोगो का फैलाव। ➢ जलभराव की समस्या।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	स्कूल : 3	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ शिक्षण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रुप से कराया जा सके। ➢ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
6	मकान और अन्य ढाचा : 154 और 55	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 198	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं

		➢ व्यापार का नुकसान।	व्यापार सुचारु रुप से कराया/चलाया जा सके। ➢ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
8	मंदिर :2	➢ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➢ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➢ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष।	➢ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
9	पैट्रोल पम्प : 2	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं पैट्रोल पम्प सुचारु रुप से चलाया जा सके। ➢ पैट्रोल पम्प चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यपासाय पुनः शुरु किया जा सके। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

10	बोरिंग / बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 10	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास। ➢ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➢ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव।	➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग / बोरवेल काराई जानी चाहिए।
11	पेड़ पौघे	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन / इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➢ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➢ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
12	चरागाह	➢ चारागाह का नुकसान ➢ पशुओं को हरा चारा चरने का नुकसान	➢ चारागाह दूसरे स्थान पर प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
13	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
14	आंगनवाड़ी केन्द्र	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ शिक्षण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रुप से कराया जा सके। ➢ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों / ग्रामवासियों / पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

5. ग्राम का नाम :– बाग

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें / नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय / सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 04.5496हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 2	➢ आवागमन बाधित। ➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	➢ ग्राम / क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली / मार्ग : 4	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	जल निकास नाली:	➢ नाले का नुकसान। ➢ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए।

		➢ संक्रामक रोगो का फैलाव। ➢ जलभराव की समस्या।	➢ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	बोरिंग / बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 5	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास। ➢ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➢ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव।	➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग / बोरवेल काराई जानी चाहिए।
6	मकान और अन्य ढाचा : 21 और 15	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 12	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➢ व्यापार का नुकसान।	➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रुप से कराया / चलाया जा सके। ➢ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।

8	पेड़ पौधे	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➢ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➢ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
9	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

6.ग्राम का नाम :– बरसवालकड

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 22.1219 हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 3	➢ आवागमन बाधित।	➢ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

		➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/ मार्ग : 4	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्त्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	जल निकास नाली:	➢ नाले का नुकसान। ➢ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➢ संक्रामक रोगो का फैलाव। ➢ जलभराव की समस्या।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 20 बौरियाः 2	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास। ➢ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➢ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव।	➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए।
6	मकान और अन्य ढाचा : 139 और 115	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act,

			2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 24	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➢ व्यापार का नुकसान।	➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रुप से कराया/चलाया जा सके। ➢ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
8	मंदिर : 1	➢ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➢ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➢ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष।	➢ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
9	स्कूल : 2	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ शिक्षण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रुप से कराया जा सके। ➢ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
10	पेड़ पौघे	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव।	➢ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए।

		➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन / इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➢ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
11	सोसाइटी भवन	➢ भवन का नुकसान। ➢ किसानों को खाद एवं बीज लेने के दूर जाना परेगा। ➢ निर्माण कार्य लागत मे वृद्बि	➢ सोसाइटी भवन हेतु अन्य स्थान पर भूमि प्रस्तावित की जाए। ➢ नई तकनीकि से भूकम्प अवरोधी भवन का निर्माण कराया जाए ताकि सुचारू रूप से सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न हों सकें। ➢ जबतक नई सोसाइटी भवन का निर्माण न हो जाय तब तक खाद एवं बीज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए।
12	अस्पताल	➢ इलाज में समस्या ➢ इलाज के लिए दूर जाना पड़ेगा ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्बि ➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ स्वास्थ्य सेवा का नुकसान।	➢ अस्पताल को अन्य स्थान पर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) निर्माण कराया जाना चाहिए। ➢ इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ नई तकनीकि से भूकम्प अवरोधी चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवा सम्पन्न हों सकें
13	शमशान	➢ शवदाह कीं समस्या ➢ शव जलाने के लिये बहुत दूर जाना पड़ेगा ➢ अन्तिम यात्रा की लागत में वृद्बि हो जायेगी	➢ अन्य स्थान पर शमशान प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

14	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

7.ग्राम का नाम :– झिकली इच्छी

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 14.5511 हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 2	➢ आवागमन बाधित। ➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	➢ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/ मार्ग : 4	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

		के लागत में वृद्धि होगी।	➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	जल निकास नाली:	➢ नाले का नुकसान। ➢ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➢ संक्रामक रोगो का फैलाव। ➢ जलभराव की समस्या।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 16	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास। ➢ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➢ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव।	➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए। ➢
6	मकान और अन्य ढाचा : 43 और 25	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 56	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➢ व्यापार का नुकसान।	➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रुप से कराया/चलाया जा सके। ➢ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए।

			➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
8	मंदिर : 1	➢ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➢ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➢ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष।	➢ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर सीानान्तरित किया जाना चाहिए।
9	स्कूल : 1	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ शिक्षण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रुप से कराया जा सके। ➢ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
10	शमशान	➢ शवदाह कीं समस्या ➢ शव जलाने के लिये बहुत दूर जाना पड़ेगा ➢ अन्तिम यात्रा की लागत में वृद्धि हो जायेगी	➢ अन्य स्थान पर शमशान हेतु भूमि प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
11	कब्रस्तान	➢ शवदाफनाने में समस्या ➢ शवदाफनान के लिये बहुत दूर जाना पड़ेगा ➢ अन्तिम यात्रा की लागत में वृद्धि हो जायेगी	➢ अन्य स्थान पर कब्रस्तान हेतु भूमि प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
12	पंचायत भवन	➢ भवन का नुकसान। ➢ सभा स्थल एंव अन्य सामाजिक कार्यक्रमो का नुकसान।	➢ पंचायत भवन हेतु अन्य स्थान पर भूमि प्रस्तावित की जाए।

		➢ निर्माण कार्य लागत मे वृद्वि	➢ नई तकनीकि से भूकम्प अवरोधी भवन का निर्माण कराया जाए ताकि सुचारू रूप से सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न हों सकें।
13	सरकारी पशु अस्पताल :	➢ पशुओं के इलाज में समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ पशु स्वास्थ्य सेवा का नुकसान।	➢ अस्पताल को अन्य स्थान पर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) निर्माण कराया जाना चाहिए। ➢ पशुओं इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ नई तकनीकि से भूकम्प अवरोधी चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवा सम्पन्न हों सकें
14	अस्पताल	➢ इलाज में समस्या ➢ इलाज के लिए दूर जाना पड़ेगा ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ स्वास्थ्य सेवा का नुकसान।	➢ अस्पताल को अन्य स्थान पर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) निर्माण कराया जाना चाहिए। ➢ इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ नई तकनीकि से भूकम्प अवरोधी चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवा सम्पन्न हों सकें
15	किसान भवन	➢ भवन का नुकसान। ➢ सभा स्थल एंव अन्य सामाजिक कार्यक्रमो का नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत मे वृद्वि ➢ किसानों को रूकने में समस्या	➢ किसान भवन हेतु अन्य स्थान पर भूमि प्रस्तावित की जाए। ➢ नई तकनीकि से भूकम्प अवरोधी भवन का निर्माण कराया जाए ताकि सुचारू रूप से सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न हों सकें।

16	आंगनवाड़ी	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ शिक्षण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रुप से कराया जा सके। ➢ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
17	पेड़ पौघे	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➢ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➢ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
18	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

8.ग्राम का नाम :– मुगरेहड़

क्रम संख्य	**अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां**	**सम्भावित समस्यायें/नुकसान**	**इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव**
1	कृषि योग्य भूमि : 2.4327हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

		➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 3	➢ आवागमन बाधित। ➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	➢ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/ मार्ग : 4	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्त्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	जल निकास नालीः	➢ नाले का नुकसान। ➢ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➢ संक्रामक रोगो का फैलाव। ➢ जलभराव की समस्या।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 2	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास। ➢ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➢ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव।	➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए।
6	मकान और अन्य ढाचा : 5 ओर 3	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को

		➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 7	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➢ व्यापार का नुकसान।	➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रुप से कराया/चलाया जा सके। ➢ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
8	स्कूल	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ शिक्षण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रुप से कराया जा सके। ➢ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
9	चरागाह	➢ चारागाह का नुकसान ➢ पशुओं को हरा चारा चरने का नुकसान	➢ चारागाह दूसरे स्थान पर प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

10	आंगनवाड़ी	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ शिक्षण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रुप से कराया जा सके। ➢ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
11	पेड़ पौघे	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➢ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➢ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
12	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

9.ग्राम का नाम :– सौहड़ा

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 2.9939 हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

		➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	➢ आवागमन बाधित। ➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	➢ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/ मार्ग : 5	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्त्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 2	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास। ➢ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➢ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव।	➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए।
5	मंदिर :1	➢ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➢ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➢ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष।	➢ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। ➢
6	जल निकास नाली:	➢ नाले का नुकसान। ➢ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए।

		➢ संक्रामक रोगो का फैलाव। ➢ जलभराव की समस्या।	➢ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
7	मकान और अन्य ढाचा : 7 और 2	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
8	दुकान : 10	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➢ व्यापार का नुकसान।	➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रुप से कराया/चलाया जा सके। ➢ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
9	पेड़ पौघे	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा	➢ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➢ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➢ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए।

		➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
10	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

10.ग्राम का नाम :– बल्ला़

क्रम संख्य	**अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां**	**सम्भावित समस्यायें/नुकसान**	**इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव**
1	कृषि योग्य भूमि : 07.1454 हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 2	➢ आवागमन बाधित। ➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	➢ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।

3	सिंचाई नाली / मार्ग : 5	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्त्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	सिचाई के लिए बोरवेल:1	➢ सिंचाई का स्त्रोत का नुकसान ➢ महंगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नहीं मिलेगा ➢ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन ➢ के लागत में वृद्धि होगी।	➢ निःशुल्क बोरिंग कराई जानी चाहिए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ किसी भी कारण से सिंचाई न हो पाने पर सूखी गई फसल का भी मुआवजा दिया जाना चाहिए।
5	जल निकास नाली : 7	➢ नाले का नुकसान। ➢ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➢ संक्रामक रोगो का फैलाव। ➢ जलभराव की समस्या।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
6	चरागाह :	➢ चारागाह का नुकसान ➢ पशुओं को हरा चारा चरने का नुकसान	➢ चारागाह दूसरे स्थान पर प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
7	मकान : 6	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।

8	दुकान : 4	➢ निर्माण कार्य का नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➢ व्यापार का नुकसान।	➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रुप से कराया/चलाया जा सके। ➢ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
9	पेड़ पौघे	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➢ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➢ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
10	शमशान	➢ शवदाह कीं समस्या ➢ शव जलाने के लिये बहुत दूर जाना पड़ेगा ➢ अन्तिम यात्रा की लागत में वृद्धि हो जायेगी	➢ अन्य स्थान पर शमशान प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
11	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

तहसीलः– शाहपुर

1.ग्राम का नाम :– जुगेहड़

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें / नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय / सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 2.5112 हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सिंचाई नाली / मार्ग : 3	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्त्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन ➢ के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
3	मकान : 1	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act,

			2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
4	दुकान : 2	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➢ व्यापार का नुकसान।	➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रुप से कराया/चलाया जा सके। ➢ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
5	मंदिर :2	➢ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➢ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➢ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष।	➢ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
6	तलाब :1	➢ जल स्रोत का ह्रास ➢ पशुओं का पानी पीना एवं नहाने की समस्या ➢ जल स्तर की समस्या। ➢ मंदिर के पास होने के कारण जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात।	➢ अन्य भूमि पर तालाब प्रस्तावित किया जाए।
7	स्कूल	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ शिक्षण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत में वृद्वि।	➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रुप से कराया जा सके।

		➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
8	पशु अस्पताल	➢ पशुओं के इलाज में समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ पशु स्वास्थ्य सेवा का नुकसान।	➢ अस्पताल को अन्य स्थान पर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) निर्माण कराया जाना चाहिए। ➢ पशुओं इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ नई तकनीकि से भूकम्प अवरोधी चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवा सम्पन्न हों सकें
9	पटवारी कर्यालय	➢ भवन का नुकसान। ➢ ग्रामवासीयों को भूमि संम्बघी कर्या हेतु दूर जाना पड़ेगा। ➢ निर्माण कार्य लागत मे वृद्वि	➢ पटवारी कर्यालय हेतु अन्य स्थान पर भूमि प्रस्तावित की जाए। ➢ नई तकनीकि से भूकम्प अवरोधी भवन का निर्माण कराया जाए ताकि ग्रामवासीयों को भूमि संम्बघी कर्या हेतु दूर न जाना पड़ें।
10	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

2.ग्राम का नाम :– क्योड़ी

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 6.0642 हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना

		➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	चाहिए, जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	➢ आवागमन बाधित। ➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	➢ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/मार्ग :	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्त्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन ➢ के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	मकान और अन्य ढाचा : 34 और 17	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ विस्थापन कि समस्या	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act,

			2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
5	मंदिर :1	➢ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➢ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➢ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष।	➢ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। ➢
6	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
7	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते)	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास। ➢ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➢ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव।	➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए। ➢

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

3.ग्राम का नाम :– भड़ोत

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 0.1222 हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए।

			➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	➢ आवागमन बाधित। ➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	➢ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/ मार्ग :	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्त्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन ➢ के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	मंदिर :1	➢ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➢ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➢ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष।	➢ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
5	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

4.ग्राम का नाम :– रछियालू

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 26.7126 हे0	➢ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ नकदी फसल का नुकसान होगा ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ महंगा चारा लेना पडेगा।	➢ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➢ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➢ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	➢ आवागमन बाधित। ➢ हवाई अड्डे के दूसरी ओर आने–जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने–जाने में समस्या ➢ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा।	➢ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/ मार्ग :	➢ नाली की क्षति। ➢ दूसरे स्त्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या ➢ पैदावार में कमी। ➢ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन ➢ के लागत में वृद्धि होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	मकान और अन्य ढाचा : 152 और 48	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि	➢ नया आवास का निर्माण कराई जाए। ➢ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को

		➢ विस्थापन कि समस्या	नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
5	दुकान : 3	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➢ व्यापार का नुकसान।	➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रुप से कराया/चलाया जा सके। ➢ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➢ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
6	मंदिर :3	➢ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➢ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➢ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष।	➢ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
7	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते)	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास। ➢ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➢ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव।	➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए।

8	पंचायत भवन	➢ भवन का नुकसान। ➢ सभा स्थल एंव अन्य सामाजिक कार्यक्रमो का नुकसान। ➢ निर्माण कार्य लागत मे वृद्धि	➢ पंचायत भवन हेतु अन्य स्थान पर भूमि प्रस्तावित की जाए। ➢ नई तकनीकि से भूकम्प अवरोधी भवन का निर्माण कराया जाए ताकि सुचारू रूप से सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न हों सकें।
9	आंगनवाड़ी	➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ शिक्षण कार्य नुकसान। ➢ निर्माण कार्य के लागत में वृद्वि। ➢ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान।	➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रुप से कराया जा सके। ➢ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुासर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
10	पशु स्वास्थ केन्द्र	➢ इलाज में समस्या ➢ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➢ निर्माण कार्य नुकसान। ➢ स्वास्थ्य सेवा का नुकसान।	➢ अस्पताल को अन्य स्थान पर निर्माण कराया जाना चाहिए। जाए। ➢ इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➢ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
11	बिजली का खम्भा	➢ बिजली बाधित ➢ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित	➢ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिशिष्ट–दो
साहित्यिक समीक्षा एवं तसवीर

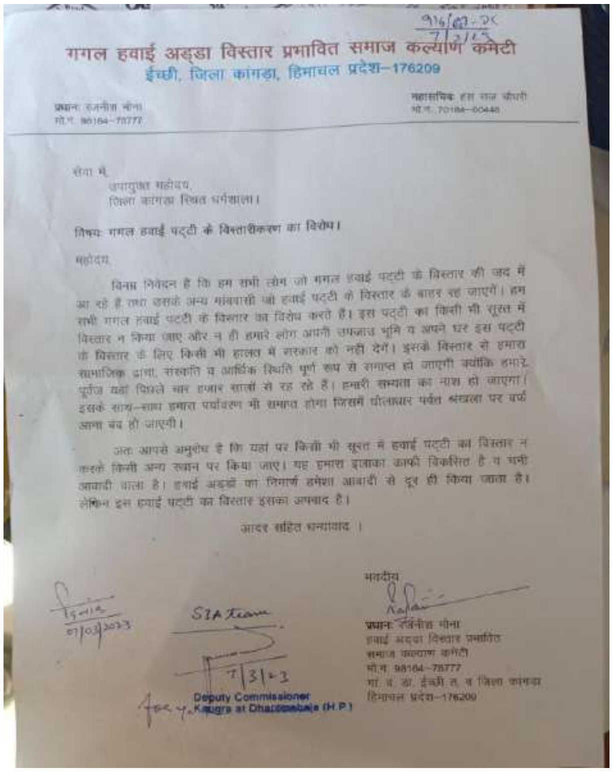

गगल हवाई अड्डा विस्तार प्रभावित समाज कल्याण कमेटी
ईच्छी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–176209

प्रधानः रजनीश मीना
मो.नं. 98164–78777

महासचिव हंस राज चौधरी
मो.नं. 70184–00448

सेवा में,
उपायुक्त महोदय,
जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

विषयः गगल हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का विरोध।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी लोग जो गगल हवाई पट्टी के विस्तार की जद में आ रहे हैं तथा उसके अन्य गांववासी जो हवाई पट्टी के विस्तार के बाहर रह जाएगें। हम सभी गगल हवाई पट्टी के विस्तार का विरोध करते हैं। इस पट्टी का किसी भी सूरत में विस्तार न किया जाए और न ही हमारे लोग अपनी उपजाऊ भूमि व अपने घर इस पट्टी के विस्तार के लिए किसी भी हालत में सरकार को नही देगें। इसके विस्तार से हमारा सामाजिक ढांचा, संस्कृति व आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी क्योंकि हमारे पूर्वज यहां पिछले चार हजार सालों से रह रहे हैं। हमारी सभ्यता का नाश हो जाएगा। इसके साथ–साथ हमारा पर्यावरण भी समाप्त होगा जिसमें धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर बर्फ आना बंद हो जाएगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि यहां पर किसी भी सूरत में हवाई पट्टी का विस्तार न करके किसी अन्य स्थान पर किया जाए। यह हमारा इलाका काफी विकसित है व घनी आबादी वाला है। हवाई अड्डों का निर्माण हमेशा आबादी से दूर ही किया जाता है। लेकिन इस हवाई पट्टी का विस्तार इसका अपवाद है।

आदर सहित धन्यावाद ।

भवदीय

प्रधानः रजनीश मीना
हवाई अड्डा विस्तार प्रभावित
समाज कल्याण कमेटी
मो.नं. 98164–78777
गां. व डा. ईच्छी त. व जिला कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश–176209

SIA team
7/3/23
Deputy Commissioner
Kangra at Dharamshala (H.P.)
07/03/2023

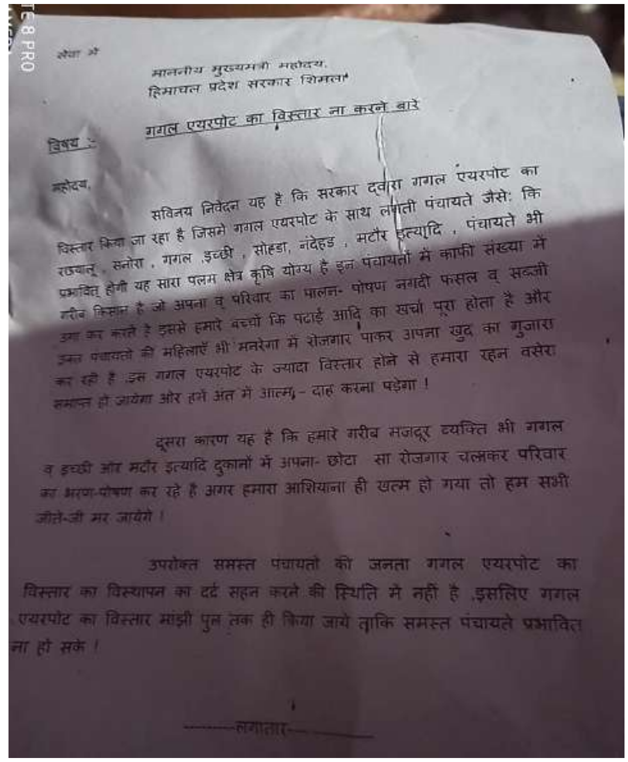

सेवा में

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला

विषय :- गगल एयरपोट का विस्तार ना करने बारे

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि सरकार द्वारा गगल एयरपोट का विस्तार किया जा रहा है जिसमे गगल एयरपोट के साथ लगती पंचायते जैसे: कि रछ्यालू, सनोरा, गगल, इच्छी, सोहड़ा, नंदेहड, मटौर इत्यादि, पंचायते भी प्रभावित होगी यह सारा पलम क्षेत्र कृषि योग्य है इन पंचायतों में काफी संख्या में गरीब किसान है जो अपना व परिवार का पालन- पोषण नगदी फसल व सब्जी उगा कर करते है इससे हमारे बच्चों कि पढाई आदि का खर्चा पूरा होता है और उक्त पंचायतो की महिलाएँ भी मनरेगा में रोजगार पाकर अपना खुद का गुजारा कर रही है इस गगल एयरपोट के ज्यादा विस्तार होने से हमारा रहन बसेरा समाप्त हो जायेगा और हमें अंत में आत्म - दाह करना पड़ेगा !

दूसरा कारण यह है कि हमारे गरीब मजदूर व्यक्ति भी गगल व इच्छी और मटौर इत्यादि दुकानों में अपना- छोटा सा रोजगार चलाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहे है अगर हमारा आशियाना ही खत्म हो गया तो हम सभी जीते-जी मर जायेंगे !

उपरोक्त समस्त पंचायतो की जनता गगल एयरपोट का विस्तार का विस्थापन का दर्द सहन करने की स्थिति मे नहीं है ,इसलिए गगल एयरपोट का विस्तार मांझी पुल तक ही किया जाये ताकि समस्त पंचायते प्रभावित ना हो सके !

--------लगातार--------

कांगड़ा amarujala.com

एयरपोर्ट विस्तार के लिए सर्वे करने आई टीम का किया विरोध, नारेबाजी

रछियालु के बाशिंदों की दो टूक, कांगड़ा एयरपोर्ट के नाम पर एक इंच नहीं देंगे अपनी जमीन

सनौरा के लोग बोले- उजाड़ने से पहले पुनर्वास हो, जमीन और मिले सरकारी नौकरी

पुरखों की जमीन को उजाड़ना सही नहीं

किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे विस्तारीकरण

हजारों बेरोजगार बच्चों का भविष्य होगा खराब

यहां नहीं होना चाहिए एयरपोर्ट विस्तारीकरण

कहीं और देखें एयरपोर्ट के लिए जगह

विस्तारीकरण से अमीर लोगों को होगा लाभ

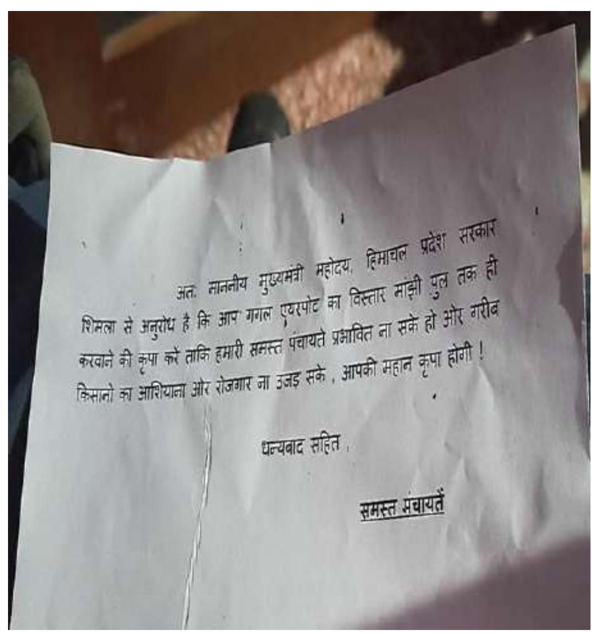

अत: माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला से अनुरोध है कि आप गगल एयरपोट का विस्तार मांझी पुल तक ही करवाने की कृपा करें ताकि हमारी समस्त पंचायते प्रभावित ना सके हो और गरीब किसानो का आशियाना और रोजगार ना उजड़ सके , आपकी महान कृपा होगी !

धन्यवाद सहित ,

समस्त पंचायतें

Abhishek Koundal

Government...please listen to people's distress .This is going to be more intense....no more extension of Gaggal airport...stop playing with people's life on name of development. I might be away from my home but my full support against airport extension.

This is one of the nightmare for the local people, to loose out their OWN land ,homes and property. And that too without their own consent.

For ages who have been living and praying every morning and nights for the well being of their safety and their places, has just turned out to be making false promises to themselves, to their heavenly forefathers and to the generations to come. Our own elected ministers are hell bent at getting us out of our own homes for someone elses benefits.

Its not a hidden mine that's been explored today

And needs to be made here itself. Or a raging river which will make its way right in here. It's an airport , where local residents have never travelled nor dreamt of, has just snatched our homes way above flying from skies.

Its mere a benefit to hoteliers and travel agencies at the cost of thousands of petty people.

Airport can be made anywhere but homes can never be changed. It has past and future both linked to it.

Its just a political agenda which will cost thousands of people getting homeless, jobless and eventually a fear which will creep in that even our own homes are nomore a safer place to be.

Its a humble request to atleast get NOC from people before they get kicked out of their properties.

At last its not a government occupied space you are dealing with, its a private property. Without our consent nobody can take it away from us.

Say NO to extension.

Send in your support and comments,but remember it should be like your own home is under this sky of fire as is ours .

Thanks..

DHARAMSHALA: Markets remained closed adjacent to Kangra airp ..

काजल का चैलेंज, हवाई अड्डे का विस्तार मंजूर नहीं, ओबीसी सर्टिफिकेट पर कायम है स्टैंड

By: *पंकज ओबराय- कांगड़ा* Sep 27th, 2020 4:10 pm

पंकज ओबराय। कांगड़ा

रविवार को मटौर में ब्लॉक कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक दौरान काजल ने दो टूक कहा कि जब तक मैं कांगड़ा का विधायक हू तब तक कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का विरोध करता रहूंगा। काजल ने कहा लगभग एक हजार परिवारों को उजाड़कर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करना बेमानी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की लगभग एक दर्जन पंचायतों के लोगों को विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा। काजल ने कहा मेडिकल कॉलेज टांडा को कोविद केयर सेंटर बनाकर प्रदेश सरकार ने निचले हिमाचल कि जनता साथ धोखा किया है।

कॉविड सेंटर दूसरी जगह भी बन सकता है। टांडा में ओपीडी सेवाएं चरमरा गई है। कैंसर और अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों को उपचार ना मिलने कारण निजी अस्पतालों में मंहगा उपचार करवाना पड़ रहा है। सरकार द्वारा बनाए आयुष्मान और अन्य हैल्थ कार्ड सफेद हाथी बने हुए है। काजल ने कहा भाजपा सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूर्णता विफल रहा है। उन्होंने कहाँ कि जाति प्रमाण पत्र की समय अबधि एक वर्ष से बढ़ा जो

तीन वर्ष की करने का सवाल बिधानसभा में रखा था उसे भले ही सरकार ने न मानो हो लेकिन वे इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहेगे।

उन्होंने कहाँ कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के पहियों को जंग लग गया है। पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत धर्मशाला में शीतकालीन राजधानी ए केंद्रीय विश्वविद्यालयए निर्माण पर भाजपा सरकार मूकदर्शक बनी है। काजल ने कहा कांगड़ा में दशहरे से पहले 35 किलोमीटर सड़कों पर तारकोल बिछाकर ग्रामीण सड़कों को चकाचक कर दिया जाएगा। काजल ने कहा कांगड़ा में भाजपा सरकार एक भी नई योजना शुरू करने में विफल रही है। जो सड़कों और पुलों के कार्य चल रहे है वो उनकी विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत चल रहे है।

काजल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करने और पंचायत चुनावों की तयारी में जुटने का आह्वान किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश वालिया ने संगठन कि गतिविधियों का ब्योरा रखते हुए कहा कि हर पोलिंग बूथ पर छे कार्यकर्ताओं की टीम त्यार की गई है। इसी बीच रविवार को पत्रकारों से बातचीत में काजल ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में ओबीसी सर्टिफिकेट की अवधि तीन साल करने संबंधी सवाल उठाया था। उसे सरकार ने भले ही अभी नकारा हो, लेकिन सीएम ने उस पर आश्वासन दिया है।

ओबीसी सर्टिफिकेट की अवधि तीन साल करवाकर रहूंगा। बैठक में नगर परिषद कांगड़ा के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्याम नारायण के निधन पर दो मिनट का मौन

रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रेम वर्सोलाए रोशन लाल सिन्होत्राए विजू चौधरीए कांता सरोचए सरदार गुरदयाल सिंहए सरदार पुरषोत्तम सिंहए हेमराजए प्रकाश भाटियाए सरूप सिंह, चुन्नी लालए मोहित सैनीए विवेक डोगराए रंजीतए सनेहलताए जिला पार्षद अनुराधा सहित विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि और कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।

Kangra Airport Expansion: कांगड़ा एयरपोर्ट होगा और भी ज्यादा आलीशान, 339 भवनों 270 दुकानों को हटाकर किया जाएगा विस्तार

Himachal News: अब कागंडा एयरपोर्ट को और भी आलीशान बनाया जाएगा. जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है. 41 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है. इसके दायरे में आने वाले भवनों और दुकानों को हटाया जाएगा.

By: अंकुश डोभाल, शिमला | Updated at : 08 Jan 2023 06:47 AM (IST)

कांगड़ा एयरपोर्ट का होगा विस्तार

Share:

Kangra Airport Expansion News: हिमाचल प्रदेश में बेहतर हवाई यात्रा के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार की ओर से कांगड़ा एयरपोर्ट (Kangra Airport) के विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन ने इसके लिए 41 हेक्टेयर भूमि का चयन भी कर लिया है. कांगड़ा, शाहपुर और धर्मशाला उप मंडल के लोक निर्माण विभाग ने कुल तीन स्थानों को चिन्हित कर लिया है. इसमें सबसे ज्यादा जमीन कांगड़ा सब डिवीजन से चिन्हित की गई है. कांगड़ा सब डिवीजन से 35 हेक्टेयर भूमि और 177 भवन एयरपोर्ट के दायरे में आएंगे.

प्रभावितों को 223 करोड़ का मिलेगा मुआवजा

जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने बताया है कि कांगड़ा सब डिविजन में 23 हेक्टेयर भूमि प्राइवेट है. इसी तरह शाहपुर में 6.39 में से 2.44 हेक्टेयर भूमि प्राइवेट है. वर्तमान सर्किल

रेट के मुताबिक इस भूमि का मुआवजा 223 करोड़ रुपए बनता है. धर्मशाला उपमंडल में 155 जबकि शाहपुर से सात भवन एयरपोर्ट के दायरे में आएंगे. एयरपोर्ट विस्तार की जद में 270 दुकानें भी आनी हैं. साथ ही 143 गौशाला, 11 मंदिर, 4 स्कूल, दो पेट्रोल पंप और दो सरकारी भवन के साथ दो सरकारी स्कूल भी इस भूमि में आएंगे.

मांझी घाट पर पुल बनने की आएगी रिपोर्ट

एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए पुणे से वैज्ञानिकों की टीम ने गग्गल बाजार के पास मांझी घाट पर बने पुल का सर्वे किया है. इस टीम को डीसी कांगड़ा की ओर से बुलाया गया था. यह टीम आने वाले तीन महीने में कांगड़ा के उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. अगर रिपोर्ट में मांझी घाट पर पुल बनाने की मंजूरी मिलती है, तो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो जाएगा.

काम विजिबिलिटी में उड़ सकेंगी फ्लाइट

मौजूदा वक्त में कांगड़ा एयरपोर्ट 1 हजार 259 एकड़ में फैला हुआ है. यह एयरपोर्ट समुद्र तल से 2 हजार 492 फीट की ऊंचाई पर है. कांगड़ा एयरपोर्ट का रनवे 1 हजार 372 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है. इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम दो चरणों में पूरा होना है. पहले चरण में 1 हजार 900 मीटर और दूसरे चरण में 3 हजार 100 मीटर का विस्तारीकरण होगा. विस्तारीकरण का काम पूरा होने के बाद कम विजिबिलिटी में भी इस एयरपोर्ट से उड़ाने भरी जा सकेंगी.

Land acquisition procedure for Kangra airport expansion begins

January 9, 2023 in News • add comment

As per reports, a proposal has been sent by the district administration to the State Government for the acquisition of 105 acre including 65 acre private and 40 acre Government land for the

Kangra-Gaggal airport expansion project. The CM of Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu had ordered a social impact analysis for the expansion of the Gaggal airport. The social impact analysis is carried out before the land acquisition of the project is started. In the analysis, consent of the people, who would be displaced due the acquisition of land for the airport expansion, would be taken by the authorities. The airport expansion was a major demand of the tourism industry which would be carried out in two phases. An amount of Rs 400 crore was sanctioned by the Central finance commission for expansion during the tenure of the earlier BJP Government.

- Home
- Himachal
- Villagers object to Govt's green signal to Gaggal Airport expansion

- Himachal
- Kangra

Villagers object to Govt's green signal to Gaggal Airport expansion

2 months ago admin

IKangra, Jan 19 – People's representatives of Gram Panchayat Gaggal, Ichhi, Sahoda and adjoining panchayats met MLA Pawan Kajal expressed their grievance that about three thousand people will be displaced due to the expansion of the Gaggal airport.

MLA Pawan Kajal said that even during the previous BJP government, for the benefit of the villagers, he opposed the expansion of the airport and immediately asked Chief Minister Jairam Thakur to ban its expansion.

Kajal said that the Himachal government should start a flying school in the existing format of Gaggal airport. To make a bigger airport, choose that Kawalu of the assembly constituency or any other place in the district where there is less displacement of people. Kajal said that hundreds of shopkeepers of the main business center Gaggal will be displaced by the expansion of Gaggal airport.

Here, the fertile land from which vegetables are grown and sold in most parts of Kangra district, the farmers will become homeless. Kajal assured the villagers that the fight for their rights and justice would continue as usual from the assembly to the road. Kajal said that in order to benefit the wealthy people, the poor people of the rural level will not be allowed to be destroyed at any level.

Village Pradan Roshan Lal, Hari Singh Chottani, Kishori Lal, Fakir Chand, Ram Singh, Surinder Kumar, Amar Singh Naveen, Harish Dhanotia, Milap Singh, Sarup Singh, Narotam, Veer Singh, Sanjay Kumar, Arvind Kumar, Suresh Kumar, Kishori Lal , Pritam Chand, Deep Kumar, Vijay Saroch, Ravindra Kumar, Ranjit Singh, Roshan Lal, Ashwani Kumar said that they will not give even an inch of their fertile land for the expansion of the airport. For this even if they may have to do any sacrifice.

कांगड़ा: हवाई अड्डे के विस्तार का विरोध करेगी संघर्ष समिति

शिमला ब्यूरोUpdated Sun, 19 Feb 2023 05:42 PM IST

ग्रामीणों ने इच्छी में बैठक कर गठित की एयरपोर्ट संघर्ष समिति

रजनीश सैनी को चुना अध्यक्ष, करो या मरो की दी चेतावनी संवाद न्यूज एजेंसीगगल (कांगड़ा)। ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी है कि किसी भी सूरत में गगल एयरपोर्ट का विस्तार नहीं होने देंगे। भले ही इसके लिए क्रमिक अनशन से लेकर आमरण अनशन तक का रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। यह निर्णय रविवार को इच्छी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने बैठक में लिया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अपनी रणनीति तैयार करते हुए एयरपोर्ट संघर्ष समिति का गठन किया। इसमें सर्वसम्मति से रजनीश सैनी मोना को अध्यक्ष, वेद चटानी और ध्यानचंद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विजय कुमार को हरीश कुमार और इकबाल सिंह को उपाध्यक्ष तथा हंसराज को महासचिव चुना गया। वहीं, वेद चौधरी और हरि सिंह को प्रेस प्रवक्ता और गुरबचन सिंह को सहायक सचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा कैप्टन रोशन लाल, गगल पंचायत के पूर्व प्रधान रविंद्र बाबा, जसवीर चौधरी और सुरेंद्र चौधरी को विशेष कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। नवगठित कमेटी के निर्णय के लिए एक दो दिन में कमेटी के पदाधिकारी जिलाधीश, कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र चौधरी से

मिलकर मांग करेंगे कि गगल एयरपोर्ट के विस्तार की जगह नया बड़ा एयरपोर्ट नगरी, बडोह, वोहड़क्वालु आदि में उस जगह बनाया जाए जहां लोगों को विस्थापन का मुंह न देखना पड़े। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया तो वे करो या मरो के आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वहीं अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी जाएंगे।

कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तारीकरण : 14 गांवों का आज से सामाजिक सर्वे

शिमला ब्यूरो Updated Sat, 04 Mar 2023 10:42 AM IST

धर्मशााल। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर प्रदेश सरकार ने कवायद तेज कर दी है। प्रदेश सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर बसे 1200 परिवारों का शनिवार से सामाजिक असर का सर्वे शुरू करेगी। सामाजिक असर का सर्वे शुरू करने से पहले प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित सरकारी और निजी जमीन की खसरा नंबर समेत अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 14 गांवों से 1200 परिवारों की जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित की है। अधिसूचना में सरकार ने 1200 परिवारों की जमीन का ब्योरा भी दे दिया है, जिससे लोग जान सकें कि उनकी कितनी भूमि अधिग्रहण में जा सकती है। अधिग्रहण के लिए सरकार ने 14 गांवों की सरकारी और निजी करीब 147 हेक्टेयर (करीब 3847 कनाल) जमीन चयनित की है। इसमें 123 हेक्टेयर निजी और सरकारी 24 हेक्टेयर सरकारी भूमि चयनित है।

हिमाचल सरकार ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण का गांवों में सामाजिक प्रभाव का क्या असर पड़ेगा, इसका आकलन करने का जिम्मा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) शिमला को सौंपा है। उपायुक्त निपुण जिंदल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इंपैक्ट असेसमेंट) की अनुमति दे दी है। टीम इस कार्य को छह महीने में पूरा करेगी। पहले विस्तारीकरण दो चरणों में होना था लेकिन अब सरकार इसको एक ही चरण में पूरा करना चाहती है।

इनसेट

नेशनल हाइवे की अलाइनमेंट में बदलाव होगाशुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के चलते नेशनल हाइवे की अलाइनमेंट में बदलाव किया जाएगा। नए प्रस्तावित अलाइनमेंट के लिए उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक के साथ स्पॉट विजिट कर नए रूट का मुआयना किया। बैठक में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एयरोड्रोम) के संयुक्त महाप्रबंधक श्रीनेगी, हवाई अड्डा कांगड़ा के निदेशक धीरेंद्र सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान, एसडीएम शाहपुर डॉ. मुरारी शर्मा, एसडीएम कांगड़ा नवीन तंवर और राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 6 माह बाद आने वाली रिपोर्ट तय करेगी विस्तारीकरण होगा या नहीं डीसी ने कहा कि कांगड़ा और शाहपुर तहसील के 14 गांवों में शनिवार से सामाजिक असर को लेकर सर्वे शुरू होगा। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए अभी सिर्फ लोगों की जमीन चिह्नित की गई है। 6 माह तक टीम सर्वे करेगी कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण का 14 गांवों के 1200 परिवारों पर क्या सामाजिक असर पड़ेगा। इसके बाद टीम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार के आदेश पर विशेषज्ञ चर्चा कर देखेंगे कि विस्तारीकरण कितना हितकारी है। इसी के बाद सरकार की ओर से विस्तारीकरण को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। विस्तारीकरण जद मे आएंगे ये गांव एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के तहत बाग, बल्ला, बरस्वालकड़, भेड़ी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरेहड़, सहौड़ा और सनौरा गांव आएंगे। इसके अलावा शाहपुर विधानसभा के तहत रछियालु, जुगेहड़, भड़ोत व कियोड़ी गांव जद में आएंगे।

3110मीटर होगी हवाई पट्टी मौजूदा समय में गगल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी 1370 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। 2015 में हुए सर्वे के अनुसार 1700 मीटर होना था। इसके बाद सरकार ने दोबारा सर्वे करवाकर हवाई पट्टी को 1370 मीटर से बढ़ाकर 2050 मीटर करने की योजना बनाई। इसके बाद 2400 मीटर व अब रनवे को 3110 मीटर करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वे हो चुका है।ऐसे होगा सर्वेसामाजिक प्रभाव का अध्ययन करते समय टीम प्रभावित परिवारों की आजीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियों के साथ सड़कों, परिवहन, जल निकासी,स्वच्छ्ता, पेयजल स्रोत, पशुओं के लिए जल स्रोत, सार्वजनिक जलाशयों का आकलन करेगी। इसके अलावा उनके सर्वे में चरागाह, बागान, डाकघर, उचित मूल्य की दुकानों, अनाज गोदामों, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों

एवं शिक्षण संस्थाओं, आंगनबाड़ी, बच्चों के पार्कों, मंदिरों, परंपरागत जातीय संस्थाओं के लिए भूमि तथा श्मशानघाट व कब्रिस्तान स्थलों पर होने वाले प्रभाव भी शामिल होंगे।

Himachal starts land acquisition for Kangra airport expansion

ANAND BODH / TNN / Updated: Mar 3, 2023, 12:04 IST

Representative Image

SHIMLA: To acquire land at Shahpur and Kangra tehsils for the expansion of Gaggal airport, the state government has started the process to carry out Social Impact Assessment by empowering the assessment units. Over 147 hectares of land spreading across over a dozen villages would be acquired for the project. Dharamshala is a popular tourist destination and has air connectivity through Gaggal airport. But due to limited runway length, the airport is suitable only for small aircrafts, that too with load penalty.

The Airport Authority of India, which is going to expand Gaggal (Kangra) Airport, is a Government of India Public Sector Undertaking and the land acquisition is proposed to be done under the provisions of section 2(1)(b) of the Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Hence, the provisions relating to consent as required under sub-section (2) of section 2 of Act ibid are not applicable in the instant acquisition.

Principal secretary (tourism and civil aviation) Devesh Kumar, in a notification issued on Wednesday, said that at present high demand and very limited seats makes the airfare to Gaggal airport astronomically high, which is adversely affecting tourism in the state.

Accordingly, the Airport Authority of India conducted the Obstacle Limitation Surface survey and as per the report of the AAI, land has been identified for the purpose.

According to sources, land at Rachhiyalu, Jugehar, Keori and Bhadot under Shahpur tehsil and Bhedi, Dhugiari Khas, Sanour, Gaggal Khas, Jhikli Ichhi, Sahoura,

Mungrehad, Bagh, Barsbalkar and Balla of Kangra tehsil is going to be acquired for the airport expansion project.

Tribune News Service

Lalit Mohan

Dharamsala, March 3

The state government has asked an NGO to conduct a social impact survey of the project for the expansion of the Gaggal airport.

NGO members, who have been assigned the task of conducting the survey, yesterday faced resistance from people of Gaggal, whose land will be acquired for airport expansion.

Powered By

A social impact survey is a pre-condition before the process of land acquisition is started. In the survey, an independent agency hired by the government would solicit the views of the affected people.

Sources said that Gaggal residents opposed the survey on the plea that the airport expansion would lead to their displacement. They urged the government to announce adequate compensation or a rehabilitation package before the land acquisition process is started.

The sources said that Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu had directed officials concerned to speed up the work on the project.

A team of revenue officials today visited the area where land is to be acquired for airport expansion. Kangra Deputy Commissioner Nipun Jindal, who was part of the team, said that the Chief Minister wanted that the Gaggal airport expansion work should be fast-tracked, as it would give a major boost to tourism in the state, especially Kangra.

The Deputy Commissioner said that the Finance Commission had sanctioned Rs 400 crore for the expansion of the Gaggal airport during the stint of the previous BJP government. The airport expansion was a major demand of the tourism industry. The hotel associations of Kangra had also been demanding the expansion of the airport.

The Gaggal airport is proposed to be expanded in two phases. The Airports Authority of India (AAI) has decided to expand the airport from the current length of 1,372 metres to 1,900 metres in the first phase. In the second phase, its length was proposed to be increased from 1,900 metres to 3,110 metres.

Residents fear displacement

- Gaggal residents opposed the survey on the plea that the airport expansion would lead to their displacement
- The case for acquisition of 105 acres has been sent to the state government
- The airport expansion is a major demand of the tourism industry
- The Finance Commission had sanctioned Rs 400 crore for the project during the stint of BJP government

Kangra airport expansion: Pune institute gives nod to runway bridge over Manjhi

By**Naresh K Thakur**, Dharamshala

Feb 23, 2023 01:43 AM IST

Administration had engaged services of Central Water and Power Research Station to conduct a study to explore feasibility of building a bridge to increase runway length of Kangra airport and realignment of Pathankot-Mandi Highway, channelisation of the Manjhi rivulet and restoration of water supply schemes

The expansion project for Kangra Airport at the Gaggal has moved a step further as the Central Water and Power Research Station (CWPRS), Pune, has given a go ahead for runway bridge over Manjhi rivulet, a tributary of Beas.

Tribune News Service

Dharamsala, March 5

The residents of Ichhi village near Gaggal today opposed the proposal for acquisition of their land for expansion of Gaggal airport. The villagers opposed the proposal in the presence of the team sent by government for conducting social impact survey for airport expansion.

The villagers are alleging that the acquisition of land would uproot them. The government should allot them alternative land and give adequate compensation before the acquisition process is started.

Powered By

Meanwhile, Congress MLA from Dharamsala, Sudhir Sharma, in a press statement issued today, said that expansion of airport was vital for promotion of tourism in Kangra district. He said that Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu had declared that the Congress government would make Kangra a key

tourist destination. Expansion of Gaggal airport was vital for making the district a tourism hub, he said.

The expansion project for Kangra Airport at the Gaggal has moved a step further as the Central Water and Power Research Station (CWPRS), Pune, has given a go ahead for runway bridge over Manjhi rivulet, a tributary of Beas. (HT File Photo)

The district administration had engaged the services of the CWPRS to conduct a study to explore feasibility of building a bridge to increase runway length of the airport and realignment of Pathankot-Mandi Highway, channelisation of the Manjhi rivulet and restoration of water supply schemes built on this rivulet among others.

The CWPRS team in its preliminary report has given a go ahead for building a runway bridge over the Manjhi rivulet, said Kangra deputy commissioner Nipun Jindal.

He said that the district administration has also submitted all the records sought by the state government related to airport expansion project.

“Now, we are awaiting a notification for social impact assessment (SIA), to be issued by the state government,” he said.

The expansion project envisages increasing runway length of Kangra airport from existing 1,372 meters to 3,010 meters.

Expansion of Kangra airport will create job avenues, boost tourism: Himachal CM

By **HT Correspondent**, Dharamshala

Mar 10, 2023 06:30 AM IST

While interacting with the media at Palampur late on Wednesday, Himachal Pradesh chief minister Sukhvinder Singh Sukhu said the expansion of Kangra airport would also boost the tourism in the area

Even as protests have erupted in Gaggal area against the expansion of Kangra airport, chief minister Sukhvinder Singh Sukhu said the project would benefit people of the region as it would create numerous employment opportunities.

Even as protests have erupted in Gaggal area against the expansion of Kangra airport, chief minister Sukhvinder Singh Sukhu said the project would benefit people of the region as it would create numerous employment opportunities. (HT file photo)

While interacting with the media at Palampur late on Wednesday, Sukhu said the expansion of airport would also boost the tourism in the area. "The previous government did not make sincere efforts to promote tourism in Kangra, but the present state government has been laying a special focus on promoting tourism in the district," he added.

Sukhu said his government was planning to make Kangra district the 'Tourism Capital' of Himachal for which a blueprint was being prepared.

Earlier, Sukhu laid the foundation stone to upgrade 9.3km Kulaani-Chandpur-Bharmat-Simblu road at Bharma.

Sukhu announces block development office in Palampur Sukhu has announced to open a block development office at Palampur in Kangra district. Efforts were underway to develop Palampur as an IT hub, he added.

RAINBOW
INTERNATIONAL
SCHOOL
गांव में सर्वे करने आई टीम से जताया विरोध
• BEST IN ACADEMICS
HORSE RIDING / ROBOTICS / SWIMMING POOL
9418604444
7807849222

GPS Map Camera
Ichhi Khas, Himachal Pradesh, India
47WG+VRQ, Ichhi Khas, Himachal Pradesh 176209, India
Lat 32.147324°
Long 76.276694°
05/03/23 11:17 AM GMT +05:30
Google

परिशिष्ट–तीन

प्रभावित भूस्वामियों की सामान्य विशेषताए एवं शर्ते

क0सं0	भूस्वामि का नाम	उम्र	पिता का नाम	मो0न0	तहिसल का नाम	प्रभवित ग्राम	जाति	परिवार का प्रकार	परिवार में उच्यतम शिक्षा	व्यवसाय	आय	पशुधन	मकान का प्रकार	ट्रैक्टर	मोटर सईकिल	मोटर गाड़ी	खसरा न0	भुअधिग्रहण का प्रकार	फसल का प्रकार	हवाईअड्डा के	मुआवजे के लिए	किस कारण से
1	Surjeet Singh	50	Amit chand	8628816007	2	9	3	2	5	1	3	1	2	1	1	1	1741/1	1,3,4	2	1	1,2,3, 4,5	1
2	Prem chand	67	Vuji	7650094006	2	7	3	2	4	1,5	3	2	2	1	1	0	1741/1	1,3,4	1	2	6	3
3	Vanwari ram	60	Mangat ram	9882312308	2	7	3	2	3	1,3	2	2	2	0	1	0	1679/1,1681/ 1,1682/1	1,3,4	1	3	6	3
4	Rajesh Kumar	55	Kishan Chand	8988169707	2	10	3	1	3	1,3	2	2	2	0	1	0	489	1	1	1	1,2,3, 4,5	2
5	Robin Mongra	31	Ashok Kumar	9205724338	2	10	3	1	5	2,5, 6	4	2	2		1	1	489, 497/1	1	1	1	1,2,3, 4,5	4
6	Saran Das	74	Maheshu	9816292652	1	5	2	2	3	1	2	1	2	0	0	0	293	1	2	1	1,2,3, 4,5	1, 2
7	Vijay Kumar	65	raju	0999099878	2	9	3	3	3	1	3	1	1		1		293	1,3,4	2	3	1,2,3, 4,5	1, 2
8	Subash Chander	61	Sh. Chandermani	8219292019	2	10	3	1	5	4	2	2	2	0	1	1	491	1	2	1	1,2,3, 4,5	4
9	Ramsabrup	69	Nihala ram	8626971650	2	10	3	2	2	2,5, 6	2	2	2			1	486	1	1	1	1,2,3, 4,5	4
10	Neeraj Kumar	36	Onkar Singh	9459566480	2	10	3	1	5	1	2	1	2	0	1	1	748/485, 506/1	1	1	1	1,2,3, 4,5	1
11	Surya Prakash	38	Jagdeesh	9816199788	2	10	3	2	3	1,3	2	2	2	0	1	1	493	1	1	1	1,2,3, 4,5	2

12	Sunil Kumar	52	Moor chand	9129251798	2	9	2	1	2	1	2	2	2	0	0	0	1756	1	2	2	1,2,3, 4,5	1
13	Tilak raj	73	Sadhu ram	9418019058	2	7	3	2	4	1,3	3	2	1	1	1	1	1991/1767	1,2,3 ,4	1	2	6	1, 2
14	Arjun Singh	62	Riju Ram	9816563106	2	10	3	3	5	3	3	1	2	0	1	1	476	1	2	2	6	4
15	Vishnu Ram	63	Mahesu Ram	9888845680	2	5	2	3	4	1,4	3	2	1	0	1	1	0-09-88	1,3,4	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
16	Kavel krishan	42	Vidhi chand	6230549355	2	5	3	1	5	1,5	3	1	2	0	0	0	20,21,22	3	1, 3	1	1,2,3, 4,5	1, 2
17	Todar Mal	60	Longu	8350989759	2	10	3	2	4	1	2	1	2	0	2	0	490	1	1	1	1,2,3, 4,5	2
18	Karam Singh	65	Gurditta devi	8894976380	2	7	3	2	3	1,5	4	2	1	0	1	0	1742,1744,1744/ 1/1,1752/1	1	1	2	6	1, 2
19	Arun kumar	49	Baini prasad	8628007261 9	2	10	3	1	4	1,5	2	2	2	1	1	0	747/485,803/ 505	1	1	1	1,2,3, 4,5	1
20	Avtar	45	Birbal	9418866745	2	10	3	3	3	1	3	1	2	0	1	1	490	1	1	1	1,2,3, 4,5	2
21	Saran Das	74	Maheshu	9816292652	1	5	2	2	4	1	3	1	2	0	1	0	293	1	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
22	Dharam Singh	92	Gurdita	6230192341	2	10	3	3	2	3	2	1	3	0	1	0	509	1	1	1	1,2,3, 4,5	1
23	Sahib singh	62	Moor chand	9129251798	2	9	2	1	5	1	2	1	2	0	0	0	1940/1737	1	2	2	1,2,3, 4,5	1
24	Vidhu singh	70	Gorkhu ram	9816894884	2	7	3	3	5	1,4, 5	4	1	1	0	1	1	1689/1692	1,2,3 ,4	1	2	6	1
25	Chain Singh	66	Mahesu Ram	9816653906	2	5	2	3	2	1	3	2	2	0	0	0	0-09-88	1,3,4	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2

26	Japan nath	74	Rasheed ram	9418869344	2	10	3	3	4	1	4	2	1	0	1	1	950/466/1	1,2	2	3	6	4
27	Surendra Singh		Jagdish Chand / dharm chand	9882292740	2	7	3	2	3	4	4	2	2	0	1	0	1738/1	1	1	2	6	1, 2
28	Late Saroj Kumar	56	Mahesu Ram	9888845680	2	5	2	3	3	1	3	1	2	0	0	1	0-09-88	1,3,4	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
29	Prashhu Ram	56	Late Gempu Ram	7650963752	2	5	3	2	2	1	3	2	2	0	0	0	340/61,62,63 /1,342/70,72	1,3,4	1	3	1,2,3, 4,5	1, 2
30	Jitender Kumar	65	Prem Das	9816105435	2	10	3	3	4	1	3	2	1	0	1	1	488/1	1	1	1	1,2,3, 4,5	2
31	Dhulo		Daso	9736895176	2	9	2	1	3	1	3	2	2	0	0	0	1758	1	2	2	1,2,3, 4,5	2
32	Narender Kumar	49	Pritam Das	9418069333	2	10	3	1	4	4	3	2	1	0	1	2	488/1	1	1	1	1,2,3, 4,5	1
33	Vidya Chand	65	Promodh Singh	9418023320	2	10	4	1	5	1	4	2	1	0	1	1	1760, 1772, 1762 ,1763, 1770	1,2,	1, 3	3		
34	Purn chand	75	Bhaju ram	945944449	2	7	3	3	4	1,6	4	1	1	0	1	0	1760, 1772, 1762 ,1763, 1770	1	1	2	1,2,3, 4,5	1, 2
35	Ramesh Chand	46	Late Pratap Chand	7650070480	2	5	3	2	2	1		1	2	0	1	0	406/13, 410/6/1, 12/1,168	1,3,4	1	1	1,2,3, 4,5	1
36	Virendar kumar	52	Pratap Chand	8894244160	1	5	3	1	4	1,	3	1	2	0	0	0	406/1, 3,410/6/1, 12/1, 16	1,3,4	1	1	1,2,3, 4,5	1
37	Amit Kumar	35	Hans Raj	6230982852	2	10	3	3	4	2,5, 6	2	1	2	0	1	0	950/466/1	1	1	2	6	4
38	Virindar kumar	36	Rajmal seni	8894469049	2	10	3	3	4	1	3	2	1	0	1	1	46/7/1	1	2	3	1,2,3, 4,5	1, 2

39	Narinder Kumar	49	Pratap Chand	9817995379	2	5	3	1	4	1,4	3	1	2	0	0	0	406/13, 410/6/1, 12/1,168	1,3,4	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
40	Roshan lal	82	Varndu	9625562199	2	5	3	2	2	1,5	3	1	2	0	0	0	402/370	1,3,4	2	2		1, 2
41	Late Chandu lal		Vitu	9891314027	1	5	3	1	5	1	1	2	3	0	1	0	21/1, 23,24,25	3	1, 3	1	1,2,3, 4,5	1
42	Dharm Singh	45	Shri Kalu Ram	9418762804	2	5	3	3	5	4	4	2	3	0	0	0	0-05-10	1,3,4	1	3	1,2,3, 4,5	1, 2
43	Satya Prakash	0	Shankar	8091032409	2	10	3	4	4	4	3	2	1	0	0	1	495	1	1	1	1,2,3, 4,5	1
44	Mast ram	47	Puni chand	9872129714	2	10	3	1	4	1	2	2	1	0	1	0	468,475,478	1	2	3	1,2,3, 4,5	1, 2
45	Pankaj Kumar	38	Late Nand Lal	9418327004	2	5	3	2	1	1,5	1	1	2	0	1	0	343/70, 403/370	1,3,4	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
46	Vidya Chand	65	Prabodh Singh	9418023320	2	10	4	2	5	3	4	2	1	0	1	1	487	1	1	1	1,2,3, 4,5	2
47	Vinod Kumar	53	Tulsi Ram	9459234140	2	10	3	2	4	4	3	1	2	0	2	0	471,472,473	1	1	2	1,2,3, 4,5	4
48	Pawan	52	Choudhary	8219818409	2	10	3	1	4	1,3	3	1	2	0	1		489, 497/1	1	1	1	1,2,3, 4,5	1
49	Shubhas chand	52	Ishvar das	9459838555	2	7	3	3	4	1,4	4	1	1	0	1	1	1692	1	1	2	6	1, 2
50	Savitri Devi	60	Jaswant Singh	8219730847	2	10	3	1	2	1	1	2	3	0	0	0	480/1	1,2,	1, 3	3		
51	Ajay Kumar	36	Baldev	7719701261	2	10	3	1	3	4	3	2	2	0	1	1	480/1	1	1	2	1,2,3, 4,5	4

52	Munshi ram	70	Sri Reply ram	8894361291	2	9	3	1	4	1	2	1	2	0	1	0	1816/1686,1 740/1	1	2	2	1,2,3, 4,5	1, 2
53	Suresh chandar	72	Giga ram	9418462355	2	10	4	1	5	1	3	2	1	0	1	1	784/469/1	1	1	3	1,2,3, 4,5	1, 2
54	Savitri	60	Jaswant Singh	8219730847	2	10	3	1	2	1	1	2	3	0	0	0	468, 470, 475	1	1	1	1,2,3, 4,5	2
55	Jai chand	5	Gorkhu	9736264166	2	9	3	3	4	4	3	2	2	0	1	0	1735/2	1	1	2	6	4
56	Prem chand	64	Buji ram	9459259380	2	9	3	3	4	1	2	1	1	0	1	0	1741/1	1,3,4	2	2	1,2,3, 4,5	1, 2
57	Ajay	26	Partap chand	9882214870	2	9	3	3	4	1	3	1	2	0	0	0	478	1	1	2	1,2,3, 4,5	1, 2
58	Ved Parkash	68	Jaisi Ram	9218161762	2	10	3	1	4	3	4	2	1	0	1	1	478	1	1	3	1,2,3, 4,5	4
59	Ravi Kumar	57	Piplu ram	8894361291	2	9	3	2	4	1	3	1	3	0	0	0	1743/1	1	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
60	Upendar Saini	52	Parshotam Chand	7018300930	2	10	3	2	5	1,3	4	2	1	0	1	1	510	1,2,3 ,4	1	2	1,2,3, 4,5	4
61	Joginder Singh	63	Dulo Ram	9805240585	2	5	3	3	2	1	2	1	2	0	0	0	413/60, 69	1,3,4	1	3		
62	Nikhil kindal	28	Kulbhush chand	9218790908	2	9	3	1	4	1	3	2	2	0	1	1	1993/1768	1	1	2	6	1
63	Kamal	41	Late shubhas chand	9805954147	2	9	3	2	4	1	3	2	1	0	1	1	1772	1	1	2	6	1, 2
64	Onkar Singh	65	Rama	9736864603	2	8	3	1	3	1	2	1	2	0	0	0	184, 185, 186, 188	1	1	1	1,2,3, 4,5	2
65	Ashok kumar	65	Harija	9459027386	2	8	3	1	4	1	2	1	2	0	1	0	196,198	1	2	2	1,2,3, 4,5	4

66	Jagdish	Late	Longu	9816303192	2	8	3	1	2	1	2	1	2	0	0	0	907/222	1	1	1	1,2,3,4,5	1
67	Prabhat Singh	63	Raj mal	8894081815	2	6	3	1	2	1	2	2	2	0	0	0	2365/2327,558	1	2	3	1,2,3,4,5	4
68	Aswani Kumar	43	Vassant Singh	7018265651	2	6	3	3	3	1	4	2	1	1	0	1	548,549,551, 2223/552/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
69	Fakir chand	70	Vardu ram	9418611145	2	11	3	3	4	1,3	3	1	1	1	1	1	742/546,744/547, 746/548,550,551, 552,549	1,2,3,4	1	2	6	1,2
70	Chuni Lal	78	Durga	8580824045	2	8	3	3	4	1	3	1	1	1	1	0	909,223	1	1	1	1,2,3,4,5	2
71	Rajinder Singh	50	Tarolak singh	9418869877	2	6	4	3	4	3	3	2	1	0	0	3	2225/2164,2410/2328/2227,2412/2329/2227,2165/566	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
72	Ashwani kumar	60	Late Sh. Kesho ram	9418253516	2	8	3	2	4	2,5,6	3	1	1	1	1	1	218	1	1	1	1,2,3,4,5	1
73	Lt. Munshi ram f/o Narendra Pal	50	Munshi ram	9805382534	2	8	3	2	3	1	2	1	2	0	0	0	219	1	2	2	1,2,3,4,5	4
74	Bhagwan Singh	67	Phula Singh	9736478557	1	4	4	3	5	1,5	1	2	1	0	0	0	594/120/1	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
75	Rajesh Chand	55	Mehar Chand	9425669085	2	8	3	2	4	1	2	1	2	0	1	1	910, 224, 225	1	1	1	1,2,3,4,5	2
76	Narender Singh	75	Daya singh	8219877839	2	6	4	3	5	4	3	2	1	0	0	3	910, 224, 225	1,2,	1,3	3		
77	Baldev Singh	72	Sheetal Kumar	8988131073	2	8	3	2	4	3	3	1	1	0	1	0	191	1	1	1	1,2,3,4,5	1
78	Manoj Kumar	42	Late Sri Ami Chand	8263911234	2	6	4	1	2	2,5,6	2	2	2		0	0	2365/2327,558,568	1	1	1	1,2,3,4,5	2

79	Om prakash	60	Hari Ram	9882490918	2	8	3	2	2	1	2	1	2	0	1	0	210/1, 211/1	1	1	1	1,2,3, 4,5	2
80	Pavan Kumar	65	Nand lal	9805106877	2	11	1	3	4	1,5	3	2	2	0	1	0	648/641	1,2,3 ,4	1	2	1,2,3, 4,5	1, 2
81	Amit kumar	50	Milking Ram	8628855595	2	8	3	1	4	1	3	1	2	0	0	0	220	1	2	2	1,2,3, 4,5	4
82	Roshan lal	70	Tara chand	9418451222	2	6	2	3	4	1,3	6	2	1	0	1	1	560,2366/56 1	1	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
83	Narender Singh	62	Phula Singh	8629888635	1	4	4	1	4	1	1	2	2	0	0	0	594/120/1	3	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
84	Rajinder Singh	63	Chamel Singh	6230913251	1	4	4	1	4	1	1	2	2	0	1	0	119/1	1	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
85	Baljeet singh	57	Rattan chand	9418939566	1	4	4	2	5	2,5, 6	6	2	2	0	2	2	549/116/1	1,3,4	2	2	1,2,3, 4,5	1, 2
86	Narender Singh	75	Daya singh	8219877389	2	6	3	3	1	2,5, 6		2	2				549/116/1	1,2,	1, 3	3		
87	Manoj kumar	30	Pritam chand	7559604442	2	8	3	2	4	1	2	1	2	0	0	0	171,169/1,17 0/1,170/1	1	1	2	1,2,3, 4,5	4
88	Thakur Das	75	Jasso ram	9418134537	2	8	3	3	2	1,2	3	1	1	0	1	1	246/1, 248/1	1	1	1	1,2,3, 4,5	1
89	Chakori devi	70	Santu ji	0000000	2	11	1	2	4	1,4	3	1	2	0	1	1	648/541	1,3,4	1	2	6	1, 2
90	Narender Singh	62	Phula Ram	8629888635	1	4	4	1	4	1	1	2	2	0	0	0	594/120/1	1,3,4	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
91	Joginder Kumar	67	Dilip Chand	9459408482	2	8	3	2	3	1	2	1	1	0	0	0	175, 177	1	1	2	1,2,3, 4,5	2

92	Late Pritam Chand	75	NA	8219474434	2	6	4	2	2	2,5, 6	2	2	1			1	2364/2327,2 423/563/1,56 4	3	1, 3	3	1,2,3, 4,5	1
93	Milan Singh Rana	78	Phula Singh	9882358677	1	4	4	2	2	1,5	1	1	1	0	0	0	612/173	1,3,4	1	2	1,2,3, 4,5	1, 2
94	Roshan lal	Lat e	Bakshi ram	9459417709	2	8	3	2	2	1,5	3	1	1	1	1	0	195	1	1	1	1,2,3, 4,5	1
95	Narender Kumar	75	Daya singh	8219876970	2	6	4	3	5	4	4	2	1	0	0	3	553/1	1,3,4	1	1	1,2,3, 4,5	1
96	Anita kumari	40	Jagan ram dhavn	9816079610	2	6	2	3	5	1,3	6	2	1	0	1	1	2461/2368/5 61	1	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
97	Lt. Amar Chand	34	Mastram	9988696554	2	8	3	2	3	1	3	1	3	0	0	0	182	1	1	2	1,2,3, 4,5	4
98	Sansar chand	74	Kuldeep chand	9418062025	1	4	4	2	2	1	2	2	2	0	1	0	529/114	1	2	1	1,2,3, 4,5	2
99	Kalyan Singh	85	Moti Singh	9816223236	1	4	4	2	3	4	2	2	2	0	0	0	601/124	1	1	1	1,2,3, 4,5	1, 2
100	Karm Chand	70	Jaissi Ram	8580557731	2	8	3	3	3	1	2	1	2	0	1	0	178/1, 179/1	1	1	2	1,2,3, 4,5	2
101	Chmpa Devi	95	NA	9817728060	2	6	3	3	2	1	2	2	2	0	0	0	178/1, 179/1	1,2,	1,3	3		
102	Rajneesh Rana	55	Late Jian Singh Rana	8413048104	1	4	4	2	2	1,5	2	2	2	0	1	0	165/175/1	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1

103	Ravindra Kumar	46	Dharm chand	9816454088	2	1 1	1	2	4	3	4	2	2	0	1	0	723/544/1,726/545,694/654,699/654,720/657	1,2,3,4	1	2	6	1
104	Lt. Saligram f/o sunil kumar शशि kumar	60	Saligram	8627005534	2	8	3	2	2	1	3	1	3	0	1	0	187	1	1	1	1,2,3,4,5	4
105	Joginder Kumar	72	Dalku ram	8894127293	2	8	3	3	4	1	3	1	1	0	1	0	209/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1
106	Desh Raj	70	Gyan Chand	9736266233	2	8	3	3	3	1	3	1	2	1	1	0	181/1	1	1	2	1,2,3,4,5	2
107	Champa Devi	95	Na	981772807	2	6	3	3	2	1	2	2	2	0	0	0	552/1,556/1,562,556	1	1	1	1,2,3,4,5	2
108	Raman upnam	55	Gurdita mal	9816079610	2	6	4	3	4	1,3	6	2	1	0	1	1	2425/563/1	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
109	Jagraj Singh	57	Sh. Chatar Singh	9817790530	1	4	4	1	4	4	3	1	1	0	1	1	186/1	1	1	1	1,2,3,4,5	4
110	Sat Prakash	72	Mansa	9736895125	2	8	3	3	3	1	2	1	2	1	1	0	183	1	1	1	1,2,3,4,5	2
111	Madan lal, Subash Chand	58	Fuman ram	78766676161	2	8	3	1	4	1,5	3	1	3	0	1	0	792/208/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1
112	Sanjeev kumar	45	Tarnot singh	8278844199	1	4	4	1	4	1,5	2	2	2	0	0	0	0-02-26	1	2	2	1,2,3,4,5	1,2
113	Late Pritam Chand	75	NA	8894603358	2	6	4	2	2	1	2	2	1	0	1	1	2326/557	3	1,3	3	1,2,3,4,5	1
114	Chandu lal	55-60	Bamvru	7837834164	2	1 1	1	3	4	1,4	4	2	1	0	1	1	669/498,673/501,554	1,3,4	1	3	6	1,2
115	Kali Das	87	Jhadu Ram	7807607133	2	8	3	2	4	1	2	1	2	0	0	0	187	1	1	2	1,2,3,4,5	2

116	Rachna	40	Krishn dev	9459206837	2	6	4	3	4	1	2	2	2	0	0	0	2408/2224/2164	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
117	Virender Singh	57	Late Gian Singh Rana	8219970083	1	4	4	1	2	1,4	1	2	2	0	0	0	165/175/1	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1
118	Karm chand, Ramesh Chand, Harnam Singh	58, 67, 79	Shali ram	8894285042	2	8	3	2	2	1	3	1	2	1	1	1	117	1	1	1	1,2,3,4,5	1
119	Sanjeev Rana	48	Late khem Singh Rana	9816430691	1	4	4	2	2	1,4	3	2	1	0	0	0	181/1	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
120	Ashok Kumar	40	Late Sri Hari Chand	9857269085	2	6	3	3	4	1	2	2	2	0	0	0	559,569,570,571,573 ,2422/2368/561,2414 /2330/2227	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
121	Harbans Singh	92	Phulla Singh	8262842569	1	4	4	2	4	6	3	2	2	0	0	0	610/172	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	4
122	Jai Ram	65	Dumnu	9816831388	2	1 1	1	3	4	1,3	3	2	1	0	1	0	671/501,674/538,676 /539,717/540,725/54 4/1,727/545,678/649, 696/654,697/654,700 /655,701/655	1,2,3, 4	1	2	6	1,2
123	Shashi wala	51	Tarnot singh	8894692078	1	4	3	3	1	2,5, 6		2	2				181/1	1,2,	1,3	3		
124	Susheel Rana	48	Late khem Singh Rana	9816430691	1	4	4	1	4	1,5	3	2	1	0	0	0	181/1	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
125	Shashi wala	51	Tarnot singh	8894602078	1	4	4	1	4	4	4	2	2				0-02-99	1	2	1	1,2,3,4,5	2
126	Veena Kumari	60	Late. Sh Harnam Singh	9218214380	1	4	4	2	4	1,6	3	2	1	0	1	0	192/193/194/1	1	1	2	1,2,3,4,5	4

127	Ajay Kumar	47	Late Sant Kumar	7807767611	1	4	4	1	2	1,5	1	2	2	0	0	0	195/1	3	1	1	1,2,3,4,5	1
128	Bimbla devi, santosh devi	65	Pramod singh	9459206837	1	4	4	1	5	1	1	2	2	0	0	0	181/1	1,2,	1,3	3		
129	Rajindera Kumari	75	Late Delip Singh Pathaniya	8628846415	1	4	4	1	1	1	1	2	2	0	1	1	195/1	3	1	2	1,2,3,4,5	1
130	Lalit Kumar	43	Late Sant Kumar Rana	9816930781	1	4	4	1	5	1,5	1	2	2	0	0	0	195/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
131	Daljeet Singh	72	Late Amar Singh	9736630276	1	4	4	3	5	1,5	4	1	2	0	1	0	606/169	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
132	Bimbla devi, santosh kumar	65	Promadh singh	9459201837	1	4	4	1	5	1	1	2	2	0	0	0	123	1,3,4	2	1	1,2,3,4,5	1,2
133	Amit rana	34	Om Prakash	9418130204	2	6	4	1	5	1	2	2	1		1	1	574	1,2	1,3	3	1,2,3,4,5	4
134	Vijay Kumar	52	Sant Kumar	8262039907	1	4	4	1	4	1,5	3	2	1	0	1	1	195/1	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1
135	Sunil Kumar	35	Avtar	9882654315	2	8	3	2	3	1	1	1	3	0	1	0	201, 203	1	1	2	1,2,3,4,5	2
136	Upendra singh	73	Late Bakhtabar Chand	7018309330	1	4	4	2	5	2,5, 6	3	2	2	0	1	1	0-02-14	1,2,3, 4	1	1	1,2,3,4,5	1
137	Gopal Das	70	Buta Ram	7807150906	2	8	3	3	4	1	3	1	2	0	1	1	844/383	1	1	2	1,2,3,4,5	2
138	Dhanvir katcoh	70	Bakhtavar Singh	7018309330	1	4	4	3	5	1,5	3	2	1	0	1	1	608/170	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
139	Amit Kumar	35	Subhash Chand	7018679865	2	8	3	1	3	1	2	1	2	0	1	0	174	1	1	2	1,2,3,4,5	2

140	Chuni Lal	82	Durga das	9805571287	2	8	3	3	4	1	2	2	2	0	1	1	909-223	1	1	3	1,2,3,4,5	2
141	Askhok Kumar	47	Hariya	9736290066	2	8	3	3	1	2,5, 6		2	2				909-223	1,2,	1,3	3		
142	Harnam Singh	59	Rajmal	6230316527	2	8	3	3	4	1,5	3	1	1	1	1	1	908/223, 912/224	1	1	1	1,2,3,4,5	1
143	Madan lal	60	Phuman ram	908325685	2	8	3	1	2	1	2	1	3	0	1	0	792/208/1	1	1	2	1,2,3,4,5	2
144	Baldev	45	Prem Das	8894129831	2	8	3	1	3	1	1	1	2	0	0	0	208/1	1	1	2	1,2,3,4,5	2
145	Brij lal	Late	Rajmal	9015225628	2	8	3	3	5	4	4	2	2	0	1	1	911/224	1	1	1	1,2,3,4,5	1
146	Kunta Devi	73	Paras Ram	9816245556	2	8	3	2	3	1	1	1	2	0	1	0	212/1	1	1	2	1,2,3,4,5	2
147	Sunil Kumar (Sunny)	35	Avtar Singh	8219676321	2	8	3	3	4	1	2	2	1	1	0	0	201,203	1	1	3	6	2
148	Kawal Singh	75	Bajar Singh	9418137700	1	4	4	2	5	1,5	3	2	1	0	1	1	218/1	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
149	Jogindar kumar	69	Dhalku ram	9736308554	2	8	3	3	2	1	1	1	2	0	1	0	209/1	1	1	3	1,2,3,4,5	2
150	Late Chamaru now naveen kumar	37	Mahendar pal	9459206867	2	8	3	1	4	2,5, 6	3	1	2	0	1	0	190	1	1	1	1,2,3,4,5	1
151	Utama chand	52	Des raj	9882493935	2	8	3	1	4	1,4	4	1	2	1	1	1	270/1,272,3	1	1	3	1,2,3,4,5	2
152	Kanto Devi	70	Lachhman	9736156182	2	8	3	3	3	1	2	1	2	0	1	0	173	1	1	1	1,2,3,4,5	2
153	Anup Kumar	57	Late shri Slaig Ram	8261949412	2	7	3	1	4	1,4	4	2	2	0	1	0	402/1, 401/1, 403,869/411, 871,413,415	3	2	2	1,2,3,4,5	1,2

154	Bhumi Singh	67	Chaglu Ram	9625346523	1	1	3	3	1	2,5, 6		2	2				909-223	1,2,	1,3	3		
155	Indarjeet Kumar	68	Sri Gagata Ram	9817263917	2	7	3	2	5	1	3	2	1	0	1	1	585	1	1	1	1,2,3,4,5	2
156	Ratan lal	75-80	Shri duno ram	9625246499	2	7	3	2	2	1	2	2	2	0	0	0	484	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
157	Sanjeev kumar dogma	50	Megh ram	9857824736	1	1	3	3	2	1	2	2	2	1	1	0	503	1	1	1	1,2,3,4,5	2
158	Rumal singh	69	Diwan chand	9857824736	1	1	3	3	3	4	3	1	2	0	1	0	503	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
159	Bachittar singh	57	Brij lal	9816580843	2	7	3	2	5	1,4	4	2	2		1		402/1, 403,871/413, 415,861/411	1,2,3, 4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
160	Balveer Singh	75	Shri dulo ram	9816403154	1	1	3	2	2	1	2	2	2	0		0	372/1	1,2,3, 4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
161	Sita ji	73	Deevan Chand	9857824736	1	1	4	2	4	2,5, 6	3	2	2	0	1	0	672/1 , 679,681,678,680,682 ,518,528,519,523	1	1	2	1,2,3,4,5	4
162	Sanjeev kumar	50	Klasa devi	9857824736	1	1	3	3	2	1	2	2	2	1	1	0	503	1	1	1	1,2,3,4,5	
163	Anup Kumar	57	Late shri Salig Ram	8261949412	2	7	3	1	4	1,4	4	2	2	0	1	1	402/1, 401/1, 403,869/411, 871/413, 415	3	1	2	1,2,3,4,5	1
164	Gajendra Singh	55	Shri acchar singh	9625246499	1	1	3	2	2	1	2	2	2	0	0	0	377	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
165	Amar Singh	76	Jagta ram	9313273179	2	8	3	3	5	1	3	2	1	0	0	0	50/2	1	1	1	1,2,3,4,5	1
166	Pradip Kumar	63	Bhagat Singh	9817056175	1	3	4	1	4	1	1	1	3	0	0	0	603	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2

167	Jagdish chand	70	Pratap chand	8091137894	2	7	3	3	2	1,4	4	2	2	0	1		61/1, 50,55,57,58	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
168	Mahindra singh	63	Let shri believe ram	8628805365	1	3	4	1	2	1	3	2	1	0	1	1	992/706	1	1	3	1,2,3,4,5	2
169	Suresh Kumar	35	Acchar singh	8284823844	1	1	3	1	3	1	2	2	2	0	0	0	410	1,2,3, 4	1	3	1,2,3,4,5	1,2
170	Krishna Kumar	80	Dhulo ram	8894049828	2	8	3	3	4	1	4	1	1	0	1	0	95,103,391/1	1	1	2	1,2,3,4,5	4
171	Sunil Kumar	65	Sri Porkhi Ram	9882650430	2	7	3	1	5	1	3	2	2	0	0	1	330	1,3,4	1	3	1,2,3,4,5	1,2
172	Arun Kumar	60	Late shri Salig Ram	9816466856	2	7	3	2	5	1,4	3	2	1	0	1	1	402/1, 401/1, 403, 869/411, 871/413, 415	3	1	2	1,2,3,4,5	1
173	Kiripal singh	63	Pratap chand	9816337145	2	7	3	2	2	1,3	4	2	1		1		61/1, 50,55,57,58	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
174	Rakesh Kumar	48	Sh. Joginder Singh	9418967590	1	1	3	2	5	1	1	1	1	0	1	0	685,686,688,689,110 2/691	1	1	2	1,2,3,4,5	4
175	Prakas chand,	82	Ran Singh	9418967590	1	1	3	2	5	1	2	1	2	0	1	1	1103/691,901,902,90 3	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
176	Suresh Kumar	62	Late Sri Gajat Ram	8988131195	2	7	3	1	3	1	2	2	1	0	1	1	100,101/1	1	1	1	1,2,3,4,5	2
177	Shakuntala devi	70	Late Bhori Singh	9816102939	1	1	3	2	1	1	2	2	2	0	0	0	708	1	1	2	6	1,2
178	Swaroop chand	55	Pratap chand	9805435152	2	7	3	1	5	1,4	4	2	2		1		61/1, 50,55,57,58	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
179	Uttam Chand	78	Seta Ram	9882884887	2	7	3	3	2	1,4	2	1	1	0	1	1	794/90, 91,130/1,1,2, 3	3	1	2	1,2,3,4,5	1

180	Pankeswar dingh	46	Let harbhagwant singh	9816945320	1	1	3	2	4	1	2	1	2	0	1	0	650,690,1228/1167/1054,648,649	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
181	Ramesh chand	66	Dalip chand	9805493809	2	7	3	2	4	2,5,6	3	1	2		1	1	49,51,52,53,54,56,58,60	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
182	Chandra kanta	62	Bhuri Singh	9816102939	1	1	3	1	2	1	2	1	2	0	0	0	1070/716	1	1	2	1,2,3,4,5	1
183	Saroop Kumar	66	Dhulloram	9459121043	1	1	3	3	4	1,5	2	1	2	0	1	0	549,550,551,552,553	1	1	2	1,2,3,4,5	4
184	Prem Lata	45	late Bhuri Singh	9816102939	1	1	3	3	2	1	2	2	2	0	0	0	709	1	1	2	6	1,2
185	Ashok Kumar	60	Ratan chand	981663214	1	1	3	1	3	1	1	1	2	0	0	0	639,640,641,643,644	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
186	Preem Das	75	Late Sri Jagat Ram	8627066051	2	7	3	3	4	1	2	2	2	0	0	0	100,101/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
187	Pawna devi	55	Jagdish Chand	9459432806	2	8	3	1	1	4	3	2	1	0	0	0	99, 100	1	1	1	1,2,3,4,5	1
188	Suresh kumar	54	Dalip chand	9805947318	2	7	3	2	4	4	4	2	2		1		49,51,52, 53,54,56,58,60	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
189	Dhani Ram	Late	Late vaishaki ram	9857919921	1	1	1	3	2	1	3	2	2	0	1	0	562	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
190	Kushla Devi	60	Dhuni Chand	8219476176	2	7	3	2	4	1	2	2	2	0	0	0	100,101/1	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
191	Bachitter Singh	49	Shri Gyan Chand	9816586958	2	7	3	2	4	1,5	2	1	1	0	1	0	127/1, 1050/1555/1, 128	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
192	Raj kumari	65	बसंत राम	8894045137	2	8	3	2	5	4	3	1	2	0	0	0	111,114	1	1	1	1,2,3,4,5	1

193	Durgadas	58	Virbal	7018772065	1	1	3	1	3	1	2	1	2	0	1	0	887,889,890,892,894 ,895,896,886,885,88 8,891,893,897,1005	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
194	Subash chand	50-55	Nyadu ram	9816780370	1	1	1	2	4	1,3	2	2	2	0	0	0	623, 637	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
195	Vikas Sharma	53	Krishan Dev Sharma	7011052890	2	7	4	1	5	1,3	3	2	1	0	0	0	1093,1094/242,336	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
196	Jogender	59	Late vaishaki ram	9857919921	1	1	1	1	3	1	2	2	2	0	1	0	564	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
197	Kumar son late Ramesh Chand		Mukholi ram	9882623303	2	8	3	1	4	1,5	3	2	2	0	0	0	161/1, 162/2	1	1	1	1,2,3,4,5	1
198	Satya Parkash	77	Late Shri Raghu Nath	9418007421	2	7	4	2	4	3	3	2	1	0	1	1	424,425,426,427	3	1	1	1,2,3,4,5	1,2
199	Late munsi ram		Matlabi ram	8628846549	2	7	3	3	5	4	4	1	1		2		74/1,132/1, 75,76,77,	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
200	Ami Chand	70	Hira lal	8894097201	2	8	3	3	5	1	2	1	1	0			161/1, 162/2	1	1	2	1,2,3,4,5	4

201	Vikas Sharma	54	Krishan Dev Sharma	7011052890	2	7	4	2	5	1,3	2	2	1	0	0	0	336,1093/242, 1094/242	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1 , 2
202	Let Veer singh		Pratap chand	9816143918	1	1	1	2	4	2,5, 6	2	2	2	0	0	0	556,557,558,5 59,561	1,2,3,4	1	3	1,2, 3,4, 5	1 , 2
203	Kamal kishor	46	Amar singh	7018480523	1	1	4	3	2	1	1	2	2	0	0	1	399	1	1	2	1,2, 3,4, 5	1 , 2
204	Prithvi Singh	69	Late vaishaki ram	9857919921	1	1	3	3	1	2,5, 6		2	2				399	1,2,	1 , 3	3		
205	Ashok Kumar	61	Dhani Ram	8352800358	1	1	3	2	4	1,5	2	1	2	0	0	0	849	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	4
206	रमेश चंद्र	मृत्यु	मखोली राम	7807300159	2	8	3	1	2	2,5, 6	1	2	2	0	0	0	161/1,162/2	1	1	2	1,2, 3,4, 5	1 , 2
207	Amar Singh	81	Bugggad Singh	8219899161	2	7	3	2	2	1	2	2	2	0	1	0	399	1,2,	1 , 3	3		
208	Sunil kumar	44	Pritam chand	9459082790	2	7	3	3	2	1,5	3	1	2				74/132, 132/1, 75,77,	1,3,4	1	2	1,2, 3,4, 5	1 , 2

209	Prakash Chand	60	Hira lal	7876509472	2	8	3	1	1	1	2	1	2	0	0		161/1, 162/2	1	1	2	1,2, 3,4, 5	4
210	Sulochna Devi	60	Jagdish	9418607231	2	8	3	3	4	2,5, 6	3	2	2	0	1	0	105	1	1	1	1,2, 3,4, 5	1
211	Piyungla devi	47	Prshotam chand	9805180018	1	1	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	522	1	1	1	1,2, 3,4, 5	2
212	Subhash Chand	69	Late Shri Rattan Chand	9418149130	2	7	3	2	5	1	2	2	1	0	1	1	259,266,267,1 091/236, 237,263	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1
213	Baldev Singh	57	Ranjit Singh	8091365811	1	1	3	1	4	1	2	2	3	0	1	0	408	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1 , 2
214	Kushal Kumar	41	Bidi chand	8894689347	1	1	3	3	4	1	1	1	2	0	0	0	265/1,266	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1 , 2
215	Sri Bisammar Singh	87	Sri Ram Saran	9779610092	2	7	3	2	4	1	1	2	3	0	0	0	94,95,92	1	1	1	1,2, 3,4, 5	1 , 2
216	Ranjit Singh	65	Late Shri Ishwer Dass	980587538	2	7	3	2	4	1,5	2	2	1	0	1	0	1113/816/304/ 1	1,3,4	1	2	1,2, 3,4, 5	1
217	Ray singh	47	Bidhi chand	8894689347	1	1	3	1	5	1	2	2	3	0	1	0	264/1,265/1	1	1	3		
218	हरनाम	63	अमर सिंह	8626904343	2	8	3	2	3	1	3	1	2	1	1	0	380,381	1	1	1	1,2, 3,4, 5	1 , 2
219	Avatar Singh	47	Ratan lal	9882653554	2	8	3	2	1	2,5, 6		2	2				380,381	1,2,	1 , 3	3		

220	Balbir Singh,vipin singh,	58,40	Bangali bhag	8894989445	1	1	3	3	4	1	2	1	2	0	1	0	487,488,495	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
221	Suresh Kumar	55	Roshan Lal	9816229151	2	7	3	2	5	1	1	2	1	0	1	0	487,488,495	1,2,	1,3	3		
222	Vyasa devi	85		8894649957	2	8	3	2	2	2	3	1	2	0	0	0	724/387, 389	1	1	1	1,2,3,4,5	1
223	Suresh Kumar	55	Roshan Lal	9816229151	2	7	3	2	5	1	1	2	1	0	0	0	333,334,335,332,1068/583,804/241	1	1	3		
224	Nirajan kumar	31	Late kishori lal	9857134911	2	7	3	1	2	1,4	3	2	2				74/1, 132/1, 75,77,76	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
225	Avatar Singh	47	Ratan Lal	9882653554	2	8	3	2	3	1	1	1	3	0	0	0	96,98	1	1	3	1,2,3,4,5	4
226	Pratap chand	80	Bangali ram	8894989445	1	1	3	1	5	1,2	2	1	2	0	1	0	496,497	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
227	Roshan lal	86	Sbaru Ram	9816977395	1	1	3	3	3	1,5	2	1	1	0	1	0	861,862,873,874,878,979,880,882,871,872	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
228	Ram Parsad	53	Madan Lal	9882947093	2	7	4	1	4	1,5	2	2	1	0	0	1	795/90, 93,282,283,284,285,286,287,419,420,820/421, 821/421, 422,423	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1

229	Indah jeet singh	47	Chudhu ram	8894880480	1	1	3	1	2	1	1	2	3	0	0	0	504	1	1	3	1,2, 3,4, 5	2
230	Raye singh,ratan lal , Balbir Singh	72	Let dulu ram	980571398	1	1	3	3	3	1,5	2	1	1	0	1	0	484,372/1,373/1, 374,375,377,398 ,410,413,422,42 3,423/1,424,424/ 1,425,427,428,4 29,433,435,436, 437,441,442,459 ,460,478,479,48 0,481,482,430,3 76	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1 , 2
231	पूर्ण चंद्र	स्वर्ग वासी	बूटा राम	8219526447	2	8	3	3	4	1	3	1	2	0	1	0	805/106,808/1 08,836/370,84 9/370,840/370 ,843/384	1	1	3	1,2, 3,4, 5	
232	Late Joginder Kumar and more		Mangat ram	9816680674	2	8	3	2	3	1,2	3	1	2	0	1	0	382, 383	1	1	1	1,2, 3,4, 5	1
233	Madan lal	65	Vha	8291365811	1	1	3	3	1	2,5, 6		2	2				382, 383	1,2,	1 , 3	3		
234	Kishan lal kishor chand	75	Jogu mastana	8916355002	2	8	3	1	2	1,3	1	2	2	0	0		49/2, 52/2	1	1	2	1,2, 3,4, 5	4
235	Mansa ram	Late	Bakht ram	9817280160	1	1	3	3	3	1	3	2	2	0	1	0	378	1,3,4	1	2	1,2, 3,4, 5	1 , 2
236	Nand lal	56	Brijlal	9882542316	1	1	3	1	4	1	2	2	2	0	1	0	687,814,814/1	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	4

237	Late Jai Chand		Boota	9418913031	2	8	3	1	4	1	3	1	2	1	1	1	806/107, 809/108, 841/370, 845/384	1	1	2	1,2, 3,4, 5	1
238	Ram lal	Late	Shalo	9805602497	1	1	3	2	2	1	1	1	3	0	0	0	456	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1
239	Kishori lal	72	Believe ram	7807449837	1	1	3	1	2	1	1	2	2	0	0	0	848,858,855,857,875,876,877	1	1	3	1,2, 3,4, 5	2
240	Late Dulo		Baaju	8894049828	2	8	3	3	4	1,3	4	1	1	0	1	0	94,102	1	1	1	1,2, 3,4, 5	1
241	Munshi Ram	63	Sauru Ram	9816831360	2	7	3	3	1	1	1	1	2	0	1	0	94,102	1,2,	1 , 3	3		
242	अवतार सिंह	79	जसवंत सिंह	9816003256	2	8	3	1	4	3	2	2	2	0	0	1	715/378,712/379	1	1	3	1,2, 3,4, 5	
243	Let Rajendra kumar		Let ami chand	9418869943	1	1	4	1	2	3	2	2	1	0	1	0	1098/1030/1,1088/1030	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1 , 2
244	Harnam	Late	Bhakt ram	7832961445	1	1	3	2	3	1	2	2	2	0	0	0	420	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1 , 2
245	Suresh Kumar	55	Roshan Lal	9816229151	2	7	3	2	4	1	1	1	2	0	0	0	332,333,334,335,1068/583,804/241	1	1	1	1,2, 3,4, 5	1 , 2
246	Bahadur Singh	70	Late Shri Roshan Lal	9805652729	2	7	3	2	4	1,5	2	1	1	0	1	0	869/411, 871/413, 415,350/1, 352/1, 353/1, 349,351,393,394	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1

247	Gyan chand	59	Ratan chand	9816666522	1	1	1	3	5	1,5	3	2	2	0	1	0	573	1	1	3	1,2,3,4,5	1,2
248	Subhasana puri	65		9459720660	2	7	4	1	4	1,6	2	2	2				337	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
249	Roshan Lal	68	Suaru Ram	9816932286	2	7	4	3	2	1,4,5	3	1	1	0	1	1	254,255,256,257	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
250	Pumila devi	80	Buggad	9805180018	1	1	3	3	4	1	3	1	1	0	1	0	506,513,516	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
251	Mehar Singh	75	Kapoor chand	7560097410	1	1	3	3	3	1	2	1	2	0	0	0	403	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
252	Indu bala	50		9805953430	2	7	4	1	2	2,5,6	2	2	3				337	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
253	Arvind Kumar	63	Arvind Soni	7807356255	2	7	4	1	5	3	1	2	2	0	0	0	1003/438	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
254	Mahesa	60	Nika	9736865985	2	8	3	2	4	1,5	2	1	2	1	1	0	199	1	1	2	1,2,3,4,5	1
255	Ravinder sharma	40	Late subhash chand	9816979157	2	7	4	2	2	2,5,6	3	2	2	0	0	0	428	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
256	Bahadur Singh	70	Late Shri Roshan Lal	9805652729	2	7	3	2	5	1,5	2	1	1	0	1		869/411, 871/413, 415,350/1,352/1, 353/1,	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1

																	349,351,393,394					
257	Vijay Kumar	43	Parkash Chand	8263911745	1	1	3	2	1	1,2	2	2	2	0	0	0	274,275,267/1,272/1,272,271/1,268/1	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	4
258	Vinay kumar	73	Late Girdhari lal	9816377579	2	7	4	2	4	4	3	2	2	0	0	0	1003/438	4	1,3	2	1,2,3,4,5	2
259	Late Deena nath		Bhagwan das	8219873219	2	8	3	1	4	2	2	2	2	1	1	0	192, 193	1	1	3	1,2,3,4,5	1
260	Subash Chander	75	Bardu Ram	988260365	1	1	4	1	1	6	3	2	2	0	0	1	668	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
261	Raj Kumar	45	Rooplal	9816246657	2	8	3	2	3	1,5	2	1	2	1	1	0	240/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1
262	Dhyan singh	73	Ram Das	9805654568	1	1	3	3	4	1,4	4	2	1	0	1	1	820,823,824,829	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
263	Jeewan Lal (Vinod Kumar)	68	Late Sri Sadhu Ram	9816188084	2	7	1	2	2	2,5,6	1	2	1	0	1	0	359/1,360,361,362	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
264	Puran chand	63	Boota(jaswant singh)	9816443684	2	7	3	2	4	1,5	3	1	2	0	0	1	1071/584, 332,333,334,335,1068/583, 800/240, 804/241	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
265	Ramesh Chand	77-80	Let wardu	9816339770	1	1	3	3	2	1,2	2	1	2	0	0	0	812,813,815,821	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2

266	Parkash Chand	77	Hansraj	9418593131	1	1	1	3	4	4	3	2	1	0	1	1	618	3	1,3	2	6	4
267	Nikka ram	80	Hans Raj	9629460086	1	3	1	2	1	2,5,6	2	2	2	0	0	0	614	3	1,3	2	6	1,2
268	Gurmit singh	42	Dhyan singh	9805654568	1	1	3	3	4	1,4	4	2	1	0	1	1	829	1	1	2	1,2,3,4,5	
269	Harnam Singh	54	Shri Birbal Singh	9736277986	2	7	3	1	2	1	1	2	2	0	0	0	1062/580, 1065/582/2	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
270	Usha devi	45	Lab singh	8580727150	1	3	3	1	3	1,2	1	1	2	0	0	0	591/1,592/1,597/1,622/1,623,624,625,626,627	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
271	Dev singh	58	Bardu ram	9459754811	1	1	3	3	5	1,5	2	1	1	1	1	1	815,821	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
272	Chuni lal	85	Hans Raj	973607712	1	1	1	3	4	3	2	2	1	0	0	1	663	3	1,3	2	6	4
273	Sureshna devi	50	Late Ashok kumar	9882884887	2	7	3	1	2	2	1	2	3	0	0	0	794/90, 91,130/1, 1,2,3	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
274	Roshan lal	72	Lal singh	8679718077	1	1	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1105/705	1	1	2	1,2,3,4,5	2
275	Des Raj	59	Bhagat Ram	9816824729	1	3	1	2	3	1,2,5	2	1	1	0	0	1	658	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	4

276	Ramesh Chand	65	Jadu Ram	9816452497	2	7	3	2	3	2	1	2	2	0	0		5 to 89	1	1	1	1,2, 3,4, 5	1 , 2
277	Jogender Singh	70	Bhakt ram	9418122359	1	3	1	2	2	2,5, 6	2	2	1	0	0	1	637	3	1	2	6	1 , 2
278	Surinder Singh	68	Bhagat Ram	8988609493	1	3	1	2	2	1,2	2	1	2	0	0	0	637/1	1,3,4	1	2	1,2, 3,4, 5	1
279	Madan lal	64	Ratan Chand	9805322004	2	8	3	1	4	1	3	2	1	0	0	1	691/189	1	1 , 3	1	1,2, 3,4, 5	4
280	Naresh Kumar	54	Bhakt ram	9816495593	1	3	1	1	4	3	2	2	2	0	0	0	659	3	1 , 3	2	1,2, 3,4, 5	1 , 2
281	Mahindr Singh	72	Tek Chand	9783412092	1	1	3	3	4	1,5	2	1	2	0	1	0	986,987,988,989,990,991,1004,1088/1030,1089/1030/1	1,3,4	2	2	1,2, 3,4, 5	1 , 2
282	Sooram Chand	78	Kanthu Ram	9418070987	1	3	1	3	5	1,6	3	2	2	0	0	1	620	3	1 , 3	1	1,2, 3,4, 5	4
283	Har mahindar singh	83	JAImal singh	8351872239	1	1	3	2	5	1	1	2	2	0	0	1	620	1	1	2	1,2, 3,4, 5	1 , 2
284	Kalyan singh	60	Ratan chand	9816326813	1	2	3	2	3	2	2	2	2	0	0	0	1661,1662,1663	1	2	1	1,2, 3,4, 5	4
285	Purni devi	93	Baldev Singh	6230390175	1	1	3	3	5	2,5, 6	3	1	1	0	0	0	543,544,545,546,547,483,695,696	1,3,4	2	2	1,2, 3,4, 5	1 , 2

286	Raninder Singh	74	Shri Brij Lal	9418104246	2	7	3	3	5	1,4	3	1	2	0	1	1	869/411,871/413, 415,946/405, 414,395/1,417/1, 350/1, 352/1, 353/1,349,351,393,394	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
287	Om prakash	68	Sher Singh	9817134005	1	3	1	3	3	2,5,6	3	2	1	0	1	1	634, 635,638	3	1,3	2	1,2,3,4,5	1,2
288	Bhagwan singh	63	Ratan chand	8894504314	1	2	3	1	3	2	2	1	2	0	1	0	1661,1662,1663	1	2	1	1,2,3,4,5	4
289	Tajindar singh	55	Deal singh	7807970102	1	1	3	1	2	1	1	2	2	0	0	0	610	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
290	Balbir Singh	83	Fatah singh	8894376056	1	1	3	2	5	4	3	2	1	0	1	1	613,619,654,655,659,660	1,2,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
291	Malkiyat singh	52	Ratan chand	9816292350	1	2	3	2	5	1	3	1	2	0	1	1	0-00-75	1	1	2	6	1,2
292	Tripta Devi	55	Ratan Chand	9817045173	1	2	3	3	3	6	3	1	2	0	1	0	1661,1662,1663	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
293	Bchitar	83	Lakhu	9805499413	1	2	3	2	4	6	3	2	2	0	1	0	1661,1662,1663	1	1	1	1,2,3,4,5	4
294	Vinod Bharia	63	Munshi Ram	9816688574	2	11	3	1	4	1	2	1	1	0	1	1	658/560	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
295	Uttam Chand	58	Late Sh. Makhan Ram	8893903667	1	3	3	3	1	2,5,6		2	2	0	0	0	94,102	1,2,	1,3	3		

296	Surender Bharadiya	61	Late Sh. Kehar Singh	9418052822	2	11	3	1	5	2,5,6	2	1	1	1	1	1	567, 572/1	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
297	Uttam Chand	58	Makhan lal	8894903667	1	3	1	2	3	1,5	2	2	1	0	1	1	638	3	1	1	1,2,3,4,5	1,2
298	Surjeet Singh	67	Makhan Ram	9780715917	1	3	1	3	4	2,5,6	3	2	1	0	1	1	635	3	1,3	2	6	1,2
299	Narendra Kumar	54	Sri tek Chand	9857045106	1	1	3	1	4	1,5	2	1	2	0	1	0	0-1-41	1	2	1	1,2,3,4,5	1,2
300	Virendar	60	Tek chand	9857045106	1	1	3	2	4	1,4	3	2	1	0	1	1	514,515	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2

301	Suresh Kumar	59	Makhan Ram	9805461584	1	3	1	1	4	6	2	2	1	0	1	1	633,634	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
302	Naresh kumar	55	Sh. Natho Ram	9418687969	1	3	4	2	4	3	2	1	1	0	1	1	911/612	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
303	Rajindar kumar	62	Tet chand	9857045106	1	1	3	2	4	1	4	2	1	0	1	1	645,508	1	2	2	1,2,3,4,5	2
304	Sanjiv Kumar	46	Megh raj	9871563977	1	1	3	1	4	3	1	2	2	0	1	0	503,678,680,682,518,528	1,2,3,4	2	1	1,2,3,4,5	1,2
305	Heera lal	45	Amarnath	9816292246	1	3	4	1	4	2,5,6	2	2	2	0	0	0	613	3	1,3	3		
306	Ashok Kumar	60	Amarnath	9418654749	1	3	4	2	4	1,5	2	1	1	0	1	1	646	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
307	Madan Lal	60	Falttu ram	9417164159	1	1	3	2	5	4	2	1	2	0	0	0	501,505,529,530,517,363/2	1	2	1	1,2,3,4,5	1,2

308	Ramesh Kumar	55	Pritam Chand	9805172168	1	3	4	1	4	1,5	2	1	1	0	1	0	602/1	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
309	Dinesh Kumar	46	Shri pritam chand	962552964	1	3	4	1	3	4	3	2	1	0	1	1	605/1	1,3,4	1	3	1,2,3,4,5	1,2
310	Amar singh	83	Vishan das	6230043303	1	1	3	2	5	1,5	2	2	1	0	1	0	517	1	1	2	1,2,3,4,5	2
311	Urmila Devi	61	Sh. Bargu Ram ji	9816571456	1	3	4	4	2	1	1	1	1	0	0	0	671	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
312	Pankaj shrma	40	Shri intrdrajeet sharma	9459444391	1	3	4	1	3	2,5, 6	2	1	1	0	1	0	670	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
313	Jai Chand	58	Late. SH Naudha Ram	9418837673	1	3	2	1	4	1,4	3	2	1	0	1	1	726	1	1	1	1,2,3,4,5	4
314	Hari sngh	68	Vishan das	9417064359	1	1	3	3	5	1	4	2	1	0	0	1	517	1	1	3	1,2,3,4,5	1,2
315	Let Lithdu devi		Let Rikhiya	8894845185	1	1	3	3	3	1,4	3	2	2	0	1	0	502,511,512	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
316	Dharm chand	62	Madhaw ram	9805020636	1	1	3	2	4	4	4	1	1	0	1	1	526	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
317	Vipin kumar	44	Saphri ram	7807873448	1	1	3	2	2	1,2	1	1	2	0	0	0	491,492,493	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
318	Pratap chand	80	Bali ram	8894989445	1	1	3	3	5	1	2	1	2	1	1	0	493,494,485,486	1	1	1	1,2,3,4,5	2
319	Lekh Raj	65	Naudhar Ram	8094798381	1	3	2	1	5	1,5	2	1	1	0	1	0	726	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
320	Ashok Kumar	69	Sh. Bhagat Ram	9805592781	1	3	4	2	4	1,6	3	1	1	0	1	1	603/1	1	1	2	1,2,3,4,5	4
321	Subash Singh	65	Sh. Tel Singh	8219363148	1	3	4	1	5	1,4	4	2	1	0	1	1	724	1	1	1	1,2,3,4,5	4
322	Late. Sh joginder Singh	78	Late. Sh Tek Chand	9816004922	1	3	4	2	4	1,5	2	2	1	0	1	1	724	1	1	1	1,2,3,4,5	4
323	Rajesh	43	Late Shri karam Singh	9781935445	1	3	4	3	4	1	2	2	2	0	0	0	0-02-38	1	1	3	1,2,3,4,5	1,2
324	Surjeet Singh	59	Sh. Agya Chand	9459847822	1	3	4	2	5	6	4	2	2	0	1	1	705	1	1	2	1,2,3,4,5	4
325	Diljeet Singh	51	Sh.Agya Chand	7807516897	1	3	4	2	4	1,5	2	2	2	0	1	1	715	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2

326	Sudarshan Devi	65	Late.Sh Fateh Singh	9805156511	1	3	4	1	3	1,5	2	1	1	0	1	0	722	1	1	2	1,2,3,4,5	4
327	Sulochna devi	70	Kehar Singh	9805581537	1	1	3	3	3	1,2	2	1	2	0	0	0	1104/705	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
328	Ravinder Kumar	57	Sh. Moti Singh	9459639531	1	3	4	1	4	1,6	3	1	1	0	1	0	569	1	1	2	1,2,3,4,5	4
329	Satish Kumar	68	Sh. Moti Singh	9418708312	1	3	4	2	4	1,6	2	1	1	0	1	0	721/1,722,723	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
330	Ram pyari	68	Late.Sh Ker Singh	9805267536	1	3	4	4	1	1	1	1	2	0	0	0	705	1	1	2	1,2,3,4,5	4
331	Let Svaru		Nadu	0000000	1	1	3	3	2	1,2	1	1	3	0	0		864,868	1	1	3	1,2,3,4,5	2
332	Janam Singh	77	Omkar Singh	9857952870	1	3	4	2	5	1,6	4	1	1	0	1	1	912/695	1	1	1	1,2,3,4,5	4
333	Jagdish Chand	65	Mango ram	9418354250	1	1	3	1	1	2	1	2	3	0	0	0	1220/1038	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
334	Surindera Chauhan	65	Late. Omkar Singh	9816491489	1	3	4	4	2	6	3	2	1	0	0	0	702/1	1	1	1	1,2,3,4,5	4
335	Manu chauhan	37	Ramesh Chauhan	8988161613	1	3	4	2	5	2,5,6	3	2	1	0	1	1	702/1	1	1	3	6	1,2
336	Om Prakash	66	Sh.omkar Singh	9816307408	1	3	4	2	4	1	3	2	1	0	1	1	991/706	1	1	3	6	1,2
337	Desh raj	45	Sukriya ram	7807193261	1	1	3	3	4	1,2	2	1	2	0	1	0	645	1,3,4	1	3	1,2,3,4,5	1,2
338	Ashok Kumar	62	Let Dhani ram ji	7807387031	1	1	3	2	4	1,2	1	1	1	0	0	1	866	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
339	Surindar kumar	69	Dhani ram	7807352351	1	1	3	3	4	1,5	2	1	2	0	0	1	868	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
340	Suresh Kumar	65	Sh. Udham Singh	9816276990	1	3	4	2	2	1,6	2	2	1	0	1	0	566	1	1	1	1,2,3,4,5	4
341	Let Ajit Singh		Curu ram	8091365811	1	1	3	3	4	2	2	1	1	0	1	0	684	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2

342	Chanchlo Devi	57	Late.Sh Nikka Ram	8628038232	1	3	4	1	2	4	3	2	1	0	0	0	603/1	1	1	1	1,2,3,4,5	4
343	Vikul singh	49	Virendar Singh	7018709945	2	12	4	2	5	3	6	2	1	0	1	1	270,271,275,1479/799 ,,275,1476/79, 808/1	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
344	Sher Singh	74	Shakti Chand	9418033999	2	12	4	3	4	3	6	1	1	0	1	1	297,300,270,271,27 5	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
345	Prakash Chand	75	Pramesh Bari Das	9816496222	2	12	4	3	3	1	1	1	2	1	1	0	1594/1502	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
346	Pankaj Nijhol	39	Prem Prakesh	9816632295	2	12	4	1	5	3	3	2	2	0	1	1	1470/662,1465/660, 1467/661,1551/1463	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
347	Nishi talwar	64	Vizir chand	9817150398	2	12	4	3	5	3	2	2	1	0	1	1	1389/340, 1388/338	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
348	Surinder pal	60	Late Roshan lal	9459531230	2	12	3	3	5	1,3	3	1	1	0	1	1	1503/62, 63,70	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
349	Arvind Pathania	45	Ashok Singh Pathania	9816042249	2	12	4	2	5	3	6	1	2	0	1	1	748,1934/1473/741, 1933/1473/741, 744	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
350	Davinder Kohli	56	Late Shri Mohan Lal Kohli	9816104444	2	12	4	3	5	3	6	2	1	0	1	1	290,295,296	1,3,4	1,3	2	1,2,3,4,5	1,2
351	Prakash Chand etc	75	Pramesh Bari Das	9816496222	2	12	4	3	3	1	1	1	2	1	1	0	56, 57, 49/1, 113, 119, 120, 126/1, 127, 128, 130, 131, 133, 137, 138, 1360, 140, 141, 1362/142, 60, 61, 59	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
352	Gurmail Singh	65	Late Kushal Singh	8091044110	2	12	4	2	4	1,3	4	1	2	0	1	1	277,278,279,280,28 1,282,283,	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
353	Mansha Ram Chauhan	76	Late sh. Bajiru Ram	9418079441	2	12	4	2	5	3	4	2	1	0	1	1	1389/340	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
354	Santosh sethi	71	Late diwan chand	7018631789	2	12	4	1	5	3	3	2	1	0	0	1	1422/1355, 1396/425	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
355	Upender Singh	74	Late Shri B. C. Katoch	7018309330	2	12	3	3	1	2,5, 6	1	1	3				94,102	1,2,	1,3	3		

356	Devinder Singh	58	Sansar Chand	9459146409	2	12	4	4	4	1,4	3	2	3	0	1	0	121	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
357	Upender Singh	74	Late Shri B. C Katoch	7018309330	2	12	4	2	5	2,5, 6	3	2	2	0	1	1	301	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
358	Mahesh chander dhawan	59	Tulsi ram dhawan	9418064646	2	12	4	1	4	3	3	2	2	0	1	1	1608/405, 1395/425	1,2,3 ,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
359	Gurmail Singh	74	Late Kushal Singh	8091044110	2	12	4	2	4	1,3	6	1	2	0	1	1	277,278,279,280,28 1,282,283	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
360	Sudarshna Devi	80	Late Shri Dalku Ram	9805393350	2	12	4	3	4	1,5	1	1	2	0	0	0	104	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	2
361	Suresh Kumar	69	Sansar Chand	9459146409	2	12	4	2	5	4	4	2	2	0	1	1	122	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
362	Ram prakesh	82	Tulsi ram	9988553859	2	12	4	3	5	4	3	2	2	0	1	2	1388/1338, 1388/336	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
363	Lajya Devi	57		8872990420	2	12	4	2	5	1,3	4	2	2	0	1	1	1591/1497	1,2,3 ,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
364	Suresh Kumar	69	Sansar Chand	9459146409	2	12	4	2	5	4	4	2	2	0	1	1	122	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
365	Kultar Thakur	39	Sh. Purushotam Singh	9736085555	2	12	4	2	4	3	6	2	1	0	1	1	1493/818, 267, 1441/263,1444/262, 312, 313, 1485/816	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
366	Sanjay Kumar	48	Mehar Chand	9817601796	2	12	4	1	5	1,5	2	1	1	0	1	0	76,1819/1247, 1249	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
367	Varinder singh	51	Bhikam singh	6230278842	2	12	4	1	2	4	3	2	2	0	0	1	769/770	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
368	Anuj Mehta etc.	43	Siri Ram Mehta	9418223399	2	12	4	3	4	3	6	2	1	0	1	1	1407/647,1398/647, 1406/647,1399/647,	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
369	Padam veer	70	Tulsi ram	9988553859	2	12	4	1	5	4	4	2	2	0	0	1	1388/338, 1388/336	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1
370	Sai Das	90	Amar Nath	9015227276	2	12	4	3	5	1,3	6	2	1	0	1	1	1536/544, 1535/544	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2

371	Swaran kanta	75	Late krishan gopal	9805378343	2	12	4	4	5	3	2	2	1		2	4	1470/662,1954/1862/1553/1464/2,1953/1862/1553/1464	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
372	Jitender Kumar	42	Late Shri Agya Ram	8894094188	2	12	3	1	2	1	3	2	2	0	1	0	458,463,572,575,576,608,648,649,650	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
373	Anuj Mehta	43	Siri Ram Mehta	9418223399	2	12	4	3	4	3	6	2	1	0	1	1	1399/647,1406/647, 1398/647, 1407/647	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
374	Late Jagdev singh		Late mali ran	9736100497	2	12	3	1	5	1,3	6	1	1	0	1	1	1884/1448/403/1	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
375	Ravinder kumar	62	Late kishan chand	9418051323	2	12	4	2	5	3	3	2	1		0	1	728	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
376	Late Bhagwan das		Late Dhani Ram	9418105535	2	12	4	3	5	3	6	1	1	0	1	1	0-06-09, 0-01-92, 0-01-68, 0-01-26	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
377	Shilakha Saini	28	Shri Inder Pal	8580678206	2	12	4	2	5	1,3	4	2	1	0	1	1	1388/338	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
378	Pawan kumar(aawadi deh)	65	Late krishan chand	8219902544	2	12	4	1	4	3	3	2	2	0	0	1	728	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
379	Parameshwari Das Mehta	92	Late Dhani Ram Mehta	9418472448	2	12	4	2	5	3	6	1	1	0	1	1	1402/647,1403/647, 1398/647,1407/647	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
380	Saravjit Kour	26	Late Dalbir Singh	8219257134	2	12	3	2	3	3	4	2	2	0	1	1	1223	1,2,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
381	Harish Saini	36	Shri Dev Raj	9816156392	2	12	4	2	5	1,3	4	2	1	0	1	1	339	4	1,3	1	1,2,3,4,5	2
382	Naran das	70	Lakshman das	9816890126	2	12	4	3	2	1,5	3	2	2	0	1	1	100,102,103	1,3,4	2	1	1,2,3,4,5	1
383	Sunil Kupoor	45	Sh. Bharat Bhushan	9816660673	2	12	4	2	3	3	6	2	1	0	1	1	728	1,3,4	1,3	2	1,2,3,4,5	1,2
384	Jaspal Sharma	57	Late Shri Amin Chand Sharma	9459288111	2	12	4	3	4	1,3	6	2	1	0	1	1	1358/87, 326, 1386/338/1	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2

385	Kanta devi	76	Late Desh raj (Son of-basant ram)	9418968182	2	12	4	3	5	4	2	2	1	0	2	0	1421/1355	1,3,4	1,3	2	1,2,3,4,5	1,2
386	Harish Kapoor	67	Kishan Chand	9882384830	2	12	4	1	4	3	6	2	1	0	1	1	1421/1355	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
387	Neeru Mahajan	52	Kuldeep Ram	8219468010	2	12	4	1	5	3	6	2	1	0	1	1	341	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
388	Sunny Kohli	38	Late Sh. Praveen Kohli	9816884204	2	12	4	2	3	3	4	2	1	0	1	1	728	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
389	Nishi talwar	64	Vizir chand	9817150398	2	12	3	3	1	2,5, 6	1	1	2				94,102	1,2,	1,3	3		
390	Bir Singh	80	Shahjada Ram	9418068116	2	12	3	3	4	4	6	2	1	0	1	1	1394/425	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
391	Pawan kumar	62	Ratan Chand	8219468010	2	12	4	2	5	3	6	2	1	0	0	1	329	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
392	Roshni Devi	78	Late Shri Denanath Sharma	9459288111	2	12	4	3	4	1,3	6	2	1	0	1	1	1537/544	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
393	Roopam	27	Pardeep Sabharwal	9882418180	2	12	4	1	5	3	6	1	1	0	1	1	728/1	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
394	Ankush choudary	35	Ramsurap	7018416574	2	12	3	3	4	4	2	2	2	0	0	0	701	4	1,3	1	1,2,3,4,5	2
395	Pritam Chand	74	Late Birbal Kohli	9418460184	2	12	3	3	4	2,5, 6	6	1	1	1	1	1	465, 624, 621,630, 630/1, 632, 634, 635, 466, 625,464, 631, 633, 636,651,	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
396	Manohar Lal	58	Shri Sarri Ram	8894115742	2	12	3	3	4	1,4, 5	3	1	1	0	1	1	0-05-15	1	1	3		
397	Vikash Sharma	53	Kishan dev Sharma	7011052890	2	12	4	1	5	3	3	2	1	0	0	0	523	4	1,3	1	1,2,3,4,5	2
398	Padam Veer	71	Tulshi Ram	9882021021	2	12	4	1	5	2,6	4	2	2			1	1388/338	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
399	Ram praksh	82	Tulshi ram	9988553859	2	12	4	3	5	4	6	2	2		1	1	1338/338, 336	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1

कोड :

1. तहसील का नाम : शाहपुर–1, कांगड़ा–2

2.ग्राम का नाम : रछियालू –1, भड़ोत –2, क्योड़ी –3, जुगेहड़–4, भेडी–5, ढुगियारी खास–6, सनौर–7, बल्ला–8, सहौड़ा–9, मुंगरेहाड–10, बाग–11, गगल खास–12, बरसवालकड–13, झिकली इच्छी–14

3. परिवार का प्रकार : एकल परिवार (2-4 सदस्य),मध्यम परिवार(5-7 सदस्य)-2, संयुक्त परिवार(7 सदस्य से अधिक)-3 स्वयं–4

4. जाति : अनुसुचित जाति/जनजाति–1, अनुसुचित जनजाति–2 अन्य पिछडी जातिया–3, सामान्य–4

5. शिक्षा : हाईस्कूल से कम–1, हाईस्कूल तक–2, इन्टरमीडिएट –3,स्नातक–4, परास्नातक–5

6. परिवारिक आयः 1 लाख से कम–1, 1 लाख से 2.5 लाख तक–2, 2.5 लाख से 5 लाख तक–3,5 लाख से 10 लाख तक–4, 10 लाख से ज्यादा –5,

7. व्यवसाय : कृषि–1,कृषि एवं गैर कृषि मजदूर–2,व्यवसाय एवं दुकान–3,सरकारी नौकरी–4, गैर सरकारी नौकरी–5, अन्य–6

8. घर का प्रकार : बहुमंजिल पक्का–1, एक तल का पक्का–2, मिश्रित–3, कच्चा–4

9. भूमि अधिग्रहण का प्रकारः कृषि भूमि–1, गैर कृषि भूमि–2, आवासिये–3, व्यपारिक भूमि–4

10. फसलः बहुफसल–1, अनाज (घान, गेहू, आदि)–2,कंछ नही–3

11. अधिग्रहण भूमि का वार्षिक विक्रयः 50 हजार से कम–1,एक लाख से कम–2, दो लाख से कम–3, पाच लाख से कम–4, पाच लाख से अधिक–5

12. हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण के बारे में आपका विचारः अच्छा–1, खराब–2, कह नही सकते–3

13. भूमि अधिग्रहण में आपकी सहमती हैंः हॉ–1, नहीं–2, कह नही सकते–3

14. भूमि अधिग्रहण में आपकी सहमती नही होने का कारण : पुश्तैनी जमीन,–1, आजीविका का नुकसान–2,भूमि का सर्किल रेट कम–3, व्यावसायिक नुकसान–4, कृषि भूमि का नुकसान–5, वैकल्पिक भूमि उपलब्ध–6, विस्थापन के कारण–7,

15. प्रतिकर के लिए वरीयता/शर्ते : प्रतिकर बाजार दर पर होना चाहिए –1, जमीन के बदले जमीन –2, परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी –3, आवास दिया जाए –4 जमीन नहीं देना चाहते–5, अनिर्णीत /अभी सोचा नहीं–6

15. क्या आप भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप किसी अन्य स्थान पर जा रहे हैं : आवासीय–1, व्यावसायिक–2, दोनों–3, लागू नहीं–4

परिशिष्ट–चार

जनसुनवाई / लोकसुनवाई के दौरान प्राप्त ज्ञापनो की सूची समस्त ज्ञापन के दस्तावेज की मूल एवं छाया प्रति Soft copy pendrive के साथ निदेशक– HIPA SIAU कार्यालय में जमा की जा चूकी है

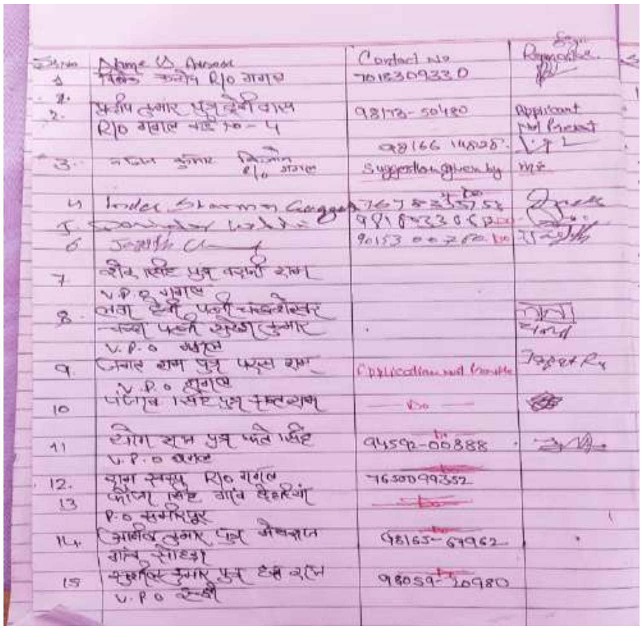

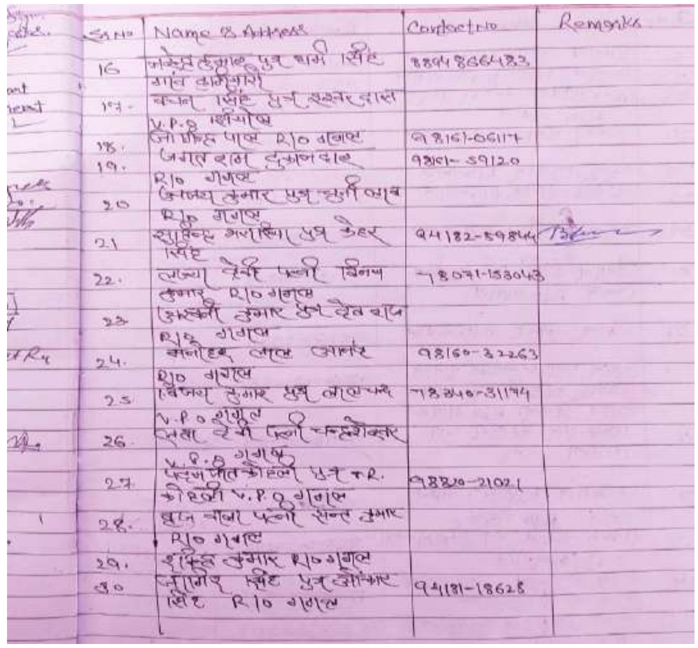

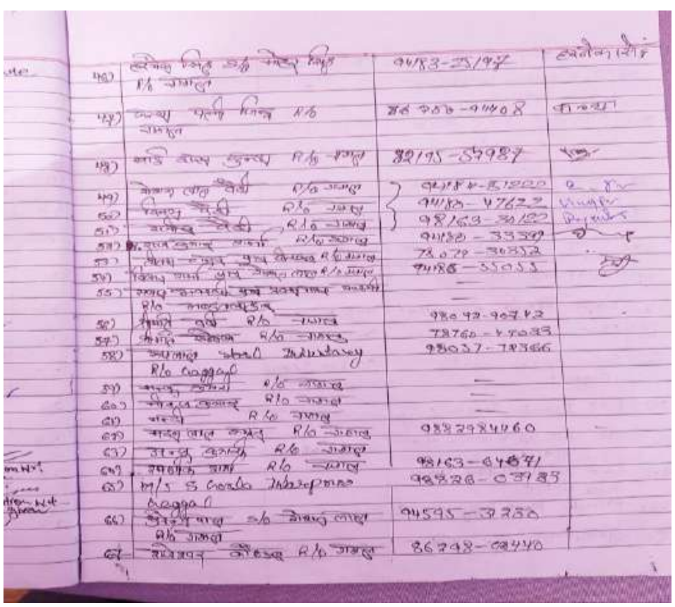

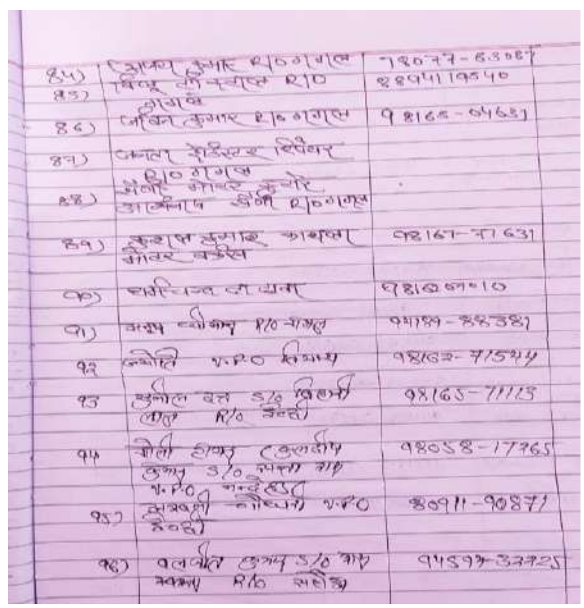

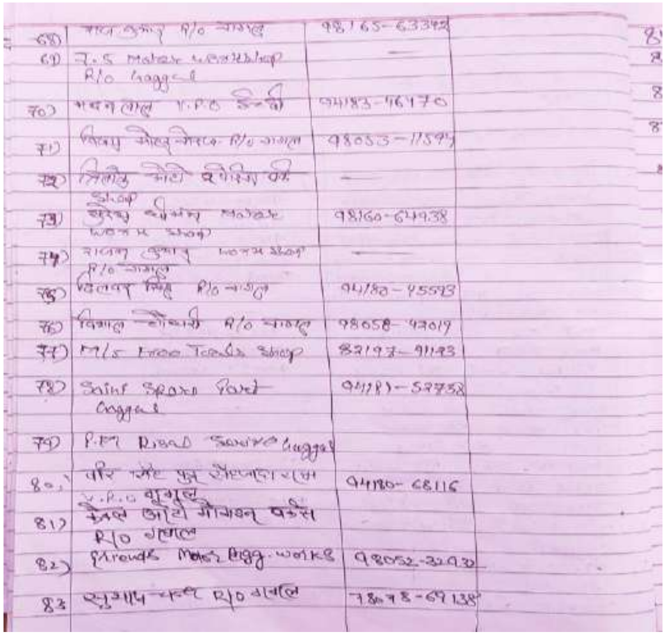

68)	[illegible] R/o गग्गल	98165-63342
69)	T.S Motor Workshop R/o Gaggal	—
70)	[illegible] V.P.O [illegible]	94183-96170
71)	[illegible] R/o गग्गल	98053-11597
72)	[illegible]	—
73)	[illegible]	98160-64938
74)	[illegible] R/o गग्गल	—
75)	[illegible] R/o [illegible]	94180-45593
76)	[illegible] R/o गग्गल	98058-42017
77)	M/s [illegible] Tools Shop	82193-91193
78)	Saint Spare Part Gaggal	94181-52858
79)	P.M Road Service Gaggal	
80)	[illegible] V.P.O गग्गल	94180-68116
81)	[illegible] R/o गग्गल	
82)	[illegible] Motor Engg. works	98052-32930
83)	[illegible] R/o गग्गल	78078-69138

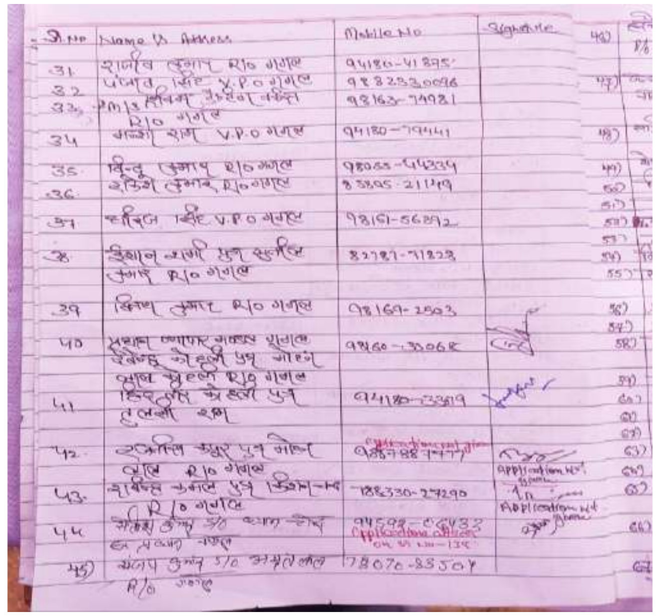

S.No	Name & Address	Mobile No	Signature
31	[illegible] R/o गग्गल	94180-41895	
32	[illegible] V.P.O गग्गल	9882330096	
33	[illegible] R/o गग्गल	98163-74981	
34	[illegible] V.P.O गग्गल	94180-79441	
35	[illegible] R/o गग्गल	98055-54334	
36	[illegible] R/o गग्गल	85805-21149	
37	[illegible] V.P.O गग्गल	98161-56292	
38	[illegible] R/o गग्गल	82787-71823	
39	[illegible] R/o गग्गल	98169-2503	
40	[illegible]	98160-30068	
41	[illegible]	94180-33919	
42	[illegible] R/o गग्गल	[illegible]	Application
43	[illegible] R/o गग्गल	88330-27290	Application
44	[illegible]	94592-06432	
45	[illegible] R/o गग्गल	78070-85507	

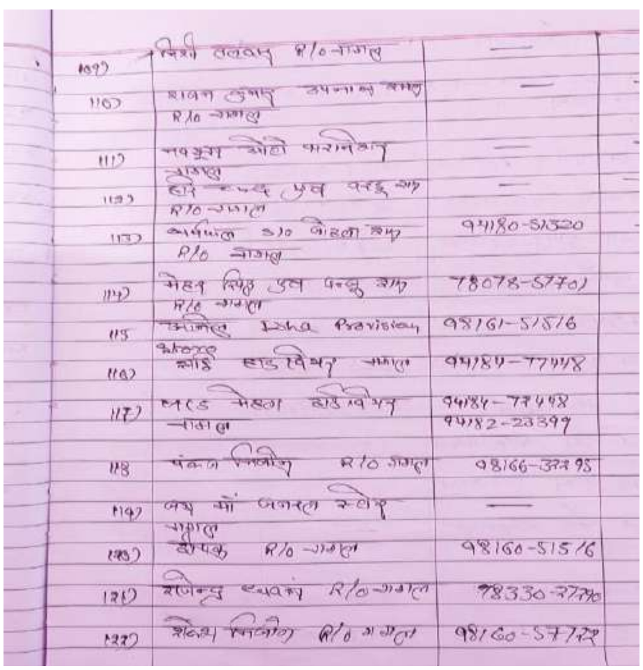

109)	[illegible] R/o गग्गल	—
110)	[illegible] R/o गग्गल	—
111)	[illegible] गग्गल	—
112)	[illegible] R/o गग्गल	—
113)	[illegible] R/o गग्गल	94180-51320
114)	[illegible]	78078-57701
115)	[illegible] Provision Store	98161-51516
116)	[illegible]	94184-77448
117)	[illegible] गग्गल	94184-77448 / 94182-23399
118)	[illegible] R/o गग्गल	98166-32298
119)	[illegible] गग्गल	—
120)	[illegible] R/o गग्गल	98160-51516
121)	[illegible] R/o गग्गल	78330-27790
122)	[illegible] R/o गग्गल	98160-57722

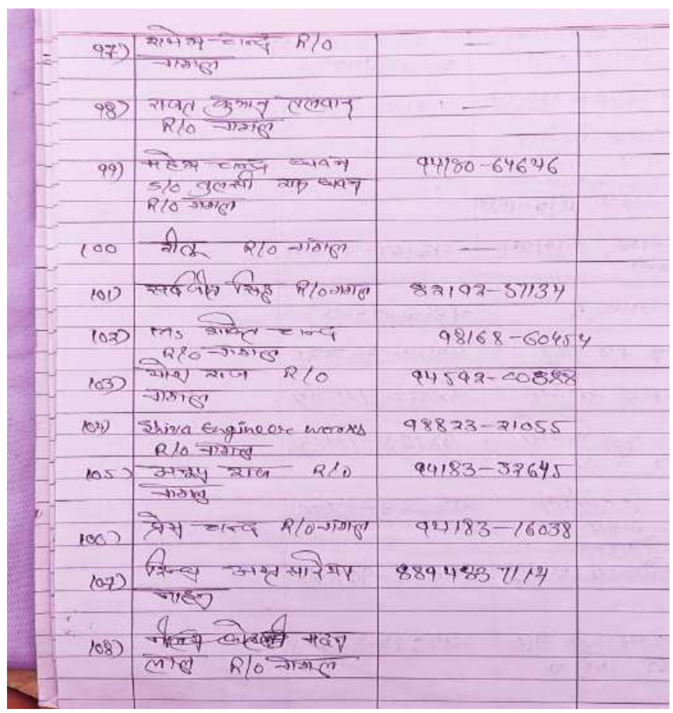

97)	[illegible] R/o गग्गल	—
98)	[illegible] R/o गग्गल	—
99)	[illegible] R/o गग्गल	94180-64646
100	[illegible] R/o गग्गल	—
101)	[illegible] R/o गग्गल	83192-57134
102)	[illegible] R/o गग्गल	98168-60454
103)	[illegible] R/o गग्गल	94592-20888
104)	Shiva Engineers works R/o गग्गल	98823-21055
105)	[illegible] R/o गग्गल	94183-32645
106)	[illegible] R/o गग्गल	94183-16038
107)	[illegible]	8894583717
108)	[illegible] R/o गग्गल	

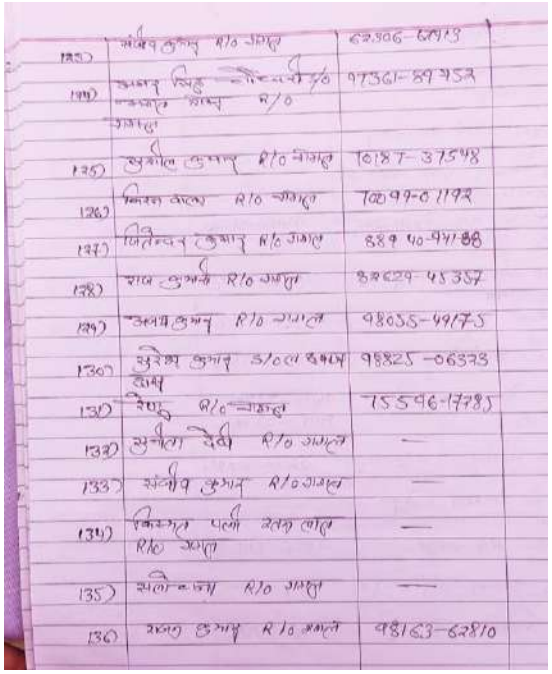

123) संजीव कुमार R/o गगल 62306-68913
124) अमर सिंह [illegible] S/o [illegible] R/o गगल 97361-87452
125) सुशील कुमार R/o गगल 70187-37548
126) किशन चन्द R/o गगल 70099-01192
127) जितेन्द्र कुमार R/o गगल 88940-44188
128) राज कुमार R/o गगल 82629-45357
129) अशोक कुमार R/o गगल 98055-49175
130) सुरेश कुमार S/o [illegible] 98825-06323
131) रेणु R/o गगल 75596-17781
132) सुनीता देवी R/o गगल —
133) संजीव कुमार R/o गगल —
134) किरण पत्नी रतन लाल R/o गगल —
135) [illegible] R/o गगल —
136) राजेश कुमार R/o गगल 98163-62810

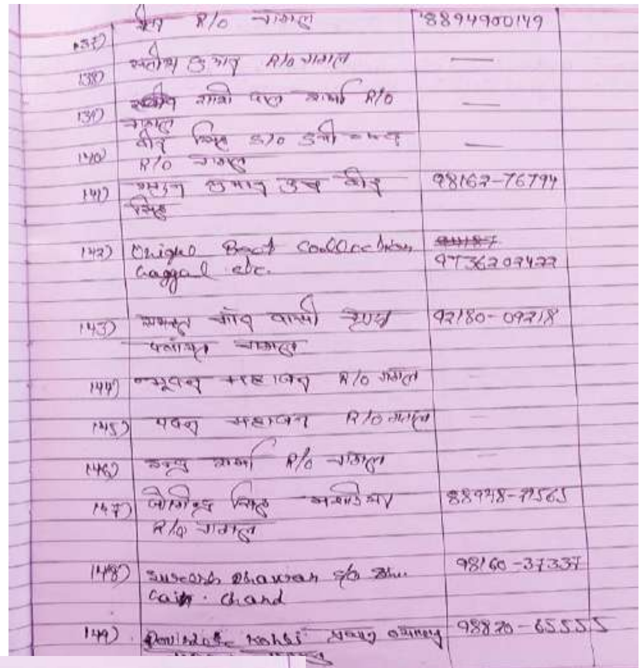

137) [illegible] R/o गगल 8894900149
138) संतोष कुमार R/o गगल —
139) [illegible] शर्मा R/o गगल —
140) वीर सिंह S/o [illegible] R/o गगल —
141) [illegible] कुमार उर्फ वीर सिंह 98162-76794
142) Original Bat Collection Gaggal etc. 9736209422
143) [illegible] 92180-09218
144) [illegible] R/o गगल
145) पवन [illegible] R/o गगल
146) [illegible] शर्मा R/o गगल
147) जोगिन्द्र सिंह [illegible] R/o गगल 88948-17565
148) Suresh Kumar S/o Sh. Cain Chand 98160-37337
149) [illegible] 98820-65555

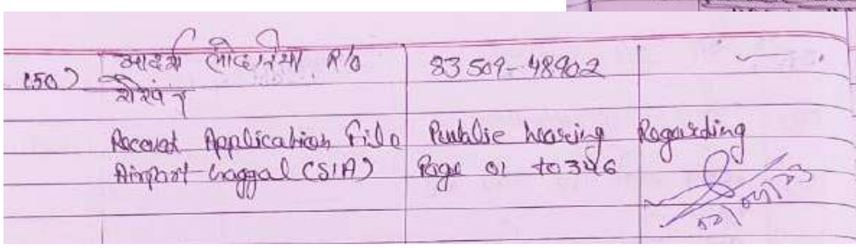

150) आदर्श [illegible] R/o [illegible] 83509-48902
Received Application file Airport Gaggal (SIA) | Public hearing Page 01 to 346 | Regarding

VIllage : Jhiklichi					
क्र.सं.	नाम	मोबाइल नं.	क्र.सं.	नाम	मोबाइल नं.
1	संतोष कुमार	9805091900	85	कुसुमलता	9805585503
2	सुधेश कुमार	9882195913	86	जयराम	9816831388
3	देवराज पुत्र गोरखुराम	9805542193	87	विनीत कुमार	8988555785
4	सुनील दत्त	9816571113	88	केवल कृष्ण	8894614124
5	हरीश धनोतिया	8219204818	89	करमचंद	9805625531
6	जोगिंदर पाल पुत्र माली राम	9805697086	90	नरेंद्र सिंह	9816573523
7	सुभाष चंद पुत्र स्वर्गीय श्री ईश्वर दास	9817730447	91	ओम प्रकाश	9817133843
8	रीना देवी	9805859333	92	प्रमोद कुमार	
9	साईप्रकाश पुत्र धनीराम	9736538172	93	रेखा देवी	

10	सुनीता देवी	8580771235	94	रविंदर कुमार	
11	तृप्ता देवी		95	करतार चंद	
12	चंदूलाल	8580967312	96	सुरेश कुमार	
13	विजय कुमार	9418045417	97	वीर सिंह	9817732723
14	रजनीश सैनी पुत्र किशोरीलाल	9816478777	98	ओंकार सिंह	9805391771
15	रजनीश मोना		99	करतार सिंह	9318572372
16	हंसराज चौधरी		100	सुरेश चंद	9418462355
17	अश्विनी कुमार	9816271944	101	राकेश कुमार	9418869344
18	गुरबचन सिंह		102	पुरुषोत्तम चंद	9418913073
19	रवींद्र कुमार मोंगरा और निशा		103	मनोज	9418044153
20	राजेन्द्र सिंह	8580724216	104	वासला देवी	8219797306
21	किरण पत्नी सुरिंदर कुमार	9805841213	105	कुसुम लता	8219876264
22	कमल कुमार पुत्र नंदलाल	9418010446	106	अमर सिंह	9882227388
23	पवन कुमार पुत्र स्वर्गीय नंदलाल	9805106877	107	सुनीता रैना	9882568933
24	सुरेंद्र	9418052822	108	अनीता धिन	9736557894
25	किशोरीलाल	9736893228	109	गुरवचन सिंह	9418112110
26	सुरेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नी लाल	9459951417	110	वेद चौधरी	9218161762
27	विपिन कुमार	9816258039	111	जोंगिंदर देवी	8091114358
28	सुम्ना कुमारी	8091201003	112	मोनिका देवी	8452898978
29	सुरजीत	8219894671	113	राकेश चौधरी	9915014499
30	सुषमा देवी	9816527361	114	मनमोहन सिंह	
31	सुरेश कुमार	7740018294	115	संजीवन लाल	
32	स्वरूप चंद पुत्र चुन्नी लाल	9817546627	116	बनारसी लाल	
33	मायादेवी पत्नी प्रताप चंद		117	अशोक कुमार	
34	प्रदीप कुमार	9736305219	118	पवन कुमार	
35	सुरेंद्र सिंह पुत्र रोशन सिंह	9218218193	119	विजय कुमार पुत्र राम कृष्णन	
36	इकबाल सिंह	9816514253	120	रोशनलाल पुत्र मनोहर लाल	

37	गिरधारीलाल		121	बुद्धि सिंह	
38	अशोक कुमार	9816750931	122	राम सिंह	9805916441
39	रवेन्द्र कुमार	9817542331	123	अश्वनी पुत्र धनीराम	
40	वीरेंद्र कुमार	8894469049	124	अमर सिंह	
41	मदन लाल	8219579992	125	उत्तम चंद पुत्र मालीराम	9736303554
42	किशोरीलाल	7807211832	126	स्वरूप चंद	9817546627
43	संजू	9418112766	127	ज्ञानचंद	
44	कौशल्या देवी	8894626784	128	स्वरूप कुमार पुत्र चंदूराम	9882274782
45	संजय कुमार	9418137483	129	प्रेमदास	9817632974
46	स्वरूप सिंह	7807519887	130	रवि कुमार	8679281829
47	रमेश चंद	9805646919	131	गौतम छतरी	9805436826
48	रमनेश कुमार		132	फकीर चंद	9418611142
49	पूजा		133	अमरजीत	9817122377
50	राजीव और राजेश पुत्र हरनाम सिंह		134	रमेश चंद	9418611142
51	हरि सिंह	98168421011	135	किशन चंद	9625622883
52	रूप सिंह	9857068643	136	अजय कुमार	9857997016
53	सुभाष चंद	9805842152	137	मनजीत सिंह	9882604161
54	नरोत्तम कुमार	9418913074	138	उत्तम चंद	9736664787
55	देवराज	9816908372	139	बलवीर सिंह	9816126744
56	प्रदीप कुमार	9805992330	140	रविंदर	9817243218
57	मिलाप सिंह	9805012194	141	जय बहादुर	9805260077
58	सनी महल	9857064816	142	मदन लाल	
59	नवीन कुमार/ओ रोशन लाल	9418562601	143	अमर चंद	9805679009
60	मतवार सिंह		144	देशराज पुत्र चामरूराम	
61	ओंकार सिंह	09736587612	145	सरोज कुमार	9816731856
62	रश्मा देवी		146	सुभाष चंद	7807215661

63	पवन कुमार पुत्र जयराम	6230158630	147	बिमला देवी	9816165358
64	गुलजारी ज़ोर-ज़ोर से हंसना		148	दिनेश कुमार	9736047663
65	अनिल कुमार	9816235441	149	हरीश चंद	7876575690
66	विपिन कुमार पुत्र बृजलाल	8629800378	150	पुरुषोत्तम	9114267936
67	बिलकराज	9817496797	151	ध्यान सिंह	9857562244
68	रविंदर कुमार	8219789409	152	राजेश कुमार	9857218554
69	विनता देवी	7807545869	153	तिलक राज	
70	दर्शना देवी		154	राजबीर सिंह	9805542191
71	विकास शर्मा	9816912645	155	स्वरूप चंद	9736495887
72	यामिनी पत्नी पवन कुमार		156	सुदर्शन कुमार	
73	निम्मो देवी	9625249891	157	जगदीश चंद	9625169270
74	कौशल्या देवी	97807079793	158	धर्म चंद	9418796200
75	जोगिंदर सिंह		159	विजय कुमार	7018267119
76	अश्विनी कुमार		160	हरि चंद	9816754630
77	सुरजीत सिंह	9736056777	161	विजय पुत्र ईश्वरदास	8219542617
78	बीना देवी	8629866510	162	रणजीत सिंह	8628982901
79	सुकन्या देवी		163	सुभाष चंद	9817730447
80	करतार सिंह	8219147784	164	लाल सिंह	8580597253
81	संजीव कुमार	705796606	165	सुरेंद्र कुमार	9816147888
82	राकेश कुमार		166	सुतिंदर सिंह पुत्र केहर सिंह	9418289844
83	धरम सिंह	9816762846	167	वेद प्रकाश	7018616060
84	मनोज कुमार				

ग्राम रछीयालू	ग्राम जुघेहद	ग्राम बल्ला
मुखतियार खान पूर्व प्रधान	श्री परवीन सिंह पुत्र खजान सिंह, श्री जोगिंदर सिंह (जिला पंचायत सदस्य) आदि	कैप्टन निर्मल सिंह, प्रधान, श्रीमती व्यासा देवी, अवधेश कुमार, श्रीमती लज्जा देवी, श्री भेलाप्रसाद, श्री बलदेव परसोना, श्री अश्वनी कुमार , श्री संदीप बालिया एवंअन्यग्रामवासी

श्री भूमि सिंह एवं अन्य सदस्य	1.श्रीमती बीना कुमारी पुत्री श्री हरनाज सिंह, 2. श्री जोगिंदर सिंह 3.श्री संदीप सिंह पुत्र लेफ्टिनेंट श्री सुचेत सिंह	श्री अरविन्द कंमार निवासी इच्छी, भूमि महाल बल्ला एवं बरसवालकड
श्री ओम प्रकाश पुत्र गुनी राम	श्री साहिल राणा पुत्र बलजित राणा श्री किशोरी लाल पुत्र श्री मोहन लाल	श्री मदन लाल बल्ला वार्ड न06
श्री प्रताप चंद पुत्र दीवान चंद	श्री संदीप सिंह पुत्र लेफ्टिनेंट श्री सुजित सिंह	श्री मदन चौधरी
श्री अमित कुमार सदस्य वार्ड न. 2 एवं प्रभावित ग्रामवासी	श्री– अनूप राणा पुत्र लेफ्टिनेंट– श्री– कल्याण सिंह	श्री अवधेश कुमार
श्रीमती संजू कुमारी (प्रघान) और पंकु कांगडिया (जिला परिषद)		श्रीमती रजनी देबी

ग्राम सनौरा	**ग्राम** सहौड़ा
अंजू देवी पत्नी स्व. श्री अभिषेक कुमार	श्रीमती किरन बाला, प्रघान और ग्रामवासी
राजिंदर सिंह पुत्र श्री ठाकुर त्रिलोक सिंह	श्री सुभाष चौधरी जिला परिषद सदस्य
श्री मनोज, लवीन कुमार, श्री ऋतिक, श्री अशोक, श्री सरूप, कुलदीप कुमार और देवेंद्र कुमार	श्री विरेन्द्र कुमार, श्रीमती रोशनी, श्री कमल कुमार, श्री विकास, श्री पूर्ण चन्द, श्रीमती निम्मो देवी, श्री वीर सिंह, श्री अशोक कुमार, श्री हरनाम सिंह
श्री कुशल कुमार पुत्र श्री हरि सिंह निवासी सनौरा	श्री राम चन्द
श्री भीम सेन पुत्र श्री लाभ राम, श्री नरिंदर सिंह पुत्र श्री दया सिंह, श्री अश्विनी कुमार	श्री चुन्नी लाल

पुत्र श्री वासन सिंह, श्री रमेश चंद पुत्र श्री पोलो राम और श्री विकास कपूर पुत्र श्री भूषण कुमार	
श्रीमतीबीना देवी पत्नी श्री देशराज, धनराम पुत्र श्री वक्षीराम	श्री जशपाल चौधरीए श्री पारस राम
श्री इंद्रजीत कुमार पुत्र श्री जगत राम	श्री टेक चन्द, श्री हरि राम
श्री सुनीता देवी (ग्राम प्रधान) ऐव समस्त ग्रामीण सनौरा	श्री कांता
	श्री हरि राम
	श्री बाबुराम, श्री मोहित एवं अन्य ग्रामवासी
	श्री विरेन्द्र कुमार
	श्रीमती माया देवी

Public Hearing

Public hearing: Vill. Jughed

Public Hearing: Vill. Rachiyalu

Public hearing: Vill. Gaggal

Public Hearing: Vill. Sanoura

Public Hearing: Vill. Bhalla

Public Hearing: Vill. Sahoura

Public Hearing: Vill. Jhikli Icchi

एसआर एशिया
चौथी मंजिल, सीएस -25 और 26, अंसल प्लाजा मॉल, सेक्टर -1,
वैशाली, गाजियाबाद, यूपी -201010 I भारत

Ph. 0120 410 3023 Email: srasiaproject@gmail.com
www.sr-asia.org